लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[ग्यारहवाँ सत्र
Eleventh Session]

Preservation
4-8-92
Fumigated
On 3. 2. 84
Parliament Library

[खण्ड 42 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. XLII contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक—10, शुक्रवार, 7 अगस्त, 1970/16 श्रावण, 1892 (शाक)

No.—10, Friday, August 7, 1970/Sravana 16, 1892 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
271. मैसूर राज्य में पर्यटन में वृद्धि	Improvement of Tourism in Mysore State	1—4
273. केन्द्रीय रक्षित पुलिस, सीमा सुरक्षा दल और पश्चिम बंगाल में सैनिकों की बटालियनों की तैनाती	Stationing of Bettalions of C.R.P., B.S.F. and Army Personnel in West Bengal	4—10
274. साम्प्रदायिकता को समाप्त करने के संबंध में राज्यों के मुख-मंत्रियों से परामर्श	Consultation with Chief Ministers of States on Curbing Communalism	10—15
281. भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों के क्षेत्र को केवल मजिस्ट्रेट संबंधी तथा भू-राजस्व दायित्व तक सीमित रखने के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें	A.R.C. Recommendations re. Restriction of the Field of I.A.S. Officers to Magisterial and Land Revenue Responsibilities only	15—17
282. केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों में विधान सभाओं की स्थापना की मांग	Demand for Legislative Assemblies in Centrally Administered Areas	17—19

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The Sign + marked above the na me of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	**WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS**	
276.	मिजो हिल्स जिले में दयनीय स्थिति	Miserable Conditions in Mizo Hills District	19
277.	सवाई माधोपुर के निकट रणथम्भोर के किले की खराब हालत	Deterioration of Fort of Ranthambhor near Sawai Madhopur	19–20
278.	प्रौढ़ शिक्षा	Adult Education	20
279.	विश्वविद्यालयों के सहायतार्थ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की योजना	U.G.C. Scheme to help Universities	20 21
280.	वल्लभभाई रीजनल कालेज आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नॉलोजी, सूरत	Vallabhbhai Regional College of Engineering and Technology, Surat	21
283.	दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर कवायद (ड्रिल) पर रोक	Ban on Drills in Public Places in Delhi	21—22
284.	श्रीनगर में हरिपर्वत किले पर पाकिस्तान के तोड़ फोड़ करने वाले और छापामार व्यक्ति	Pakistan Saboteurs and Guerillas at Hariparbat Fort in Srinagar	22
285.	राजनीतिक नेताओं के जीवन को भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) और पाकिस्तान समर्थक संगठनों से खतरा	Threats to the Lives of Political Leaders from C.P.I. (M.L.) and Pro-Pak Organisations	22—23
286.	पश्चिम बंगाल के पहाड़ी जिलों के मार्ग से विदेशी शस्त्रों तथा हथियारों का अवैध आयात	Illegal Importation of Foreign Arms and Weapons through Hilly Districts of West Bengal	23
287.	उखरूल (मनीपुर) में विद्रोही नागाओं के शस्त्रास्त्र तथा गोला बारूद का पकड़ा जाना	Recovery of Arms and Ammunition belonging to Naga Hostiles in Ukhrul (Manipur)	23—24
288.	एडिनवर्ग राष्ट्रमण्डलीय खेलों में भारतीय दल	Indian Contingent to Edinburgh Commonwealth Games	24

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
289.	बम्बई तथा कलकत्ता पत्तनों पर माल पर कर में वृद्धि	Increase in Tax on Goods at Bombay and Calcutta Ports	24 26
290.	पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का वापस बुलाया जाना	Recall of Governor of West Bengal	26
291.	चाइबासा बिहार में साम्प्रदायिक दंगों की जांच करने के लिए नियुक्त किये गये एक सदस्यीय आयोग के श्री के० के० दत्ता पर छुरे से हमला	Stabbing of Shri K. K. Dutta of Oneman Commission Investigating into Communal Riots in Chaibasa (Bihar)	26
292.	विश्व युवक सम्मेलन के लिए भारतीय शिष्टमंडल	Indian Delegation to World Youth Assembly	27
293.	बंगाल में मध्यावधि चुनाव	Mid-term Polls in West Bengal	27 28
294.	भूमि पर बलात अधिकार आन्दोलन के सिलसिले में संसद् में तथा राज्य विधान सभाओं में भारत के साम्यवादी दल के सदस्यों द्वारा गिरफ्तार होना	Courting of Arrest by C.P.I. Members in Parliament and State Assemblies for Land Grab Movement	28
296.	बर्न सम्मेलन के साथ संबंध तोड़ना	Severing of Connection with Berne Convention	28
297.	व्यक्तिगत योगदान तथा प्रशासनिक ढांचा	Administrative Structure in Relation to Individual's Contribution	28—29
298.	कोचीन में दूसरे शिपयार्ड का निर्माण	Construction of Second Shipyard at Cochin	29
299.	बंगाल बन्द	Bengal Bandh	30
300.	मध्य प्रदेश में अध्यापकों के लिये सलेक्शन ग्रेड	Selection Grades for Teachers in Madhya Pradesh	30

अतारांकित प्रश्न संख्या

U. S. Q. Nos.

1801.	विदेशों में भारतीय विद्यार्थियों को विदेशी युवतियों से विवाह करने की अनुमति देना	Grant of permission to Indian Students in Foreign countries to Marry Foreign Girls	31—32

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1802.	राजनीतिज्ञों तथा समाज विरोधी तत्वों को मिलने वाले हथियारों तथा गोला-बारूद के बारे में जांच करने के लिए कलकत्ता में एक विशेष विभाग की स्थापना	Special Cell at Calcutta to Investigate flow of Arms and Ammunition to Politicians and Anti-Social Elements	32
1803.	दिल्ली में एक दूसरे विश्वविद्यालय की स्थापना	Establishment of a Second University at Delhi	33
1804.	तैवान में ताइपेंह तक विमान सेवा	Air Service upto Taiph in Taiwan	33
1805.	मद्रास हवाई अड्डे की सुधार सम्बन्धी योजना	Scheme for improvement of Madras Airport	33–34
1806.	भारतीय प्रशासन सेवा और प्रथम श्रेणी की इंजीनियरिंग सेवा में अधिकारियों की भर्ती	Recruitment of Officers to I.A.S. and Class I Engineering Services	34–35
1807.	गांधी की हत्या के पश्चात् सरकार और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रधान के बीच पत्र व्यवहार	Corrospondence between Government and R.S.S. Chief after the Assassination of Gandhi	35
1808.	इंजीनियरों और डाक्टरों के रोजगार में असमानता दूर करना	Removal of disparity in Employment of Engineers and Doctors	35—36
1809.	दंगों से प्रभावित क्षेत्रों के लिए विशेष पुलिस बल	Special Police Force for Riot-affected Areas	36
1810.	दिल्ली परिवहन उपक्रम की वित्तीय स्थिति	Financial position of Delhi Transport Undertaking	36—37
1811.	डेनियल वॉलकट के बच कर भाग निकलने के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच	C.B.I. Enquiry into the escape of Daniel Walcott	37–38
1812.	इंजीनियरिंग विभागों में पदोन्नति	Promotion in Engineering Departments	

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subjects	पृष्ठ Pages
1813.	केन्द्रीय इंजीनियरिंग सेवाओं में भर्ती के लिए अंकों की निर्धारित प्रतिशतता	Percentage of marks fixed for Recruitment to Central Engineering Services	38—39
18 4.	इंजीनियरी डिप्लोमा प्राप्त कर्मचारियों को ए० एम० आई० ई० की परीक्षा पास करने पर वार्षिक वृद्धियां	Increments to Engineering Diploma Holders who Pass A.M.I.E. Examination	39—40
1815.	डालर नोटों का पकड़ा जाना	Seizure of Dollar Notes	40
1816.	दिल्ली में आई०ए०एस० अकादमी के लिए कैम्पस	Campus for I.A.S. Academy in Delhi	40—41
1817.	दण्ड प्रक्रिया संहिता में परिवर्तन	Changes in Criminal Procedure Code	41
1818.	पश्चिम बंगाल विधान सभा के चुनाव	Elections to Legislative Assembly of West Bengal	41
1819.	भारतीय दूतावासों में विज्ञान-सहचरों की नियुक्ति	Posting of Science Attaches in Indian Embassies	42
1820.	मंत्रालयों में चुनाव-ग्रेड पदोन्नतियां	Selection Grades Promotions in Ministries	42
1821.	केन्द्रीय सरकार के स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों की संख्या	Permanent and Temporary Central Government Employees	43
1822.	तकनीकी योग्यता प्राप्त व्यक्तियों के लिए विदेशों में रोजगार	Foreign Employment for Technically qualified persons	43—44
1823.	दिल्ली में आयोजित फिल्म स्टार्स नाइट समारोह	Film Star's Nite Shows held in Delhi	44—45
1824.	बेरोजगार तथा आन्शिक रूप से रोजगार प्राप्त इंजीनियरों (बिहार) की संघर्ष समिति के अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत किया गया ज्ञापन	Memorandum submitted by the President Action Committee of Unemployed and Under-employed Engineers (Bihar)	45—46

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject		पृष्ठ Pages
1826.	गोआ के सरकारी अस्पतालों के लिए दवा खरीदने में भ्रष्टाचार	Corrupt practices in purchase of Medicines for Government Hospitals in Goa	46
1827.	दिल्ली के स्कूलों में पुस्तकाध्यक्षों (लाइब्रेरियन) की भर्ती	Recruitment of Librarians for Delhi Schools	46—47
1828.	संसद् सदस्य श्री काशी नाथ पाण्डेय पर आक्रमण	Assault on Shri Kashi Nath Pandey, Member of Parliament	47
1829.	एक शिक्षा उपसलाहकार की बरीयता निर्धारित करना	Fixation of Seniority of a Deputy Educational Advisor	48
1830.	रूसी दूतावास द्वारा पुस्तकों का वितरण	Distribution of Books by Soviet Embassy	48
1831.	विदेशी मुद्रा की जालसाजी	Foreign Exchange Racket	48-49
1832.	"चितरंजन" चलते-फिरते अस्पताल स्थापित करने का प्रस्ताव	Proposal for setting up of "Chittaranjan" Mobile Hospital	49—50
1833.	उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के निवास-स्थान पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा छापा	Raid by C.B.I on Residence of Officers of U.P.	50
1834.	दिल्ली में उत्तर प्रदेश के एक उच्चाधिकारी के घर की तलाशी	Search made in the House of a High Official of U.P. in Delhi	50
1835.	लाटरियां	Lotteries	51—52
1836.	दिल्ली नगर निगम तथा दिल्ली प्रशासन को सहायता	Aid to Delhi Municipal Corporation and Delhi Administration	52—53
1837.	बिलासपुर जिले में तीन हरिजनों की हत्या	Three Harijans Killed in Bilaspur District	53
1838.	केरल में सीमा सुरक्षा दल	Border Security Force in Kerala	53—54
1839.	दरभंगा जिला (बिहार) में सौरठ गांव का पर्यटन स्थल के रूप में विकास	Development of Village Sowrath in Darbhanga District (Bihar) as Tourist Centre	54

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1840.	विश्वभारती विश्वविद्यालय में कार्यकारी परिषद् के गठन के संबंध में छात्र संघ का मत	Students Unions views on composition of Executive Coucil of Visva Bharati University	54
1841.	पश्चिम बंगाल में महिलाओं पर किये जा रहे अत्याचारों के संबंध में पश्चिम बंगाल महिला समिति द्वारा ज्ञापन	Memorandum from Paschim Bangal Mabila Samiti re. Atrocities on Women in West Bengal	54—55
1842.	पश्चिम दिनाजपुर में पाकिस्तानियों की घुसपैठ	Pak Intrusions into West Dinajpur	55
1843.	भारत में पाकिस्तान के नागरिकों के रहने की अवधि बढ़ाना	Extension of stay of Pak National in India	55
1844.	पुरूलिया में प्रधान मंत्री का भाषण सुनने के लिए एकत्रित भीड़ पर लाठीचार्ज करना	Lathi Charge on the People gathered to hear Prime Minister's speech at Purulia	56
1845.	सांस्कृतिक सहयोग के बारे में भारत यूगोस्लाविया समझौता	Indo-Yugoslavia Pact on Cultural Cooperation	56
1846.	संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़ में प्राथमिक शिक्षा के लिए धन राशि की कमी	Shortage of Funds for Primary Education in Union Territory of Chandigarh	56 - 57
1847.	राजा राम मोहन राय का द्विशत वार्षिक उत्सव मनाया जाना	Celebration of Bicentenary of Raja Ram Mohan Roy	57
1848.	जम्मू और काश्मीर में पाकिस्तानी झंडा फहराना	Hoisting of Pakistani Flags in Jammu and Kashmir	57
1849.	जम्मू और काश्मीर में मकानों का जलाया जाना	Burning of Houses in Jammu and Kashmir	58 – 59
1851.	सिलगुड़ी में कदमतला के समीप सीमा सुरक्षा दल द्वारा साधू का मारा जाना	Killing of a Sadhu by Border Security Force near Kadamtala in Siligury	59—60

अता० प्र० सख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1852.	उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय में अब तक अनिर्णीत पड़े हुए मामलों के बारे में न्यायाधीशों की समिति द्वारा की गई सिफारिशें	Recommendations made by Committee of Judges on Arrears of Cases in High Courts and Supreme Court	60
1853.	सैनिक शासन के बारे में जनरल कुमार मंगलम का दृष्टिकोण	General Kumarmangalam's Statement re. Army Rule	60—61
1854.	अमरीकी शिक्षा प्रतिष्ठान द्वारा विचार गोष्ठी	Seminar by U.S. Educational Foundation	61
1855.	त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर हवाई पट्टी का विस्तार	Expansion of Runway at Trivandrum Airport	61—62
1856.	गरूलिया (पश्चिमी बंगाल) में भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) के कार्यालय पर आक्रमण	Attack on C.P.I.(M) Office in Garulia (West Bengal)	62
1857.	मोरमुगाव पत्तन का विकास	Development of Mormugao Port	62—63
1858.	अन्दमान तथा निकोबार सरकार के कर्मचारियों के संघ का अभ्यावेदन	Representation from Andaman and Nicobar Government Employees Association	63—64
1859.	काशी नागरी प्रचारिणी सभा की दुर्लभ पाण्डुलिपियों का परिरक्षण	Preservation of Rare manuscripts of Kashi Nagri Pracharni Sabha	64
1860.	भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) के रेडियो ट्रांसमीटर का चालू होना	Operation of CPI(M.L.)'s Radio Transmitter	64—65
1861.	एयर इण्डिया के लिये भारतीय वायु सेना के विमान-चालकों की सेवाओं का उपयोग करने सम्बन्धी प्रस्ताव	Proposal to take over the Services of I.A.F. Pilots for Air India	65

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1862.	पश्चिम बंगाल में पुलिस के साथ मुठभेड़ में नक्सलवादियों द्वारा "वियतनाम" मार्के के बमों का प्रयोग	Use of Bombs Marked 'Vietnam' by Naxalites during encounters with Police in West Bengal	66
1863.	पर्यटकों से विदेशी मुद्रा की खरीद	Purchase of Foreign Currency from Tourists	66
1864.	श्रीनगर में नक्सलपंथी गतिविधियों में वृद्धि	Increase of Naxalite activites in Srinagar	67
1865.	त्रिपुरा में नक्सलपंथी गतिविधियां	Naxalite Activities in Tripura	67—68
1866.	पश्चिम बंगाल में चाय बागान वाले क्षेत्रों के बच्चों को हिन्दी के माध्यम से शिक्षा देना	Imparting of Education through Hindi medium to Children of Tea Estate Areas in West Bengal	68
1867.	अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के पर्यटन केन्द्रों का विकास	Development of Tourist Centres of International Importance	68
1868.	केन्द्रीय पुलिस संगठन के ढांचे का पुनर्गठन	Reorganisation of Structure of Central Police Organisations	68—69
1869.	सरकारी उपक्रमों के निगरानी कर्मचारियों द्वारा औद्योगिक सुरक्षा बल में सेवा के लिये अपनी सहमति देना	Option of W & Wx Staff of Public Undertakings for Service in Industrial Security Force	69
1870.	पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन में भारत-सोवियत कार्यक्रम के लागू करने में विलम्ब	Delay in Implementation of Indo-Soviet Programme for Publication of Text-Books	70
1871.	राज्यों में नक्सलवादियों का गिरफ्तार किया जाना	Arrest of Naxalites in States	70—71
1872.	कांडला पत्तन न्यास द्वारा श्री बी० टी० अबीचन्दानी के विरुद्ध मुकदमा दायर किया जाना	Filling of a Suit by Kandla Port Trust against Shri B. T. Abichandani	71

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1873.	कांडला पत्तन न्यास के अध्यक्ष द्वारा यात्रा भत्ते का दावा करना	Claiming of Travelling Allowance by Chairman of Kandla Port Trust	71—72
1874.	कांडला पत्तन न्यास के अध्यक्ष के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against Chairman of Kandla Port Trust	72
1875.	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम में साम्प्रदायिकता और संकीर्णता के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच	C.B.I. Inquiry against Communalism and Parochialism in National Coal Development Corporation	72—73
1876.	सभी प्रकार की प्राकृतिक विपत्तियों से रक्षा करने के लिए केन्द्रीय संगठन	Central Organisation for Protection against all Natural Calamities	73
1877.	एयर इंडिया से यात्रा करने वाले यात्रियों को दिया जाने वाला आमिष भोजन	Non-vegetarian Meals supplied to Passengers Travelling by Air India	73—74
1878.	हिन्दी शब्द संकलन	Compilation of Hindi Vocabularies	74
1879.	एयर इंडिया द्वारा विदेशियों को विमान चालकों और ग्राउण्ड इंजीनियरों के रूप में नियुक्त करना	Employment of Foreigners as Pilots and Ground Engineers by Air India	74—75
1880.	मध्य प्रदेश में माना स्थित पूर्व पाकिस्तान शरणार्थी शिविर से हथियारों का पकड़ा जाना	Seizure of Arms from East Pakistan Refugee Camp at Mana, Madhya Pradesh	75
1881.	कलकत्ता स्थित भारतीय संग्रहालय का बन्द होना	Closure of Indian Museum, Calcutta	75—76
1882.	चण्डीगढ़ में भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) के नेताओं को सैनिक प्रशिक्षण दिया जाना	Military Training Imparted to C.P.I.(M) Leaders in Chandigarh	

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1883.	सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने वाले मध्य प्रदेश में काम कर रहे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के विरुद्ध मुकदमा	Prosecution of Central Government Employees in Madhya Pradesh for participation in September 1968 Strike	76—77
1884.	पश्चिम बंगाल में पाकिस्तान तथा चीन के गुप्तचरों की गिरफ्तारी	Arrest of Pakistani and Chinese Spies in West Bengal	77
1885.	साम्प्रदायिक दंगों के समय बरामद किये गये बम, हथियार और गोला-बारुद	Recovery of Bombs, Arms and Ammunition during Communal Riots	77
1886.	मंत्रिमंडलीय स्तर के मंत्रियों, राज्य मंत्रियों उपमंत्रियों और मंत्रियों तथा भारतीय रियासतों के भूतपूर्व शासकों के वेतन, भत्तों और पेंशन पर होने वाला खर्च	Expenditure on Pay, Allowance and Pension of Union Ministers and Rulers of Former Indian States	78
1887.	मेयर की अध्यक्षता में परिषद् (मेयर-इन-कौंसिल) विधेयक	Mayor-in-Council Bill	79
1888.	भारतीय दंड संहिता के संशोधन करने का प्रस्ताव	Changes sought to be made in Indian Penal Code	79
1889.	भारतीय रियासतों के भूतपूर्व शासकों की निजी थैलियों को समाप्त करना	Abolition of Privy Purses of Rulers of Former Indian States	79—80
1890.	मिजो, कुकी और नागा विद्रोहियों का पाकिस्तान भाग जाना	Mizos, Kuki and Naga Rebels Fled to Pakistan	80
1891.	प्रशासन सुधार आयोग को समाप्त किया जाना	Winding up of Administrative Reforms Commission	80—81
1892.	केरल में आदीमपुर और कुर्कनचेरी में महात्मा गांधी की मूर्तियों का तोड़ा जाना	Breaking of Statues of Mahatma Gandhi in Adimpur and Kurkenchery, Kerala	81—82

अता० प्र० संख्या U. S Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1893.	अलीगढ़ और बनारस विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों पर प्रति व्यक्ति व्यय	Per Capita Expenditure on Students of Aligarh and Banaras Universities	82
1894.	देश में पोत निर्माण तथा पोत मरम्मत में लगे पोत-स्थल तथा वर्कशाप	Shipyards and Workshops engaged in Shipbuilding and Ship Repairs Work	82
1895.	विदेश जाने वाले अधिकारियों के लिये एयर इंडिया की विमान सेवा का उपयोग करने का आदेश	Orders to use Air India Services for Officials going abroad	83
1896.	शिक्षाविदों और छात्र प्रतिनिधियों का सम्मेलन	Conference of Educationists and Student Representatives	83—84
1897.	रेलवे द्वारा बुक किये गये विस्फोटकों का गुम हो जाना	Missing Explosives booked by Railways	84
1898.	मनीपुर के कर्मचारियों के वेतन मानों में परिवर्तन	Revision of Pay Scales of Employees of Manipur	85
1899.	कुकी विद्रोहियों द्वारा मनीपुर के युवकों की हत्या	Killing of Manipur Youths by Kuki Hostiles	85
1900.	मनीपुर में सहायता प्राप्त हाई स्कूलों के अध्यापकों को सिलेक्शन ग्रेड देना और लोयर प्राइमरी स्कूल, मनीपुर के चौकीदारों का वेतन	Selection Grade to Teachers of aided High Schools, in Manipur and Pay of Chowkidars of L.P. School, Manipur	86
1901.	मनीपुर राज्य परिवहन मजदूरों की मांगे	Manipur State Transport Workers demands	86
1902.	राष्ट्रीय राजपथ संख्या 39 पर प्रथम श्रेणी की यात्रा सेवा चालू करने का प्रस्ताव	Proposal to run 1st Class Passenger Service on National Highway No. 39	86—87
1903.	हरियाणा के कालेजों में हरियाणा के विद्यार्थियों को दाखिला देने के लिए अंकों में छूट	Relaxation in Marks for Haryana Students for admission to Colleges in Haryana	87

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1904.	उत्तरी अमरीका तथा रूस से पर्यटक	Tourists from North America and Russia	87—88
1905.	सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा निवृति के पश्चात् नियुक्ति	Employment of Judges of Supreme Court after Retirement	88
1906.	गुरु नानक विश्वविद्यालय से कालेजों कां सम्बद्ध किया जाना	Affiliation of Colleges to Guru Nanak University	88—89
1907.	दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसियशन के विरुद्ध मामले	Cases against Delhi High Court Bar Association	89
1908.	सिलीगुड़ी जिले (पश्चिमी बंगाल) के शक्तिगढ़ क्षेत्र में बंगाल प्रोविंशियल स्टूडेंट्स फैडरेशन के छात्रों को छुरा घोंपना	Stabbing of Students of Bengal Provincial Students Federation in Saktigarh Area of Siliguri District (West Bengal)	89
1909.	आसाम में ब्रिटेन के पत्रकारों की गिरफ्तारी	Arrest of British Journalists in Assam	90
1910.	बंगलौर-हसन राज्य सड़क को राष्ट्रीय राजपथ में बदलने का प्रस्ताव	Proposal to Conver Bangalore-Hassan State Road into National Highway	90
1911.	बोनहल्ली के निकट हसन में पर्यटक हवाई अड्डा	Tourist Airport at Hassan near Bonahalli	90—91
1912.	राष्ट्रीय शिक्षा संस्था के कुछ प्राध्यापकों तथा रीडरों को कोई शिक्षण कार्य न देना तथा सेमिनारों में धन का अपव्यय	No Teaching Assignments to some Readers and Lecturers of National Institute of Education and Waste of Funds on Seminars	91
1913.	साम्प्रदायिकता और साम्प्रदायिक संगठनों की परिभाषा	Definition of Communalism and Communal Organisations	91—92
1914.	हुगली कस्बे (पश्चिम बंगाल) में रठाला स्थित मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यालय पर हमला	Attack on C.P.I.(M) Office at Rathala in Hoghly town, (West Bengal)	92

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1915.	जयपुर के निकट बागौर में प्रस्तर कालीन पुरातत्वीय वस्तुओं का पाया जाना	Discovery of Stone-age Antiquities at Bagor near Jaipur	92—93
1916.	पुलिस के महानिरीक्षकों का सम्मेलन	Conference of Inspectors General Police	93
1917.	निजी थैलियाँ समाप्त करने के बारे में प्रधान मंत्री और भूतपूर्व भारतीय रियासतों के शासकों के बीच वार्ता	Talks between Prime Minister and Rulers of Former Indian States for Abolition of Privy Purses	93—94
1918.	साम्प्रदायिकता का मुकाबला करने के लिए कालेजों में राष्ट्रीय एकता सैल बनाया जाना	Setting up of National Integration Cells in Colleges to fight against Communalism	94—96
1919.	दिल्ली में राष्ट्रविरोधी नारे लिखने वाले व्यक्तियों को चेतावनी	Warning to Anti-National Slogan Writers in Delhi	96
1920.	केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति नई दिल्ली की सदस्यता से त्यागपत्र देने वाले व्यक्तियों को शेयरों की राशि लौटाना	Refund of Share-money to Persons Resigning their Membership of Central Government Employees Consumer Co-operative Society, New Delhi	96—97
1922.	उत्तर प्रदेश में नक्सलवादी गतिविधियां	Naxalite Activities in U.P.	97
1923.	एकीकृत राष्ट्रीय पर्यटन प्राधिकार की स्थापना	Setting up of Unified National Tourism Authority	97—98
1924.	प्रोजेक्ट-दिल्ली सम्बन्धी उच्च शक्ति प्राप्त समिति की सिफारिशें	Recommendations of High-Powered Committee on Project-Delhi	98
1925.	व्यावसायिक दुकानों में चलाये जा रहे शिक्षा संस्थान	Educational Institutions running as Commercial Shops	98—99

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subjects	पृष्ठ Pages
1926.	पूर्वी निमाड़ जिले में नक्सलवादी साहित्य का पकड़ा जाना	Seizure of Naxalite Literature in East Nimar District	99
1927.	मध्य प्रदेश में हवाई अड्डों का सुधार	Improvement of Airports in Madhya Pradesh	99
1928.	किसी दल अथवा संगठन की साम्प्रदायिकता के बारे में निर्णय करने के लिये न्यायाधिकरण की नियुक्ति	Appointment of Tribunal for deciding Nature of Communalism of a Party or Organisation	99
1929.	प्रधान मंत्री के भाषण के समय चांदनी चौक, दिल्ली में यातायात का रोकना	Blocking of Traffic in Chandni Chowk Delhi at the time of Prime Minister's Address	100
1930.	पश्चिम बंगाल में बसे हुए उत्तर प्रदेश के लोगों की सुरक्षा	Safety of People of U.P. settled in West Bengal	100
1931.	भारतीय अनुवादकों को प्रशिक्षण	Training of Indian Translators	100
1932.	सचेतकों का सम्मेलन	Whip's Conference	101
1933.	सिरसा के निकट घग्गर नदी पर पुल	Bridge over River Ghaggar near Sirsa	101
1934.	मृत्यु दंड	Capital Punishment	101
1935.	भारतीय विमान परिचारिकाओं के सौन्दर्य बर्द्धन के लिये विदेशी विशेषज्ञ	Foreign Experts for Beauty Treatment of Indian Air-hostesses	102
1936.	स्कूल की इमारतों की दशा का सर्वेक्षण	Survey of Conditions of School Buildings	102
1937.	नाविकों के लिए रोजगार के अवसरों के संबंध में जांच समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना	Report of Enquiry Committee on Employment Opportunities for Seamen	102—103
1938.	काश्मीर में सी०आई०ए० की गतिविधियां	C.I.A. Activities in Kashmir	103

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1939.	आई०आई०टी० कानपुर के छात्रों में कथित अमरीकी प्रभाव का फैलना	Alleged Spreading of American Influence amongst Students of IIT, Kanpur	103
1940.	20वीं शताब्दी के अन्त तक साक्षरता	Literacy by the end of 20th Century	104
1941.	नौवहन किराये और वस्तु भाड़े में 1966 से वृद्धि	Increase in Shipping Fare and Freight since 1966	104 105
1942.	इंडिया रेफ़ैंस एनुअल में प्रकाशित भारत संघ के क्षेत्र	Areas of Indian Union Published in India Reference Annual	105
1943.	साम्प्रदायिक कार्यवाहियों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस को अनुदेश	Instructions to Delhi Police to Curb Communal Activities	106
1944.	महाराष्ट्र में कृषक तथा मजदूर दल द्वारा शिव सेना के विरुद्ध न्यायिक जांच की मांग	Judicial Enquiry against Shiv Sena demanded by Peasants and Workers Party in Maharashtra	106
1945.	हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों को पंजाब तथा हरियाणा में मिलाया जाना	Merger of Areas of Himachal Pradesh in Punjab and Haryana	106—107
1946.	सचिवों की फेर-बदल के सम्बन्ध में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें	A.R.C. recommendations on Reshuffle of Secretaries	107
1947.	जलपाईगुड़ी (पश्चिमी बंगाल) में भारतीय साम्यवादी (मार्क्सवादी) के कार्यालय पर हमला	Attack on C.P.I.(M) Office in Jalpaiguri, (West Bengal)	107
1948.	सलाहकार समितियों पर व्यय	Expenditure on Consultative Committees	107—108
1949.	भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी लेनिनवादी) द्वारा कलकत्ता में "लाल आंतक" पैदा करना	Creation of 'Red Terrorism' in Calcutta by C.P.I.(M-L)	108

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1950.	आसाम में नक्सलवादियों द्वारा घुसपैठ किये जाने के बारे में आसाम पर्वतीय नेहरू सेवक संघ के अध्यक्ष द्वारा वक्तव्य	Statement by President of Assam Hills Nehru Sewak Sangh regarding infiltration of Naxalites in Assam	109
1951.	असैनिक उड्डयन के महानिदेशक और पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्रालय के मध्य नीति संबंधी मामलों में मतभेद	Differences over Policy matters between Tourism and Civil Aviation Ministry and Director General of Civil Aviation	09
1952.	शरारती लोगों द्वारा एक धार्मिक स्थान की पवित्रता भंग करना	Desecreation of a Religious Place by Miscreants	110
1953.	सलाहकार समितियों को संसदीय समितियों में परिवर्तित करने का सुझाव	Suggestion to convert Consultative Committees into Parliamentary Committees	110—111
1954.	दिल्ली में महिलाओं का अपहरण और उनके साथ छेड़-छाड़	Abduction and Molestation of Women in Delhi	111
1955.	दिल्ली में नगर निगम के निर्वाचन क्षेत्रों का नये सिरे से परिसीमन करना	Fresh Delimitation of Municipal Constituencies in Delhi	112
1956.	आसाम और नागालैंड के मध्य सीमा संबंधी विवाद	Boundary dispute between Assam and Nagaland	112—113
1957.	सतर्कता आयुक्तों द्वारा कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार के तरीकों के बारे में अनुसंधान सम्बन्धी अध्ययन	Research Studies in the Mechanics of Corruption in Offices	113
1958.	भीषण दंगों की घटनाओं, जिनमें पुलिस ने गोली चलाई, से पूर्व, की गई निवारक कार्यवाही	Preventive action taken before Serious Riots involving Police Firing	113—115
1959.	सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में सड़क तथा परिवहन संघ का अवलोकन	Observation made by Roads and Transport Association Re: construction of Roads	115—116

अता० प्र० सख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subjects	पृष्ठ Pages
1960.	प्राथमिक स्कूलों में "मातृ दिवस" मनाया जाना	'Mother's Day' in Elementary Schools	116
1961.	गोहाटी में बभयपुरी के निकट बडा पहाड़ में नक्सलपन्थियों द्वारा शस्त्र प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया जाना	Setting up of an Arms Training Centre by Naxalites in Bara Pahar near Abhaypuri in Gauhati	117
1962.	औद्योगिक उपक्रमों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों को नियुक्त किया जाना	Appointment of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Industrial Undertakings	117
1963.	राज्यों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों को छात्र-वृत्तियां देना	Grant of Scholarships to Scheduled Castes and Scheduled Tribes Students in States	117—118
1964.	दिल्ली प्रशासन में कर्मचारियों की वरीयता सूची का संशोधन	Revision of Seniority List of Employees of Delhi Administration	118
1965.	इंडियन एयर लाइन में बोइंग सेवा आरम्भ करने की तैयारी	Preparations for Boeing Service of Indian Airlines	118—119
1966.	परीक्षाओं को मन्सूख करना	Cancellation of Examinations	119
1967.	विदेशों में कार्य कर रहे भारतीयों की भर्ती	Recruitment of Indians Working abroad	119—120
1968.	सरकार तथा पत्तन तथा गोदी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के बीच सम्मेलन	Conference between Representatives of Government and Port and Dock Workers	120—122
1969.	एडिनबरा में राष्ट्रमंडलीय खेलों में भाग लेने के लिये भेजे गये छात्र पहलवान की आयु	Age of the Student Wrestler sent to Participate in Commonwealth Games at Edinburgh	122

अता० प्र० सख्या। U. S. Q. Nos	वषय	Subject	पृष्ठ Pages
1970.	मध्य प्रदेश सरकार द्वारा डाकुओं की समस्या को सुलझाने के लिए मांगी गई सहायता	Assistance Sought by Madhya Pradesh Government for Tacking Dacoit Problem	122 - 123
1971.	उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को सेवा-निवृत्ति के उपरान्त कार्य सौंपना	Assignment of Supreme Court Judges after Retirement from Service	123
1972.	शिक्षा के पाठ्यक्रम में प्रकृति और प्राकृतिक संसाधानों के परिरक्षण का अध्ययन शामिल करना	Introduction of Nature and Natural Resources Conservation in Curriculum of Education	123—124
1973.	30 मई, 1970 को इंडियन एयर लाइन्स में यात्रा कर रहे यात्रियों को परेशान किया जाना	Harassment to Passengers Travelling by Indian Airlines	124—125
1974.	उड़ीसा में पर्यटन के लिये वर्तमान तथा नये स्थलों का विकास	Development of existing and New Spots for Tourism in Orissa	125—126
1975.	वन्य जीव पर्यटन के विकास के लिये परिरक्षण संस्थाओं की ओर से सुझाव	Suggestions from Preservation Societies of Development of Wild Life Tourism	126
1976.	नेपाली भाषा को सरकारी मान्यता	Official Recognition to Nepali Language	126—127
1977.	जादुगुडा जंगलात में अमरीका में बनी मशीनगनों का बरामद होना	Recovery of American-made Machine-guns in Jaduguda Jungles	127
1978.	दार्जिलिंग में रहने वाले नेपाली छात्रों द्वारा नेपाली भाषा में प्रश्नों के उत्तर देने की मांग	Demand by Nepalese Students Residing in Darjeeling to Answer Question Papers in Nepali	127—128
1979.	पश्चिमी बंगाल के शैक्षणिक संस्थाओं के परिसरों में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस रखना	Stationing of CRP on the Campuses of Educational Institution in West Bengal	128

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1980.	प्रेसीडेन्सी डिवीजन, पश्चिमी बंगाल, के आयुक्त द्वारा सरकारी धन का कथित दुर्विनियोग	Alleged Misappropriation of Government Money by Commissioner of Presidency Division, West Bengal	128—129
1982.	रिश्वत, धोखाधड़ी आदि अपराधों के लिए सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध मुकदमा चलाना	Prosecution of Government Employees for Offences of Bribery, Cheating etc.	129—130
1983.	"जन सेना" गठित करने का प्रयास	Move to form Jana Sena	130
1984.	इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन को हानि	Incurring of losses by Indian Airlines Corporation	130—131
1985.	अशोक होटल, नई दिल्ली का तीसरे दर्जे के होटल के रूप में श्रेणीकरण	Ashoka Hotel, New Delhi Categorised as Third Rate	131
1986.	आजमगढ़ जिले (उ०प्र०) के गांव लाखनपुर की एक हरिजन महिला के साथ अत्याचार	Torture of Harijan Women of Village Lakhanpur of Azamgarh District (U.P.)	131
1987.	कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति का शपथ ग्रहण समारोह	Swearing in Ceremony of Chief Justice of Calcutta High Court	131—132
1988.	नेशनल लाइब्रेरी, कलकत्ता के एक भूतपूर्व पुस्तकाध्यक्ष को निर्वाचन मंडल का एक सदस्य नियुक्त करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से पत्र-व्यवहार	Correspondence with U.P.S.C. re. Appointment a former Librarian of National Library, Calcutta as a Member of the Selection Board	132
1989.	राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता, के पुस्तकाध्यक्ष का पद	Post of Librarian, National Library, Calcutta	132—133
1990.	कलकत्ता स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय के बारे में समीक्षा समिति की रिपोर्ट का प्रकाशित किया जाना	Release of Reports of Reviewing Committee on National Library, Calcutta	133

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1991.	स्कूलों में "मॉक संसद"	Mock Parliament in Schools	133—134
1992.	गुजरात में सड़क विकास के लिये की गई व्यवस्था	Provision made for Road Development in Gujarat	134
1993.	गुजरात के सबरकंठा, बनसकंठा तथा पंचमहल जिलों में सड़क परिवहन	Road Transport in Sabarkantha, Banaskantha and Panch Mahal Districts of Gujarat	134
1994.	पोरबन्दर के निकट समुद्र तट पर बहकर आई पाकिस्तानी लांच	Pakistani Launch Swept to Seashore near Porbandar	134—135
1995.	गुजरात के मेहसाना जिले में भगवान शिव के उपासक एक हरिजन की हत्या	Murder of a Harijan Devotee of Lord Shiva in Mehasana District, Gujarat	135
1996.	कोवालन में पर्यटक कुटीरों के निर्माण हेतु टेंडर मांगना	Tenders for Construction of Tourist Cottages at Kovalam	135—136
1997.	संसद में विपक्ष के नेता के अधिकार तथा विशेषाधिकार	Powers and Privileges of Leader of Opposition in Parliament	136
1998.	नक्सलवादियों को पेकिंग के निर्देश	Peking Instructions to Naxalites	136
1999.	महाराष्ट्र में नक्सलवादियों की गतिविधियां	Activities of Naxalites in Maharashtra	137
2000.	दिल्ली में विस्फोट	Explosion in Delhi	137
	अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने के बारे में (प्रक्रिया)	Re. Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance (Procedure)	138—146
	श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा	Shrimati Tarkeshwari Sinha	138
	सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	146—147
	राज्य-सभा से सन्देश	Messages from Rajya Sabha	148
	विधेयक राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में	Bills as Passed by Rajya Sabha	148
	(1) दिल्ली विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक	(i) Delhi University (Amendment) Bill	148

विषय	Subject	Pages
(2) उच्चतम न्यायालय (सिविल अपीलीय अधिकारिता के लिये मूल्य में वृद्धि) विधेयक	(ii) Supreme Court (Enhancement of Valuation for Civil Appellate Jurisdiction) Bill	148
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति	Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes	148
सातवां प्रतिवेदन	Seventh Report	148
सभा का कार्य	Business of the House	148—154
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	Committee on Private Member's Bills and Resolutions	154
पेंसठवां प्रतिवेदन	Sixty-fifth Report	154
पश्चिमी बंगाल की आर्थिक तथा सामाजिक समस्याओं के बारे में संकल्प—स्वीकृत	Resolution re. Economic and Social Problems of West Bengal Adopted	155—167
श्री देवेन सेन	Shri Deven Sen	155
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	Shri Chintamani Panigrahi	156
डा० रानेन सेन	Dr. Ranen Sen	156—157
श्री शशि भूषण	Shri Shashi Bhushan	157—158
श्री शिवचन्द्र झा	Shri Shiva Chandra Jha	158
श्री विभूति मिश्र	Shri Bibhuti Misra	158—159
श्री हिम्मतसिंहका	Shri Himat Singka	159
श्री मुहम्मद इस्माइल	Shri Mohammad Ismail	159—160
श्री बे० कु० दासचौधरी	Shri B. K. Daschowdhury	160—162
श्री कृष्ण चन्द्र पन्त	Shri K. C. Pant	162—167
श्री इन्द्रजीत गुप्ता	Shri Indrajit Gupta	165—167
पश्चिम बंगाल में विधि तथा व्यवस्था की स्थिति के बारे में संकल्प	Resolution re. Law and Order Situation in West Bengal	167—169
श्री नाथ पाई	Shri Nath Pai	167—169
आधे-घण्टे की चर्चा	Half-an-hour Discussion	169
सीमेंट के मूल्यों में कमी के बारे में	Reduction in Cement Prices	169—175
श्री श्रीचन्द गोयल	Shri Shri Chand Goyal	169—171
श्री मं० रं० कृष्ण	Shri M. R. Krishna	173—175

लोक-सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 7 अगस्त, 1970/16 श्रावण, 1892 (शक)
Friday, August 7, 1970/Sravana 16, 1892 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।
The Lok-Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

मैसूर राज्य में पर्यटन में वृद्धि

*271. श्री कं० लकप्पा : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य सरकार ने राज्य में पर्यटन सम्बन्धी व्यवस्था में सुधार करने के लिए कितने नये प्रस्ताव किये हैं तथा कितनी आर्थिक सहायता मांगी है ; और

(ख) राज्य में पर्यटन में वृद्धि करने के लिए अधिक धन दिये जाने के बारे में उनके मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्रालय में उप-मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) और (ख). भारत सरकार को राज्य सरकार से पर्यटन के संबंध में कोई नये प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं । राज्य योजना (स्टेट-प्लान) के अतिरिक्त केन्द्रीय क्षेत्र में निम्नलिखित योजनायें कार्यान्वित की जा रही हैं :

(क) लगभग 1.5 करोड़ रुपये की कुल लागत से बंगलौर में भारत पर्यटन विकास निगम का होटल पूरा होने वाला है, तथा कारपोरेशन वहां एक परिवहन यूनिट भी स्थापित करेगी ।

(ख) हाम्पी में एक युवा होस्टल स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

(ग) हस्सन तथा बीजापुर के पर्यटक बंगलों का सुधार किया जायेगा ।

श्री क० लकप्पा : यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उप-मंत्री महोदय ने यह विचार व्यक्त किया है कि मैसूर राज्य में पर्यटन के विकास के लिए राज्य सरकार ने कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है। मैसूर का प्रत्येक स्थल रमणीय है तथा वहां का मौसम भी बड़ा स्वस्थ्यवर्द्धक है। मैसूर के विभिन्न स्थलों की महान तथा शाश्वत सुन्दरता तथा यहां तक कि मैसूर के फूल भी न केवल भारत से बल्कि विदेशों से भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। मैसूर की मरमर गैलरी विश्व के सात आश्चर्यों में से एक है। स्वयं मेरे जिले में गोमनतेश्वर की एक एकाश्मक प्रतिमा है तथा कैंडल के सांस्कृतिक सौंदर्य की भी हर कोई प्रशंसा करता है। पर्वतीय तथा मैदानी क्षेत्रों में ये पर्यटकों के लिए आकर्षण के स्थल हैं। मैसूर के आदर्श मौसम ने विदेशी पर्यटकों को आकर्षित किया है तथा इस प्रकार हमारे लिये मूल्यवान् विदेशी मुद्रा अर्जित की है। यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि इस मंत्रालय ने मैसूर राज्य से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं किया है। क्या यह सच है कि मैसूर राज्य के पर्यटन मंत्री ने अभी हाल ही में केन्द्रीय पर्यटन मंत्री से बात-चीत या विचार-विमर्श किया था, और यदि हां, तो राज्य के पर्यटन मंत्री ने क्या प्रस्ताव पेश किये थे ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : माननीय सदस्य ने मैसूर के सौंदर्य का जो उल्लासजनक वर्णन किया है, मैं उससे पूरी तरह सहमत हूँ। इस समय तो नये प्रस्तावों के आने का कोई प्रश्न ही नहीं है। इस संबंध में प्रस्तावों पर उस समय विचार किया गया था जब राज्यों और केन्द्र के विषयों सहित चौथी पंच-वर्षीय योजना को अन्तिम रूप दिया गया था तथा इस में मैसूर राज्य को विशेष महत्व दिया गया था। बंगलौर में हम सार्वजनिक क्षेत्र का पहला होटल 1 करोड़ रुपये की लागत से बना रहे हैं। राज्य सरकार ने भी 25 लाख रुपये की लागत की योजनायें चौथी योजना में शामिल की हैं। अतः, इस समय नये प्रस्तावों अथवा नये विचार-विमर्श का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। हम चौथी योजना की परिधि के भीतर तथा इस योजना के अन्तर्गत हमें तथा राज्य सरकार को प्राप्त निधियों के अनुसार कार्य कर रहे हैं। मैं मैसूर राज्य के पर्यटन मन्त्री से मिला था तथा हमने सामान्य बातों पर विचार-विमर्श किया था। परन्तु कोई नया प्रस्ताव सामने नहीं आया। फिर भी, मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि मैसूर राज्य हमारे पर्यटन विकास कार्यक्रम में विशेष महत्व रखता है।

श्री क० लकप्पा : वह सभा को गुमराह कर रहे हैं। वर्ष 1966-67 तथा 1967-68 में पर्यटन विकास के लिये मैसूर को 6,10,272 रुपये मिले जबकि जम्मू-काश्मीर को 38 लाख रुपये मिले। मंत्री महोदय जम्मू-काश्मीर से संबंधित हैं तथा मैसूर के प्रति भेद-भाव का व्यवहार कर रहे हैं। 12 मई, 1970 के अल्प सूचना प्रश्न संख्या 32 में हमने पूछा था कि क्या सरकार पर्यटन कार्य को भौगोलिक अथवा क्षेत्रीय आधार पर नहीं बल्कि पर्यटकों को आकर्षित करने की क्षमता वाले स्थलों के आधार पर क्रियान्वित करना चाहती है ? यही सिद्धान्त उन्होंने इस अल्प सूचना प्रश्न के उत्तर में 12 मई, 1970 को प्रकट किया था। परन्तु उन्होंने न तो मैसूर राज्य द्वारा प्रस्तुत प्रायः एक करोड़ रुपये की लागत वाली योजना के और नयी भौगोलिक अथवा क्षेत्रीय विकास के प्रस्ताव को हाथ में लिया है। सरकार ने उस प्रस्ताव पर कार्य आरम्भ क्यों नहीं किया तथा विदेशी मुद्रा कमाने हेतु विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये वित्तीय

सहायता देने से भी क्यों इन्कार कर दिया ? यह मैसूर राज्य के प्रति भेद-भाव क्यों प्रदर्शित कर रहे हैं । इस भेद-भाव भरे व्यवहार के लिये तथा मैसूर राज्य के प्रस्तावों को क्रियान्वित न करने के लिये मैं सरकार के प्रति अविश्वास प्रकट करना चाहूंगा । वह सभा को गलत जानकारी दे रहे हैं ।

डा० कर्ण सिंह : ऐसा लगता है कि मैं माननीय सदस्य की गलतफहमी को दूर करने में सफल नहीं हो सका । यहां प्रश्न यह नहीं है कि मन्त्रालय कहीं से प्रस्ताव प्राप्त करे तथा विभिन्न प्रस्तावों के लिए राज्य सरकारों को सहायता दे । भाग दो की योजनाओं, जिनके लिए अंशतः राज्य सरकारें तथा केन्द्र सरकार वित्त दिया करती थीं, की पुरानी प्रक्रिया राष्ट्रीय विकास परिषद के स्पष्ट निर्णय के कारण बन्द कर दी गई है । आज या तो केन्द्रीय योजनायें हैं या फिर राज्य सरकारों की योजनायें हैं । अतः किन्हीं योजनाओं से राज्य सरकारों को केन्द्र द्वारा वित्तीय सहायता दिये जाने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है । हम केन्द्रीय योजनाओं को क्रियान्वित करते हैं तथा राज्य सरकारें चौथी योजना में अपनी ही योजनाओं को क्रियान्वित कर रहे हैं ।

माननीय सदस्य ने जो आरम्भ में टिप्पणी की है उसके बारे में तो मुझे यही कहना है कि हमारा देश ऐसा है जहां काश्मीर से कन्याकुमारी तक तथा असम से गुजरात तक पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र है । पर्यटन के सभी महत्वपूर्ण स्थलों का तुरन्त ही विकास करना तथा उन्हें सुन्दर बनाना हमारे लिए संभव नहीं है । अपने सीमित साधनों के कारण हमें यह कार्य बड़ी सख्ती से वरीयता के आधार पर करना होता है और अपने इन सीमित स्रोतों की परिधि में ही उन स्थलों का विकास करने के लिए हम यह प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे स्थलों पर विशेष ध्यान दिया जाये ।

श्री क० लकप्पा : मेरा आरोप यह है कि केन्द्र सरकार ने जानबूझ कर स्थलों का चुनाव नहीं किया है जो अन्तर्राष्ट्रीय आकर्षण का केन्द्र हैं तथा केन्द्र सरकार ने भेद-भाव भरा रवैया अपनाया है......(**व्यवधान**) ।

श्री लोबो प्रभु : उप-मंत्री महोदय जो कि मैसूर से संबंधित हैं, ने कहा है कि उन्हें कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है तथा मंत्री महोदय जोकि जम्मू तथा काश्मीर से सम्बन्धित हैं, वह कहते हैं कि उन्हें कोई नया प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है । मैं तो उप-मन्त्री तथा मन्त्री महोदय से पूछना चाहूँगा कि क्या उन्हें मालूम है कि तटवर्ती स्थान मारवंटे जोकि एक साथ तीन मील तक बहने वाली नदी तथा समुद्र के बीच रक्षित है, को तीसरी योजना के लिए चुना गया था वह भूमि प्राप्त नहीं की गई । सरकार ने उस प्रस्ताव को क्यों त्याग दिया ?

उन्होंने कहा है कि उदीपी के बारे में उनके पास कोई प्रस्ताव नहीं है । यह प्रश्न पूछ कर मैं हिन्दू समुदाय के प्रति अपने कर्त्तव्य का पालन कर रहा हूँ । उदीपी हिन्दुओं के लिये बड़े महत्व का स्थान है । यह वह स्थान है जहां हिन्दुत्व के तीन महान् दार्शनिकों में से एक दार्शनिक माधव ने अपना पहला मठ बनाया था । वहां सात मठ थे । यह वह स्थान है जो कुल्लौर से जुड़ा है तथा जिसके साथ हिन्दुत्व के महान् दार्शनिक शंकराचार्य सम्बंधित थे । यह स्थान......

अध्यक्ष महोदय : क्या वह कृपया बैठ जायेंगे ?

श्री लोबो प्रभु : मैं केवल एक शब्द और बोलूँगा ।

मैंने एक सुझाव दिया है । जब मैंने यह सुझाव दिया तो मंत्री महोदय ने कहा था कि उनके पास इसके लिए निधि नहीं है ; वह हिन्दुओं तथा जैन-धर्म वालों के प्रति अन्याय क्यों करते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न विशिष्ट रूप से मैसूर के बारे में है ।

श्री लोबो प्रभु : मैं भी मैसूर के बारे में पूछ रहा हूँ । यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है । मंत्री महोदय को मेरे प्रश्न का उत्तर देने दीजिये ।

डा० कर्ण सिंह : जहां तक मारवंटे का संबंध है, राज्य सरकार ने वहाँ एक पर्यटक भवन के विकास के लिए 1 लाख रुपये की व्यवस्था की है । इस प्रकार उसे राज्य की योजना में शामिल किया जा रहा है । उदीपी के बारे में निश्चय ही माननीय सदस्य ने मुझे लिखा था तथा अपने अनेक सुझाव मुझे दिये थे । वस्तुतः माननीय सदस्यों ने विभिन्न चुनाव क्षेत्रों के बारे में कुछ सुझाव दिये थे । मैंने तो यह कहा था कि पर्यटन विकास के लिये राज्य सरकार की ओर से हमें कोई नये प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं क्योंकि स्पष्ट है कि हम योजना की व्यवस्था के अनुसार कार्य कर रहे हैं । जब पैसा ही नहीं है तो नये प्रस्ताव भेजने का कुछ लाभ नहीं है।

श्री लोबो प्रभु : आप धन की व्यवस्था कीजिये ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

केन्द्रीय रक्षित पुलिस, सीमा सुरक्षा दल और पश्चिम बंगाल में सैनिकों को बटालियनों की तैनाती

+

*273. श्री नम्बियार : श्री सी० के० चक्रपाणि :
श्री अ० कु० गोपालन : श्री प० गोपालन :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून, 1970 के अन्त तक पश्चिम बंगाल में तैनात केन्द्रीय रक्षित पुलिस, सीमा सुरक्षा दल और सैनिक कर्मचारियों की बटालियनों की कुल संख्या क्या थी ;

(ख) क्या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी तथा अन्य राजनैतिक दलों द्वारा पश्चिम बंगाल के श्रमिक वर्ग पर केन्द्रीय रक्षित पुलिस द्वारा किये गये अत्याचारों की निंदा किये जाने की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-मन्त्रालय और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य-मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जून, 1970 में पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय रिजर्व

पुलिस की 10 बटालियनें और 2 कम्पनियां तैनात की गई थीं ; सीमा सुरक्षा बल की कुछ कम्पनियां आंतरिक सुरक्षा ड्यूटी हेतु राज्य सरकार को अल्प अवधि के लिए दी गई थीं । सैनिक यूनिटों की संख्या बताना लोक हित में नहीं होगा ।

(ख) से (घ). केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की यूनिटें उग्रवादियों की गतिविधियों और राज्य में कानून व व्यवस्था की समस्याओं से निपटने के लिए असैनिक प्राधिकारी की सहायता में राज्य सरकार को उपलब्ध की गई है । यह बल राज्य सरकार के नियंत्रण, निर्देशन और निरीक्षण में कार्य करता है । इस बल के विरुद्ध की गई आलोचना न्यायसंगत नहीं है ।

श्री नम्बियार : उत्तर से यह स्पष्ट है कि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की 10 टुकड़ियों के अतिक्ति सीमा सुरक्षा बल की कुछ कम्पनियां तथा सेना की कुछ यूनिटें भी पश्चिम बंगाल में वहां की सरकार के अनुरोध पर तैनात की गई थीं जो राज्य अब राष्ट्रपति के तथा गृह-कार्य मन्त्रालय के शासन के अधीन है । क्या मैं जान सकता हूँ कि वहां पश्चिम बंगाल में सेना तथा पुलिस की उतनी बड़ी सशस्त्र शक्ति एकत्रित करने की क्या आवश्यकता थी ? क्या यह सब कुछ नक्सलवादियों तथा अन्य लोगों के आक्रमणों के बढ़ा-चढ़ा कर किए गये वर्णनों का बहाना लेकर किया गया था और इस प्रकार अपने न्यायोचित अधिकारों के लिए मजदूरों और दुखी लोगों को उनके संघर्ष से रोकने के लिए तथा गरीब किसानों को पुलिस की सहायता से जोतदारों द्वारा बे दखल कराने के लिये किया गया था ? क्या यही बात नहीं है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : वहां शक्तियों को एकत्रित करने का कारण यह है कि वहां समाज विरोधी तत्वों का एकत्रित होना पाया गया है जोकि पश्चिम बंगाल में कानून और व्यवस्था को भंग करने पर तुले हुए हैं ।

श्री नम्बियार : यह कहना कि वहां समाज विरोधी तत्व एकत्रित हो गये हैं एक अस्पष्ट उत्तर है। यही उत्तर वह 10 अथवा 25 वर्ष बाद भी दे सकते हैं । यह कोई उत्तर नहीं है ।

मैं चाहता हूँ कि वह कुछ विशिष्ट मामलों के बारे में उत्तर दें जैसे अभी हाल में जादवपुर विश्वविद्यालय में जो कुछ हुआ वहां केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के रवैये तथा व्यवहार की विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने निन्दा की और सरकार ने कहा कि सरकार इस सम्बन्ध में न्यायिक जांच कराने पर भी विचार कर रही है । वह न्यायायिक जांच अभी तक नहीं हुई है दूसरा मामला दुर्गापुर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस तथा सीमा सुरक्षा बल के व्यवहार का है यहां केन्द्रीय रिजर्व पुलिस ने दुर्गापुर कारखाने के सुरक्षा कर्मचारियों पर आक्रमण किया तथा जिसके फलस्वरूप सुरक्षा बल के 20 कर्मचारी घायल हुए । एक तीसरा मामला सिली गुड़ी में रेल कर्मचारियों की हड़ताल का है जो कि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस तथा वहां की पुलिस की कार्यवाहियों के कारण उत्पन्न हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : अब आप अपना प्रश्न पूछिये ।

श्री नम्बियार : अतः वह मुख्य प्रश्न से निकलने वाले प्रश्नों का उत्तर दें पुलिस के उस व्यवहार के बारे में उत्तर दें जिसके कारण दक्षिण पूर्व रेलवे में हड़ताल हुई तथा रेलवेज व

सरकार को भारी हानि हुई । यह भी केंद्रीय रिजर्व पुलिस के व्यवहार के कारण हुआ। मैं चाहता हूँ कि वह इन प्रश्नों का विशिष्ट रूप से उत्तर दें ।

एक माननीय सदस्य : क्या केन्द्रीय रिजर्व पुलिस में नक्सलवादी हैं ।

श्री कृष्ण चंद्र पन्त : संक्षेप में जादवपुर में यह स्थिति केन्द्रीय रिजर्व पुलिस पर कुछ बम फैंके जाने के कारण उत्पन्न हुई थी जिनसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस के दो कांस्टेबुलों तथा समीप खड़े एक चौकीदार को गम्भीर चोटें आई ।

कुछ माननीय सदस्य : शर्म की बात है ।

श्री कृष्ण चंद्र पंत : जब उपद्रवी भाग गए तो केन्द्रीय रिजर्व पुलिस ने उनका पीछा किया तथा प्रशासकीय भवन में प्रवेश किया । सड़क पर भी उनके पीछे पुलिस दौड़ी तथा फिर प्रशासकीय भवन में पुलिस ने वहां एक झड़प में बेंतों का प्रयोग किया । इस घटना का संक्षिप्त ब्यौरा यही है । कल सभा में एक लम्बी चर्चा हुई थी इसी लिए यह बात यहां संक्षेप में बताई गई है... **(व्यवधान)**

श्री नम्बियार : उस न्यायिक जांच का क्या हुआ जिसका वायदा किया गया था ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : यह बात आपने कल उठाई थी । मैं इसका उस समय उत्तर दूंगा जब इस बारे में सभा में चर्चा होगी । आपका दूसरा प्रश्न दुर्गापुर के बारे में था । उसे मालूम है कि दुर्गापुर में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस केवल आपत्काल के लिए थी तथा सामान्य कार्यवाही के लिए वहां राज्य पुलिस, राज्य सशस्त्र पुलिस तथा अन्य विशेष पुलिस थी । केन्द्रीय रिजर्व पुलिस जो द्वार पर खड़ी थी वह केवल सहायतार्थ थी । यही जानकारी मुझे प्राप्त है ।

रेल में हुई घटना के बारे में सभा ब्यौरा मानना नहीं चाहती है । परन्तु मैं जानता हूँ कि वहां एक पुलिसमैन को छुरा भोंकने की घटना हुई थी ।

श्री नम्बियार : पुलिसमैन को छुरा छोंपने की घटना के कारण ही दक्षिण पूर्व रेलवे तथा समस्त सिलिगुड़ी रेलवे में हड़ताल हुई ? यह तो वह एक बहाना कर रहे हैं । श्रीमन्, वह सभा को तथ्यों से अवगत नहीं करा रहे हैं ।

श्री अ० कु० गोपालन : कल हमने जादवपुर विश्वविद्यालय के बारे में चर्चा की थी और यह कहा गया था कि विश्वविद्यालय के बाहर कुछ हुआ था क्या केन्द्रीय रिजर्व पुलिस ने तो इतना किया कि विश्वविद्यालय के अहाते में प्रवेश करके हर उस व्यक्ति को पीटा जो उसे दिखाई दिया—केवल छात्रों को ही नहीं बल्कि अध्यापकों को और कर्मचारियों को भी पीटा । केन्द्रीय रिजर्व पुलिस को आप चाहे पश्चिम बंगाल में तैनात करें चाहे केरल में, वह तो यही कुछ करेगी । जब भी कभी पार्लियामेंट स्ट्रीट पर कुछ होता है तो केन्द्रीय रिजर्व पुलिस वहां जाती है और लोगों को पीटती है और फिर वे यह पूछते हैं......

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना प्रश्न पूछिये ।

श्री अ० कु० गोपालन : मैं एक विशिष्ट प्रश्न पूछना चाहता हूं और उसके लिए कुछ तथ्य प्रकट करना जरूरी है। जहां तक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस का सम्बन्ध है, यह तो लोगों का दमन करने के लिए केन्द्र सरकार का एक उपकरण है। केरल के पारालेसरी स्थान पर एक हड़ताल हुई थी...(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप अपना प्रश्न पूछिए।

श्री अ० कु० गोपालन : जब मैं प्रश्न पूछता हूं और आप कभी-कभी मुझे ये बातें बताने को नहीं कहते हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ? एक स्थान पर एक हड़ताल हुई थी और यह हड़ताल शांतिपूर्ण थी।

श्री लोबो प्रभु : यह शांतिपूर्ण हड़ताल नहीं थी।

श्री अ० कु० गोपालन : जिन बीड़ी कर्मचारियों ने हड़ताल में भाग नहीं लिया था उनको पीटा गया था वे बीड़ी बनाने वाली फैक्टरी में दाखिल हो कर उन कर्मचारियों को नहीं पीट सकते जिन्होंने हड़ताल में भाग नहीं लिया था। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस का व्यवहार ऐसा है कि राज्य सरकार तथा वहां कि जनता उनके विरुद्ध है। जनता के ऊपर अमानवीय अत्याचार किए जाते हैं। समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार के अनुसार केन्द्रीय रिजर्व पुलिस ने महिलाओं के साथ छेड़ छाड़ की है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप इस मामले पर नियमित चर्चा चाहते हैं?

श्री अ० कु० गोपालन : मैं पश्चिम बंगाल और केरल में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के व्यवहार को देखते हुए पूछना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय रिजर्व पुलिस को वापिस बुला लिया जाएगा और उनके स्थान पर स्थानीय पुलिस को तैनात किया जायेगा? क्या सरकार महिलाओं के साथ छेड़-छाड़ तथा अत्याचारों के मामले की जांच करवायेगी? क्या सरकार जादवपुर विश्वविद्यालय की घटनाओं की जाँच करवाएगी?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मूल प्रश्न यह है कि जहां कानून और व्यवस्था का मामला हो और जहां कुछ लोग कानून और व्यवस्था भंग करने पर उतारू हों और शान्तिपूर्ण स्थिति बनाये रखने में बाधा डालते हों तो राज्य सरकार को कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिए क्या कार्यवाही करनी चाहिये? हाल ही में विरोधी पक्ष के लगभग सभी राजनीतिक दलों ने सरकारें चलाई हैं और उन्हें इस प्रकार की स्थिति का सामना करना पड़ा है। इसी लिए केरल जैसे राज्य में भी जब श्री नम्बूदरीपाद मुख्य मन्त्री थे, स्थिति पर नियंत्रण करने के लिये गोली चलाने की कई घटनायें हुई थीं। अतः जब कानून और व्यवस्था को खतरा होता है अथवा जब जनता को स्वाधीनता और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो जाता है तो सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ता है। इस लिये सरकार ने हस्तक्षेप किया है।

पश्चिम बंगाल में केंद्रीय रिजर्व पुलिस के तैनात किये जाने का विरोध किया गया है परन्तु वहां की सरकार ने स्वयं सेना बुलाने का अनुरोध किया है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस के स्थान पर सेना को बुलाना कहां तक अधिक युक्तिसंगत है? वस्तुतः स्थिति विशेष के अनुसार

शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है । इसी लिए देश के विभिन्न भागों में केंद्रीय रिजर्व पुलिस को रखा गया है । यह केवल रिजर्व दल है । यह कोई विदेशी दल नहीं है । इस दल को इसी सभा के विधान के अनुसार बनाया गया है । पश्चिम बंगाल में शान्ति बनाये रखने के लिए, वहां शांति चाहने वाले लोगों को आभार मानना चाहिये कि वहां पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस की तरह का बल रखने की व्यवस्था की गयी है ।

जहां तक महिलाओं के साथ छेड़-छाड़ करने वाले मामलों का सम्बन्ध है, हमें जब भी ऐसे मामलों के बारे में सूचित किया जाता है, हम उनकी जांच करवाते हैं । इस मामले की भी जांच करवाई गई थी और हमें पता चला है कि ये आरोप निराधार थे । यदि किसी विशेष मामले के बारे में हमें जानकारी दी जाये तो निश्चय ही हम उसकी जाँच करवाएंगे । किसी व्यक्ति के दुर्व्यवहार को माफ नहीं किया जा सकता ।

श्री अ० कु० गोपालन : जादवपुर विश्वविद्यालय सम्बन्धी मामले का क्या हुआ ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : हमें कुछ घटनाओं के बारे में सूचना दी गई है । हम निश्चय ही उनकी जांच करेंगे ।

Shri Mohammed Ismail : May I known whether Enquiry Report of Jhargram incidents, in which women were said to have been molested, will be placed on the Table of the House ?

श्री सी० के० चक्रपाणि : मंत्री महोदय ने हमें बताया था कि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस तथा अन्य बल उग्रवादियों की गतिविधियों और कानून और व्यवस्था की स्थिति के साथ निपटने के लिए है । देश के विभिन्न भागों में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस तथा अन्य आरक्षित बल तैनात करने की व्यापक रूप से आलोचना की गई है ।

अध्यक्ष महोदय : अब आप अपना प्रश्न पूछिये ।

श्री सी० के० चक्रपाणि : केन्द्रीय रिजर्व पुलिस द्वारा किये गये दुर्व्यवहार की कई घटनाएं सामने आई हैं । उनकी समाजविरोधी गतिविधियों को किस प्रकार सहन किया जा सकता है ? मुझे पता नहीं कि इनकी जानकारी मंत्री महोदय को दी गई है या नहीं । परन्तु जब इनकी जानकारी उन्हें दी गयी है तो सरकार केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के दुर्व्यवहार के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : किसी घटना विशेष के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं दी गई है । परन्तु केंद्रीय रिजर्व पुलिस को केरल इस लिए भेजा गया था क्योंकि वह केवल उसे चाहते थे ।

श्री प० गोपालन : मंत्री महोदय ने बताया है कि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस राज्य सरकार के नियंत्रण में रहती है और उन्ही के निर्देश पर कार्यवाही करती है । परन्तु मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि राज्य सरकार को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का कोई अधिकार नहीं है । और यदि हां, तो इस बात की क्या

गारंटी है कि राज्य सरकार केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के कर्मचारियों पर उचित निर्णय रख सकेगी ?

श्री कृष्ण चंद्र पन्त : केंद्रीय रिजर्व पुलिस राज्य की नहीं बल्कि केंद्रीय सरकार की है और इस लिए अनुशासनात्मक प्राधिकारी वे हैं जो संसद द्वारा पास विधान में निहित है ।

श्री प० गोपालन : यदि केंद्रीय रिजर्व पुलिस के कर्मचारी राज्य सरकार के अनुशासनात्मक नियंत्रण और निदेशों का उल्लंघन करते हैं और राज्य सरकार के पास अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की शक्ति नहीं है तो ऐसी स्थिति में इस बात की क्या गारंटी है कि राज्य सरकार उचित व्यवस्था कायम रख सकेगी ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : इसकी सब से बड़ी गारंटी यह है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस का नियंत्रण करने वाले अधिकारी ठीक ढंग से सोचें ।

श्री देवकी नन्दन पटोदिया : क्या यह सच है कि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस, सीमा सुरक्षा बल और सेना की कई बटालियनें और कम्पनियां तैनात किये जाने के बावजूद पश्चिम बंगाल की स्थिति पर अब तक नियंत्रण नहीं हो सका है और अब भी पहले की तरह हिंसात्मक घटनाएं हो रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इस बात का आश्वासन देगी कि हिंसात्मक घटनाओं को रोकने के लिए यदि आवश्यक हुआ तो, अधिक सेना तैनात की जायेगी । इस सम्बंध में सरकार और क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कृष्ण चंद्र पंत : हमारे मूल्याँकन के अनुसार पश्चिम बंगाल में इस समय अधिक केंद्रीय रिजर्व पुलिस तैनात करने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री देवकी नंदन पाटोदिया : क्या उनके विचार में वहां स्थिति नियंत्रण में है ?

श्री कृष्ण चंद्र पंत : मैं इस प्रश्न का उत्तर पहले दे चुका हूँ ।

श्री रणजीत सिंह : क्या यह सच है कि सेना अर्थात् पूर्वी कमांड तथा केंद्रीय रिजर्व पुलिस प्राधिकारियों ने सरकार को बताया है कि बंगाल में जितनी गड़बड़ है उसका मुकाबला करने के लिए जितनी सेना की आवश्यकता है उसका 1/5 भाग भी इस समय तैनात नहीं है ? यदि हाँ, तो इस सम्बंध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मुझे इस सम्बंध में कोई जानकारी नहीं मिली है ।

श्री दा० ना० तिवारी : पश्चिम बंगाल में कानून और व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है और राज्य की पुलिस असमर्थ सिद्ध हुई है । यदि सरकार आंतरिक तथा वाह्य दबाव के कारण जनता को नक्सलवादियों और समाज विरोध तत्वों की दया पर छोड़ देती है तो जनता इस खतरे का मुकाबला करने के लिए क्या कार्यवाही करे ?

श्री कृष्ण चंद्र पंत : मेरे विचार में यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है । मेरे विचार में जनता को इन गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिये । मुझे आशा है कि विरोधी पक्ष के सभी दल इस सम्बंध में सहयोग देंगे । यदि वे केंद्रीय रिजर्व पुलिस नहीं चाहते

तो इसका सब से अच्छा तरीका यह है कि इन गतिविधियों का मुकाबला करने के लिये जनता को प्रोत्साहित किया जाये जिससे केंद्रीय रिजर्व पुलिस वापिस जा सके।

Shri Sheo Narain : The force should be doubled in West Bengal in order to meet the critical situation. In case they are against C. R. P. Government can send trained personnel of U. P. Police.

Shri K. C. Pant : We will send them if and when necessary.

साम्प्रदायिकता को समाप्त करने के सम्बन्ध में राज्यों के मुख्य-मन्त्रियों से परामर्श

+

*274. **श्री ए० श्रीधरन** : **श्री श्रद्धाकर सूपकार** :
श्री गार्डिलिगन गौड : **श्री चन्द्र शेखर सिंह** :
श्री पीलु मोडी :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में साम्प्रदायिकता समाप्त करने के लिए कार्यवाही करने के हेतु केन्द्रीय सरकार ने हाल ही में राज्यों के मुख्य मंत्रियों से परामर्श किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों का क्या कदम उठाने का विचार है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) से (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

23 तारीख को दिल्ली में प्रधान मन्त्री ने कुछ मुख्य मन्त्रियों के साथ साम्प्रदायिक हिंसा से कारगर ढंग से निपटने के तरीके के बारे में विचार विमर्श किया था। 27 मई को प्रधान मंत्री ने अपनी बात के निष्कर्ष से अवगत कराने के लिए भी मुख्य मंत्रियों को लिखा। साम्प्रदायिक दंगों से कारगर ढंग से निपटने के लिए जिन मुख्य कार्यवाहियों की सिफ़ारिश की गई वे इस प्रकार हैं :—

(1) उन शक्तियों को दबाने के लिए, जो साम्प्रदायिकता को प्रोत्साहित करती है, प्रशासन की ओर से अत्यधिक सतर्कता तथा कड़ी कार्यवाही की अविलम्ब आवश्यकता है।

(2) और अधिक कानूनी उपायों पर विचार किये जाने तक राज्य सरकार को साम्प्रदायिक संगटनों का गतिविधियों पर सावधानी से नजर रखनी चाहिये।

(3) राज्य सरकार को साम्प्रदायिक संगठनों की गतिविधियों में कुछ सरकारी कर्मचारियों तथा शिक्षकों द्वारा भाग लिये जाने से निपटने के उपयुक्त कार्यवाही करनी चाहिये।

(4) जो उत्तेजक लेख तथा सार्वजनिक उद्गार साम्प्रदायिक उपद्रव को भड़काते हैं उनके संबन्ध में समय पर तथा कानून के अधीन पर्याप्त कार्यवाही आरंभ की जानी चाहिये। यह मुख्य मन्त्रियों द्वारा व्यक्तिगत ध्यान देने योग्य मामला है।

(5) साम्प्रदायिक गतिविधियों तथा स्थितियों से अन्य विधि तथा व्यवस्था की विपत्तियों से पूर्णतया भिन्न रीति से निपटना आवश्यक है। साम्प्रदायिक तनाव अथवा उपद्रव के प्रथम संकेतों पर अत्यधिक कड़ी कार्यवाही करने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिये।

(6) अफवाहों की छोटी बातों को पर्याप्त ध्यान रखने में समर्थ होने के लिये प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर आसूचना तथा प्रशासनिक प्रबन्धों का बारीकी से पुनरीक्षण किया जाना चाहिए।

(7) उन जिलों के सम्बन्ध में विशेष ध्यान देना आवश्यक होगा जो साम्प्रदायिक उपद्रवों से प्रभावित हुए हैं अथवा साम्प्रदायिक उपद्रवों के लिये नाजुक क्षेत्र हैं। संबन्धित जिला अधिकारियों का इस समस्या के अस्तित्व की ओर अधिक ध्यान दिलाने के लिए तथा उनकी व्यावहारिक कठिनाइयों को समझाने के लिए भी इन अधिकारियों के छोटे-छोटे दलों में सम्मेलन होने चाहिए।

(8) यदि उपद्रव होते हैं तो उन उपद्रवों के लिए जिला अधिकारियों को जिम्मेदार बनाने के लिये राष्ट्रीय एकता परिषद की स्पष्ट सिफारिश को देखते हुये उन अधिकारियों के विरुद्ध तुरन्त कार्यवाही की जानी चाहिए जो साम्प्रदायिक स्थितियों को सम्भालने में असमर्थ पाये जाते हैं। वे अधिकारी जो साम्प्रदायिक स्थितियों से निपटने में प्रशंसनीय कार्य करते है, उचित रूप से पुरस्कृत किये जाने चाहिएं।

(9) साम्प्रदायिक उपद्रवों से प्रभावित क्षेत्रों में दण्डात्मक कर लगाना कारगर होगा।

(10) राज्य सरकारों को विभिन्न क्षेत्रों में साम्प्रदायिक समस्या के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हाथ में लेने चाहिये ताकि उन समस्याओं से जो किसी क्षेत्र के लिए विशिष्ट हैं, अधिक प्रभावशाली ढंग से निपटा जा सके। ऐसे अध्ययनों के लिए केन्दीय सहायता उपलब्ध होगी।

श्री ए० श्रीधरन : सभी प्रधान मंत्री साम्प्रदायिकता का मुकाबला करने के लिये इन्हीं शब्दों का प्रयोग करते रहे हैं परन्तु इसके बावजूद साम्प्रदायिकता का प्रसार होता रहा है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय साम्प्रदायिकता का रोग अविकसित रूप में था परन्तु इस सरकार के 22 वर्षों के शासन काल में इस रोग की जड़े काफी गहरी हो गई हैं। प्रधान मन्त्री ने मुख्य मंत्रियों को जो सुझाव दिये हैं उनमें यह कहीं भी नहीं बताया गया हैं कि भारत में कौन-कौन से संगठन साम्प्रदायिक हैं। इसके बिना मुख्य मन्त्री कैसे कार्यवाही कर सकते हैं। सरकार को स्पष्ट रूप से बताना चाहिये कि उनके अनुसार कौन से संगठन साम्प्रदायिक हैं और उनको किस आधार पर साम्प्रदायिक घोषित किया गया है ?

श्री रामनिवास मिर्धा : यह कहना उचित नहीं सरकार केवल बातें करती रही है और इस समस्या के सम्बन्ध में कोई कार्यवाहीं नहीं की है। प्रस्तुत विवरण में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि सरकार का स्वयं क्या विभिन्न उपाय करने का विचार है और वह राज्य सरकारों से क्या उपाय करने की आशा करती है। बड़े ठोस और विशिष्ट मामलों पर ही चर्चा की गई थी।

साम्प्रदायिक गतिविधियों को समाप्त करने के लिए कानूनी तथा प्रशासनिक रूप से कार्यवाही की गई है और हर प्रकार की अन्य कार्यवाही भी की जा रही है ।

इस प्रश्न के बारे में कि कौन से साम्प्रदायिक संगठन हैं, हमने इस सभा में पहले भी कहा है कि सरकार एक विधान लाने का विचार कर रही है जो साम्प्रदायिक संगठनों पर कुछ प्रतिबंध लगायेगी (व्यवधान) प्रस्तावित विधान में इस आशय की कसौटी की व्यवस्था की जायेगी कि साम्प्रदायिक संगठन किसे माना जायेगा ।

श्री ए० श्रीधरन : इधर-उधर की बातें मत करिये ।

श्री रामनिवास मिर्धा : इधर-उधर की बातें करने का प्रश्न नहीं है ।

उन कसौटियों पर विभिन्न संगठनों को परखा जायेगा । स्वतन्त्र रूप से कार्य करने वाला एक न्यायाधिकरण होगा जो इस सन्दर्भ में रखी गई कसौटी पर विभिन्न संगठनों को परखेगा और तब वे निर्णय करेंगे कि क्या कार्यवाही करना आवश्यक है ।

श्री नम्बियार : हम जानना चाहते हैं कि क्या राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ उन संगठनों में से एक है ।

श्री ए० श्रीधरन : मैंने इस सरकार की मजबूरी की ओर ध्यान दिलाया है । 22 वर्षों से साम्प्रदायिकता के बारे में बातें करने पर भी वे अभी तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं कि साम्प्रदायिक संगठन कौन से हैं ।

प्रेस के समाचारों से पता चलता है कि बड़े व्यापार गृह जान बूझ करके साम्प्रदायिकता को प्रोत्साहन दे रहे हैं जिससे मजदूर आन्दोलन और साम्प्रदायिक तालमेल को तोड़ा जाये जोकि हमारी समाजवाद की नीति के विपरीत है । हाल में भी ऐसी खबरें थीं कि प्रधान मंत्री के जीवन को समाप्त करने के बारे में एक षडयंत्र चल रहा है । प्रधान मंत्री ने भी कहा है कि भारत के बड़े व्यापार गृह तो ऐसे हैं कि वे नक्सलवादियों को वित्तीय सहायता भी देते हैं । अतः मेरा प्रश्न सीधा और सरल है । मुख्य मंत्रियों को लिखे गये इस पत्र में कहीं भी क्या यह कहा गया है कि उन व्यापार गृहों पर कड़ी नजर रखी जानी चाहिये । उदाहरण के लिये बम्बई में शिव सेना को बड़े व्यापारियों द्वारा वित्तीय सहायता दी जा रही है । मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि क्या उनको अपने खुफिया विभाग से कोई सूचना मिली है कि इस देश में बड़े व्यापार गृहों द्वारा साम्प्रदायिकता को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, यदि हाँ, तो वे बड़े व्यापार गृह कौन से हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री राम निवास मिर्धा : यह अत्यन्त टेढ़ा और व्यापक प्रश्न है । (व्यवधान) जो कुछ मैं कहने जा रहा हूं, उसे सुनने के लिए सदस्य सब्र रखें । मुश्किल यह है कि केवल बड़े कहे जाने वाले व्यापार गृहों द्वारा ही नहीं अपितु प्रगतिशील कहे जाने वाले दल भी साम्प्रदायिक संगठनों को समर्थन दे रहे हैं । (व्यवधान)

श्री नम्बियार : हम उनके नाम जानना चाहते हैं ।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : इन साम्प्रदायिक घटनाओं के बाद दंड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत की जाने वाली कार्यवाही कोई बहुत लाभदायक सिद्ध नहीं हुई है और कानून तथा व्यवस्था की देख-रेख करने वाली लोगों की निस्सहायता में वृद्धि हुई है, मैं जानना चाहता हूं कि वैधानिक और रोक-थाम के दूसरे उपायों को मजबूत करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ताकि आग भड़कने से पहले ही ऐसी घटनाओं को प्रभावी ढंग से रोका जाये ? क्या यह सच नहीं हैं कि दंड प्रक्रिया संहिता के ये निवारक उपबन्ध जैसे धारा 107, 110 और 145 प्रभावी ढंग से प्रयोग में नहीं लाये गये हैं और जब इनका प्रयोग किया जाता है तो इन साम्प्रदायिक उपद्रवों को नियंत्रित करने में ये उपबन्ध अपर्याप्त पाये गये हैं ?

श्री राम निवास मिर्धा : मैं माननीय सदस्य से सहमत हूँ कि ऐसी साम्प्रदायिक घटनाओं को पहले से रोकने के लिए निवारक उपाय अपनाये जाने चाहिये और सभा-पटल पर रखे गये विवरण में दिये गये कई सुझावों का तथ्यतः यही उद्देश्य है । धारा 145 अथवा 107 के लगाये जाने से पूर्व भी हम कार्यवाही कर सकते हैं जिसका आशय है कि समाचारों को एकत्र करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए ।

देश के विभिन्न जिलों का केन्द्रीय सरकार ने सर्वेक्षण कराया है जहां ऐसे साम्प्रदायिक तनाव लक्षित होते हैं और हम समय समय पर उस पर पुनर्विचार करते रहते हैं और हमारी जानकारी में जो कोई भी सूचना आती है उसे हम राज्य सरकारों को सूचित कर देते हैं और अग्रिम प्राप्त खबरों पर सभी निवारक उपायों को बड़ी गम्भीरतापूर्वक अपनाया जाता है ।

जहां तक दंड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत निवारक उपायों को अपनाये जाने का सम्बन्ध है, राज्य सरकारों ने विभिन्न अवसरों पर ऐसा किया है...

श्री श्रद्धाकार सूपकार : ये निवारक उपाय प्रभावशाली नहीं हैं ; सवाल तो यह है ।

श्री राम निवास मिर्धा : वे निवारक उपाय चाहे प्रभावशाली हैं अथवा नहीं, किन्तु प्रश्न हिंसा के दोबारा फैल जाने पर रोक लगाने का है । लेकिन हम अनुभव करते हैं कि उपाय किये जा रहे हैं और प्रधान मंत्री द्वारा लिखे गये पत्र में मुख्य मंत्रियों से परामर्श करने का एक उद्देश्य यह है कि इस मामले पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए और उन खबरों तथा निवारक कार्यवाही करने के उपायों में तेजी लानी चाहिये ।

श्री नम्बियार : प्रत्येक बात अस्पष्ट है ; यह सरकार सीधे कुछ भी नहीं कर सकती है ।

Shri Ram Gopal Shalwale : I would like to know from the hon. Minister as to what measures the Government have taken to curb the activities of three or four organisations like Majlis-e-Mushaurat, Muslim League, Tamir-e-Millet and Jamayat-ul-Malmayehind—which are responsible for creating communal tensions in various States in the country ?

An hon. Member : RSS is also one of the such organisation.

Shri Ram Gopal Shalwale : I have been allowed to ask the question, therefore, don't interfere like this and let me complete my question.

I was saying, as in various States in the country, these organisations are responsible

for 22 riots out of 23 riots, what orders the Prime Minister has given to the State Chief Ministers to curb them ?

Shri Ram Niwas Mirdha : As I had already said sometime ago, a draft legislation is under the consideration of the Government which would put some restraint on communal organisations Under the existence legislation only those persons can be restrainted or some action can be taken against those persons who incite communal riots, but under the proposed legislation the organisations which the hon. Member has mentioned and some such other organisation will be covered and action will be taken against them.

श्री शशि रंजन : यह सवाल अत्यन्त गम्भीर है और हमारे देश के सूत्र को बिखेरने वाला है और यह केवल भारत में ही नहीं अपितु, विदेशों में भी फैला हुआ है । मैं कहना चाहता हूं कि इस सरकार ने इस सवाल को सदैव ही बड़ी लापरवाही तथा सामान्य ढंग से हल करने का प्रयत्न किया है । प्रत्येक मामले पर सदैव ऐसा ही होता है । अभी मत्री महोदय ने कहा है कि यदि क बुरा है तो ख भी बुरा है अर्थात् इस तरह के कथन से उन्होंने सदैव ही मामले को उलझाने का प्रयास किया है । मंत्री महोदय ने यह नहीं सुझाया है कि वह क अथवा ख के विरुद्ध कौन सी कार्यवाही करने जा रहे हैं और जब कि प्रधान मत्री ने कहा है...

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न पूछिये ।

श्री शशि रंजन : प्रधान मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कुछ व्यापार-गृह हैं । उन गृहों के नाम बताने के लिये सरकार के पास साहस होना चाहिए । सरकार इस प्रश्न पर नित्यचर्चा तथा लापरवाही से विचार कर रही है । सरकार का कहना है कि उन्होंने मुख्य मंत्रियों को लिखा हुआ है । हमें मालूम है कि मुख्य मंत्री क्या कर सकते हैं । उनसे कितनी आशा की जाती है और अपने राज्यों में उनकी स्थिति क्या है । अतः, मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि मुख्य मंत्रियों को लिखने के अलावा उन्होंने अन्य संगठनों—सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों का, इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए, विश्वास प्राप्त करने का प्रयत्न भी किया है और क्या सरकार ने उन संगठनों से सम्पर्क स्थापित करने का प्रयत्न किया है तथा क्या वें ऐसे संगठनो की सहायता लेना चाहते हैं ?

श्री राम निवास मिर्धा : सरकार ने राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक इसके पुनर्गठन के बाद बुलायी और इसकी स्थायी समिति में तथा परिषद द्वारा बनाई गई अन्य समितियों में इस मामले पर विचार विमर्श किया गया । इस आधार पर निर्णय लिया गया कि विभिन्न दलों के सहयोग से एक सामूहिक अभियान चलाया जाना चाहिए ताकि इस साम्प्रदायिक विष को कम से कम किया जा सके । इस घातक प्रवृति पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए सरकार अभी भी सभी राजनीतिक दलों का स्वागत करेगी कि वे सरकार के प्रयासों में शामिल हों ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मुख्य मंत्रियों की बैठक में पहली और अत्यधिक महत्वपूर्ण सिफारिश जो की गई वह यह है कि कोई भी दल जो साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देता है उसके विरुद्ध कड़े उपाय, अत्यन्त सतर्कता तथा कठोर कार्यवाही करने की अविलम्ब आवश्यकता है । क्या सरकार इस तथ्य से परिचित है कि गत दो महीनों में उत्तर प्रदेश में मुस्लिम लीग की कई शाखाएं कार्य रत हैं और यदि हां तो क्या सरकार इस बात को मानती है कि मुस्लिम लीग एक

ऐसा दल है जो साम्प्रदायिकता को प्रोत्साहन देता है ? यदि हां, तो क्या सरकार सतर्क रहने के लिए कोई कार्यवाही करने जा रही है जिससे उत्तर प्रदेश में मुस्लिम लीग का और आगे विस्तार न हो ?

श्री राम निवास मिर्धा : सभा के सामने रखे गये विवरण में सिफारिश संख्या एक की ओर माननीय सदस्य ने संकेत किया है । क्या साम्प्रदायिक संगठनों की हाल की गतिविधियों पर कुछ कार्यवाही की जाये, प्रश्न यह है, विशेष रूप से मुस्लिम लीग जिसका उत्तर प्रदेश के संदर्भ में उल्लेख किया गया है । **(व्यवधान)** माननीय सदस्य ने केवल यही कहा है कि उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में मुस्लिम लीग की शाखाओं की स्थापना की जा रही है । हमारे संविधान के अन्तर्गत एक राजनीतिक दल की शाखाओं की स्थापना पर कार्यवाही नहीं की जा सकती है । लेकिन सरकार स्थिति पर निगरानी रख रही है और यदि वे नियम की सीमाओं का उल्लंघन करते हैं तो हर संभव कार्यवाही की जायेगी ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : यह उनकी गतिविधि का प्रश्न नहीं है । साम्प्रदायिकता को प्रोत्साहन देने वाले दलों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता की सिफारिश है । मैं जानना चाहती हूं कि क्या मुस्लिम लीग एक ऐसा दल है जो साम्प्रदायिकता को प्रोत्साहन देता है ?

श्री राम निवास मिर्धा : वर्तमान कानून के अन्तर्गत हम संगठनों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं कर सकते हैं । प्रस्तावित विधान का ठीक ठीक यही उद्देश्य है ताकि वे संगठन जो साम्प्रदायिक गतिविधियों में भाग लेते हैं, उन्हें सजा दी जा सके और उनका ध्यान रखा जा सके । यही कारण है कि हम इस विधान को बहुत थोड़े समय में पेश कर रहे हैं ।

भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों के क्षेत्र का केवल मजिस्ट्रेट संबंधी तथा भू-राजस्व दायित्व तक सीमित रखने के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें

+

*281. **श्री राम किशन गुप्त** : **श्रीमती सुचेता कृपालानी** :
श्री सीताराम केसरी :

क्या **गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रशानिक सुधार आयोग की इन सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया है कि भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों के क्षेत्र को केवल मजिस्ट्रेट संबंधी तथा भू-राजस्व सम्बन्धी दायित्यों तक ही सीमित रखा जाये ;

(ख) क्या सरकार, राजस्व तथा मजिस्ट्रेट सम्बन्धी दायित्वों को छोड़ कर, सभी उच्च पदों को सम्बन्धित कार्यात्मक सेवाओं के अधिकारियों के लिए भी खोलने पर विचार करेगी तथा ऐसे पदों पर पदोन्नति के लिए योग्यता, उपयुक्ता तथा वरिष्ठता को माना जाएगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं, श्रीमान् । सिफारिश अभी तक सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) इस विषय पर प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश भी सरकार के विचाराधीन है।

(ग) उक्त (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुये प्रश्न नहीं उठता।

Shri Ram Kishan Gupta : May I know the precise recommendation made by the Administrative Reforms Commission in this regard? What is their scope and when a decision will be taken in this connection?

श्री राम निवास मिर्धा : प्रशासनिक सुधार आयोग ने भारतीय प्रशासन सेवा के प्रशासन अधिकारियों के बारे में निम्नलिखित सिफारिश की है :

> "भारतीय प्रशासन सेवा के लिये एक क्रियात्मक क्षेत्र बनाया जाना चाहिये। इसमें भू-राजस्व प्रशासन मजिस्ट्रेट के कृत्य का प्रयोग तथा राज्यों में, अन्य क्रियात्मक सेवाओं द्वारा किये जा रहे कार्यों को छोड़कर, विनियात्मक कार्य शामिल किये जा सकते हैं।"

प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के बारे में दिये गये अपने प्रतिवेदन में उक्त सिफारिश को दोहराया गया था। जैसाकि मैंने बताया उक्त प्रतिवेदन सरकार के विचाराधीन हैं और सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है।

Shri Ram Kishan Gupta : I want to know whether Government is considering to make appointments in public sector from I. A. S. Officers cadre.

श्री राम निवास मिर्धा : शायद माननीय सदस्य का अभिप्राय यह है कि सरकारी उपक्रमों में प्रशासनिक पदों पर भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति की जाये। इस बारे में दी गई सिफारिशें या सुझाव विचाराधीन है और उनके बारे में कोई निर्णय नहीं लिये गये हैं।

श्रीमती सुचेता कृपालानी : क्या यह सच नहीं है कि हाल ही में भारतीय प्रशासन सेवा प्रणाली से 350 अधिकारियों को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में भेजने का निर्णय किया गया? क्या प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों के बारे में निर्णय लेने से पूर्व ऐसा निर्णय करना उचित है?

श्री राम निवास मिर्धा : ऐसा कोई निर्णय नहीं किया गया है जिसका माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है। पूर्व प्रश्न के उत्तर में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि उक्त मामला विचाराधीन है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में किन्हीं विशेष व्यक्तियों को भेजने का विचार नहीं है लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी उपक्रमों मे माध्यमिक पदों के बारे में लघु अवधि का प्रशिक्षण देना है जिससे सरकारी क्षेत्र में स्थित उपक्रमों से हमारे अधिकारी परिचित हो सकें।

श्री स० कुण्डू : क्या यह सच है कि गृह-कार्य मंत्रालय के अन्तर्गत सचिवों की एक समिति ने, जिसने कर्मचारी प्रबन्धकों के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों पर विचार किया था, प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया है और कहा है कि भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारियों को सरकारी उपक्रमों में विभिन्न पदों पर

नियुक्ति किया जा सकता है और यह जरूरी नहीं है कि उनकी नियुक्ति केवल क्रियात्मक पदों पर ही की जाय ?

श्री राम निवास मिर्धा : सचिवों की एक समिति द्वारा प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है। इसके बाद उन सिफारिशों को मंत्रिमंडल को भेजा जायेगा और तब ही इस बारे में अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।

श्री स० कुण्डू : गृह-कार्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों या सचिवों की क्या सिफारिश थी ? उन्होंने प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश को अस्वीकार कर दिया है।

श्री राम निवास मिर्धा : यह बताना संभव नहीं कि किस अधिकारी ने कैसा रूख अपनाया। समस्त मामले का अध्ययन किया जा रहा है और इस बारे में अन्तिम निर्णय सरकार करेगी, समिति या अधिकारी नहीं।

श्री बेदब्रत बरुआ : चूंकि राजस्व अधिकारियों का तबादला होता रहता है अतः उन्हें सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी कार्य नहीं सौंपे जाने चाहिए। यद्यपि वे हमेशा सरकारी क्षेत्र में नियुक्त करने के लिये सहमति देते हैं लेकिन सरकार ने $2\frac{1}{2}$ वर्ष पूर्व एक निर्णय किया था जिसके अनुसार सरकारी उपक्रमों में सब अधिकारियों को एक सेवा अथवा अन्य सेवा के लिये सहमति देनी होती है। इसके बारे में क्या हुआ जैसा कि श्री कुण्डू ने पूछा था। इस मामलों में निर्णय राजनीतिक स्तर पर लिये जायेंगे या उन भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारियों के स्तर पर लिये जायेंगे जिनके अधिकारों के प्रश्न पर चर्चा की जा रही है।

श्री राम निवास मिर्धा : मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूँ कि उन सिफारिशों के बारे में मंत्री स्तर पर अन्तिम निर्णय लिये जायेंगे और इस संबंध में किसी अधिकारी या अधिकारी वर्ग द्वारा निर्णय लेने का प्रश्न नहीं उठता।

जहाँ तक भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारियों को सरकारी उपक्रमों से वापिस बुलाने का प्रश्न है सरकार ने यह निर्णय किया था कि उन अधिकारियों को इस बात का निर्णय करने के लिये समय दिया जाना चाहिए कि वे उन उपक्रमों में रहना चाहते हैं अथवा प्रशासनिक कार्य करना चाहते हैं। **(अन्तर्बाधाएं)**

Demand for Legislative Assemblies in Centrally Administered Areas

+

*282. **Shri Jagannath Rao Joshi :**　　**Shri Suraj Bhan :**
Shri Brij Bhushan Lal :　　**Shri Ram Gopal Shalwale :**

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) the names of the Centrally administered areas where the demand for Legislative Assembly has been fulfilled and the names of such areas whose demands for the same are under consideration ;

(b) the names of the Political Parties which have made a demand for the setting up of Legislative Assembly in Delhi and when such demands were made ;

(c) whether the Delhi Metropolitan Council has also made a demand in this regard ; and

(d) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of State, Departments of Electronics and Scientific and Industrial Research (Shri K. C. Pant) : (a) to (d). Himachal Pradesh, Manipur, Tripura, Goa, Daman and Diu and Pondicherry have legislative assemblies. Various political parties have made a demand for a Legisl tive Assembly for Delhi, from time to time. Delhi Metropolitan Council has also made a similar demand. The recommendations of the Administrative Reforms Commission in regard to the set-up of the Union Territory of Delhi are being considered by Government.

Shri Jagannath Rao Joshi : After the Britishers left, a commission was appointed to run the administration of the country propetly, After that, the demands for creating separate States like Telangana, Viderbha, Saurashtra, are being made. The demand of Himachal Pradesh to give it a status of a fulfleged State has been accepted. Similar demand has been made by Kakodkar with regard to Goa. Delhi has also been making the same demand for the last few months. Hither to the Government have been succumbing to political pressures and giving Statehood to one or the other State regardless of the consideration whether such an act would be proper or not. Even after a barrage of questions, Government have not appointed a Commission to go into the gamut of evolving a proper set up for the administration of the country.

May I know for how long the recommendations of the Administrative Reform Commission in regard to giving statehood to Delhi will remain under consideration of the Government in view of the fact the Metropolitan Council, Delhi has passed a resolution and there has been a persistent demand from the people of Delhi for giving statehood to Delhi ? May I know whether the Government is prepared to grant fulfleged statehood to Delhi or it only succumbs to pressure ?

Shri K. C. Pant : The first question of the hon. Member regarding sitting up a new boundary Commission has been answered by the hon. Member him self, when he saw that a boundary Commission had been set up and according to their recommendations the States of the country were reorganised. Despite that the demands gained momentum and that is quite natural in view of the vastness of the country. If we set up a new boundary commission it is very much likely that many demand which are lying dormant at present may be roused. Therefore the hon. member should appreciate this aspect.

The second thing is when the decision on the recommendations of the States Reorganisation commission regarding Delhi will be taken. I have told that it is under consideration. All the political parties of Delhi will have to be consulted in this matter and then only we will arrive at some conclusion.

Shri Jagannath Rao Joshi : I have not stated regarding boundary commission. The hon. Minister has wrongly understood. A pricemeal scheme regarding the reorganisation in the country should be prepared and it will be proper if the Government take some decision without coming under any pressure. On the basis of some principle by appointing a high level committee. Otherwise the giving of statehood to Himachal Pradesh will lend momentum to Manipur's demand. Delhi's demand is already under consideration .....

Shri K. C. Pant : You said committee and not commission. But that makes on difference.

Shri Jagannath Rao Joshi : I want to know whether Government will do nothing unless some pressure is exercised.

Shri K. C. Pant : I have spoken of the commission and not the committee assuming that the hon. Member was referring to not only the Union Territory but also the Andhra Pradesh, Telangana, Saurashtra and other areas. May be the hon. Member meant the committee but the substance remaining the same.

Shri Kanwar Lal Gupta : Why should Delhi not be given the status of a State ?

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

मिजो हिल्स जिले में दयनीय स्थिति

*276. **श्री एस० पी० राममूर्ति** : **श्री क० प्र० सिंह देव** :
श्री प्र० के० देव :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 13 जून, 1970 के 'टाइम्स आफ इन्डिया'' में छपे इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि उपद्रवग्रस्त मिजो हिल्स जिले की स्थिति दयनीय है और वहां पर मिजो लोगों पर प्रतिबन्ध लगा दिये गये हैं ; और

(ख) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट मिली है और यदि हां, तो सरकार की उसके सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चंद्र पन्त) : (क) और (ख). केन्द्रीय सरकार ने उस प्रतिनिधि मंडल जिसके सदस्य असम विधान सभा के सदस्य थे और जिसने मिजो पर्वतीय जिले का दौरा वहाँ की सामान्य दशा का अध्ययन करने के लिए किया था, की रिपोर्ट की एक प्रति प्राप्त की है। असम सरकार रिपोर्ट में दिये गये सुझावों की जांच कर रही है। केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को आश्वासन दिया है कि जिले के विकास को तेल करने के लिए सभी उचित सहायता दी जायेगी और वह इस बात के लिए इच्छुक है कि जिले में विकास कार्यक्रमों को पूरी तरह कार्यान्वित किया जाये।

Deterioration of Fort of Ranthambhor near Sawai Madhopur

*277. **Shri Meetha Lal Meena** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the famous fort of Ranthambhor near Sawai Madhopur in Rajasthan has been turned into ruins because of the indifference of Government ;

(b) if so, the reasons therefor ;

(c) whether Government propose to maintain this fort properly in order to make this historic place a centre of attraction for the people ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) and (d). The Government is already maintaining this fort. It covers, however, a vast area with many structures and these are being repaired as far as feasible with the

existing funds. Since it is located at a considerable distance from the highways, it is not visited by many tourists. All steps are, however, being taken to keep the monument in a good condition, so that interested tourists may be attracted.

प्रौढ़ शिक्षा

*278. श्री वासुदेवन नायर : श्री भोगेन्द्र झा :
श्री ईश्वर रेड्डी : श्री योगेन्द्र शर्मा :

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रौढ़ शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या प्रौढ़ शिक्षा के लिए स्वयं सेवी संस्थाओं को कोई वित्तीय सहायता की गई है ;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में उन्हें कुल कितनी सहायता दी गई ; और

(घ) देश में प्रौढ़ शिक्षा की दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री प्र० कु० किस्कू) : (क) निरक्षरता उन्मूलन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है । भारत सरकार अनुसन्धान, प्रायोगिक परियोजनाओं तथा निपटान-गृह कार्यो के जरिए इस क्षेत्र में कारंवाई को अच्छा प्रोत्साहन दे सकती है । चौथी पंच वर्षीय आयोजना में शामिल किए गये केन्द्रीय अथवा केन्द्रीय प्रायोजित प्रमुख कार्यक्रम इस प्रकार हैं : (i) कृषक शिक्षा तथा कार्यपरक साक्षरता परियोजना ; (ii) प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे स्वैच्छिक संगठनों को सहायता देने की योजना ; (iii) राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा बोर्ड और (iv) साक्षरता प्रसार के लिए प्रायोगिक परियोजनाएं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता की योजना के अन्तर्गत परियोजना की लागत का 60 प्रतिशत तक केन्द्रीय सरकार ने सहायता के रूप में दिया था । 1967-68 से 1969-70 तक कुल अनुदान की राशि 1,14,020 रुपये थी ।

(घ) देश में साक्षरता की प्रतिशतता 1951 में 17 तथा 1961 में 24 थी और अनुमान किया जाता है कि 1969 में 33 तक बढ़ जायेगी ।

U. G. C. Scheme to Help Universities

*279. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Education and Youth** Services be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have reorganised the University Grants Commission after the University Grants Commission (Amendment) Bill, 1968 was passed in the previous Session of Parliament ;

(b) if so, the names of members of the reorganised Commission ;

(c) whether it is also a fact that a new Scheme has been prepared by the reorganised Commission to help the Universities ;

(d) if so, the details thereof ; and

(e) the way in which Government propose to enforce it ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) No, Sir.

(b) to (e). Do not arise.

बल्लभभाई रीजनल कालेज ग्राफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालोजी, सूरत

*280. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बल्लभभाई रीजनल कालेज ग्राफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालोजी, सूरत के मामलों के सम्बन्ध में कोई निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० ग्रार० वी० राव) : (क) ग्रौर (ख). केंद्रीय सरकार के ग्रनुरोध पर क्षेत्रीय कालेज के प्रशासक मंडल ने, कालेज के मामलों की, जिसमें कैम्पस में हाल ही में हुए छात्र उपद्रव भी शामिल हैं, जांच कराने के लिए, एक समिति नियुक्त की है। समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर कवायद (ड्रिल) पर रोक

*283. **श्री शारदा नंद** : **श्री ग्रोंकार सिंह** :
श्री रामावतार शर्मा : **श्री यशवन्त सिंह कुशवाह** :
श्री कंवर लाल गुप्त :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर कवायद (ड्रिल) करने पर रोक लगाये जाने के क्या कारण है ;

(ख) उपर्युक्त रोक लगाये जाने के लिए कहने से पहले दिल्ली प्रशासन के साथ परामर्श न करने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या उक्त प्रतिबन्ध के विरुद्ध सरकार को कोई ग्रभ्यावेदन प्राप्त हुग्रा है ग्रौर यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(घ) क्या यह सच है कि गत तीन वर्षों में दिल्ली में कोई साम्प्रदायिक दंगे नहीं हुए है ; ग्रौर

(ङ) यदि हाँ, तो राजधानी में यह रोक लगाने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ङ). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

जिला मजिस्ट्रेट दिल्ली ने धारा 144 के ग्रन्तर्गत 25 जून, 1970 को एक ग्रादेश जारी किया था जिसके द्वारा किसी 5 या ग्रधिक लोगों की मण्डली द्वारा सार्वजनिक स्थान पर या

किसी ऐसे स्थान पर जहां आम लोगों को प्रवेश का अधिका हो, शारीरिक कवायद, वर्दी में हो या बिना वर्दी के, लाठी से हो या बिना लाठी के अथवा अन्य हथियार से हो या किसी हथियार से मिलती जुलती किसी वस्तु से होने का निषेध किया गया था । इस आदेश की घोषणा के कारण स्वयं आदेश में ही दिए गये हैं । इस प्रकार की वैधानिक शक्ति के प्रयोग हेतु जिला मजिस्ट्रेट, दिल्ली को दिल्ली प्रशासन से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं होती । सरकार को इस आदेश के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है । किन्तु जिला मजिस्ट्रेट, दिल्ली को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144(4) के अन्तर्गत आवेदन प्राप्त हुए हैं जो न्यायालय के विचाराधीन हैं ।

पिछले तीन वर्षों में दिल्ली में कोई बड़ा साम्प्रदायिक दंगा नहीं हुआ । लेकिन इस अवधि में छोटी मोटी साम्प्रदायिक घटनायें हुई हैं और साम्प्रदायिक तनाव के उदाहरण मिले हैं ।

श्रीनगर में हरिपर्वत किले पर पाकिस्तान के तोड़-फोड़ करने वाले और छापामार व्यक्ति

*284. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रीनगर के हरिपर्वत किले वाले क्षेत्र में पाकिस्तानी लोग पाकिस्तान से सहानुभूति रखने वाले स्थानीय व्यक्तियों को खुले आम छापामार युद्ध का प्रशिक्षण दे रहे हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कुछ प्रमुख भारतीय देशभक्त नेताओं ने केन्द्रीय सरकार को इस स्थिति से अवगत कराया था क्योंकि कश्मीर सरकार ने उनकी बात पर ध्यान देने से इन्कार कर दिया ; और

(ग) यदि हां, तो पाकिस्तान के तोड़-फोड़ करने वाले और छापामार व्यक्तियों को कश्मीर से निकाल बाहर करने के लिए भारत सरकार ने क्या कार्यवाही की है और यदि नहीं की है, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता । फिर भी, सरकार सतर्क है ।

राजनीतिक नेताओं के जीवन को भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) और पाकिस्तान समर्थक संगठनों से खतरा

*285. **श्री राम चरण** : **श्री शिव चरण लाल** :
श्री श्रीगोपाल साबू : **श्री रघुबीर सिंह शास्त्री** :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अपने आप को भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी-लेनिनवादी)

और टीपू सेना, तामिरे मिल्लत आदि जैसे पाक-समर्थक संगठनों का सदस्य बताने वाले लोगों द्वारा हुई राजनीतिक नेताओं को विभिन्न प्रकार की धमकियां दी गई हैं ; और

(ख) यदि हां तो सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है कि जनतंत्र को ठीक तरह से चलाने के लिए ऐसे हिंसक प्रयत्नों से देश के राजनीतिक नेताओं के जीवन की रक्षा हो सके ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी हां, श्रीमान् । अपने आप को न सपधी या टीपू सेना के सदस्य बताने वाले व्यक्तियों से कुछ राजनीतिक नेताओं को धमकी भरे पत्र और टेलीफून प्राप्त हुए हैं ।

(ख) ऐसे नेताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों द्वारा पर्याप्त कदम उठाये जाते हैं ।

पश्चिम बंगाल के पहाड़ी जिलों के मार्ग से विदेशी शस्त्रों तथा हथियारों का अवैध आयात

*286. **श्री सरदार अमजद अली** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के पहाड़ी जिलों के मार्ग से विदेशी शस्त्रों तथा हथियारों के अवैध आयात के बारे में सरकार को पता है ;

(ख) क्या यह सच है कि उक्त प्रयोजन हेतु पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के नागराकाटा दर्रे का का प्रयोग किया जा रहा है ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि इन शस्त्रों और हथियारों का आयात करने वाले व्यापारी स्थानीय लोगों को धमका रहे हैं कि वे स्थानीय अधिकारियों को इस व्यापार के बारे में न बताये ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग). आपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

उखरूल (मनीपुर) में विद्रोही नागाओं के शस्त्रास्त्र तथा गोला बारूद का पकड़ा जाना

*287. **श्री हेम बरुआ** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में मनीपुर के उखरूल क्षेत्र में विद्रोही नागाओं के कुछ शस्त्रास्त्र तथा गोलाबारूद पकड़े गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो पकड़े गये शस्त्रास्त्र तथा गोलाबारूद का ब्योरा क्या है और ये किन परिस्थितियों में पकड़े गये थे ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी हाँ, श्रीमान् ।

(ख) 2 और 26 जुलाई 1970 को कुछ हथियार एक एल० एम० जी०, एक स्टेनगन, 6 राइफल और कुछ गोला बारूद्ध समेत क्रमशः हुइशुव और तुसन खुल्लेन गांवों के समीप के जंगलों में गुप्त स्थानों से बरामद किए गये थे ।

एडिनवर्ग राष्ट्रमण्डलीय खेलों में भारतीय दल

*288. **श्री जी० वेंकटस्वामी** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जुलाई मास में हुये एडिनबर्ग राष्ट्रमण्डलीय खेलों में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों की संख्या को अखिल भारतीय खेल कूद परिषद् की स्थायी समिति ने कम करके 39 कर दिया था जब कि भारतीय ओलम्पिक एसोशियेशन ने 47 खिलाड़ी ले जाने की सिफारिश की थी ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) दल के लिए कुल कितनी धन राशि मन्जूर की गई थी ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख). जी हां । अखिल भारतीय खेल-कूद परिषद् की स्थायी समिति ने यह सिफारिश की थी कि विभिन्न चयनों के लिए निर्धारित अर्हक योग्यतायें तथा राष्ट्रमण्डलीय खेलों में वस्तुतः प्राप्त किए गये योग्यताओं को दृष्टि में रखकर इस वर्ष राष्ट्रमण्डलीय खेलों के लिए 39 सदस्यों का भारतीय दल बनाया जाना चाहिए।

(ग) 1,75,317 रुपये 50 पैसे ।

बम्बई तथा कलकत्ता पत्तनों पर माल पर कर में वृद्धि

*289. **श्री लखन लाल कपूर** : क्या नौवहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई तथा कलकत्ता पत्तनों से बाहर ले जाये जाने वाले और वहां पर लाये जाने वाले माल पर कर में हाल ही में वृद्धि की गई है तथा वह कर परिवहन संचालक से वसूल किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसमें कितनी वृद्धि की गई है तथा वह कर परिवहन संचालक से वसूल किया जा रहा है ; और

(ग) इस वृद्धि के क्या कारण हैं ?

संसद-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) और (ख). पत्तन से होकर आयात या निर्यात किये गये माल का घाट शुल्क परिवहन चालकों से वसूल नहीं किया जाता है बल्कि संबन्धित आयात और निर्यात कर्त्ताओं से वसूल किया जाता है ।

परिवहन चालकों के सम्बन्ध में बम्बई और कलकत्ता के पत्तनों की स्थिति नीचे दी गई है :—

बम्बई

गोदी में चलने वाली मोटर गाड़ियों के बारे में परमिटों का नवीनीकरण और परमिटों को जारी करने का प्रभार 21-5-1970 से बढ़ाये गए। गोदी के अन्दर चलने वाले निजी चल क्रेनों के बारे में परमिटों को जारी करने के लिए नया प्रभार भी शुरू किया गया। पुनरीक्षण के पहले और बाद के लगाये गये दर नीचे दिये गये हैं :—

	21-5-70 से पहले के दर	2-5-70 से दर
1—मोटर लारी		
(1) प्रत्येक तिमाही के लिए नवीनीकरण और नए परमिट	3 रु० प्रत्येक	30 रु० प्रत्येक
(2) नकल (डुप्लिकेट)	10 रु० प्रत्येक	15 रु० प्रत्येक
2—चल क्रेन		
(1) नये परमिट और प्रत्येक तिमाही के लिए नवीनीकरण	शून्य	150 रुपये प्रत्येक
(2) नकल	शून्य	15 रुपये प्रत्येक

(दोनों मामलों में दर 5 प्रतिशत के अतिभार के अधीन होगा)

बम्बई पत्तन न्यास बोर्ड ने मोटर परिवहन चालकों की प्रतिनिधि संस्थाओं द्वारा किए गए कुछ अभ्यावेदनों की दृष्टि से मामले पर फिर से विचार किया जा रहा है और केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के अधीन निम्न प्रकार से दरों को कम करने के लिए सहमत हो गई है।

1—मोटर लारी

(1) नए परमिट तथा प्रत्येक तिमाही के लिए नवीनीकरण	18 रुपये प्रत्येक
(2) नकल नवीनीकरण	15 रुपये प्रत्येक
(3) नये परमिट और जारी किए गए दिन के लिए वैधानीकरण	5 रुपये प्रत्येक

2—चल क्रेन

(1) नये परमिट और प्रत्येक तिमाही के लिए नवीनीकरण	100 रुपये प्रत्येक
(2) नकल	15 रुपये प्रत्येक

(उक्त घटायी गयी दरें 5 प्रतिशत के वर्तमान अतिभार के लगाए जाने के अधीन होगा)

कलकत्ता

लारियों और गाड़ियों इत्यादि के लिए परमिटों के लिए कलकत्ता के पत्तन पर लगाए जाने वाले वर्तमान प्रभार 1967 से लागू है और हाल ही में इन दरों में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

(ग) बम्बई में वृद्धि बम्बई पत्तन न्यास द्वारा 1970-71 के प्रत्याशित घाटे को पूरा करने के लिए किए गए उपायों के अंग के रूप में की गयी।

Recall of Governor of West Bengal

*290. **Shri Shiv Kumar Shastri :** **Shri Hem Raj :**
Shri D. Amat :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Governor of West Bengal has failed completely to curb Naxalite agitation ;

(b) whether it is also a fact that it has been alleged that the West Bengal Governor is sympathetic towards Communist ; and

(c) if so, whether Government propose to recall him ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of State, Department of Electronics and Scientific and Industrial Research (Shri K. C. Pant) : (a) The State Government is making determined efforts to curb such activities.

(b) Such allegations are wholly incorrect.

(c) No such proposal is under consideration.

चाइबासा बिहार में साम्प्रदायिक दंगों की जांच करने के लिए नियुक्त किए गए एक सदस्यीय आयोग के श्री के० के० दत्ता पर छुरे से हमला

291. **श्रीमती सुशीला गोपालन :** **श्री गणेश घोष :**
श्री के० रमानी : **श्री क० अनुरुद्धन :**

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चाइबासा में हाल ही में हुये साम्प्रदायिक दंगों की जांच करने के लिए एक सदस्यीय आयोग के रूप में सरकार द्वारा नियुक्त किये गये श्री के० के० दत्ता को कुछ गुण्डों ने रांची में 10 जुलाई, 1970 को छुरा भौंक दिया था ;

(ख) क्या आक्रमणकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हां, श्रीमान्। घटना 9 जुलाई, 1970 की संध्या को घटी।

(ख) से (घ). पुलिस द्वारा दर्ज मामले की विधिवत जांच की जा रही है। चार में से तीन अभियुक्त गिरफ्तार किये गये हैं।

विश्व युवक सम्मेलन के लिए भारत शिष्टमंडल

292. **श्री लताफत अली खां :**
श्री जनार्दनन :

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा न्यूयार्क में आयोजित विश्व युवक सम्मेलन के लिये एक शिष्टमण्डल भेजा था ;

(ख) यदि हां, तो इस शिष्टमण्डल के क्या नाम हैं ; और

(ग) शिष्टमण्डल के सदस्यों का चयन करने के लिये क्या मापदण्ड और प्रक्रिया अपनाई गई है ।

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर वी० राव) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रतिनिधिमण्डल में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल थे :—

1. श्री एस० के० मुखर्जी ।
2. डा० आर० मोहन राज ।
3. कुमारी प्रोशिए अकोलावाला ।
4. नजमुस सेक्यूब ।
5. कुमारी आई० एम० पारसनिस ।

(ग) मुख्य मानदण्ड यह था कि कोई भी व्यक्ति 25 वर्ष से अधिक आयु का न हो । विदेश मन्त्रालय ने एक विशेष पेनल के जरिये और विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की छात्र मामलों की समिति, संयुक्त राष्ट्र संस्था के भारतीय सघ और संयुक्त राष्ट्र एशोशियेशन तथा यूनेस्को क्लब के परामर्श से, सर्वोत्तम युवकों के चयन की कोशिश की थी ।

बंगाल में मध्यावधि चुनाव

*293. **डा० रानेन सेन :** **श्री ही० ना० मुकर्जी :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त : **श्री कं० हाल्दर :**
श्री जि० मो० बिश्वास :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल के सभी राजनीतिक दलों ने विधान सभा के लिए तुरन्त ही मध्यावधि चुनाव कराने की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलोक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान विभाग में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी नहीं श्रीमान् ।

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिये कि मतदाता स्वतन्त्रता और निडरता से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके, पश्चिम बंगाल विधान सभा के प्रश्नों के चुनावों के प्रश्न पर तब तक विचार नहीं किया जा सकता जबतक उस राज्य में कानून व व्यवस्था की सामान्य स्थिति नहीं हो जाती ।

भूमि पर बलात अधिकार आंदोलन के सिलसिले में संसद् में तथा राज्य विधान सभाओं में भारत के साम्यवादी दल के सदस्यों द्वारा गिरफ्तार होना

*294. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में भूमि पर बलात् अधिकार आन्दोलन के सिलसिले में संसद् में तथा राज्य विधान सभाओं में भारत के साम्यवादी दल के सभी सदस्यों से कहा गया है कि 15 अगस्त तक अपने को गिरफ्तार करायें ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : (क) तथा (ख). सरकार ने इस बारे में समाचार-पत्रों में रिपोर्ट देखी हैं । कानून के किसी उल्लंघन पर, कानून के अनुसार सख्ती से कार्यवाही करनी पड़ेगी . सरकार भूमि-सुधारों के कारगर तथा शीघ्र कार्यन्वयन के कार्यक्रम के लिये बचनबद्ध है और इसलिए सरकार का विचार है कि ऐसे आन्दोलन अनावश्यक हैं ।

Severing of Connection with Berne Convention

*296. **Shri S. C. Samanta :** Will the Minister of Education and Youth Services be pleased to state :

(a) whether it is a fact that he has accepted this fact in principle that if the Berne Convention does not give adequate benefits to the backward countries, India would be compelled to resign from the membership of the Convention and that a final decision would be taken by Government by September this year ;

(b) if so, the benefits likely to accure from the Berne Convention and whether any benefit has been received up till now ;

(c) whether Government propose to set up a committee to go into all this aspects ;

(d) if not, whether Government would break their connections from the said Convention ; and

(e) if so, from what date and, if not, the reasons therefor ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) to (e). A statement is laid on the table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT—3886/70].

व्यक्तिगत योगदान तथा प्रशासनिक ढाँचा

2 7. **श्री० रा० कृ० बिड़ला :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकारी अधिकारी संघ के अखिल भारतीय महा संघ ने

मई 1970 में हुई अपनी बैठक में यह मांग की थी कि भारत सरकार अपनी इस घोषणा को कि प्रशासनिक ढांचे का सम्बन्ध मानव कल्याण तथा आर्थिक प्रगति के क्षेत्र में व्यक्तिगत योगदान से होना चाहिये, कार्यरूप देने के लिए प्रशासनिक ढांचे में आधारभूत परिवर्तन की नीति के लिये तुरन्त वचनवद्ध हो ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त संघ ने पुनः जोर दिया कि ऐसे वचन में वह समय-सीमा भी निश्चित की जाये जिसमें नयी प्रणाली शुरू कर दी जायेगी ;

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) इस दिशा में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) और (ख). केन्द्रीय सरकारी अधिकारी संघ के अखिल भारतीय महासंघ को मई, 1970 को बैठक के बारे में सरकार को कोई सूचना नहीं। फिर भी, सरकार को महासंघ के महासचिव का 8 जून, 1970 का एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रकार की मांगे भी हैं। महासंघ ने अपने विधान के बारे में औपचारिक रूप में कोई सूचना नहीं दी है और न ही मान्यता प्राप्त करने के लिए औपचारिक अनुरोध किया है ;

(ग) और (घ). प्रशासनिक सुधार आयोग ने कर्मचारी प्रशासन संबन्धी अपनी रिपोर्ट में प्रशासनिक ढांचे में सुधार करने के लिए कई सिफारिशें की हैं ; सरकार द्वारा इन सिफारिशों की जांच की जा रही है।

कोचीन में दूसरे शिपयार्ड का निर्माण

298. **श्री जी० ना० हजारिका** : क्या **नौवहन तथा परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इसके क्या कारण है कि वित्त मंत्रालय ने नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय से कहा है कि कोचीन में दूसरे शिपयार्ड के निर्माण की गति धीमी रखे ;

(ख) यदि वित्त मन्त्रालय जापानी फर्म द्वारा प्रस्तुत की गई शर्तों से सन्तुष्ट नहीं था तो मंत्रिमंडल ने जर्मनी के प्रस्ताव को एक तरफ छोड़कर जापानी फर्म के साथ करार करने के लिए किन कारणों से निर्णय किया ; और

(ग) क्या यह दोनों प्रस्तावों का ब्यौरा सभा पटल पर रखेंगे ?

संसद्-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मन्त्री (श्री क० रघुरामैया) : (क) से (ग). यह सच नहीं है कि वित्त मन्त्रालय ने पोत परिवहन तथा परिवहन मंत्रालय को कोचीन शिपयार्ड के निर्माण के बारे में धीरे-धीरे चलने के लिए कहा है। कोचीन शिपयार्ड के डिजाइन तथा निर्माण के लिए मैसर्स मित्सुबिशी हैवी इण्डस्ट्रीज लि० जापान, के साथ एक तकनीकी सलाहकार करार की शर्तों के बाबत हाल में एक सरकारी दल तोकियों में विचार विमर्श कर रहा है। उल्लिखित जर्मनी का प्रस्ताव 1962 में प्राप्त हुआ था और इसकी जांच की गई और इसे शक्य नहीं पाया गया और 1963 में इसे अस्वीकार किया गया और तब से जर्मनी से इस परियोजना के लिये तकनीकी सहयोग का कोई प्रस्ताव नहीं आया है।

बंगाल बंद

*299. **श्री प्रेमचन्द वर्मा :** . **श्री जे० के० चौधरी :**
श्री शिव चन्द्र झा : **श्रीमती इलापाल चौधरी :**

क्या गृह कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 14 जुलाई, 1970 को 'बंगाल बन्द' करने के क्या कारण थे और इसको आयोजित करने वाले राजनीतिक दलों की मांगे क्या थीं ;

(ख) बन्द के दौरान कितने दंगे हुए और कितने व्यक्तियों के मारे जाने तथा घायल होने के समाचार मिले हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार पुलिस की गोली से मारे गये तथा घायल हुए व्यक्तियों के परिवारों को मुआवजा देने का है ;

(घ) क्या इस बन्द के कारण देश को हुई हानि का अनुमान लगाया गया है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) इस बन्द के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ङ). 14 जुलाई को राज्य भर में एक हड़ताल हुई जिससे आम जनता को काफी कठिनाई उठानी पड़ी । बताया जाता है कि हड़ताल मांगों पर जोर डालने के लिए थी जैसे (i) लोकतांत्रिक आन्दोलनों के तथाकथित पुलिस दमन को रोकने, (ii) वर्गदारों के हटाये जाने को रोकने, (iii) किसानों के सवरुद्ध जोतदार द्वारा दायर कथित झूठे मुकदमों को वापस लेने तथा (iv) मध्यावधि चुनाव कराने । सरकार ऐसे आंदोलनों का विरोध करती है ; सामान्य स्थिति स्थापित करने और राज्य में विकास कार्यक्रमों को पूरी तरह कार्यान्वित करने के सभी उपाय किये गये हैं ।

(ख) से (घ). राज्य सरकार से विस्तृत सूचना प्राप्त की जा रही है ।

Selection Grades for Teachers in Madhya Pradesh

*300. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of Education and Youth Services be pleased to state :

(a) whether the selection grades have been given to the teachers in Madhya Pradesh ;

(b) if so, the scales of pay of these selection grades and their proportion to the respective cadres ;

(c) whether the State Government have asked for Central assistance before introducing the selection grades and, if so, whether the Central Government had given the assistance asked for ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Youth Services (Shri A. K. Kisku) : No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) and (d). No proposals have been received by Government of India.

विदेशों में भारतीय विद्यार्थियों को विदेशी युवतियों से विवाह करने की अनुमति देना

1801. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस अध्ययन कर रहे अनेक भारतीय विद्यार्थियों ने गत तीन वर्षों में अपने उन पाठ्यक्रमों को, जिसके लिए उन्हें सरकारी छात्र वृत्ति दी गई थी, पूर्ण करने से पूर्व ही रूसी युवतियों से विवाह करने के लिए उनके मंत्रालय से अनुमति माँगी थी और यदि हां, तो उनके क्या नाम हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि आंध्र प्रदेश के एक छात्र ने, रूसी कन्या से विवाह न हो सकने के कारण मास्कों में आत्महत्या की थी और यदि हाँ, तो उस छात्र का नाम क्या है और उसने किस तारीख को आत्महत्या की ;

(ग) क्या अन्य देशों में अध्ययन कर रहे भारतीय छात्रों ने गत तीन वर्षों में विदेशी युवतियों से विवाह करने की अनुमति मांगी थी और यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं और वे किन देशों में हैं ; और

(घ) क्या सरकार का उन छात्रों की छात्रवृत्तियां समाप्त करने का विचार है जो ऐसे मामलों में अन्तर्गत हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ।

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री अ० कु० किस्कू) : (क) जी, हां । अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

1. श्री ए० एस० देशपांडे
2. श्री एस० के० देसाई
3. श्री बी० एम० रे
4. श्री गोरी कांत हंडीक
5. श्री एस० मजुमदार
6. श्री एस० के० नाग
7. श्री डी० ए० एन० मूर्त्ति
8. श्री ए० के० बसु
9. श्री एस० सी० फक्का
10. श्री एच० सी० उपरेत्ती
11. श्री बी० पी० बन्धोपाध्याय
12. श्री पी० सी० चौबे
13. श्री के डब्लू० रेघाडा
14. श्री एस० एन० पराशर
15. बी० टी० सालिन
16. श्री टी० सी० भट्टाचार्य
17. श्री लाजपत राय
18. श्री बी० बी० हुरिया
19. श्री वी० के० बत्रा
20. श्री एस० के० सांगर
21. श्री आर० के० शर्मा
22. श्री एस० सी० दुग्गल
23. श्री डी० पी० वर्मा
24. श्री विद्यापति राम
25. श्री बी० एस० गुप्ता
26. श्री सतीश कुमार कालड़ा
27. श्री प्रेम कुमार

(ख) जी, नहीं । किन्तु आंध्र के एक विद्यार्थी—श्री यू० सुब्बाराव ने कुछ व्यक्तिगत एवं घरेलू कारणों से 14-6-70 को आत्महत्या की थी ।

(ग) जी, हां । अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

जर्मन गणतंत्रात्मक प्रजातंत्र

1. श्री वी० पी० गुप्ता
2. श्री पी० के० पाँडे
3. डा० ए० डी० अनवीकार
4. श्री टी० पी० गोपालन नायर

चैकोस्लावाकिया

1. श्री के० विश्वनाथ

(घ) जी, नहीं । भारत सरकार सभी स्कालरों से एक बाण्ड भरने का आग्रह करती हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ उन्हें इस सरकार की पूर्व-अनुमति के बिना विदेशी नागरिकों से विवाह करने के लिए वर्जित किया जाता है । इससे अनुपयुक्त विवाहों पर रोक रहती है ।

राजनीतिज्ञों तथा समाज विरोधी तत्वों को मिलने वाले हथियारों तथा गोला-बारूद के बारे में जांच करने के लिए कलकत्ता में एक विशेष विभाग की स्थापना

1802. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल में राजनीतिक और समाज विरोधी तत्वों को मिलने वाले हथियारों तथा गोला-बारूद के बारे में जांच करने के लिए केन्द्रीय सरकार के एक उच्च अधिकारी के अधीन कलकत्ता में एक विशेष विभाग को स्थापित किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) गत छः महीनों में पुलिस द्वारा छापे मारकर पकड़े गये हथियार किस प्रकार के थे और उनकी संख्या कितनी थी ;

(घ) क्या सरकार ने पकड़े गये इन हथियारों तथा गोला-बारूद के स्रोत का इस बीच पता लगाने में सफल हो गई हैं ; और

(ङ) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) से (ङ). अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जायेगी ।

दिल्ली में एक दूसरे विश्वविद्यालय की स्थापना

803. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली की नागरिक परिषद् ने राजधानी में कालेजों में प्रवेश की समस्या को हल करने के उद्देश्य से एक दूसरे विश्वविद्यालय की स्थापना करने की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) कालेजों में दाखिले के बारे में नागरिक परिषद् ने अन्य क्या सुझाव दिये हैं ;

(घ) क्या सरकार ने इन सुझावों पर विचार किया है ; और

(ङ) यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है और विवरण सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

तैवान में ताइपेह तक विमान सेवा

1804. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :**
श्री मणिभाई जे० पटेल :

क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तैवान में ताइपेह तक विमान सेवा आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि भारत-जापान मार्ग लाभप्रद नहीं है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि यदि इस सेवा के अन्तर्गत उड़ानें बढ़ा दी जायें और एयर इण्डिया के विमान इस मार्ग पर और अधिक स्टेशनों पर ठहरे तो यह मार्ग लाभप्रद हो सकता है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) और (ङ). प्रश्न नहीं उठते ।

मद्रास हवाई अड्डे की सुधार-सम्बंधी योजना

1805. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मद्रास हवाई अड्डे को जम्बो विमानों की उड़ान के उपयुक्त बनाने के लिये उसमें सुधार करने सम्बन्धी कोई व्यापक योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस योजना पर कितना धन खर्च किया जायेगा ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) मद्रास विमान क्षेत्र इस समय भी "जम्बो जेट" परिचालन के लिए उपयुक्त है । तथापि आवश्यकताओं की अधिक सुचारू से पूर्ति करने के लिये कुछ आवश्यक सुधार एवं अतिरिक्त सुविधाओं की यवस्था की जा रही है ।

(ख) नये अंतर्राष्ट्रीय तथा अन्तर्देशीय आगमन ब्लाकों का निर्माण किया जा रहा है तथा रेस्टोरेंट व अन्तर्राष्ट्रीय और अन्तर्देशीय प्रस्थान क्षेत्रों का विस्तार किया जा रहा है । एयरपोर्ट रेस्टोरेंट, अन्तर्राष्ट्रीय आगमन कक्ष व प्रस्थान हाल, ट्रांजिट लौज तथा अन्तर्देशीय प्रस्थान हाल को वातानुकूलित करने का प्रस्ताव है । मुख्य धावन-पथ को मजबूत करने, वर्तमान टैक्सी-ट्रंक को चौड़ा करने व बढ़ाने तथा एक टर्निंग पैड व समानांतर टैक्सी-ट्रैक के निर्माण का कार्य हाथ में लिया जा रहा है ।

(ग) लगभग 220 लाख रुपये की लागत का अनुमान है ।

Recruitment of Officers to I. A. S. and Class I Engineering Services

1806. **Shri Ram Sewak Yadav : Will the Minister of Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of I. A. S. Officers recruited during the last three years, year-wise ;

(b) the number of I. A. S. Officers among them who had passed the University examinations in First Division and othe Divisions, separately, year-wise ;

(c) the number of Engineers recruited to Class I Engineering Services during the aforesaid period ;

(d) the total amount of the emoluments which the I. A. S. Officers and Engineers appointed to Class I Engineering Services get after putting in five years, ten years, fifteen years, twenty years and twenty-five years service, separately ; and

(e) whether there is any difference in their emoluments and, if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) and (b).

Year	No. of Officers Recruited	No Passed in First Division	No. Passed in other Divisions	
			II	III
1967	141	61	71	9
1968	122	49	63	10
1969	100	47	47	6

(c) The information is being collected from the concerned Ministries/Departments and will be laid on the Table of the House.

(d) and (e). The emoluments available to be members of I. A. S. are as under :--

	Junior Scale	Senior Scale	D. A.
	Rs.	Rs.	Rs.
5th year of service	580.-	900/-	120/-
10th year of service	—	1120/-	100/-
15th year of service	—	1420/-	100/-
20th year of service	—	1700/- (upto 22nd year and over)	100/-
25th year of service	—	2000/- (Selection grade)	100/-

Besides two time scales, members of I. A. S. can also be promoted to the Selection Grade, namely, Rs 1800-100-2000. There is also a supertime scale to which officers could be promoted. The exact point of time at which a member of I A. S. could hope to draw pay in these scales would depend on the Cadre to which he belongs However, under the Government of India, a member of I A. S. could normally be considered for appointment to a post carrying pay in the time-scale of Rs. 1800-100-2000, on completion of 14 years of service and to a post in the scale of pay Rs. 2500-2750 on completion of 18 years of service. Similar information in respect of Engineering Services, Class I, is being collected from the concerned Ministries/Departments and will be laid on the table of the House.

Correspondence between Government and R. S. S. Chief after the Assassination of Gandhi

1807. **Shri Ram Sewak Yadav** :
Shri Bibhuti Mishra :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the restriction imposed on the R. S. S. after the assassination of Mahatma Gandhi was lifted after correspondence between the Government of India and the R. S. S. Chief ;

(b) if so, whether Government will lay on the Table a copy of that correspondence ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) Yes, Sir.

(b) A copy of the correspondence will be got printed and laid on the Table of the House in due course.

(c) Does not arise.

Removal of Disparity in Employment of Engineers and Doctors

1808. **Shri Ram Sewak Yadav** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether she had, while delivering the Convocation address of the Rookee Engineering University in November, 1967 observed that engineers and doctors are discriminated against in the matter of employment and she wanted to remove this disparity ;

(b) if so, the action taken so far in this regard ; and

(c) whether the position has since improved and, if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Ram Niwas Mirdha): (a) to (c). In her Convocation Address at the Roorkee Engineering University on 18th November, 1967, the Prime Minister also observed as follows :—

"The brightest of our young men and women choose engineering and medicine, If they happen to go into government, they are very soon overtaken by the general administrator. This must change and I am trying to change it. The Administrative system must reflect an individual's contribution to human welfare and economic gain.

Having made the point, let me hasten to correct any apprehension that the technoligist is *ipso facto* and in every way superior to the professional administrator or politician. The man trained to be a technologist may not necessarily be competent to decide on matters outside his specialisation. He may not be the best person to judge the social or political cost.

A great deal of administration consists in taking political decisions in the handling of men. The instincts and talents of leadership do not automatically flow from training in technology. Technology as such has no answers to political problems. Some scientists and technologists certainly possess qualities of social leadership of the highest order, but the abilities of most remain confined to their fields of specialisation."

So far as employment against technical posts is concerned, the existing rules and procedures provide for selection and appointment of suitably qualified candidates against those posts. There is, therefore, no question of any discrimination against the holders of technical qualifications in the matter of their employment on posts under the Government for which they are qualified. Officers of the technical services also do have prospects of advancement and every effort is made to utilise their specialised talent fully. The question of staffing senior management posts in the Government in various functional areas has been considered by the Administrative Reforms Commission in their Report on Personnel Administration. The recommendations of the Commisson are under consideration.

Special Police Force for Riot-Affected Areas

1809. **Shri Ram Sewak Yadav :**
Shri J. H. Patel :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Special Police Force is being created for the riot-affected areas ; and

(b) if so, the details of the scheme in this regard ?

The Deputy Minister in the Minister of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy) : (a) Government have no such proposal.

(b) Does not arise.

दिल्ली परिवहन उपक्रम की वित्तीय स्थिति

1810. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :**
डा० कर्णी सिंह :

क्या नौवहन तथा परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली परिवहन उपक्रम की वित्तीय स्थिति खराब है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1969-70 में दिल्ली परिवहन उपक्रम को कुल कितनी हानि हुई ;

(ग) क्या यह भी सच है कि फालतू पुर्जे न मिलने के कारण सैकड़ों बसें बेकार पड़ी रहती है ; और

(घ) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) अस्थायी उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1969-70 के दौरान डी० टी० यू० की 242.35 लाख रुपये की हानि हुई ।

(ग) जीं नहीं ।

(घ) 1969-70 में केन्द्रीय सरकार ने 100 बसों को खरीदने के लिए 130 लाख रुपये का ऋण और उपक्रम की अर्थोपाय सम्बन्धी स्थिति को सुधारने के लिए 30 लाख रुपये का ऋण दिया । उपक्रम ने 100 बसों के लिए गाड़ी के ढांचा सप्लायरों और गाड़ी बनाने वालों को आदेश दे दिया है और शीघ्र ही बसों के प्राप्त होने की सम्भावना है । उपक्रम द्वारा अतिरिक्त बसों की खरीद के लिए केन्द्रीय बजट के चालू वर्ष में उसे ऋण देने के लिए 2.00 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है ।

डेनियल बालकाट के बचकर भाग निकलने के बारे में केन्द्रीय ब्यूरो की जांच

1811. **श्री चंद्र शेखर सिंह :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरों ने नई दिल्ली हवाई अड्डे से अपने जहाज के साथ डेनियल बालकाट के कथित बच कर भाग निकलने और नई दिल्ली में नियुक्त एयर इण्डिया के एक भूतपूर्व अधिकारी के इस मामले में कथित अन्तर्ग्रस्तता के मामले में जांच पूरी कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सभी अपराधियों पर इस बीच न्यायालयों में मुकदमे दायर कर दिए गए हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या इस मामले को दबाने के लिए उच्च-स्तरीय अधिकारियों ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो पर दबाव डाला था और उस दबाव के कारण इस मामले में अब तक कोई प्रगति नहीं हुई है ; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (क), (ख) और (ग) का उत्तर नकारात्मक है, तो अपराधियों को कब तक दण्ड दिया जायेगा और इस अनुचित विलम्ब के क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मन्त्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (घ). नई दिल्ली हवाई अड्डे से डेनियल वालकाट के बचकर भाग जाने के सम्बन्ध में नई दिल्ली पुलिस द्वारा न कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा एक मामला दर्ज किया गया और जांच पड़ताल की गई थी । बालकाट की गिरफ्तारी के बाद उसे विभिन्न आरोपों में मद्रास व बम्बई न्यायालयों ने लिए जांच के पेश किया गया था । बाद में दिल्ली के एक न्यायालय द्वारा उसकी

न्यायिक जांच की गइ थी और उसे विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम की धारा 8 के अधीन 3 वर्ष का कठोर कारावास और भारतीय विमान अधिनियम की धारा 10(11) के अधीन एक महीने के कठोर कारावास का दंड दिया गया।

नागर विमानन के विभाग ने उस विभाग के दो अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की और उनके विरुद्ध जांच-पड़ताल का कार्य विभागीय जांच आयुक्त को सौंपा गया। विभागीय जांच आयुक्त के जांच परिणामों के आधार पर नागर विमानन के विभाग द्वारा उन्हें निर्दोष ठहराया गया था।

इन्जीनियरिंग विभागों में पदोन्नति

1812. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम्** : क्या गृह-कार्य मन्त्री 13 मार्च, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2807 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन्जीनियरिंग विभागों में सीधी भर्ती का कितना कोटा निर्धारित किया गया है ;

(ख) इन्जीनियरिंग विभाग में अवर श्रेणियों में काम करने वाले व्यक्तियों को पदोन्नति के पर्याप्त अवसर देने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ताकि योग्य अधिकारियों द्वारा जो अच्छा कार्य किया गया है उसके प्रति प्रोत्साहन बना रहे हैं ; और

(ग) विभिन्न विभागों में सीधे भर्ती किए उन अधिकारियों, जो नियुक्ति के पश्चात् उस पद के लिए अयोग्य सिद्ध हुए हैं, की सेवा समाप्त करने अथवा उन्हें अवर पदों पर लाने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख). कुछ मन्त्रालयों/विभागों में श्रेणी I/II इन्जीनियरी सेवाओं/पदों में सीधी भर्ती और प्रोन्नति के कोटे के ब्यौरों का विवरण (अंग्रेजी में) सदन के पटल पर रखा जाता है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या** एल० टी०—3887/70] उसे देखने से पता लगेगा कि सम्बन्धित मंत्रालयों/कार्यालयों में निम्न श्रेणियों में काम करने वाले अधिकारियों के लिए प्रोन्नति के पर्याप्त अवसर विद्यमान हैं।

(ग) यदि परिवीक्षा की अवधि (परिवीक्षा की बढ़ाई गई अवधि समेत, यदि कोई हो) में सीधे भर्ती किया गया कोई अधिकारी, प्रगति के लिए उसको दिये गये अवसरों के बावजूद संतोष-जनक प्रगति नहीं करता है और किसी तरह स्वयं को सेवा के लिये अपर्याप्त प्रकट करता है तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकती है और यदि सरकार के अधीन किसी अन्य पद में उसका पुनर्ग्रहणाधिकार (लियन) है तो उसे उस पद में प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।

केन्द्रीय इंजीनियरिंग सेवाओं में भर्ती के लिए अंकों की निर्धारित प्रतिशतता

1813. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम्** : क्या गृह-कार्य मन्त्री संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के बारे में 17 अप्रैल, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6495 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 1966 में केन्द्रीय लोक

निर्माण विभाग में केन्द्रीय इन्जीनियरिंग सेवा श्रेणी II के पद चुने गये एक व्यक्ति को केवल 30 प्रतिशत अंक प्राप्त हुए थे तथा सूची में उनका क्रमांक तीन छोड़कर अन्तिम था तथा एक अन्य व्यक्ति को वर्ष 1967 में 34 प्रतिशत अंक प्राप्त हुए थे ; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1966 तथा 1967 के लिए केन्द्रीय इन्जीनियरिंग सेवाओं में भर्ती के लिए अंकों की कितनी प्रतिशतता निर्धारित की गई थी और इतनी योग्यता वाले तथा अनुभव प्राप्त विभागीय इन्जीनियरी स्नातकों के पदोन्नति देने के मामले पर विचार किये बिना ही इतनी कम प्रतिशतता निर्धारित करने के क्या कारण थे ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) सम्भवतः प्रश्न का सम्बन्ध 1966 तथा 1967 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई इंजीनियरी सेवा की परीक्षाओं से है । यदि ऐसा है तो उत्तर नकारात्मक है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता । इस सम्बंध में 12 मई, 1970 को लोक सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 9291 के रेल मंत्री द्वारा दिये गये उत्तर की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

इंजीनियरी डिप्लोमा प्राप्त कर्मचारियों को ए० एम० आई० ई० की परीक्षा पास करने पर वार्षिक वृद्धियां

1814. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम्** : क्या गृह-कार्य मन्त्री इन्जीनियरी डिप्लोमा प्राप्त कर्मचारियों को ए० एम० आई० ई० की परीक्षा पास करने पर वार्षिक वृद्धियां देने के बारे में 19 दिसम्बर, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4563 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ए० एम० आई० ई० के (क) और (ख) खण्ड उत्तीर्ण करने वाला व्यक्ति विश्वविद्यालय से इन्जीनियरिंग स्नातक के समान माना जाता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन्जीनियरिंग स्नातक जब डिप्लोमा प्राप्त व्यक्तियों के लिये उपयुक्त पद पर नियुक्त होता है तो उसे उसी वेतनमान में जो उनकी सेवा में अनिवार्यता के अनुसार देय होता है, आरम्भ में उच्चतर वेतन दिया जाता है :

(ग) यदि हां, तो नियुक्त के बाद ऊंची अर्हता प्राप्त कर लेने वाले कर्मचारियों को जिनकी इन्जीनियरिंग स्नातक जैसी ऊंची अर्हता किसी भी विशेष सेवा में दक्षतापूर्वक कार्य करने के लिए आवश्यक है, अग्रिम वार्षिक वृद्धियों के सामान्य आदेश जारी न किये जाने का क्या कारण है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) तथा (ग). 19 दिसम्बर, 1960 को अतारांकित प्रश्न संख्या 4563 के उत्तर में स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी । जबकि कुछ मन्त्रालयों/विभागों में उन डिप्लोमा-धारकों को, जो ए० एम० आई० ई० परीक्षा पास कर लेते हैं, अग्रिम वेतन वृद्धियों, नकद इनाम अथवा निर्धारित वेतनमान में उच्चतर प्रारम्भिक वेतन के रूप में कुछ छूट दी जाती है, कुछ मंत्रालय आदि में उन

डिप्लोमा-धारकों के लिए जिन्होंने ए० एम० आई० ई० परीक्षा पास कर ली है, उच्चतर पद में प्रोन्नति के लिए पात्रता में सेवा की अल्प अवधि नियत की गई है। जब कभी ये रियायतें दी जाती हैं तो सम्बद्ध विभागीय नियमों, इत्यादि में ऐसी रियायतों के देने की व्यवस्था होती है। फिर भी, ऐसे मंत्रालय/विभाग हैं जहां उन डिप्लोमाधारकों को, जो ए० एम० आई० ई० परीक्षा पास कर लेते हैं, कोई रिआयतें नहीं दी जाती। यह इस कारण से है कि सभी श्रेणियों के उन कर्मचारियों को, जो अपने सेवा काल में उच्चतर अर्हता प्राप्त कर लेते हैं, अग्रिम वेतन-वृद्धियां इत्यादि की रिआयत प्रदान करने वाले सामान्य आदेश नहीं हैं। ए० एम० आई० ई० परीक्षा पास डिप्लोमाधारकों को यदि समान आधार पर अग्रिम वेतनवृद्धियां इत्यादि के मामले में कोई रिआयत दी जाती है तो ऐसी रियायतें अन्य विभिन्न श्रेणियों के उन कर्मचारियों को भी देनी पड़ेगी जिन्होंने सरकारी सेवा में प्रवेश होने के बाद उच्चतर अर्हता प्राप्त कर ली हो।

डालर नोटों का पकड़ा जाना

1815. **श्री रन० शिवप्पा :**
श्री जी० वाई० कृष्णन :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर में दो हजार से अधिक दस डालर के नोट पकड़े गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे कार्य में लगे व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी हां, श्रीमान् जी।

(ख) इस प्रकार के गिरोह की कार्यवाहियों का पता लगाने की दृष्टि से राज्य पुलिस द्वारा, पड़ौसी राज्यों के साथ नियत कालिक अन्तर्राज्यीय बैठकें करके और इस विषय पर गुप्त वार्ता का आदान-प्रदान करके और इसके अतिरिक्त राज्य में स्वयं इस प्रकार की किसी कार्यवाही पर चौकसी रखकर निरन्तर सतर्कता रखी जा रही है।

दिल्ली में आई० ए० एस० अकादमी के लिए कैम्पस

1816. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वह सच है कि नेहरू विश्वविद्यालय के सन्निकट भारतीय प्रशासन-अकादमी के भवन हेतु, पांच करोड़ रुपये की लागत से जिस एक आलीशान भवन का निर्माण किया गया है अथवा किया जा रहा है उसका क्या ब्यौरा है ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान 20 जून, 1970 के "ब्लिटज" साप्ताहिक , "प्रायमरी स्कूलों के लिए धन नहीं—परन्तु आई०ए०एस० अकादमी के लिए पांच करोड़ रुपये का विशाल भवन" शीर्षक से प्रकाशित एक लेख की ओर आकर्षित किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग). ब्लिटज में 20 जून, 1970 को राष्ट्रीय अकादमी के सम्बन्ध में प्रकाशित लेख की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है। राष्ट्रीय अकादमी के लिए दिल्ली में भवन निर्माण किया जा रहा है। यह अकादमी केवल भारतीय प्रशासन सेवा के परवीक्षाधीन उम्मीदवारों को प्रशिक्षण नहीं देती वरन् केन्द्रीय सेवा श्रेणी-1 को भी पूल प्रशिक्षण देती है। राष्ट्रीय अकादमी विभिन्न सेवाओं के वरिष्ठ अधिकारियों को पुनश्चर्या पाठ्यक्रम और सेवा काल में प्रशिक्षण भी देती है। जो सुविधायें वहां दी जायेंगी वे विलासमय न होकर वर्तमान प्रशिक्षण संस्थाओं के लिए कार्य करने हेतु आवश्यक हैं। कैम्पस में अनुमानित व्यय, भूमि, उपकरण, और सामान्य पूरक, भवनों जैसे होस्टल के कमरों, भोजनालय, रसोईघर, पुस्तकालय सभा भवन व्याख्यानशाला, पारिसंवाद कक्ष, शिक्षा की कक्ष, प्रशासन खण्ड, क्लब तथा आवास भवनों के लिए 3 करोड़ रुपये होगा।

दण्ड प्रक्रिया संहिता में परिवर्तन

1817. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दंड प्रक्रिया संहिता में परिवर्तन करने के बारे में कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो कब और उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) विधि आयोग की सिफारिशों के आधार पर एक संशोधित दण्ड प्रक्रिया संहिता को अधिनियमित करने के लिए एक विधेयक को चालू सत्र में, यदि संभव हुआ, तो पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल विधान सभा के चुनाव

1818. **श्री श्रद्धाकर सूपकार** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल की विधान सभा के अगले चुनाव के समय के बारे में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों में भारी मतभेद हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी हाँ, श्रीमान्।

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए कि मतदाता स्वतंत्रता और निडरता से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके, पश्चिम बंगाल विधान सभा के चुनावों के प्रश्न पर तब तक विचार नहीं किया जा सकता जब तक उस राज्य में कानून व व्यवस्था की सामान्य स्थिति नहीं हो जाती।

भारतीय दूतावासों में विज्ञान-सहचरों की नियुक्ति

1819. **श्री जगेश्वर यादव :** **श्री अदिचन :**
श्री रामावतार शास्त्री : **श्री क० मि० मधुकर :**
श्री जनार्दनन :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय दूतावासों से सम्बद्ध विश्व की राजधानियों और मुख्य औद्योगिक तथा विज्ञान केन्द्रों में विज्ञान सहचरों की नियुक्ति करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). अमरीका, रूस, इंगलैंड तथा जापान/भारतीय दूतावासों/उच्चायोगों में एक-एक वैज्ञानिक सलाहकार/सहचारी नियुक्त करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

मंत्रालयों में चुनाव-ग्रेड पदोन्नतियां

1820. **श्री मंगलाथुमाडम** : क्या **गृह-कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मंत्रालयों में विभिन्न श्रेणियों के लिए चुनाव-ग्रेड में पदोन्नतियां प्रत्येक मंत्रालय में कुछ विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा की जाती है ;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न पदों के लिए प्रत्येक मंत्रालय में इस प्रकार की कितनी समितियां गठित की गई हैं ;

(ग) इस प्रकार की समितियों की प्रतिवर्ष कितनी बैठकें होती हैं ; और

(घ) इस प्रकार के ग्रेडों के लिए उनके द्वारा उचित चुनाव कराने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) जी हां, श्रीमान्। उपयुक्त विभागीय पदोन्नति समिति ऐसे चुनाव पदों अथवा ग्रेडों, जिन्हें चुनाव पद अथवा ग्रेड समझा जाता है, पर पदोन्नति के लिए पात्र अधिकारियों की सिफारिश करती है।

(ख) प्रत्येक मंत्रालय/विभाग में ऐसी समितियों की संख्या के सम्बन्ध में सूचना सहज उपलब्ध नहीं है और वह यथाशीघ्र सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) वर्तमान अनुदेशों में व्यवस्था है कि विभागीय पदोन्नति समितियों की बैठकें नियमित वार्षिक अन्तराल में होना चाहिए।

(घ) क्योंकि एक विभागीय पदोन्नति समिति में एक से अधिक सदस्य होते हैं अतः यह उसके द्वारा किये गये चुनावों की निष्पक्षता को सुनिश्चित करता है।

Permanent and Temporary Central Government Employees

1821. **Shri Bharat Singh Chauhan :** **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Hukam Chand Kachwai : **Shri Om Prakash Tyagi :**
Shri Bansh Narain Singh : **Shri Ram Gopal Shalwale :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the total number of Central Government employees at present ;

(b) the number of temporary and permanent employees among them, respectively ; and

(c) the steps being taken to declare those employees permanent who have been working on their posts for more than five years and the number thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) and (b). The total number of regular employees in the Central Government as on 31st March, 1968 was 25,85,208 of which 18,06,931 were permanent and 7,78,277 temporary. Thus, as on 31-3 68, about 70% of the Central Government employees were permanent and only 30% temporary.

(c) Information regarding the total number of temporary employees who have been working on their posts for more than five years is being collected and will be laid on the Table of the House as early as possible. However. orders already exist providing for conversion of temporary posts into permanent ones and for confirmation of temporary employees against such permanent posts. The Ministry of Finance orders of 24-3-1960, supplemented by their orders of 13-9-66, provide for conversion into permanent posts of :—

(i) 80% of temporary posts in permanent Departments (other than the P and T Department, Government Workshops and Industrial Undertakings) which have been in existence for a period of not less than 3 years and which are required for work of a permanent nature ; and

(ii) 50% of temporary posts in non-permanent Department which have existed for not less than 10 years and are not proposed to be wound up in the foreseeable future, provided that the temporary posts have been in continuous existence for a period of 5 years or more and are required indefinitely.

In the Posts and Telegraphs Department also, temporary posts can be converted into permanent ones, more or less, on the lines of the scale given in item (i) above. As for Government Workshops and Industrial Establishments, different percentages for conversion of temporary posts into permanent ones have been prescribed.

तकनीकी योग्यता प्राप्त व्यक्तियों के लिए विदेशों में रोजगार

1822. **श्री लोबो प्रभु :** क्या गृह-कार्य मंत्री औद्योगिक श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी कार्यकारी दल के बारे में 7 मई, 1970 के तारांकित प्रश्न संख्या 1492 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में हमारे मिशनों के प्रयास केवल तकनीकी विशेषज्ञों तक ही सीमित हैं ; और विदेशों में रोजगार प्राप्त करने के इच्छुक बेरोजगार तकनीकी योग्यता प्राप्त व्यक्तियों के समस्त वर्गों को उनमें सम्मिलित नहीं किया गया है ;

(ख) तकनीकी योग्यता प्राप्त समस्त व्यक्तियों को सम्मिलित करने और उनसे आवेदन-पत्र मांगने में क्या आपत्ति है ;

(ग) अन्य देशों में प्राप्य रोजगार के अवसरों का विज्ञापन करने के बारे में इस समय क्या प्रबन्ध है ; और

(घ) अन्य देशों में प्राप्य रोजगार अवसरों का पता लगाने तथा उनको पाने के लिए हमारे मिशनों द्वारा किये गये प्रयासों का स्वरूप क्या है ; और इस सम्बन्ध में हमारे मिशनों को क्या अनुदेश दिये गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञाविक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : (क) और (ख). संसार के विकासशील देश साधारणतः केवल तकनीकी विशेषज्ञों की सेवाओं की माँग करते हैं क्योंकि वे अपने संबंधित क्षेत्रों में पर्याप्त अनुभव रखते हैं। तकनीकी क्षेत्र में नये स्नातकों या अनुभवहीन व्यक्तियों की मांग नहीं है।

(ग) विदेश में हमारे मिशन विदेशी सरकार से अर्हता प्राप्त भारतीय व्यक्ति की सेवाओं की मांग प्राप्त करते हैं। विदेश मंत्रालय, सम्बन्धित संगठनों के परामर्श से जिसमें गृह मंत्रालय भी शामिल है जो कि विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे विशेषज्ञों की सूची रखता है जो विदेशों में सेवा करने के लिए इच्छुक हैं, इन मांगों का प्रक्रिया द्वारा आलेखन करता है। इस सूची में शामिल होने के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन के जरिये प्रार्थना-पत्र मांगे जाते हैं और राज्य सरकारों को परिचय भेजे जाते हैं।

(घ) सभी मित्र विकासशील देशों में हमारे मिशनों को सूचित किया गया है कि विदेशी सरकारों को उनके विकास कार्यों में सहायता देने के लिए ठीक प्रकार से अर्हता प्राप्त तकनीकी व्यक्तियों की सेवाओं के देने में हम प्रसन्न होंगे। मिशन इस प्रकार की मांगे प्राप्त करते हैं और उन्हें विदेश मंत्रालय को भेज देते हैं।

दिल्ली में आयोजित "फिल्म स्टार्स नाइट" समारोह

1823. **डा० राम सुभग सिंह : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) वर्ष 1967-68, 1968-69 और 1969-70 में (30 जून, 1970 तक) दिल्ली में कितनी बार ऐसे "फिल्म स्टार्स नाइट" समारोहों का आयोजन किया गया जिनमें फिल्म कलाकार उपस्थित नहीं हुए ;

(ख) क्या दर्शकों को उनकी टिकटों और आरक्षण आदि की राशि लौटा दी गई थी ; और

(ग) उक्त समारोहों के आयोजकों के विरुद्ध जिनमें दिल्ली के एक श्री कैलास भी हैं, जिन्होंने 21-6-1970 की रात्रि को रवीन्द्र रंगशाला में "फिल्म स्टार्स नाइट" समारोह का आयोजन किया था, क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : (क)

1967-68	शून्य

1968-69	एक
1969-70	एक
(30 जून, 1970 तक)	

(ख) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ग) 6 मई, 1968 को "फिल्म स्टार नाइट" के आयोजकों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420-406-120-ख के अन्तर्गत एक मुकदमा दर्ज किया गया था और वह न्यायालय में विचाराधीन है। श्री कैलाश मल्होत्रा को 21-6-1970 को "फिल्म स्टार नाइट" का आयोजन करने के सम्बन्ध में गिरफ्तार किया गया था। उसको जमानत पर रिहा कर दिया गया है और मामले की जाँच पड़ताल की जा रही है।

बेरोजगार तथा आंशिक रूप से रोजगार प्राप्त इंजीनियरों (बिहार) की संघर्ष समिति के अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत किया गया ज्ञापन

1824. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बेरोजगार तथा आंशिक रूप से रोजगार प्राप्त इंजीनियरों और ओवरसियरों, इंजीनियरिंग तथा डिप्लोमा छात्रों (बिहार) की संघर्ष समिति के अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें (1) रोजगार अथवा प्रशिक्षण अथवा सबको बेरोजगारी भत्ता देने, (2) इंजीनियरों तथा ओवरसियरों का एक पूल बनाने और बिहार से परीक्षा पास करने वालों के लिए बिहार की सभी फर्मों में 80 प्रतिशत पदों के आरक्षण करने की मांग की गई है :

(ख) क्या इंजीनियरी में डिग्री तथा डिप्लोमा प्राप्त व्यक्तियों ने पटना में मुख्य मन्त्री के निवास स्थान के सामने सत्याग्रह किया था जिसमें लगभग 500 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो मांगों तथा सत्याग्रह के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : (क) जी, हां, श्रीमान् ।

(ख) मुख्य मंत्री, बिहार के निवास पर 24 अप्रैल, 1970 से इंजीनियरों व डिप्लोमा-धारकों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन 9 मई को उठा लिया गया। इस दौरान 463 व्यक्ति गिरफ्तार किये और बाद में छोड़ दिये ।

(ग) ज्ञापन में मुख्यतया जो मामले उठाये गये हैं वे राज्य सरकार के विचार के लिए हैं। राज्य सरकार ने पहले ही अनेक ऐसे उपाय किये हैं जिनसे इंजीनियरों की बेरोजगारी की बेरोजगारी की समस्या कम हो। इसके अतिरिक्त इंजीनियरों की बेरोजगारी की समस्या पर ध्यान देने के लिए राज्य सरकार ने एक शासकीय समिति का गठन किया है। वह सरकार को इस समस्या को हल करने के संबंध में उपाय करने की सिफारिश करेगी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जो राज्य सरकार के विचाराधीन है।

केन्द्रीय सरकार ने इंजीनियरों को बेरोजगारी की समस्या पर विचार किया और मई 1968 में अनेक उपायों का सूत्रपात किया है जिससे इंजीनियरों के लिए अतिरिक्त स्थान बनाये जा सकें। ऐसे उपायों की एक सूची 26 जुलाई, 1968 में तारांकित प्रश्न संख्या 138 के उत्तर के साथ सभा पटल पर रखी गई थी। केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि इन उपायों को अविलम्ब लागू करें।

केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों द्वारा इस दिशा में जो कार्यवाही की गई उसका ब्यौरा 31 जुलाई, 1970 को लोक सभा में दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या 823 के उत्तर में दिया गया था।

इस प्रकार केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा इंजीनियरों में बेरोजगारी की समस्या को कम करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं फिर भी सरकार इस समस्या के हल के लिए आन्दोलनात्मक तरीकों का अनुमोदन नहीं करती है।

गोआ के सरकारी अस्पतालों के लिए दवा खरीदने में भ्रष्टाचार

1826. **श्री वि० कु० मोडक :** **श्री नम्बियार :**
श्री ज्योतिर्मय बसु : **श्री ई० के० नायनार :**
श्री चक्रपाणि :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोआ के स्वास्थ्य सेवा निदेशक ने सरकारी अस्पतालों के लिए दवायें खरीदने में भ्रष्टाचार किया है तथा लाखों रुपये की धंगलेबाजी की है ;

(ख) क्या उन्हें इस सम्बन्ध में गोआ के मुख्य मंत्री से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

गृह-कार्य मंत्रालय और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य-मन्त्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : (क) से (ग). गृह-मन्त्रालय को गोआ के मुख्य मंत्री का एक विस्तृत पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें डा०ए०सी० वागा, स्वास्थ्य सेवा निदेशक, गोआ पर पुनः आरोप लगाये गये हैं कि उनकी त्रुटियों एवं प्रशासनिक भूलों के फलस्वरूप बड़े पैमाने पर सरकारी धन का गबन हुआ है। उक्त अधिकारी को गोआ, दमन और दीव सरकार ने तब से निलम्बित कर दिया है और उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही शीघ्र प्रारम्भ किये जाने की सम्भावना है।

दिल्ली के स्कूलों में पुस्तकाध्यक्षों की (लाइब्रेरियन) की भर्ती

1827. **श्री रामचंद्र वीरप्पा :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली तथा नई दिल्ली के कितने उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में पुस्तकालय और पुस्तकाध्यक्ष नहीं हैं ;

(ख) इस वर्ष दिल्ली के स्कूलों में कितने पुस्तकाध्यक्षों की भर्ती की जाने की सम्भावना है ;

(ग) क्या प्रशिक्षित पुस्तकाध्यक्षों के अभाव में सरकार प्राधिकारियों को अप्रशिक्षित लोगों को भर्ती करने की अनुमति देगी ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का विचार अप्रशिक्षित लोगों के लिए क्या अर्हता और वेतन-मान निश्चित करने का है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) 21 ।

(ख) 21 ।

(ग) और (घ). दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि जहां तक उन्हें मालूम है रोजगार कार्यालय से बहुत बड़ी संख्या में प्रशिक्षित पुस्तकाध्यक्ष उपलब्ध हैं और इसलिए संभवतः प्रशासन को अप्रशिक्षित पुस्तकाध्यक्षों की भर्ती करने की आवश्यकता नहीं होगी ।

संसद्-सदस्य श्री काशी नाथ पाण्डेय पर आक्रमण

1828. **श्री मनुभाई पटेल** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह सूचना मिली है कि 16 मार्च, 1970 को इलाहाबाद में संसद्-सदस्य श्री काशी नाथ पाण्डेय की हत्या करने का प्रयत्न किया गया था ;

(ख) क्या किसी संगठन ने इस मामले की न्यायिक जांच कराने की मांग की है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार का निर्णय क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य-मंत्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : (क) उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार संसद्-सदस्य श्री काशी नाथ पाण्डेय और आई०एन०टी०यू०सी० के कुछ अन्य सदस्यों पर 16 मार्च, 1970 को बिना मान्यता के विरोधी संघों के सदस्यों द्वारा आक्रमण किया गया था और श्री पाण्डेय और अन्य व्यक्तियों को कुछ कुन्द हथियारों से चोटें आई । उन्हें पुलिस द्वारा बचाया गया और अस्पताल में उनका उपचार किया गया । भारतीय दंड संहिता की धाराओं 147/323/307 के अन्तर्गत एक मामला दर्ज किया गया और 14 व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया ।

(ख) लाजपत नगर, नई दिल्ली का प्यूपल सोसाइटी के कर्मचारियों ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अदालती जांच की मांग की है ।

(ग) उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि वे इस घटना की जांच करने के लिए किसी जांच आयोग की नियुक्ति करना आवश्यक नहीं समझते ।

एक शिक्षा उप-सलाहकार की वरीयता निर्धारित करना

1829. **श्री लखन लाल कपूर :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली उच्चन्यायालय द्वारा शिक्षा मन्त्रालय में एक उप-शिक्षा सलाहकार की नियुक्ति को रोक लिया गया है ;

(ख) क्या ऐसी बहुत सी नियुक्तियां हुई हैं जो उनके कई अधिकारियों की वरिष्ठता के विपरीत है ;

(ग) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है ; और

(घ) दिल्ली उच्च न्यायालय के इस निर्णय को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार उन मामलों का पुनरीक्षण करेगी जहां प्रभावित अधिकारियों के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया गया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी०के०आर०वी० राव) : (क) जी, हां ।

(ख) जी नहीं । ऐसी कोई नियुक्तियां नहीं हैं, जिनसे शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय के अधिकारियों की वरिष्ठता पर प्रभाव पड़े ।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठता ।

Distribution of Books by Soviet Embassy

1830. **Shri Meetha Lal Meena :** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Embassy of Soviet Union is distributing childrens' books to schools and other institutions after translating them into many languages ; and

(b) if so, whether Government have enquired into the matter and, if so, the results thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Youth Services (Shri A. K. Kisku) : (a) and (b). Enquiries made so far have not revealed any evidence that the Soviet Embassy in India is distributing free copies of children's book to schools and other institutions. Such books are however, available on sale through ADMARK, an advertising and marketing concern of Delhi which sells these books on behalf of the Soviet Trade Representation at Delhi. Soviet magazines and journals are being supplied free to some schools by the Soviet Embassy.

विदेशी मुद्रा की जालसाजी

1831. **श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने करोड़ों रुपये से भी अधिक की विदेशी मुद्रा की जालसाजी जिसमें दो बड़े व्यापारी भी शामिल हैं, का पता लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उसमें सम्मिलित व्यापारियों के नाम क्या हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में यदि कुछ अन्य व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया गया है तो उनके नाम क्या हैं ?

प्रधान मन्त्री, अणुशक्ति मन्त्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) हाल ही में केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने किसी बड़े व्यापारी के विदेशी मुद्रा के चोरी-छुपे भारी प्रचलन में अन्तर्ग्रस्त होने का कोई ताजा मामला दर्ज नहीं किया है ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

"चितरंजन" चलते-फिरते अस्पताल स्थापित करने का प्रस्ताव

1832. **श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नवम्बर, 1970 में देशबन्धु चितरंजन दास की जन्म शताब्दी के राष्ट्रीय स्तर पर समारोह के एक भाग के रूप में "चितरंजन मोबाइल हास्पिटल" नामक चलते फिरते अस्पताल स्थापित करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और उस पर कितना खर्च आयेगा ; और

(ग) उक्त प्रस्ताव को अंतिम रूप कब दिया जायेगा ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग). देशबन्धु सी०आर० दास की जन्म शताब्दी के अवसर पर जो 5 नवम्बर, 1970 को पड़ती है, को राष्ट्रीय उत्सव के एक भाग के रूप में, मनाने के लिए यह निर्णय किया गया है कि 16 राज्यों में से प्रत्येक में 'चितरंजन गश्ती अस्पताल" नाम से 50 पलंगों वाला एक-एक गश्ती अस्पताल स्थापित किया जाए तथा इन अस्पतालों को मेडिकल छात्रों के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना (एन० एस० सी०) कार्यक्रम के रूप में चलाया जाए ।

इन अस्पतालों के जरिये न केवल निरोगकारी औषधियों की व्यवस्था की जाएगी, बल्कि ये ग्रामीण क्षेत्रों में जन-स्वास्थ्य, व्यक्तिगत स्वच्छता तथा परिवार नियोजन कार्यक्रमों में भी सहायता करेंगे । इन अस्पतालों में 50 पलंगों में से 20 पलंग परिवार नियोजन के केसों के लिए सुरक्षित होंगे । इन अस्पतालों के अपने-अपने एक्सरे उपकरण और आपरेशन थियेटर होंगे तथा इन्हें पावर (शक्ति) जनरेटरों द्वारा दी जाएगी । प्रत्येक गश्ती अस्पताल को राज्य के किसी चुने हुए मेडिकल कालेज से संलग्न किया जाएगा । मेडिकल कालेज के विशेषज्ञ और प्राध्यापक बारी-बारी से गश्ती अस्पताल में सेवा करेंगे । एम०बी०बी०एस० के अन्तिम वर्ष के छात्र भी मेडिकल कालेज की शर्तों के अनुसार अपने-अपने एन०एस०सी० कार्यक्रमों के भाग के रूप में इन अस्पतालों में सेवा करेंगे ।

इन गश्ती अस्पतालों को स्थापित करने के लिए पूंजीगत खर्च, जो प्रति अस्पताल 3.10

लाख रुपये के हिसाब से 49.60 लाख रुपये आता है, शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय, भारत सरकार उठाएगी। सम्बन्धित राज्य सरकारों से निम्नलिखित खर्च उठाने की अपेक्षा की जाती है :—

(क) औषधियां सप्लाई करने तथा अन्य फुटकर खर्च के लिए आवर्ति खर्च।

(ख) तम्बुओं, पलंगों, गद्दों, फर्नीचर, परिवहन आदि की समय-समय पर मरम्मत और आपूर्ति के लिए खर्च।

(ग) गश्ती अस्पताल में सेवा के लिए समय-समय पर लगाए जाने वाले मेडिकल कर्मचारियों को यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता।

उन छात्रों को यात्रा का खर्च, जो इन गश्ती अस्पतालों में राष्ट्रीय सेवा करेंगे, इस मन्त्रालय की राष्ट्रीय सेवा योजना में निर्धारित वित्तीय प्रबन्धों के अनुसार भारत सरकार और सम्बंधित राज्य सरकारों द्वारा मिल कर उठाया जाएगा।

Raid by C.B.I. on Residence of Officers of U.P.

1833. **Shri Molahu Prashad :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 1103 on the 20th April, 1970 regarding raid on the residences of officers of U.P. by the Central Bureau of Investigation at Lucknow and state :

(a) the details of the enquiry ; and

(b) the action taken by Government thereon ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Home Affairs and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) Since investigation in the case is still continuing, it would not be desirable to disclose the details of the enquiry at this stage.

(b) The question of taking further action can be considered on completion of the investigation.

Search made in the House of a High Official of U.P. in Delhi

1834. **Shri Molahu Prashad :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to a letter appearing in the column "Letters to the Editor" of the Hindustan, a Hindi Daily dated the 22nd January, 1970 under the caption "Uchcha Adhikari Aur Bhrashtachar" ; and

(b) if so, the name, designation and address of the Officer in question and the action taken so far in this regard ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Home Affairs and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) Yes, Sir. Apparently the reference is to the searches conducted at Lucknow by the C.B.I. in January, 1970 of the residence, office and lockers of an official of the U.P. Government. No such search was conducted at Delhi by the CBI of any office of the U P. Government.

(b) Since investigation in the case is still continuing it would not be desirable to disclose the name of the official involved or other details of the case at this stage. The question of taking further action can be considered on completion of the investigation,

लाटरियां

1835. **श्री मृत्युंजय प्रसाद :**
श्री कंवर लाल गुप्त :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी लाटरी के अलावा गैर-सरकारी लाटरी भी चल रही हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) यदि गैर-सरकारी कोई लाटरी नहीं चलाई जा रही है तो क्या ऐसा कोई कानूनी प्रतिबंध लगाये जाने के कारण हैं और यदि हां, तो कानूनी प्रतिबन्ध लगाये जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) समता एवं समाजवाद पर आधारित समाज की पृष्ठ-भूमि को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति द्वारा प्राप्त पुरस्कार की राशि की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है या निर्धारित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि नहीं, तो वे कौन-कौन राज्य हैं जिन्होंने 5 लाख रुपयों से अधिक के पुरस्कार घोषित किये हैं और दिये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख). गैर-सरकारी व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा लाटरियाँ चलाने के लिए अधिकार देने में राज्य सरकारें सक्षम हैं और उचित अधिकार प्राप्त किये बिना इस प्रकार की लाटरियों का चलाना भारतीय दंड संहिता की धारा 294-क या राज्य कानूनों में अन्य इस प्रकार की व्यवस्था के अधीन यदि कोई है, गैर-कानूनी है ।

उत्तर प्रदेश, मैसूर, पंजाब, उड़ीसा, तमिल नाडु, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल की सरकारों को छोड़कर सभी राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार इस समय कोई नियमित रूप से गैर-सरकारी लाटरियां नहीं चलाई जा रही हैं । शेष राज्य सरकारों से सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है । गैर-सरकारी लाटरियों को या तो कभी-कभी अथवा नियमित आधार पर चलाने की अनुमति दी जाती है ।

(ग) इस समय पुरस्कार जो किसी व्यक्ति द्वारा जीता जा सकता है उसकी राशि की कोई अधिकतम सीमा नहीं है । यद्यपि अस्वास्थ्यकर प्रतियोगिता को दूर करने के उद्देश्य से कुछ राज्यों द्वारा यह सुझाव दिया गया है कि राज्यों को लाटरियों में पुरस्कार आदि के मामले में कोई एकरूपता अपनाई जानी चाहिये ।

(घ) राज्य सरकारों से अब तक प्राप्त सूचना बतलाने वाला विवरण सदन के सभा पटल पर रखा जाता है । शेष राज्यों के बारे में सूचना उनसे प्राप्त होने पर सदन के सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

विवरण

राज्य का नाम	क्या उन्होंने पांच लाख रुपयों से अधिक के पुरस्कार घोषित किये और दिये हैं ?
1. आसाम	नहीं।
2. बिहार	नहीं।
3. गुजरात	राज्य सरकार ने कोई राज्य लाटरी नहीं चलाई है।
4. हरियाणा	राज्य सरकार ने 17वें ड्रा में प्रथम पुरस्कार 5 लाख रुपयों से अधिक का घोषित किया था और इसे दिया जा चुका है।
5. जम्मू और काश्मीर	नहीं।
6. केरल	नहीं।
7. मध्य प्रदेश	नहीं।
8. महाराष्ट्र	नहीं।
9. नागालैंड	राज्य सरकार द्वारा कोई राज्य लाटरी नहीं चलाई जा रही है और तद्नुसार पांच लाख रुपयों से अधिक के पुरस्कार का प्रश्न ही नहीं उठता है।
10. राजस्थान	नहीं।
11. मेघालय	शून्य।

दिल्ली नगर निगम तथा दिल्ली प्रशासन को सहायता

1836. **श्री कंवर लाल गुप्त :**
श्री चन्द्र शेखर सिंह :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को दिल्ली नगर निगम तथा दिल्ली प्रशासन से पत्र मिले हैं जिनमें कहा गया है कि उनको विभिन्न योजनाओं के लिये राशि नहीं दी जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष में सरकार को प्राप्त हुए ऐसे पत्रों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) उन द्वारा पत्रों में उठाये गये प्रत्येक मामले पर कोई कार्यवाई न किये जाने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या यह भी सच है कि बिना किसी उचित कारण से सरकार उनको धन देने में विलम्ब कर रही है ; और

(ङ) इन प्राधिकारों को श्रावश्यक धनराशि शीघ्र देने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में श्रौर इलेक्ट्रोनिक्स श्रौर वैज्ञानिक तथा श्रौद्योगिक श्रनुसन्धान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) से (ङ). दिल्ली प्रशासन से अनेक योजनाश्रों के लिए धन की व्यवस्था करने श्रौर दिल्ली नगर निगम से धन देने के बारे में पत्र प्राप्त हुए हैं। दिल्ली प्रशासन की अतिरिक्त धन की व्यवस्था करने की प्रार्थना पर सरकार के विभिन्न विभागों में विचार किया जाता है। कुछ योजनाश्रों उदाहरणार्थ पुलिस कर्मचारियों के लिए रामाकृष्णापुरम, मोतीनगर श्रौर लाजपत नगर में श्रौषधालय खोलने सरकारी रोगात्मक प्रयोगशाला बनाने, बेरोजगारी बीमा योजना गोसदन की स्थापना समिश्रण खाद बनाने वाले संयन्त्र लगाने के लिये दिल्ली नगर निगम को सहायकादनदान, दिल्ली में ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्था स्थापित करने आदि, के बारे में सरकार का निर्णय दिल्ली प्रशासन को भेज दिया गया है योजनाओं के बारे में प्रशासन से स्पष्टीकरण श्रतिरिक्त सूचना मांगी गई है। प्रात हुए या जब प्रात होंगे विवरणों को ध्यान में रखते हुए इन मामलों पर कार्यवाही हो रही है/की जायेगी। दिल्ली प्रशासत को धन देने में विलम्ब करने का कोई प्रश्न ही नहीं होता क्योंकि दिल्ली प्रशासन का व्यय सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण में शामिल किया जाता है श्रौर प्रशासन प्रदत्त श्रधिकारों के श्रनुसार व्यय कर सकता है। जब कभी सुझाव मन्त्रालयों को भेजे जाते हैं तो उन पर शीघ्रता से कार्यवाही की जाती है और सरकार का निर्णय श्रनावश्यक विलम्ब से भेज दिया जाता है। दिल्ली नगर निगम (सामान्य विभाग) को योजना जन श्रनुदान की पहली किस्त श्रदा कर दी गई है। दूसरी किस्त यथा समय दी जायेगी।

बिलासपुर जिले में तीन हरिजनों की हत्या

1837. **श्री श्रीचंद गोयल : क्या गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश के बिलासपुर जिले में तीन हरिजनों की हत्या कर दी गई है ; श्रौर

(ख) यदि हां, तो निर्धन हरिजनों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) श्रौर (ख). राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

केरल में सीमा सुरक्षा बल

1838. **श्री मंगलाथुमाडम : क्या गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में सीमा सुरक्षा बल के कर्मचारियों की वर्तमान संख्या कितनी है ;

(ख) बल की वर्तमान संख्या को बढ़ाने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ; श्रौर

(ग) सीमा सुरक्षा बल में भर्ती होने वाले लोगों के प्रशिक्षण केन्द्रों के नाम क्या हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) केरल में सीमा सुरक्षा बल नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सीमा सुरक्षा बल अकादमी, टेकनपुर (ग्वालियर)। सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केन्द्र, हजारी बाग (बिहार)।

दरभंगा जिला (बिहार) में सौरठ गांव का पर्यटन स्थल के रूप में विकास

1839. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार दरभंगा जिला (बिहार) में सौरठ गांव का, जो मैथिल संस्कृत पंडितों का केन्द्र है, पर्यटन स्थल के रूप में विकास करने की योजना बना रही है ;

(ख) यदि हाँ तो कब ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग). साधनों के सीमित होने तथा अन्य प्राथमिकताओं के कारण, केन्द्रीय सरकार का सौरठ गांव का एक पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विश्वभारती विश्वविद्यालय में कार्यकारी परिषद् के गठन के संबंध में छात्र संघ का मत

1840. **डा० रानेन सेन** : **श्री क० हाल्दर** :
श्री क० मि० मधुकर : **श्री इन्द्रजीत गुप्त** :
श्री जि० मो० विश्वास :

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व भारती विश्वविद्यालय के छात्र संघ ने कार्यकारी परिषद् की रचना के सम्बन्ध में कोई मत व्यक्त किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). विश्वविद्यालय छात्र संघ ने प्रबन्धक परिषद् में तथा विश्वविद्यालय परिषद् में छात्र-प्रतिनिधित्व का सुझाव दिया था।

पश्चिम बंगाल में महिलाओं पर किये जा रहे अत्याचारों के संबंध में पश्चिम बंगाल महिला समिति द्वारा ज्ञापन

1841. **श्री गणेश घोष** : **श्रीमती सुशीला गोपालन** :
श्री ज्योतिर्मय बसु : **श्री सत्यनारायण सिंह** :

श्री मुहम्मद इस्माइल :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन के समय महिलाओं पर खासकर महिला कृषि-मजदूरों पर पुलिस तथा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस द्वारा किये गये अत्याचारों के सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल महिला समिति से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ;

(ख यदि हां, तो ज्ञापन के मुख्य मुद्दे क्या हैं ; और

(ग) ज्ञापन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : (क) से (ग). तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

पश्चिम दिनाजपुर में पाकिस्तानियों की घुसपैठ

1842. **श्री नारायणन :** **श्री मयावन :** **श्री दण्डपाणि :** **श्री नि० रं० लास्कर :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 14 जून 1970 को तीन पूर्वी पाकिस्तानी उपद्रवियों ने पश्चिम दिनाजपुर के कोटीगढ़ में, जो कि भारतीय क्षेत्र है, घुसपैठ की थी और 3000 रुपये के मूल्य की सम्पत्ति उठा कर ले गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो उस घटना का ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा समय सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

Extension of stay of Pak National in India

1843. **Shri Meetha Lal Meena :** Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) the number of Pak Nationals whose term of stay in India was extended during 1969-70, with reasons therefor ; and

(b) whether Government would lay on the table of the House a copy of the statements which are required to be appended to the applications of Pak Nationals who visit India for a short period and request for extension of their stay in West Bengal ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of State, Departments of Electronics and Scientific and Industrial Research (Shri K. C. Pant) : (a) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(b) There is no prescribed form for the purpose. While applying for extension of stay, a Pakistani national is expected to state his name, his address, the particulars of his passport and visa and to give, to the satisfaction of the authority concerned, the reasons for which extension is sought.

पुरूलिया में प्रधान मन्त्री का भाषण सुनने के लिए एकत्रित भीड़ पर लाठीचार्ज करना

1844. **श्री जि० मो० बिस्वास :**

श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 19 जून, 1970 को जब प्रधान मंत्री ने पुरूलिया (पश्चिम बंगाल) का दौरा किया था, उनका भाषण सुनने के लिए सर्किट हाउस के पास एकत्रित भीड़ पर, कोई उत्तेजनापूर्ण वातावरण के न रहने पर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस ने नृशंस रूप से लाठी प्रहार किया ; और

(ख) यदि हां, तो उस घटना के जिसका स्वयं प्रधान मंत्री साक्षी थीं, सही कारणों का पता लगाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) पश्चिम बंगाल की सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 19 जून 1970 को सर्किट हाउस, पुरूलिया के बाहर प्रधान मंत्री के पहुँचने से पहले बहुत बड़ी संख्या में जनता एकत्रित हो गई थी। भीड़ के एक भाग ने सर्किट हाउस के मैदान में बलपूर्वक जाने का हेतु प्रयत्न किया और ड्यूटी पर तैनात पुलिस ने इस प्रकार के प्रवेश को कम से कम शक्ति के प्रयोग से रोका। उन लोगों पर जो प्रधान मंत्री को सुनने के लिए एकत्रित हुये थे, न तो अकारण और ही नृशंस रूप से लाठी प्रहार किया गया था।

(ख) इस घटना के सम्बन्ध में दर्ज किये गये दो मामलों की विधिवत् जांच की जा रही है।

Indo-Yugoslavia Pact on Cultural Cooperation

1845. **Shri Ramavatar Sharma :** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a two-year agreement has been concluded between India and Yugoslavia to promote Cultural Cooperation between these two countries ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) the benefit likely to accrue to India as a result thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Youth Services (Shri A. K. Kisku) : (a) and (b). A Cultural Exchange Programme for the years 1970 and 1971 between India and Yugoslavia was concluded in Belgrade on July 1, 1970. The Programme stipulates exchanges in the fields of Science, Education, Art and Culture, Sports, Films, Radio and Television etc.

(c) The objects of this Programme are to strengthen friendly relations between the two countries ; to provide opportunities to Scientists, teachers, scholars, artists and sportsmen etc. to exchange ideas and experiences ; and to create better understanding of each other's culture. These benefits will accrue to both the sides.

संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में प्राथमिक शिक्षा के लिए धन राशि की कमी

1846. **श्री श्रीचंद गोयल :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चण्डीगढ़ प्रशासन चौथी योजना में कम धन राशि की व्यवस्था

के कारण नगर की बढ़ती जनसंख्या की प्राथमिक शिक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ है ;

(ख) चण्डीगढ़ प्रशासन को कितनी राशि की आवश्यकता है तथा उसके द्वारा कितनी राशि की मांग की गई है ; और

(ग) सरकार का कितनी राशि की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है तथा अन्तर को कैसे पूरा किया जायेगा ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (ग). चंडीगढ़ प्रशासन से अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

राजाराम मोहनराय का दिवशत वार्षिक उत्सव मनाया जाना

1847. **श्री मणि भाई जे० पटेल :**
श्री देविन्दर सिंह गार्चा :

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मन्त्री को 1972 में राजाराम मोहन राय के दिवशत वार्षिक उत्सव राष्ट्रीय स्तर पर बनाये जाने के लिए एक समिति के गठन करने के सम्बन्ध में सुझाव प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में सरकार क्या कदम उठा रही है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मत्री (श्री वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). जी हां इस मामले पर विचार किया जा रहा है ।

जम्मू और काश्मीर में पाकिस्तानी झंडा फहराना

1848. **श्री मनु भाई पटेल :**
श्री शिव नारायण :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जम्मू और काश्मीर के कई गांवों व शहरों में कई जगह अनेक पाकिस्तानी झंडे फहराते दिखाई देते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या वहां की सरकार ने वहां के लोगों को इन झंडों को फहराने की अनुमति दी है, यदि नहीं, तो इन झंडों के न उतारे जाने के क्या कारण हैं ?

प्रधान मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री, गृह-कार्य मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

जम्मू और कश्मीर में मकानों का जलाया जाना

1849. श्री मनु भाई पटेल : श्री शिव नारायण :
श्री मृत्युंजय प्रसाद : डा० राम सुभग सिंह :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जम्मू और काश्मीर राज्य में हाल में हजारों की संख्या में मक जलाये गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो घाटी तथा जम्मू में कितने-कितने मकान जलाये गए और कितने लोग बेघर हो गये ;

(ग) इस प्रकार विस्थापित हुए लोगों के पुनर्वास के लिए क्या कार्यक्रम बनाया गया है ; और

(घ) इस हिंसात्मक कार्य के लिए जिम्मेवार कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया ?

प्रधान मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री, गृह-कार्य मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख). जम्मू व कश्मीर सरकार ने सूचित किया है कि अप्रैल और जून, 1970 के बीच घाटी में अग्निकांड की 190 घटनाएं हुई। इन घटनाओं में 1,442 मकान, 442 कुठार और 172 गौशालाएं भस्म हो गई हैं तथा 5 जानें गई हैं 2193 परिवारों पर प्रभाव पड़ा है।

(ग) राज्य सरकार के 11 जून, 1970 के आदेश के उद्धरण निम्न विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

11 जून, 1970 के जम्मू व कश्मीर सरकार के आदेश संख्या 1549/जी० डी० से उद्धरण।

विषय :—घाटी के अग्निकाण्ड पीड़ितों के लिए राहत उपाय।

पहली अप्रैल, 1970 से 30 जून, 1970 तक कश्मीर घाटी के अग्निकाण्ड पीड़ितों को निम्नलिखित राहत देने को अनुमति दी गई है :—

1. **नकद राहत** जैसा कि नियमों के अधीन निर्धारित मान के अनुसार वित्त आयुक्त (राहत) और/अथवा सरकार के अधिकार में हो।
2. **खाद्यान्न :** अग्निकाण्ड पीड़ितों को अग्निकाण्ड की तिथि। (यों) से दो महीने की अवधि के लिए प्रति व्यक्ति प्रति महीने 8 कि० ग्रा० के हिसाब से निःशुल्क राशन (जिसमें 5 कि० ग्रा० गेहूं का आटा और 3 कि० ग्रा० चावल हो) दिया जायेगा। शेष महीनों के लिए अक्तूबर, 1970 तक जब नई फसल के तैयार होने की सम्भावना है, अग्नि पीड़ितों को उपरोक्त हिसाब से उचित दर की सरकारी दुकानों से भुगतान पर राशन दिया जायेगा। उन अग्नि पीड़ितों को, जिनमें राशन खरीदने का सामर्थ्य नहीं है, प्रार्थनापत्र देने पर इस प्रयोजन के लिए संबंधित डिस्ट्रिक्ट

कमीशनर द्वारा प्रति परिवार अधिक से अधिक 100-00 रुपये का ऋरण स्वीकार किया जायेगा ।

3. **लकड़ी** : अग्निकाण्ड पीड़ितों को नष्ट हुये हानि हुये प्रत्येक घर के लिए अधिक से अधिक 200 घन फीट लकड़ी (38 प्रतिशत कैल और 63 प्रतिशत देवदार) निःशुल्क दी जायेगी । वे 50 प्रतिशत मानक दर और वाहन लागत के भुगतान पर 200 घन फीट (50 प्रतिशत कैल और 50 प्रतिशत देवदार) लकड़ी के भी हकदार हैं ।

II. अग्निकाण्ड पीड़ितों के बड़े मकानों के मामले में पूरे मानक दर और वाहन लागत के नकद भुगतान पर 100 घन फीट अतिरिक्त लकड़ी (50 प्रतिशत कैल और 50 प्रतिशत देवदार) खरीदने का विकल्प है ।

III. उन अग्निकाण्ड पीड़ितों के मामले में, जो बन विभाग के छूट प्राप्त क्षेत्र में रहते हैं, उनको बन नियमों के अधीन लकड़ी दी जायगी ।

4. अग्निकाण्ड पीड़ितों को, नष्ट हुए । हानि पहुँचे रियायशी मकान के लिए वर्तमान छप्पर की छतों को बदलने के लिए जी० सी० चादरें खरीदने के लिए अधिक से अधिक 1000-00 रु० का अतिरिक्त ऋरण दिया जायेगा । संभरण विभाग संबंधित डी० सी० द्वारा अग्निकाण्ड पीड़ितों को 12 मन प्रति मकान जारी करने के लिए नियंत्रण दरों पर जी० सी० चादरों का प्रबन्ध करेगा । उचित इकरार कराने के बाद तथा केवल जी० सी० चादरें खरीदने के लिए धन का उपयोग करने का बन्धन लेने के बाद ही यह ऋरण संबंधित जिला कमीश्नरों द्वारा अग्निकाण्ड पीड़ित में वितरित किया जायेगा ।

5. खाद्यानों और जी० सी० चादरों को खरीद के लिए प्रदान की गई सहायता तकाबी ऋरण के रूप में समझी जायेगी जो अक्तूबर, 1971 से 5 बराबर किश्तों में वसूल किया जायेगा ।

(घ) राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं ।

सिलगुड़ी में कदमतला के समीप सीमा सुरक्षा दल द्वारा एक साधू का मारा जाना

1851. **श्री क० लकप्पा** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमा सुरक्षा दल के कछ जवानों ने नेपाल से आये एक साधू की सिलीगुड़ी में कदमतला के समीप स्थित सीमा सुरक्षा दल के शिविर में इतनी नृशंसता से पिटाई की कि जान से मर गया ;

(ख) यदि हां, तो इस घटना से संबंधित ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या इस मामले की जांच के लिए आदेश दे दिये गये हैं ?

गृह-कार्य मत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : (क) से (ग). इस दुर्घटना से संबंधित तथ्य को त्रित किए जा रहे हैं और यथा समय सभा पटल पर रखे जायेंगे ।

उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय में अनिर्णीत पड़े हुए मामलों के बारे में न्यायाधीशों की समिति द्वारा की गई सिफारिशें

1852. **श्री एस० एम० कृष्ण :**
डा० सुशीला नैयर :
श्री यमुना प्रसाद मण्डल :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित न्यायाधीश की समिति ने उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय में बाकी पड़े अनिर्णीत मामलों की समस्या की जांच कर ली है और क्या सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो समिति की सिफारिशें क्या है ; और

(ग) क्या रिपोर्ट की प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) और (ख). समिति केवल उच्च न्यायालय में बाकी पड़े अनिर्णीत मामलों की समस्या की जांच कर रही है। उसने अभी सरकार को अपनी रिपोर्ट नहीं दी है ।

(ग) समिति एक अनौपचारिक समिति है और उसकी सिफारिशें सरकार के लिए ऐसे उपचारीय उपाय करने के आशय की होगी जो व्यावहारिक हो सकते हैं । इस प्रश्न पर कि क्या रिपोर्ट को प्रकट करना चाहिए, सरकार को रिपोर्ट के प्राप्त होने पर विचार किया जायगा ।

सैनिक शासन के बारे में जनरल कुमार मंगलम का दृष्टिकोण

1853. **श्री एस० एम० कृष्ण :**
डा० सुशीला नैयर :
श्री यमुना प्रसाद मंडल :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 जून, 1970 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में छपे इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि सलेम रोटरी क्लब में भाषण देते समय भूतपूर्व सेनाध्यक्ष जनरल कुमारमंगलम ने यह कहा था कि "केवल जनता ही सैनिक-शासन ला सकती" है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जाने वाली है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय मे इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) और (ख). माननीय सदस्य महोदय द्वारा उल्लिखित 8 जून, 1970 को प्रकाशित हिन्दुस्तान टाइम्स के समाचार को सरकार ने देखा है। यद्यपि सरकार किसी भी रूप में नहीं चाहेगी कि भारतीय नागरिकों सेवा निवृत सरकारी कर्मचारियों

समेत राष्ट्रीय कानून को ध्यान में रखते हुए अपने विचार व्यक्त करने के अधिकार के प्रयोग को सीमित किया जाय परन्तु सरकार आशा करती है कि कुछ हद तक सरकारी उच्च अधिकारी जो सेवा निवृत हो गये हैं अपने भाषण अथवा लेख लिखने में निजी संयम से मार्ग दर्शन और प्रेरणा लेंगे । जनरल कुमार मंगलम द्वारा की गई अनिष्टकारी भविष्यवाणी वाला वक्तव्य ध्यान में लाया गया । ऐसे असत्य भाषण समझाने की आवश्यक राजनैतिक चेतना और व्यवहारिक ज्ञान भारतीय लोगों में है ।

अमरीकी शिक्षा प्रतिष्ठान द्वारा विचारगोष्ठी

1854. **श्री नम्बियार :**　　　　**श्री उमानाथ :**
श्री के० एम० अब्राहम :　　　　**श्री क० अनिरुद्धन :**
श्री सी० के० चक्रपाणि :

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान जून, 1970 में काश्मीर में अमरीकी शिक्षा प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित 'अमरीकी साहित्य के प्रति एशियाई प्रतिक्रिया' विषय पर हुई विचार-गोष्ठी की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि भारतीय पत्रकारों को इस में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी गई थी ;

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ;

(घ) इस विचार-गोष्ठी के उद्देश्य और प्रयोजन क्या थे ; और

(ङ) क्या यह भी सच है कि जासूसी एजेंसियों और अमरीकी गुप्तचर विभाग (सी० आई० डी०) की गतिविधियों पर आवरण डालने के लिए इस प्रकार की गोष्ठियां की जाती हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) संगोष्ठी का उद्देश्य अमेरीकी सहित्य के क्षेत्र में एशियाई विद्वानों को एकत्र करना था ताकि वे विषय के प्रति तथा एशियाई विद्यार्थियों की अमरीकी सहित्य पढ़ाने की समस्याओं पर विचारों का आदान प्रदान कर सकें ।

(ङ) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

त्रिवेंद्रम हवाई अड्डे पर हवाई पट्टी का विस्तार

1855. **श्री अदिचन :**　　　　**श्री जनार्दन :**
श्री वासुदेवन नायर :　　　　**श्री ईश्वर रेड्डी :**
श्री धीरेश्वर कलिता :　　　　**श्री पी० विश्वम्भरन :**

क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर हवाई पट्टी के विस्तार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस कार्य पर अनुमानित व्यय कितना होगा ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग). धावन-पथ की लम्बाई को बढ़ाने का प्रश्न विचाराधीन है।

गरूलिया (पश्चिम बंगाल) में भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) के कार्यालय पर आक्रमरण

1856. **श्री के० एम० अब्राहम :** **श्री भगवान दास :**
श्री ज्योतिर्मय बसु : **श्री मुहम्मद इस्माइल :**
श्री गणेश घोष :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल के 24 परगना जिले में गुरूलिया (नाम्रोपाड़ा थाने के क्षेत्र में) स्थित भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) के कार्यालय पर 5 जून, 1970 को बड़ी संख्या में उपद्रवियों ने आक्रमरण किया था ;

(ख) यदि हां, तो इस हमले में कुल कितने लोग मारे गये और घायल हुए ;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार ने अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये कोई ठोस कार्यवाही नहीं की है ; और

(घ) यदि हां, तो उनके विरुद्ध कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : (क) से (घ). तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

मोरमुगाव पत्तन का विकास

1857. **श्री ए० श्रीधरण :** **श्री जनार्दनन :**
श्री इसहाक सम्भली : **श्री ईश्वर रेड्डी :**
श्री धीरेश्वर कलिता : **श्री बि० नरसिम्हा राव :**
श्री चंद्रशेखर सिंह :

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान की राष्ट्रीय परिषद् ने गोवा का तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण करके इस बात पर बल दिया है कि मोरमुगाव पत्तन के विकास और आधुनिकीकरण की आवश्यकता है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) मारमोगाव पत्तन के विकास और आधुनिकीकरण की 28.64 करोड़ रुपये की

अनुमानित लागत की परियोजना मन्जूर हो गई है। इस परियोजना में एक खनिज धातु के ऐसे घाट की व्यवस्था पर विचार किया गया है जहां प्रारम्भ में 60000 डी० डब्लू० टी० के और अंत में 100000 डी० डब्लू० डी० के खनिज धातु वाहक आ जा सके और जिसमें मशीन द्वारा खनिज लौह लादने का संयंत्र हो। उसमें खनिज तेल घाट और मौजूदा घाटों के सुधार की व्यवस्था भी है। निकर्षण और भूमि उद्धहरण के लिए ठेका दे दिया गया है और कार्य जारी है। इंजीनियरी कार्यों और साज सामान के लिए अभिकरणों, विशिष्ठियों, निविदा कागजों, इत्यादि को तैयार करने का काम शुरू कर दिया गया है।

अदमान तथा निकोबार सरकार के कर्मचारियों के संघ का अभ्यावेदन

1858. **श्री ए० श्रीधरन :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्दमान तथा निकोबार सरकार कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों के केन्द्रीय सरकार को अपनी शिकायतों का एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था ;

(ख) यदि हां, तो उनकी शिकायतें क्या हैं ;

(ग) उनकी शिकायतों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग). एक विवरण सलंग्न है।

विवरण

क्र० सं०	मांग का स्वरूप	की गई कार्यवाही
1.	अण्डमान व निकोबार प्रशासन के सभी कर्मचारियों को, उनके भरती के स्थान का ध्यान किये बिना, विशेष भत्ता तथा नगर भत्ता स्वीकार करना।	इसकी परीक्षा की जा रही है।
2.	तृतीय वेतन आयोग द्वारा सरकारी कर्मचारियों के रहने की अवस्थाओं का व्यक्तिगत अध्ययन करने के लिए अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह के प्रत्येक भाग का दौरा।	यह भाग तृतीय वेतन आयोग को, जैसी कार्यवाही वे आवश्यक समझे, के लिये भेज दी गई है।
3.	अण्डमान व निकोबार प्रशासन के कर्मचारियों के लिए संयुक्त सलाहकार तंत्र स्थापित करना।	इसकी परीक्षा की जा रही है।

1	2	3
4.	भाड़े की दरों में 20 प्रतिशत की वृद्धि को वापिस लेना।	इस मामले पर अण्डमान व निकोबार प्रशासन द्वारा जहाजरानी तथा परिवहन मंत्रालय के साथ विचार किया जा रहा है।
5.	मुख्य भूमि के उन भर्ती किये गये व्यक्तियों को, जो 4 जून, 1969 से पहले किसी तारीख से सेवा में हैं और उन स्थानीय भर्ती किये गये व्यक्तियों को, जो 23 अप्रैल, 1970 से पहले किसी तारीख से सेवा में है, क्रमशः 4 जून, 1969 और 23 अप्रैल, 1970 से विशेष भत्ता में आने के लिए विकल्प देने की अनुमति।	इसकी परीक्षा की जा रही है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

नागरी प्रचारिणी सभा की दुर्लभ पाण्डुलिपियों का परिरक्षण

1859. **श्री नंद कुमार सोमानी :** **श्री घी० ना० देव :**
श्री कृ० मा० कौशिक : **श्री जे० मुहम्मद इमाम :**

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 3 मई, 1970 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर आकर्षित किया गया है, जिसमें यह कहा गया था कि काशी नागरी प्रचारिणी सभा की कुछ दुर्लभ पाण्डुलिपियां वाराणसी में बोरों में भरी पड़ी हैं ; और

(ख) क्या इन दुर्लभ पाडुलिपियों को बचाने के लिए भारत सरकार ने कोई कार्यवाही की है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी, हां।

(ख) नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी से यह सूचित करने का अनुरोध किया गया है कि इन पाण्डुलिपियों के परिरक्षण के लिए उसे किस सीमा तक और किस प्रकार की आवश्यकता है। उनके प्रस्तावों की प्रतीक्षा है।

भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी लेनिनवादी) के रेडियो ट्राँसमीटर का चालू होना

1860. **श्री न० कु० सोमानी :** **श्री रा० की० अमीन :**
श्री कृ० मा० कौशिक : **श्री जे० मुहम्मद इमाम :**
श्री घी० ना० देव :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 मई, 1970 के 'स्टेट्समैन' में छपे इस आशय के

समाचार की ओर दिलाया गया है कि भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी लेनिनवादी) का रेडियो ट्रांसमीटर शीघ्र ही चालू हो जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बारे में कोई रिपोर्ट मिली है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) सरकार ने 2 मई, 1970 को 'स्टेट्समैन' में प्रकाशित समाचार को देखा है जो कलकत्ता में निकाले गये पोस्टरों के सम्बन्ध में था जिसमें कहा गया था कि भारतीय साम्यवादी दल (एम-एल) का रेडियो ट्रांसमीटर 1 मई, 1970 से अपना काम शुरू कर देगा।

(ख) और (ग). ऐसा कोई ट्रांसमीटर ध्यान में नहीं आया है।

एयर इंडिया के लिए भारतीय वायुसेना के विमान-चालकों की सेवाओं का उपयोग करने संबंधी प्रस्ताव

1861. **श्री नंद कुमार सोमानी :**
श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उडड्यन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनका मंत्रालय एयर इन्डिया आदि में विमान चालकों की कमी को पूरा करने के लिए भारतीय वायुसेना के विमान चालकों की सेवाओं का उपयोग करने की योजना बना रहा है, जबकि देश में 200 घंटे की उड़ान का अनुभव रखने वाले लगभग 200 वाणिज्यिक विमान-चालक बेरोजगार हैं ;

(ख) यदि हां, तो भारतीय वायु सेना के बुलाये गये विमान चालकों की संख्या क्या है ; और

(ग) भारतीय वायु सेना पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) एयर इन्डिया की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए भारतीय सेना के अनुभवी पायलटों की सेवायें प्राप्त करने के प्रस्ताव की जांच की जा रही है। एयर इन्डिया के विमानों की जटिल (सोफिस्टीकेटेड) प्रकृति को दृष्टि में रखते हुए न्यूनतम मूल आवश्यकता यह है कि पायलट को 'मल्टी-इन्जन' एयरक्राफ्ट पर कमान्डर के रूप में कम से कम 500 घंटे का उड़ान अनुभव होना चाहिये।

(ख) एयर इन्डिया ने 1 अगस्त, 1970 तक 54 पायलटों को खपत कर लिया था।

(ग) इस व्यवस्था से भारतीय वायु सेना पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता, तथा भारतीय वायु सेना स्वयं भी अपने सेवा मुक्त विमान चालकों के पुनः स्थापित करने की अत्यधिक इच्छुक है।

पश्चिम बंगाल में पुलिस के साथ मुठभेड़ में नक्सलवादियों द्वारा 'वियतनाम मार्के के बमों का प्रयोग

1862. **श्री न० कु० सोमानी :**
श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल में इस समय नक्सलवादी पुलिस के साथ होने वाली अपनी मुठभेड़ों में कलकत्ते के समीप स्थित एक आयुध कारखाने में निर्मित ऐसे बम, जिन पर 'वियतनाम' अंकित है और गोला-बारूद का प्रयोग कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है।

गृह-कार्य मत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग में राज्यमन्त्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : (क) और (ख). तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

पर्यटकों से विदेशी मुद्रा की खरीद

1863. **श्री सु० कु० तापड़िया :**
श्री न० कु० सोमानी :

क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कई गिरोहों के सदस्य, तस्कर व्यापारी और उनके एजेन्ट भारत के विभिन्न पर्यटन-स्थली पर विदेशी पर्यटकों से संगठित रूप से लगभग 10 करोड़ रुपये के मूल्य की विदेशी मुद्रा खरीदते हैं ;

(ख) क्या पर्यटकों को मुद्रा-विनिमय के सम्बन्ध में जानकारी देने के लिए कुछ साधन विद्यमान हैं ;

(ग) क्या मुद्रा-विनिमय किसी भी बैंक से किया जा सकता है और इस सम्बन्ध में पर्यटकों को उसी पत्तन पर जानकारी दी जा सकती है जिससे वे भारत में प्रवेश करते हैं ; और

(घ) इस सम्बन्ध में पर्यटकों को अपेक्षित सभी सुविधायें देने और अधिक विदेशी मुद्रा कमाने के लिये क्या कार्यवाही करने पर विचार किया जा रहा है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) सरकार को इस बुराई का पता है। परन्तु, इस प्रकार से होने वाली विदेश मुद्रा की हानि की मात्रा का ठीक-ठीक अनुमान लगाना सम्भव नहीं है।

(ख) से (घ). विदेशी मुद्रा का विनिमय सभी अनुसूचित (शेड्यूल्ड) बैंकों में किया जा सकता है। बैंकों तथा प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तन करने वालों के माध्यम से विदेशी मुद्रा के विनिमय के सम्बन्ध में विमान क्षेत्रों तथा होटलों के कमरे में नोटिस लगाये हुए हैं। कुछ पर्यटन फोल्डरों में भी इस प्रकार की सूचना तथा परामर्श दिये गये हैं।

श्रीनगर में नक्सलपंथी गतिविधियों में वृद्धि

1864. श्री कृ० मा० कौशिक : श्री जी० वाई० कृष्णन् :
श्री नंद कुमारी सोमनी : श्री धी० ना० देव :
श्री एन० शिवप्पा : श्री रा० की० अमीन :
श्री बे० कृ० दास चौधरी : श्री जे० मुहम्मद इमाम :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री नगर घाटी में नक्सलपंथी गतिविधियों में अभी हाल में वृद्धि हुई है ;

(ख) क्या उन्होंने पिछले दिनों अनेक तोड़फोड़ के कार्य किये हैं ; और

(ग) क्या भारत सरकार को अपने गुप्तचर साधनों से कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है और इस सम्बन्ध में, अगर कोई कार्यवाही की गई हो, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीकृष्ण चंद पंत) : (क) आकस्मिक माओ-समर्थक इस्तिहार को छोड़कर श्री नगर घाटी में उग्रवादियों की गतिविधियों में बढ़ोतरी नहीं हुई है।

(ख) और (ग). जी, नही श्रीमान् ।

त्रिपुरा में नक्सलपंथी गतिविधियां

1865. **श्री किरित विक्रम देव बर्मन** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी हाल में त्रिपुरा में भी नक्सलपंथी गतिविधियों में वृद्धि हुई है और क्या त्रिपुरा में नक्सलपंथियों द्वारा कई व्यक्तियों की हत्या कर दी गई है ;

(ख) जनवरी, 1970 से सरकार के ध्यान में आने वाली नक्सलपंथी गतिविधियों का ब्यौरा क्या है और इस सिलसिले में त्रिपुरा में जिन व्यक्तियों की हत्या की गई अथवा जिन्हें घायल किया गया, उनकी संख्या क्या है ;

(ग) इस अभिशाप को समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) क्या पूर्वी पाकिस्तान के सीमा-पार क्षेत्रों से कार्य करने वाले मिजो-विद्रोहियों और नक्सलपंथियों और त्रिपुरा के नक्सलवादियों के बीच किसी साँठ-गांठ का पता चला है ; यदि हां, तो वे घटनायें किस प्रकार की हैं, जिनमें इस प्रकार की सांठगांठ होने का संकेत मिलता है अथवा जिनसे इसकी पुष्टि होती है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में (श्री कृष्ण चंद पंत) : (क) तथा (ख). अगर्तल्ला में हिंसा की कुछ घटनाओं, उग्रपंथी नारे लगाने और सड़क के साथ इमारतों और दीवारों पर ऐसे नारे लिखने के दृष्टान्त हुए हैं। त्रिपुरा प्रशासन से और सूचना प्राप्त की जा रही हैं।

(ग) त्रिपुरा प्रशासन उग्रपंथियों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखे हुए है और जहां कहीं आवश्यक होता है कानून के अनुसार कार्यवाही की जा रही है ;

(घ) उग्रपंथियों द्वारा विद्रोहियों के सम्पर्क स्थापित करने के लिए किये गए प्रयत्नों और पाकिस्तान द्वारा विद्रोहियों को दी जाने वाली सहायता का सरकार को पता है। सीमा के साथ कड़ी गश्त और विद्रोहियों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। 10 जुलाई, 1970 को भारत में पाकिस्तान उच्च आयुक्त को पाकिस्तान प्राधिकारियों द्वारा विद्रोही मिजो तत्वों को दी गई सहायता के विरुद्ध कड़ा विरोध पत्र भेजा गया। अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

Imparting of Education through Hindi Medium to Children of Tea Estate Arreas in West Bengal

1866. **Shri Meetha Lal Meena :** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that hundred per cent children in the Tea Estate areas of North Bengal are anxious to receive education through the Hindi Medium, but they are permitted to do so as a result of which most of them are deprived of education ;

(b) whether Government propose to impart education in the schools in the said areas through the medium of Hindi ;

(c) if so, from which date ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) to (d). This Ministry has no information that hundred per cent children in Tea Estate areas of North Bengal are anxious to receive education through the Hindi Medium. There are, however a number of Hindi medium and mixed schools (Bengali and Hindi medium) in Tea Estate areas of North Bengal to cater to the educational needs of the children of these areas. For example, in the Tea Estate areas of the Jalpaiguri district alone, there are 18 Hindi medium and 114 mixed schools (Bengali and Hindi medium). The question of the children of these areas being deprived of educational facilities, therefore, does not arise.

Development of Tourist Centres of International Importance

1867. **Shri Meetha Lal Meena :**
Shri Ram Avatar Sharma :

Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state the number of tourism centres of international importance proposed to be developed during the next five years and also the location of each of them ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : Besides improving facilities at the existing Tourist Centres, it is proposed, during the Fourth Plan period. to develop Gulmarg, Kovalam and Goa as resorts. The development of the Bodhgaya-Rajgir-Nalanda complex and the Ajanta-Ellora complex is also being undertaken.

केंद्रीय पुलिस संगठन के ढांचे का पुनगर्ठन

1868. **श्री रामावतार शास्त्री : श्री भोगेंद्र झा :**
श्री जनार्दन : श्री योगेंद्र शर्मा :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय पुलिस संगठन के ढांचे का पुनगर्ठन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या ब्यौरा है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चंद पंत) : (क) जी, नहीं श्रीमान्

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

सरकारी उपक्रमों के निगरानी कर्मचारियों द्वारा औद्योगिक सुरक्षा बल में सेवा के लिए अपनी सहमति देना

1869. **श्री रामावतार शास्त्री :** **श्री कं० हाल्दार :**
श्री इसहाक सम्भली : **श्री भोगेन्द्र झा :**
श्री सरजू पाण्डेय :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी उपक्रमों के बहुत कम निगरानी कर्मचारियों ने औद्योगिक सुरक्षा बल में सेवा के लिये अपनी सहमति दी है ;

(ख) क्या औद्योगिक सुरक्षा बल के वेतनमान सरकारी उपक्रमों के निगरानी कर्मचारियों के वेतनमानों की अपेक्षा कम है ;

(ग) क्या औद्योगिक सुरक्षा बल में निगरानी कर्मचारियों द्वारा शामिल होने में उत्साह न दिखाये जाने का यह प्रमुख कारण है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या औद्योगिक सुरक्षा बल के वेतनमानों में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में सेवा करने के लिए सरकारी उपक्रमों में वर्तमान निगरानी अथवा सुरक्षा कर्मचारियों की संख्या यूनिट-यूनिट पर निर्भर करती है और उसका प्रभाव बहुत अच्छे से कम अच्छे तक सीमित होता है ।

(ख) से (घ). कई सरकारी उपक्रमों में निगरानी या सुरक्षा कर्मचारियों का वेतन और भत्ते आमतौर पर उन व्यक्तियों से अधिक है जो केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के समकक्ष पदों पर प्राप्य हैं । फिर भी वर्तमान सुरक्षा या निगरानी कर्मचारियों के कुल वेतन को जिन्होंने स्वेच्छा से केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में प्रवेश करने का इरादा किया है, सुरक्षित रखा जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में प्रवेश करने के पश्चात् वेतन में कोई कमी नहीं हुई है । इसको ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के वेतनमानों को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन में भारत-सोवियत कार्यक्रम के लागू करने में विलम्ब

1870. श्री क० मि० मधुकर : श्री धीरेश्वर कलिता :
श्री रामावतार शास्त्री : श्रीमती शारदा मुकर्जी :
श्री सरजू पाण्डेय : श्री देविन्दर सिंह गार्चा :

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन सम्बन्धी भारत-रूस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में विलम्ब हुआ है।

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उक्त कार्यक्रम के क्रियान्वयन की गति तीव्र करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है।

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). यद्यपि कार्यक्रम के परिचालन में कोई विलम्ब नहीं हुआ है फिर भी सोवियत मानक पुस्तकों को प्रकाशित करने में मन्दता रही है। भारतीय विशेषज्ञों को मूल्यांकन के लिए सुलभ करने के वास्ते रूस पुस्तकों के अंग्रेजी अनुवादों का सीमित संख्या में होना, इसका मुख्य कारण है।

(ग) रूसी भाषा की जानकारी रखने वाले भारतीय विशेषज्ञों की नामिका बना ली गई है और रूसी भाषा में रूसी पुस्तकों के मूल्यांकन के लिए उनकी सहायता ली जाएगी।

Arrest of Naxalites in States

187. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Naxalites have been arrested in a large number in various States of the country ; if so, the number of the arrested Naxalites, State-wise ;

(b) whether it is also a fact that various State Governments do not consider them as political prisoners ; if so the reasons therefor ;

(c) whether it is further a fact that the Naxalite prisoners of Hazaribagh Central Jail in Bihar went on a hunger strike for their not having been declared as political prisoners ;

(d) if so, whether Government propose to consider them as political prisoners keeping in view their political aims ; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs, and Minister of State, Departments of Electronics and Scientific and Industrial Research (Shri K. C. Pant) : (a) A statement based on the information received from the State Governments is laid on the Table of the House.

STATEMENT

Name of the State	No. of extremists arrested
Andhra Pradesh	1641
Assam	388
Bihar	625
Kerala	163
Tamilnadu	44
Mabarashtra	15
Mysore	5
Orissa	237
Punjab	123
Rajasthan	3
West Bengal	2291

Information from the Governments of Uttar Pradesh and Jammu and Kashmir is awaited. The State Governments of Gujarat, Haryana Madhya Pradesh and Nagaland have furnished nil information.

(b) to (e). Facts are being ascertained from the State Governments.

कांडला पत्तन न्यास द्वारा श्री वी० टी० अबीचंदानी के विरुद्ध मुकदमा दायर किया जाना

1872. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कांडला पत्तन न्यास ने श्री वी० टी० अबीचन्दानी के विरुद्ध मानहानि का दावा करने के लिये 3000 रुपये की मंजूरी दी है ;

(ख) यदि हां, तो यह राशि कब मंजूर की गई थी ;

(ग) यह राशि किन परिस्थितियों में मंजूर की गई थी ;

(घ) क्या श्री अबीचन्दानी के विरुद्ध मुकदमा दायर किया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो किस तारीख को दावा दायर किया गया था ?

नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (ङ). प्रश्न नहीं उठते ।

कलकत्ता पत्तन न्यास के अध्यक्ष द्वारा यात्रा भत्ते का दावा करना

1873. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कांडला पत्तन न्यास के अध्यक्ष ने यात्रा किये बिना ही यात्रा भत्ते का दावा किया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि हालांकि उन्हें इण्डियन एयरलाइंस का सम्मानार्थ टिकट प्राप्त हुआ था फिर भी उन्होंने बाद में पत्तन न्यास से धनराशि की मांग की थी ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उक्त अध्यक्ष ने ऐसा झूठा दावा करने का खण्डन किया था ;

(घ) क्या उन्होंने अब यह स्वीकार कर लिया है कि उन्होंने झूठे बहाने से धन प्राप्त किया था ; और

(ङ) यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख). जी, नहीं।

(ग) से (ङ). प्रश्न नहीं उठते।

कांडला पत्तन न्यास के अध्यक्ष के विरुद्ध शिकायत

1874. **श्री जार्ज फरनेण्डीज** : क्या नौवहन तथा परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें कांडला पत्तन न्यास के विरुद्ध गांधीधाम कच्छ के कई नागरिकों से शिकायतें मिलती रही है ;

(ख) शिकायतों का व्यौरा क्या है ;

(ग) इन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) अध्यक्ष के विरुद्ध विभिन्न शिकायतों के कारण क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) कांडला पत्तन न्यास के अध्यक्ष के विरुद्ध कांडला से कुछ शिकायतें प्राप्त हुई है ।

(ख) शिकायतों में सामान्य रूप से अकुशलता तथा प्रशासनिक अनियमिताओं का आरोप लगाया गया है ।

(ग) बहुत से मामलों में शिकायत अस्पष्ट है । ऐसी शिकायतें जिनकी जांच पड़ताल हो सकती थी उनकी जाँच कर ली गई है और अप्रमाणीय पायी गई ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम में साम्प्रदायिक और संकीर्णता के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच

1875. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कोयला संगठन कर्मचारी संघ, रांची ने 22 जून, 1970 को गृह सचिव को लिखा है कि कुछ निहित स्वार्थ वाले व्यक्ति राष्ट्रीय कोयला-विकास निगम में साम्प्रदायिकता और संकीर्णतः भड़काने का प्रयत्न कर रहे हैं जिसकी केन्द्रीय जांच ब्यूरो अथवा किसी अन्य उच्च शक्ति प्राप्त व्यक्ति द्वारा जांच करवाई जाये ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले की जांच करवाने के लिए कोई कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). पत्र में उल्लिखित विशिष्ठ बातों का निरीक्षण खान तथा धातु विभाग द्वारा किया जा रहा है ।

Central Organisation for Protection against All Natural Calamities

1876. **Shri Chandrika Prasad :**
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Sharda Nand :
Shri Ram Sewak Yadav :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Bharat Singh Chauhan :
Shri Bansh Narain Singh :

Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government are constituting a Central organisatian for protection against all natural calamities ; and

(b) if so, the outlines of the scheme and the time by which it is likely to be implemented ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) and (b). Executive responsibility for relief and rehabilitation is primarily that of the States. The role of the Central Government is to provide advisory assistance and organise such relief services and supplies as can be arranged only by the Government of India. For this purpose, a proposal to set up a Committee consisting of the Director General of Civil Defence and experts drawn from the Ministries/Department of Home Affairs, Food and Agriculture, Finance, Irrigation and Power, Railways, Social Welfare, Transport and Communications and from the Planning Commission, is under the consideration of Government.

The Ministry of Irrigation and Power have also constituted a Distress Mitigation Committee under the chairmanship of the Director General of Observatories, India Meteorological Department. The terms of reference of this Committee are to examine various measures to mitigate human suffering and to reduce loss of life and property in the event of cyclones.

एयर इंडिया से यात्रा करने वाले यात्रियों को दिया जाने वाला आमिष भोजन

1877. **श्री राम किशन गुप्त : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इन्डिया के विमानों से यात्रा करने वाले आमिष भोजन करने वाले यात्रियों को किस प्रकार का आमिष भोजन दिया जाता है और उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ख) क्या यह सच है कि आमिष भोजन में गाय का मांस भी सम्मिलित होता है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) एयर इंडिया की उड़ानों पर दिये जाने वाले मांसाहारी भोजनों में कई प्रकार से तैयार किये गये मांस तथा मछली इत्यादि का विकल्प रहता है ।

(ख) मांसाहारी भोजनों में विकल्प के तौर पर गाय के मांस की डिशें भी सम्मिलित होती है, परन्तु यात्री के लिए हमेशा यह संभव होता है कि वह अपनी पसंद के अन्य प्रकार के मांस का भोजन चुन सकता है। भारत से चलने वाली अथवा भारत के अन्दर ही परिचालित होने वाली उड़ानों पर न भारत से गाय का मांस लिया ही जाता है और न भारत में वह परोसा ही जाता है। शाकाहारी भोजन नियमपूर्वक सब उड़ानों पर परोसा जाता है।

दार्जिलिंग में रहने वाले नेपाली छात्रों द्वारा नेपाली भाषा में प्रश्नों के उत्तर देने की मांग

1978. **श्री गणेश घोष :** **श्री मुहम्मद इस्माइल :**
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दार्जिलिंग में नेपाली छात्रों द्वारा आनर्स प्रश्न पत्रों को छोड़, चयन विषयों के प्रश्नों के तथा स्नातकोत्तर परीक्षाओं में उत्तर नेपाली भाषा में देने की मांग को लेकर किये गये आन्दोलन की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) क्या दार्जिलिंग के सहकारी कालेज छात्र संघ के एक दस-सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने इस बारे में 9 जून, 1970 को दार्जिलिंग के उपायुक्त से भेंट की थी ; और

(ग) यदि हां, तो इस न्याय-संगत मांग को पूरा करने में क्या कठिनाइयां आड़े आ रही हैं जिसके लिए नेपाली छात्र आन्दोलन कर रहे हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (ख). राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

एयर इंडिया द्वारा विदेशियों को विमान चालकों और ग्राउण्ड इंजीनियरों के रूप में नियुक्त करना

1879. **श्री राम किशन गुप्त :**
श्री जी० ना० हजारिका :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एयर इंडिया ने विदेशियों (गैर भारतीय राष्ट्रिकों) को विमान चालकों और ग्राउण्ड इंजीनियरों के रूप में नियुक्त किया है और उनका मुख्यालय भारत में रखा है ;

(ख) यदि हां, तो एयर इंडिया में कैप्टन एच० एल० असरफा और कैप्टन के० डी० मेनन कब से काम कर रहे हैं और उनकी राष्ट्रीयता क्या-क्या है ;

(ग) क्या उन्हें भारत से बाहर बोइंग विमान के प्रशिक्षण के लिए चुना गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार के प्रशिक्षण पर अनुमानतः कितना व्यय होगा और

प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद उनकी सेवाएं एयर इंडिया को कितनी अवधि तक उपलब्ध होंगी ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) भारत में एयर इण्डिया की सेवा में कोई भी विमान-चालक गैर-भारतीय राष्ट्रिक नहीं है । परन्तु उनकी सेवा में श्रीलंका का एक राष्ट्रिक ग्राउण्ड इंजीनियर (ए० एम० ई०) के रूप मे सान्ताक्रूज, बम्बई में नियुक्त है ।

(ख) श्रीलंका राष्ट्रिक कैप्टन एच० एल० असरप्पा तथा मलेशिया राष्ट्रिक कैप्टन के० डी० मेनन इण्डियन एयरलाइंस में कारपोरेशन के प्रारम्भ से ही काम कर रहे हैं क्योंकि वे घटक एयरलाइनों के कर्मचारी थे ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

मध्य प्रदेश में माना स्थित पूर्व पाकिस्तान शरणार्थी शिविर से हथियारों का पकड़ा जाना

1880. **श्री क० मि० मधुकर :** **श्री जगेश्वर यादव :**
श्री कं० हाल्दर : **श्री चंद्र शेखर सिंह :**

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश में माना स्थित पूर्व पाकिस्तानी शरणार्थी शिविर से हथियारों के पकड़े जाने की कथित घटना की कोई जांच की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : (क) और (ख). मध्य प्रदेश सरकार ने सूचना दी है कि राज्य पुलिस ने इस मामले में अभी तक जांच-पड़ताल पूरी नहीं की है ।

कलकत्ता स्थित भारतीय संग्रहालय का बन्द होना

1881. **श्री क० मि० मधुकर :** **श्री चंद्र शेखर सिंह :**
श्री कं० हाल्दर : **श्री ज० अहमद :**
श्री जि० मो० विश्वास :

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के साथ हुए विवाद के कारण कलकत्ता स्थित भारतीय संग्रहालय (इण्डियन म्युजियम) एक महीने तक बन्द रहा ;

(ख) यदि हां, तो विवाद किस प्रकार का था ;

(ग) उक्त विवाद किस प्रकार तय किया गया था ; और

(घ) संग्रहालय की कार्य-पद्धति में सुधार के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : भारतीय संग्रहालय कलकत्ता की विधियों की चतुर्थ श्रेणी का पहरा और निगरानी कर्मचारियों ने, 29 मई, 1970 की दोपहर से 22 जून, 1970 तक बन्द रखा था।

(ख) आरोप यह था कि एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पर आक्रमण किया गया था।

(ख) संबंधित कर्मचारियों ने 23 जून, 1970 से बिना शर्त के बन्द वापिस ले लिया था।

(घ) न्यासधारी बोर्ड का विचार चतुर्थ श्रेणी के पहरा और निगरानी कर्मचारियों के तथाकथित अरोप और अन्य आरोपों की जांच कराने तथा उनके उपाय सुझाने के लिए, उच्चन्यायालय के किसी सेवानिवृत्ति अथवा सेवा में लगे न्यायाधीश की नियुक्ति कराने का है ताकि भविष्य में सुचारू रूप से और बिना बाधा के चल सकें।

Military Training Imparted to C.P.I.(M) Leaders in Chandigarh

1882. **Shri Jagannath Rao Joshi :**
Shri Sharda Nand :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Om Prakash Tyagi :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Yashwant Singh Kushwah :
Shri Bharat Singh Chauhan :
Shri Ram Gopal Shalwale :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Chief Minister of Tamil Nadu had stated in the State Legislative Assembly on the 23rd January, 1970 that some leaders of the Communist Party of India (Marxist) are undergoing military-type training in Chandigarh ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto and the action taken in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of State, Departments of Electronics and Scientific and Industrial Research (Shri K. C. Pant) : (a) According to information received from the Government of Tamil Nadu, Chief Minister of Tamil Nadu, in his statement in the State Legislative Assembly on 23rd January. 1970 made a reference to a training camp at Chandigarh attended by some volunteers of the Communist Party of India from different parts of the country. There was no reference to the Communist Party of India (Marxist).

(b) While there can be no objection to any political party having its own volunteers for legitimate purposes, the Government view with deep concern the activities of any volunteer organisation which lead to a sense of insecurity or disharmony or lawlessness. Such activities are kept under careful watch.

The activities of persons having in their possession any arms and ammunition with intent to use the same for any unlawful purpose, whether such unlawful purpose has been carried into effect or not, can be dealt with under Section 27 of the Arm Act, 1959.

Prosecution of Central Government Employees in Madhya Pradesh for Participation in September, 1968 Strike

1883. **Shri Jagannath Rao Joshi :**
Shri Sharda Nand :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) the total number of Central Government employees in Madhya Pradesh being prosecuted at present for taking part in the strikes of September, 1968 ;

(b) whether it is a fact that a large number of Central Government em loyees in Madhya Pradesh are still being prosecuted even after the issue of the Circular by the Central Government for withdrawal of cases ; and

(c) if so, the number thereof and the action proposed to be taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) According to the report received from the Government of Madhya Pradesh, 307 Central Government employees were being prosecuted as on 31st January, 1970 for taking part in the strike of September, 1968.

(b) No Circular has been issued by the Central Government for withdrawal of cases generally. However the State Governments have been advised to scrutinise the pending prosecution cases with a view to taking steps for the termination of the proceedings according to law in cases where there is not sufficient evidence.

(c) In view of the reply to part (b) above, the question does not arise.

Arrest of Pakistani and Chinese Spies in West Bengal

1884. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Sharda Nand :
Shri Bansh Narain Singh :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some Pakistani and Chinese spies were arrested while they were intruding into the Indian territory in West Bengal in June, 1970 ; and

(b) if so, their number and the action taken by Government against them ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of State, Department of Electronics and Scientific and Industrial Research (Shri K. C. Pant) : (a) and (b). The State Government has reported that two Chinese nationals, who were registered at Calcutta, one Pakistani national, who was returning to East Pakistan, and an Indian national were arrested on 9.6.70 while crossing to East Pakistan through Hasnabad Ghat, 24-Parganas, as they had no valid travel documents. All of them are standing trial under sections 13/14 of the Foreigners Act.

Recovery of Bombs, Arms and Ammunition during Communal Riots

1885. **Shri Jagannath Rao Joshi :**
Shri Sharda Nand :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Om Prakash Tyagi :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Yashwant Singh Kushwah :
Shri Bharat Singh :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Deorao Patil :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state the number of houses from where the Police recovered bombs, arms and ammunitions during the communal riots in Bhiwandi, Ahmedabad, Chaibasa and Jagdalpur, separately, and the names and number of persons arrested in this connection from each of these places ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy) : Facts are being ascertained from the State Governments concerned.

Expenditure on Pay, Allowances and Pension of Union Ministers and Rulers of Former Indian States

1886. **Shri Jagannath Rao Joshi :**
Shri Sharda Nand :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Om Prakash Tyagi :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Yashwant Singh Kushwah :
Shri Bharat Singh Chauhan :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Abdul Ghani Dar :
Shri Ram Avtar Sharma :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the total number of Cabinet Ministers, Ministers of State and Deputy Ministers as also the number of Rulers of former Indian States at present ; and

(b) the expenditure incurred on them in respect of their pay, pension, allowances and under other heads, separately, during the last three years, year-wise ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy) : (a) The number of Cabinet Ministers, Ministers of State and Deputy Ministers is 55 and that of Rulers of former Indian States is 278.

(b) Two statement containing the information are attached.

Statement I

Expenditure on Salary, Allowances etc. of Cabinet Ministers, Ministers of State and Deputy Ministers during the Years 1967-68, 1968-69 and 1969-70

Head	Amount of Expenditure Incurred during		
	1967-68	1968-69	1969-70 (Revised Estimates)
	Rs.	Rs.	Rs.
Salary	12,40,481	12,98,161	13,98,800
Sumptuary and other Allowances.	1,16,747	99,064	1,17,200
Tour Expenses etc.	10,62,069	18,08,301	16,03,000
Maintenance of Government Accommodation.	10,41,194	11,74,381	11,47,399
Total :	34,60,491	43,79,907	42,66,399

Note : Cabinet Ministers, Ministers of State and Deputy Ministers are not entitled to pension.

Statement II

Expenditure Incurred on Rulers of Former Indian States during the Years 1967-68, 1968-69 and 1969-70

Head	Amount of Expenditure Incurred during		
	1967-68	1968-69	1969-70 (Revised Estimates)
	Rs.	Rs.	Rs.
Privy Purses	4,79,77,283	4,78,18,412	4,79,28,000
*Allowances	1,57,132	1,49,153	1,82,000
Total :	4,81,34,415	4,79,67,565	4,81,10,000

*Given to the members of the family of Rulers where no successor has been recognised on death of last holder.

Mayor-in-Council Bill

1887. **Shri Sharda Nand :** **Shri Hukam Chand Kachwai :** **Shri Jagannath Rao Joshi :** **Shri Bharat Singh Chauhan :** **Shri Onkar Lal Berwa :**

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Mayor-in-Council Bill has been pending before Government since long ;

(b) whether it is also a fact that the Chief Executive Councillor of Delhi has requested Government to expedite the said Bill ; and

(c) if so, the reaction of Government thereto and the action proposed to be taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of State, Departments of Electronics and Scientific and Industrial Research (Shri K. C. Pant) : (a) and (b). Yes, Sir.

(c) Mayor-in-Council Bill is linked with the recommendations of the Administrative Reforms Commission which are still under the consideration of the Government of India.

भारतीय दंड संहिता में संशोधन करने का प्रस्ताव

1888. **श्री शारदा नन्द :** **श्री ओंकार सिंह :** **श्री देवेन सेन :** **श्री नि० रं० लास्कर :** **श्री स० मो० बनर्जी :** **श्री दंडपाणि :** **श्री रामावतार शर्मा :** **श्री नारायणन :** **श्री कंवर लाल गुप्त :**

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार भारतीय दंड संहिता में संशोधन करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और संशोधन करने के कारण क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख). भारतीय दण्ड संहिता विधि आयोग के विचाराधीन है जिसकी रिपोर्ट अभी आनी है ।

भारतीय रियासतों के भूतपूर्व शासकों की नीजि थैलियों को समाप्त करना

1889. **श्री शारदा नन्द :** **श्री कंवर लाल गुप्त :** **श्री रामावतार शर्मा :** **श्री ओंकार सिंह :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार भारतीय रियासतों के भूतपूर्व शासकों को उनकी नीजि थैलियां बन्द करने के बाद अधिक मुआवजा देना चाहती है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार का इस पर भूतपूर्व शासकों से आगे बातचीत करने का विचार है ;

(घ) क्या यह सच है कि उन्होंने सरकार से अपना मामला उच्चतम न्यायलय को सौंपने के लिए अनुरोध किया है ताकि उच्चतम न्यायालय इस मामले पर अपनी यह राय दे सके कि सरकार की उनके मामले में की जाने वाली कार्यवाही सवैंधानिक है अथवा नहीं ; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने यह मामला उच्चतम न्यायालय को उनकी राय जानने के लिए क्यों नहीं भेजा है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : (क) और (ख). निजी थैलियों और विशेषाधिकारों को समाप्ति पर सरकार का विचार शासकों को संक्रमण-कालीन भत्ता देने का है जिसके ब्यौरों को अंतिम रूप दिया जा रहा है ।

(ग) सरकार शासकों के साथ संक्रमणकालीन प्रबंधकों के बारे में समझौते का स्वागत करेगी ।

(घ) और (ङ). इस सम्बंध में प्राप्त अभ्यावेदनों की जांच की गई थी और सरकार का विचार है कि उच्चतम न्यायालय की राय जानना आवश्यक नहीं है ।

Mizos, Kuki and Naga Rebels Fled to Pakistan

1890. **Shri Sharda Nand : Shri Bharat Singh Chauhan :**
Shri Hukam Chand Kachwai : Shri Bansh Narain Singh :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the news item published in the Vir Arjun dated the 27th May, 1970 that about 1,500 Mizo, Kuki and Naga rebels fled to Pakistan in the month of May, 1970 ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto and the action proposed by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of State, Departments of Electronics and Scientific and Industrial Research (Shri K. C. Pant) : (a) and (b). Government have seen the press report. There is no information of any such movement of hostile tribal elements to East Pakistan during recents months. Security Forces continue to be alert and vigilant to intercept illict passage across the border.

प्रशासन सुधार आयोग को समाप्त किया जाना

1891. **श्री बाबूराव पटेल : श्री सीताराम केसरी :**
श्री मृत्युंजय प्रसाद : श्री हिम्मतसिंहका :
श्री एस० एम० कृष्ण :

क्या **गृह-कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने प्रशासन सुधार आयोग को अकस्मात समाप्त कर दिया जबकि आयोग को अभी प्रतिरक्षा, पुलिस प्रशासन इत्यादि के सम्बंध में तीन बड़ी और तीन छोटी रिपोर्टें तैयार करनी थीं ;

(ख) यदि हां, तो इस आयोग को इतनी शीघ्रता से समाप्त किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) प्रशासन सुधार आयोग के अध्यक्ष ने अपने पत्रकार सम्मेलन से जिनमें 45 पत्रकार उप स्थित थे 1 जुलाई, 1970 को जारी किये गये श्री हरि विष्णु कापत के 3000 शब्दों की विमाति टिप्पणी को, जो प्रतिवेदन के साथ लगा है क्यों नहीं बताया था ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख). प्रशासन सुधार आयोग को ससाप्त करने का निर्णय अध्यक्ष के परामर्श से और संसद में अभिव्यक्त विचारों को ध्यान में रखने के बाद गत अप्रैल में लिया था। यह 29 अप्रैल, 1970 को राज्य सभा के प्रश्न के उत्तर में घोषित किया गया था। आयोग उस समय तक चार वर्ष से ऊपर कार्य कर चुका था और इसने एक को छोड़ कर जिसके बारे इसने रिपोर्ट तैयार न करने का निश्चय किया था, उन सभी मदों पर रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जो इसके निर्देश काल में विशेष रूप से उल्लिखित थीं। कुछ क्षेत्रों पर कुछ अध्ययन दल। कार्यकारी दल की रिपोर्ट, जोकि निर्देश काल में विशेष रूप से उल्लिखित नहीं था, आयोग द्वारा समाप्त नहीं की गई थीं। यह सम्भावना आयोग को समाप्त करने के लिये निर्णय लेते समय व्यक्त की गई थी।

(ग) 1 जुलाई, 1970 को अध्यक्ष ने अपने पत्रकार सम्मेलन में वैज्ञानिक विभागों पर प्रशासन सुधार आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों का केवल सारांश दिया था क्योंकि उस समय तक केवल यही सरकार को भेजी गई थी।

केरल में आदीमपुर और कुकनेचेरी में महात्मा गांधी की मूर्तियों का तोड़ा जाना

1892. **श्री राम चरण** : **श्री शिव चरण लाल** :
श्री शिव कुमार शास्त्री : **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री** :
श्री गोपाल साबू :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि साम्यवादियों (मार्क्सवादी) ने हाल ही में केरल में अदीमपुर और कुकनेचेरी में महात्मा गांधी की दो मूर्तियों को टुकड़े टुकड़े कर दिया था और टूटी हुई मूर्तियों के सामने लाल झण्डे फहराए थे और माओ-त्से-तुंग समर्थक इश्तहार लगा दिये थे ?

(ख) यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) सरकार का क्या ठोस कार्यवाही करने का विचार है जिससे इस प्रकार की घटनाएं दुबारा न हों ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : (क) कुछ बदमाशों ने 19 जून, 1970 की रात्रि में आदीमपुर और कुकनेचेरी पंचायतों में स्थित महात्मा गांधी जी की मूर्तियों को क्षति पहुँचाई। घटना स्थल से एक लाल झंडा और कुछ माओ साहित्य बरामद किया गया।

(ख) इन दोनों घटनाओं में किये गए अपराधों को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 427/447 के अंतर्गत दर्ज किया गया है और छानबीन जारी है।

(ग) क्षतिग्रस्त क्षेत्रों में सतर्क रात्रि-गश्त का प्रबन्ध कर दिया गया है ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

अलीगढ़ और बनारस विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों पर प्रति व्यक्ति व्यय

1893. **श्री राम चरण :** **श्री बलराज मधोक :**
श्री शिव कुमार शास्त्री : **श्री यज्ञदत्त शर्मा :**
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में क्रमशः विद्यार्थियों और अध्यापकों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) गत तीन वर्षों में उपर्युक्त दो विश्वविद्यालयों को अलग-अलग, केन्द्रीय सरकार की ओर से कुल कितनी राशि का अनुदान दिया गया है ;

(ग) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय तथा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में क्रमशः प्रति विद्यार्थी कितना खर्च है ; और

(घ) केन्द्रीय सरकार के अनुदान और प्रति व्यक्ति खर्च के सम्बंध में यदि कोई भेदभाव किया जाता है तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और विवरण यथासमय सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

Shipyards and Workshops Engaged in Shipbuilding and Ship Repairs Work

1894. **Shri Mrityunjay Prasad :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) the names of the Shipyards and Workshops engaged in shipbuilding and ship repairs together with the location thereof ;

(b) the annual capacity of these Shipyards and Workshops for manufacturing various types of big and small ships required for shipping services and for defence purposes, and the actual production therefrom, separately, during the last three years ;

(c) whether some ships have been sold to other countries and, if so, the value and number of the ships sold, country-wise ;

(d) the number of ships at present under production in the various Shipyards and of that for the supply of which orders have been accepted ; and

(e) the names of the ports where the ships of various countries have been repaired during the last three years together with the number of such ships, country-wise, and also the amount of income earned therefrom ?

The Deputy Minister in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Iqbal Singh) : (a) to (e). The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha in due course.

Orders to Use Air India Services for Officials going Abroad

1895. **Shri Mrityunjay Prasad** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Government have issued any orders to all their Departments that whenever Government officials or the official delegations go abroad for official purposes and if the Air India Services are available there, they should travel by the Air India's planes only ;

(b) if so, the date on which such orders were issued ;

(c) whether Government have come to know of certain incidents of violation of such orders ;

(d) if so, the names of the officials or delegations who have violated the said orders during the last three years the dates on which such violations took place and the action taken against them ; and

(e) the names of countries where such violations were committed as also the names of the foreign airlines whose services were mostly utilised ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) and (b). Yes Sir. Instructions to this effect were issued in December, 1948 and have been reiterated from time to time. However, where there are valid reasons travel is allowed by another airline.

(c) No such case has come to notice of this Ministry.

(d) and (e). Do not arise.

शिक्षाविदों और छात्र प्रतिनिधियों का सम्मेलन

1896. **श्री सीताराम केसरी : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनकी अध्यक्षता में नई दिल्ली में जुलाई मास के प्रथम पक्ष में शिक्षाविदों और छात्र प्रतिनिधियों का सम्मेलन हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो उस सम्मेलन में क्या निर्णय किया गया था ; और

(ग) निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर वी० राव) : (क) से (ग). विवरण संलग्न है ।

विवरण

शिक्षाविदों तथा विद्यार्थी नेताओं की दूसरी बैठक 8 और 9 जुलाई 1970 को हुई । समिति द्वारा निम्नलिखित सिफारिशें की गई :—

(क) विश्वविद्यालयों में कार्य करने वाली तथा अन्य विश्वविद्यालयों और संबंधित कालेजों में बनायी जाने वाली प्रस्तावित राष्ट्रीय एकीकरण समितियों के पुनर्गठन के संबंध में समिति ने अपनी उप समिति की रिपोर्ट सामान्य रूप से स्वीकार कर ली है ।

(ख) समिति ने यह भी सिफारिश की कि पुनर्गठित प्रस्ताव के अनुसार राष्ट्रीय संगठन

समितियों के सदस्यों का चुनाव होने तक कुलपति द्वारा प्रबन्धक समिति के सदस्यों को नामित करने के वर्तमान व्यवस्था को जारी रखा जाये ।

(ग) समिति ने सिफारिश की कि राष्ट्रीय एकीकरण समितियों के 1970-71 के कार्य की वार्षिक रिपोर्ट पर शिक्षा शास्त्रियों और विद्यार्थी नेताओं की समिति द्वारा 1971 में किसी समय विचार किया जायेगा । इसके पश्चात् राष्ट्रीय एकीकरण समितियों के सक्रिय कार्य कर्त्ताओं का वार्षिक या द्विवार्षिक सम्मेलन बुलाया जा सकता है जिसमें, उन्होंने राष्ट्रीय एकीकरण योजना के कार्यक्रम के परिपालन में किन्हीं कठिनाइयों का सामना किया हो तो उन पर ध्यान दिया जा सकता है । तथा समितियों के कार्य कलापों में सुधार और विस्तार करने के प्रस्तावों पर विचार किया जा सकता है और सिफारिशें की जा सकती हैं ।

(घ) समिति ने एक सुझाव पर सहमति दी कि विश्वविद्यालय के क्षेत्रों में स्थित साम्प्रदायिक तनाव के अलावा अन्य तनावों पर विवरण तैयार करने के लिए एक उप-समिति बनायी जाये और विवरण को कार्यपत्रक के रूप में लेकर बाद की बैठकों में चर्चा की जाएगी ।

(ङ) समिति ने शिक्षा मन्त्री से यह भी अनुरोध किया है कि उनके मन्त्रालय को एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति की स्थापना करनी चाहिए जो विद्यार्थियों में तर्कयुक्त और वैज्ञानिक प्रवृत्ति के प्रोत्साहन के प्रश्न पर विचार करे और उस पर एक रिपोर्ट तैयार करे ।

2. सभी विश्वविद्यालयों के कुलपत्तियों को अपने अपने विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय एकीकरण समितियाँ स्थापित करने के विषय में एक पत्र भेजा जा चुका है । शुरूआत के तौर पर इस मन्त्रालय के अपने हिस्से के रुपये में 800 रुपए की अग्रिम अनुदान चार मास के समय के लिए 81 विश्वविद्यालयों और समझे जाने वाले विश्वविद्यालयों को राष्ट्रीय एकीकरण समितियों से संबंधित होने वाले व्यय के लिए प्रदान किया गया है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से भी अनुरोध किया जा रहा है कि वह भी अपने हिस्से के रूप में इसी प्रकार की अग्रिम अनुदान प्रदान करें । विश्वविद्यालयों और कालिजों में राष्ट्रीय एकीकरण समितियों का संविधान पूर्ण हों गया है और शीघ्र ही विश्वविद्यालयों को प्रेषित किया जायेगा ।

3. समिति की अन्य सिफारिशें विचाराधीन हैं ।

रेलवे द्वारा बुक किये गये विस्फोटकों का गुम हो जाना

1897. **श्री हेम बरुआ** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम के पाण्डू मालीगांव में तैनात केन्द्रीय रक्षित पुलिस को भेजे गये कुछ सामान में से जोकि रेलवे द्वारा बुक किया गया था, पांच विस्फोटक हाल में गुम पाए गए थे ; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस बात का पता लगाया गया है कि ये किन परिस्थितियों में गुम हुए हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चंद्र पन्त) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

मनीपुर के कर्मचारियों के वेतन-मानों में परिवर्तन

1898. **श्री एम० मेघचंद्र** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर की सरकार ने उद्योग विभाग के पंचायत सचिवों, प्रयोगशाला तकनीशनों और सीनियर जाबर जैसे वर्गों के कर्मचारियों के वेतनमानों में अभी तक परिवर्तन नहीं किया है ;

(ख) 1 अप्रैल, 1964, को वेतनमानों में जा परिवर्तन किया गया था उस समय उपर्युक्त वर्ग के कर्मचारियों के वेतनमानों में परिवर्तन न करने के क्या कारण हैं ;

(ग) मनीपुर सरकार द्वारा प्रस्तावित वेतन-मानों में परिवर्तन करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : (क) से (ग). मनीपुर सरकार के अधीन पदों में से कुछ के वेतनमान 1966 में आसाम की रूपरेखा पर संबंधित नहीं किए जा सके क्योंकि ये प्रस्ताव भारत सरकार को प्राप्त नहीं हुए थे। अब मणिपुर सरकार ने पंचायत सचिवों तथा प्रयोगशाला तकीनशनों के पदों समेत इन प्रस्तावों को भेजा है। इन प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है। सीनियर जाबर, उद्योग विभाग, के पद का वेतनमान पहले ही 1-4-64 से संशोधित करके 125-200 रुपये कर दिया गया है।

कुकी विद्रोहियों द्वारा मनीपुर के युवकों की हत्या

1899. **श्री एम० मेघचंद्र** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 10 जुलाई, 1970 के अमृत बाजार पत्रिका (कलकत्ता संस्करण) में "कुकी विद्रोहियों ने मनीपुर के चार युवकों की हत्या की" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित यू०एन० आई० की रिपोर्ट का सत्यापन किया है जिसमें कहा गया है कि 26 फरवरी, 1970 को अगरतला स्थित धरमनगर जेल से मनीपुर के जो आठ युवक बच निकले थे उनमें से चार युवकों को त्रिपुरा-पाकिस्तान सीमा पर जून 1970 के गत सप्ताह में कुकी विद्रोहियों ने मार दिया ;

(ख) यदि हां, तो उनकी हत्या किन परिस्थितियों में की गई थी ; और

(ग) क्या सरकार को उन मनीपुर के अन्य युवकों के बारे में कोई जानकारी है जो प्रशिक्षण के लिए बचकर पाकिस्तान चले गए थे ?

गृह कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : (क) और (ख). सरकार ने इस सम्बन्ध में अखबारों में छपी खबर देखी है, परन्तु भगोड़े कैदियों में से चार को कुकी विद्रोहियों के एक गिरोह द्वारा मार डालने के बारे में कोई सूचना नहीं है।

(ग) 8 भगोड़ों में से एक कैदी जब मणिपुर वापिस आने की कोशिश कर रहा था तो असम के पहाड़ी जिला यूनाइटेड खासी और जैंतिया में गिरफ्तार किया गया। शेष सात का कुछ पता नहीं है।

मनीपुर में सहायता प्राप्त हाई स्कूलों के अध्यापकों को सिलेक्शन ग्रेड देना और लोअर प्राइमरी स्कूल, मनीपुर के चौकीदारों का वेतन

1900. **श्री एम० मेघचंद्र** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर में सहायता प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों को सिलेक्शन ग्रेड का वेतन-मान दिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो उपर्युक्त वेतन-मान देने में विलम्ब के क्या कारण हैं और इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ग) क्या मनीपुर सरकार ने लोअर प्राइमरी स्कूल, मनीपुर के उन 54 चौकीदारों को अधिक वेतन दिया है जिन्हें केवल 3 रुपये मासिक वेतन मिल रहा था ; और

(घ) यदि नहीं, तो सही स्थिति क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (घ). अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथा शीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

मनीपुर राज्य परिवहन मजदूरों की मांगें

1901. **श्री एम० मेघचंद्र** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य परिवहन मजदूर संघ के मांग पत्र में उल्लिखित मांगों के अनुसार मनीपुर राज्य परिवहन के कर्मचारियों द्वारा महाप्रबन्धक को दी गई मांगों की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ख) प्रबन्धक किन बातों पर सहमत हो गये हैं तथा कितनी बातें अनिर्णीत छोड़ दी गई हैं ;

(ग) क्या मनीपुर राज्य परिवहन के महा प्रबन्धक ने राज्य परिवहन मजदूर संघ को मान्यता प्राप्त संघ की सुविधाएं देने से इन्कार कर दिया है जिससे प्रतिद्वन्दी एसोसिएशन जिसे मान्यता प्राप्त नहीं है, प्रोत्साहन मिलता है ; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रक्रिया के क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (घ). सूचना मणिपुर सरकार से एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा ?

राष्ट्रीय राजपथ संख्या 39 पर प्रथम श्रेणी की यात्रा सेवा चालू करने का प्रस्ताव

1902. **श्री एम० मेघचंद्र** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर सरकार ने राष्ट्रीय राजपत्र संख्या 39 पर इम्फाल और दीमापुर के बीच प्रथम श्रेणी यात्रा सेवा चालू करने के प्रश्न पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि न ीं, तो प्रथम श्रेणी यात्रा सेवा जैसी कि गोहाटी शिलांग मार्ग पर है चालू न करने के क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना मणिपुर सरकार से एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

ह रियाणा के कालेजों में हरियाणा के विद्यार्थियों का दाखिला देने के लिए अंकों में छूट

1903. **श्री जी० वेंकटस्वामी** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हरियाणा सरकार ने एक आदेश जारी किया है जिसके अन्तर्गत हरियाणा स्थित कालेजों में दाखिला पाने के लिए हरियाणा के विद्यार्थियों के लिए अंकों की प्रतिशतता कम कर दी है ;

(ख) क्या नये आदेश से राज्य के कालेजों में विज्ञान की कक्षाओं में दाखिला प्राप्त करने के लिए दिल्ली के विद्यार्थी अलाभकर स्थिति में हो गए हैं ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इन आदेशों को ढीला करने के लिये हरियाणा सरकार से कहा है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (घ). सूचना हरियाणा सरकार से एकत्र की जा रही है और विवरण यथा समय सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

उत्तरी अमरीका तथा रूस से पर्यटक

1904. **श्री जी० वेंकटस्वामी** :
श्री बे० कृ० दासचौधरी :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तरी अमेरीका तथा रूस से पर्यटकों को आकर्षित करने के लि ाल में कोई योजना बनाई है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इसके फलस्वरूप पर्यटकों के यातायात में कितनी वृद्धि होने का अनुमान है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). जी, हां । पर्यटन विभाग तथा एयर इन्डिया इन क्षेत्रों से पर्यटन की अभिवृद्धि के लिए एक दूसरे के साथ निकट सहयोग से कार्य करेंगे ।

(ग) यद्यपि यह आशा की जाती है कि इस स्कीम से पर्यटन यातायात में काफी वृद्धि होगी, इस समय निश्चित रूप से कोई अनुमान लगाना संभव नहीं है ।

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति के पश्चात नियुक्ति

905. **श्री लखन लाल कपूर** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवा निवृत्त न्यायाधीशों में से एक न्यायाधीश अपनी सेवा निवृत्ति से लेकर अब तक सेवा में है ।

(ख) सर्वोच्च न्यायालय के ऐसे कितने न्यायाधीश निरन्तर सेवा में हैं ; और

(ग) इन न्यायाधीशों की अत्यधिक मांग होने के कारण क्या हैं ?

प्रधान मन्त्री अणु शक्ति मन्त्री, गृह-कार्य मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गाँधी): (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) सर्वोच्च न्यायालय के दो अन्य न्यायाधीश जिन्हें सेवा निवृत्ति से पहले नदी से पानी संबंधी झगड़ों का न्यायनिर्णय करने के लिए न्यायाधिकरण में नियुक्त किया गया था, सेवानिवृत्ति की तिथि से पुनर्नियोजन के रूप में निरन्तर कार्य कर रहे हैं ।

(ग) हाल ही के कुछ वर्षों के दौरान, जांच आयोग, न्यायाधिकरण आदि जैसी संस्थाओं में, जो न्यायिक या अर्धन्यायिक प्रकृति का कार्य करते हैं, नियुक्ति हेतु न्यायाधीशों की सेवाओं की अधिक माँग बढ़ रही है । इस प्रकार के कार्यों के लिए सेवायुक्त न्यायाधीशों की सेवाएं प्राप्त करना सदा सम्भव नहीं है क्योंकि यदि सेवायुक्त न्यायाधीशों को न्यायालय के कार्य से हटा लिया जाता तो न्यायालय के काम को हानि पहुँचती ।

Affiliation of Colleges to Guru Nanak University

1906. **Shri Shiv Kumar Shastri : Shri Chandrika Prasad : Shri Ram Gopal Shalwale :**

Will the Minister of Education and Youth Services be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Government of Punjab have established at Guru Nanak University ;

(b) whether it is also a fact that 46 colleges of the State are being affiliated to the aforesaid University ;

(c) whether most of the D. A. V. and Sanatan Dharam Colleges do not agree with this proposal of the Government of Punjab ;

(d) if so, the reasons for the affiliation of the said Colleges with the Guru Nanak University forcibly against their desire ; and

(e) the steps being taken by the Central Government to protect the fundamental rights of the minorities in Punjab ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) Yer, Sir.

(b) By its notification dated March 16, 1970 the Government of Punjab has defined the jurisdiction of the University as extending over the districts of Amritsar, Gurdaspur,

Jullundur and Kapurthala. This would involve transfer to the University of 46 colleges situated in these districts and affiliated to the Punjab University, Chandigarh.

(c) to (e). According to the available information, writ petitions have been filed in the Supreme Court by the managements of 13 colleges challenging the Notification of the Punjab Government as well as the relevant sections of the Guru Nanak University Act. The matter is thus *sub-judice*.

दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के विरुद्ध मामले

1907. **श्री मोहन स्वरूप** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली पुलिस ने दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के विरुद्ध दो मामले दर्ज किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो पुलिस की क्या शिकायतें हैं ; और

(ग) मामलों का ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग). दिल्ली उच्च-न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष द्वारा अतिथ्य भोज पर जो उच्च-न्यायालय भवन के प्रांगण में आयोजित किया गया था मद्यसारीय पेय के प्रयोग किए जाने की सूचना मिलने पर दिल्ली प्रशासन के उत्पादन कर अधिकारी और पुलिस कर्मचारियों ने छापा मारा। पंजाब उत्पादन कर कानून जो संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में लागू है की धारा 61 तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 186/332 के अन्तर्गत तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन में दो मामले दर्ज किये गये।

सिलीगुड़ी जिले (पश्चिमी बंगाल) के शक्तिगढ़ क्षेत्र में बंगाल प्रोविंसियल स्टूडेंट्स फेडरेशन के छात्रों को छुरा घोंपना

1908. **श्रीमती सुशीला गोपालन** : **श्री भगवान दास** :
श्री ज्योतिर्मय बसु : **श्री मुहम्मद इस्माइल** :
श्री गणेश घोष :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी जिले के शक्तिगढ़ क्षेत्र में कुछ व्यक्तियों ने 21 जून, 1970 को बंगाल प्राविंसियल स्टूडेंट्स फैडरेशन के कुछ छात्रों को छुरा भोंका था ;

(ख) यदि हां, तो कितने छात्र घायल हुए थे ; और

(ग) दोषियों को पकड़ने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग). राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

आसाम में ब्रिटेन के पत्रकारों की गिरफ्तारी

1909. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटेन की पत्रकारों, श्री तथा श्रीमती जोहन आर्डन, को आसाम में हाल ही में गिरफ्तार किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उनके बारे में और क्या ब्यौरा है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : (क) से (ग). श्री आर्डन को व्यवसाय से एक लेखक और श्रीमती आर्डन को एक इतिहासकार बताया जाता है। उन्हें पर्मिट के वगैर असम में प्रवेश करने के लिए विदेशियों के लिए (प्रतिबंधित क्षेत्र) आदेश, 1963 का उल्लंघन करने के कारण गिरफ्तार किया गया था। उन पर मुकदमा चलाया गया और न्यायालय के उठने तक की कैद की सजा दी गई। उन्हें असम छोड़ने को भी कहा गया।

बंगलौर-हसन राज्य सड़क को राष्ट्रीय राजपथ में बदलने का प्रस्ताव

1910. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से यह प्रस्ताव किया था तथा सिफारिश की थी कि बंगलौर-हसन राज्य सड़क को राष्ट्रीय राजपथ में बदल दिया जाये तथा इसे वानासुन्दरे-मंगलौर की खनिज अयस्क सड़क से जोड़ दिया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कार्यान्वित करने की क्या स्थिति है ?

नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) मैसूर सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ नेलामंगल-कुनीगल और हसन होते हुए बंगलोर-मंगलोर मार्ग सहित कई सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग में बदलने का प्रस्ताव किया है। माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित बंगलौर-हसन मार्ग इस सड़क का एक भाग है।

(ख) मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग तंत्र के विस्तार का सारा प्रश्न, जिसमें मैसूर सरकार के प्रस्ताव सहित विभिन्न राज्य सरकारों के प्रस्ताव आ जाते हैं, धन की उपलब्धता और राष्ट्रीय राजमार्ग तंत्र में शामिल करने की शर्तों की दृष्टि से विचाराधीन है।

बोनहल्ली निकट हसन में पर्यटक हवाई अड्डा

1911. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बोनहल्ली के निकट हसन में पर्यटन हवाई अड्डे का अग्रेतर विकास एवं निर्माण सम्बन्धी प्राक्कलन केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मंजूरी कब दी जायेगी ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). हस्सन में एक अच्छे मौसम की हवाई पट्टी का निर्माण कार्य पूरा होने वाला है। सीमित निधियों तथा अन्य प्राथमिकताओं के कारण फिलहाल इससे अधिक और कुछ करने का विचार नहीं है।

राष्ट्रीय शिक्षा संस्था के कुछ प्राध्यापकों तथा रीडरों को कोई शिक्षण कार्य न देना तथा सेमिनारों में धन का अपव्यय

1912. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय शिक्षा संस्था में अनेक रीडरों तथा प्राध्यापकों के पास शिक्षण का कोई कार्य नहीं हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि संस्था द्वारा संगठित तथा कथित सेमिनारों पर तथा अन्य वर्कशापों आदि पर सरकारी धन का अपव्यय होता है ; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार के सरकारी धन के अपव्यय को रोकने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के प्रमुख कार्य हैं—अनुसंधान तथा प्रशिक्षण। यहां अध्ययन का कार्य नहीं होता क्योंकि क्षेत्रीय शिक्षा कालेजों की भांति इस संस्थान में नियमित पाठ्यक्रम नहीं होते हैं।

(ख) और (ग). सरकार को संगोष्ठियों अथवा कार्यशालाओं पर धन की बरबादी की कोई भी रिपोर्ट नहीं मिली है। तथापि राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् के कार्य को देखने के लिए भारत सरकार द्वारा 1968 में स्थापित की गई पुनरीक्षण समिति ने कहा है कि कुछ कार्यक्रम राज्य, क्षेत्रीय अथवा स्थानीय स्तरों पर किये जा सकते हैं। समिति ने संगोष्ठियों तथा कार्यशालाओं के कार्यक्रमों को बहुत बृहत पाया तथा उनमें से कुछेक राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के विकासशील कार्यक्रमों से निकटता से जुड़े हुए नहीं प्रतीत हुए। संगोष्ठियों तथा कार्यशालाओं की संख्या कम से कम रखने तथा उनके कार्य क्षेत्रों को संस्थान के बढ़ते हुए कार्यक्रमों तक सीमित रखने के लिए कदम उठाये गये हैं।

Deduction of Communalism and Communal Organisations

1913. **Shri Om Prakash Tyagi** :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri N. K. Sanghi :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) the definition of Communalism and Communal organisation according to Government ;

(b) whether the organisations based on religion only are communal in the eyes of Government ;

(c) whether Government treat the organisations set up on the basis of caste, language, colour, province and birth as communal ;

(d) if not the reasons therefore ; and

(e) the list of names of the religious, social and political organisations which are communal in the eyes of Government ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Ram Niwas Mirdha): (a) to (e). (i) Promotion of enmity between different groups on grounds of religion, race, place of birth, residence, language, etc. (ii) deliberate and malicious acts intended to outrage religious feelings, (iii) dissemination of statements or rumours or alarming news promoting enmity, hatred or illwill between different groups are offences punishable under the existing law. Reference is invited to the provisions of sections 153A, 295A, and 505 of the Indian Penal Code, defining objectionable communal activities. It is widely believed that the activities of organisations, like the Rashtriya Swayam Sewak Sangh and the Jamaat-e-Islami Hind and of their leaders have a prejudicial effect on the maintenance of harmonious relations between different communities. Government are examining the questiod of enacting legislation to deal with the activities of associations which, on grounds of religion, place of birth etc., promote or tend to promote feelings of enmity or hatred, disharmony or illwill between different sections of the community.

हुगली कस्बे (पश्चिम बंगाल) में रठाला स्थित मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यालय पर हमला

1914. **श्री पी० पी० एस्थोस :** **श्री भगवान दास :**
श्री ज्योतिर्मय बसु : **श्री मुहम्मद इस्माइल :**
श्री गणेश घोष :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल के हुगली कस्बे में रठाला स्थित मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यालय पर कुछ गुण्डों ने 26 जून, 1970 को बमों से हमला किया ;

(ख) यदि हां, तो इस हमले में घायल व्यक्तियों की संख्या क्या है ;

(ग) क्या इस बारे में पुलिस ने कोई गिरफ्तारी की है ;

(घ) यदि हां, तो गिरफ्तार किये गये कुल व्यक्तियों की संख्या क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) से (ङ). तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

जयपुर के निकट बागोर में प्रस्तर कालीन पुरातत्वीय वस्तुओं का पाया जाना

1915. **श्री स० म० अगड़ी :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में राजस्थान में जयपुर के निकट बाड़मेर में प्रस्तर-कालीन पुरातत्वीय वस्तुयें पाई गई हैं ; और यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ; और

(ख) क्या यह निश्चित कर लिया गया है कि उक्त वस्तुयें कि सभ्यता, युग तथा अवधि से सम्बन्धित हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख). जी हां, दक्कन कालिज स्नातकोत्तर अनुसंधान संस्थान, पूना के सहयोग से पुरातत्व और संग्रहालय विभाग, राजस्थान द्वारा की गई खुदाई में पुरा-पाषाण युगीन पाषाण उपकरण जिन्हें लघु पाषाण नाम से जाना जाता है स्थल से प्राप्त हुए हैं। सांस्कृतिक अधिग्रहण के तीन काल निश्चित किये गये हैं। इनमें से सर्व प्रथम में पुरा-पाषाण कालीन वस्तु प्राप्त हुई और उत्तरवर्ती दो में क्रमशः ताम्र-पाषाण युगीन और लौह युग की वस्तुयें हैं।

काल निर्धारण कार्बन की 14 रीति से यह कालानुक्रम अवधि व्यक्त होती है : ईसा पूर्व 4400 और ई० पू० 3200-प्रथम काल (पुरापाषाण काल) ; और ई० पू० 2800 में ई० पू० 2100-द्वितीय काल (ताम्रपाषाण काल) ; तृतीय काल के लिए कार्बन 14 रीति से अभी कोई तारीखें सुलभ नहीं हैं।

पुलिस के महानिरीक्षकों का सम्मेलन

1916. **श्री बे० कृ० दासचौधरी : श्री देवकी नंदन पाटोदिया : श्री वेणी शंकर शर्मा :**

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई, 1970 में पुलिस महानिरीक्षकों का कोई सम्मेलन हुआ था ; और

(ख) यदि हाँ, तो सम्मेलन में क्या निर्णय किये गये ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : (क) जी हाँ, श्रीमान्। सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस महानिरीक्षकों का जुलाई, 1970 में एक द्विवार्षिक सम्मेलन हुआ था।

(ख) सम्मेलन में देश में विधि और व्यवस्था की स्थिति उग्रवादियों की गतिविधियों और साम्प्रदायिकता का मुकाबला करने के लिए अपेक्षित उपाय, संगठनात्मक विषय, राज्य में पुलिस का आधुनिकीकरण दंगा नियंत्रण, तकनीक, जांच इत्यादि के लिए वैज्ञानिक सहायता तथा अन्य संबंधित विषयों समेत विभिन्न मामलों पर विचार किया गया था।

निजी थैलियां समाप्त करने के बारे में प्रधान मन्त्री और भूतपूर्व भारतीय रियासतों के शासकों के बीच वार्ता

1917. **श्री बे० कृ० दासचौधरी : श्री रा० बरुआ : श्री चेंगलराया नायडू :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी थैलियों और विशेषाधिकार समाप्त करने के बारे में प्रधान मंत्री और भूतपूर्व भारतीय रियासतों के शासकों के बीच जुलाई, 1970 में कोई बातचीत हुई थी ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस बातचीत में क्या निर्णय किये गये हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : (क) और (ख). भूतपूर्व भारतीय रियासतों के कुछ शासक जूलाई, 1970 में प्रधान मंत्री से मिले थे और इन मुलाकातों में सामान्य रूप से निजी थैलियों एवं विशेषाधिकारों को समाप्त करने का प्रश्न उठाया गया था ।

साम्प्रदायिकता का मुकाबला करने के लिए कालेजों में राष्ट्रीय एकता सैल बनाया जाना

1918. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :** **श्री देवकी नंदन पाटोदिया :** **श्री बलराज मधोक :**

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने साम्प्रदायिकता का मुकाबला करने के लिए देश के कालेजों में राष्ट्रीय एकता सैल स्थापित करने पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). गांधी शताब्दी की राष्ट्रीय समिति की राष्ट्रीय एकीकरण उप-समिति के निर्देश तथा मार्ग दर्शन पर गांधी शताब्दी वर्ष के दौरान राष्ट्रीय एकीकरण समितियां (सेलें नहीं) कुछ विश्वविद्यालयों और भारत सरकार के सरकारी उपक्रमों में स्थापित की गई थी । राष्ट्रीय एकीकरण की उन्नति के लिए इन समितियों द्वारा किये गये अच्छे कार्यों को विचार में रखते हुए यह निर्णय किया गया था कि गांधी शताब्दी राष्ट्रीय समिति की राष्ट्रीय एकीकरण उपसमिति का परिचालन अक्तूबर, 1969 को समाप्त करने के पश्चात् इन समितियों का प्रशासन और मार्ग दर्शन शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय संभाल ले ।

2. राष्ट्रीय एकीकरण परिषद् की सिफारिश पर स्थापित शिक्षाविदों तथा छात्र नेताओं की समिति की दो बैठकों में यह सिफारिश की गई कि यथा संभव सभी विश्वविद्यालयों तथा अधिक से अधिक कालेजों में राष्ट्रीय एकीकरण समितियां स्थापित की जाएं । शिक्षाविदों तथा छात्र नेताओं की इस समिति ने इन समितियों के कार्यों के लिए लक्ष्य तथा मार्गदर्शक रूपरेखायें भी निर्दशित कीं । ये सिफारिशें मान ली गई हैं ।

3. राष्ट्रीय एकीकरण समितियों के लक्ष्य और उद्देश्य निम्नलिखित हैं :—

(i) इस विचार को प्रोत्साहन देना कि भारत एक राष्ट्र है और जाति, धर्म वर्ण का विचार किये बिना यह प्रत्येक भारतीय के लिए है ;

(ii) हमारी समेकित संस्कृति के विभिन्न दृष्टिकोणों से तथा राष्ट्रीय जीवन के अन्य पहलूओं से छात्रों और अध्यापकों को परिचित कराना ;

(iii) ऐसे सभी कार्यकलापों को अपनाना जो साम्प्रदायिकता के सभी रूपों को निर्मूल करें तथा ऐसे सभी कदम उठाना जो राष्ट्रीय एकीकरण के उद्देश्य को सीधे प्रोन्नत करें ;

(iv) ऐसी सभी जानकारी और सूचना एकत्र और प्रचारित करना जो छात्रों तथा अध्यापकों में ऐसी बौद्धिक जागरुकता की नवीन प्रेरणा प्रदान करे जो कि इनको तर्कशील तथा वैज्ञानिक अभिरुचि के विकास के लिए अविरत सहायता करें ;

(v) साम्प्रदायिक उथल-पुथल के समय समुदाय को सामयिक सेवा प्रदान करना और सभी समुदायों में मैत्रीपूर्ण भावना उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त कदम उठाना तथा संशय के वातावरण को दूर करना ;

(vi) राष्ट्रीय निर्माण के कार्यकलापों के विभिन्न कार्यों में भारतीय युवाओं के गहन भावनात्मक सहयोग को प्रोन्नत करना ;

4. राष्ट्रीय एकीकरण समिति की सदस्यता ऐच्छिक है और विश्वविद्यालयों तथा कालेजों के अध्यापकों तथा छात्रों के लिए, जो कि उपरोक्त लक्ष्यों में और विशेषकर निम्नलिखित में विश्वास करते हैं, सदस्य बन सकते हैं :—

(i) भारत एक राष्ट्र है, जिसमें सभी भारतीय समान हैं ;

(ii) भारतीय संस्कृति एक समेकित संस्कृति है जो कि अनेक श्रोतों से रची गई है और कई शताब्दियों में विकसित हुई है। इसलिए विभिन्न संस्कृतियों में, जिन्होंने भारत की समेकित संस्कृति के निर्माण में योगदान किया है, कोई संघर्ष नहीं हो सकता ; और

(iii) यह कहना पूर्णतः गलत और राष्ट्र हित के लिए प्रतिकूल है कि किसी समुदाय तथा वर्ग का भारतीयकरण किया जाए। प्रयत्न यह होना चाहिए कि प्रत्येक नागरिक यह अनुभव करे कि वह एक भारतीय है।

5. विश्वविद्यालयों के कुलपति या कालेजों के प्राध्यापक, जो कि राष्ट्रीय एकीकरण समिति के पदेन अध्यक्ष होंगे, उनके द्वारा मनोनीत प्रबन्ध समितियों के माध्यम से राष्ट्रीय एकीकरण समितियां फिलहाल कार्य करेंगी। यथावधि प्रबन्ध समिति के अन्तर्गत अध्यापकों और छात्रों का अनुपात 30:70 होगा। दोनों अध्यापकों और छात्रों के 60 प्रतिशत स्थान चुनाव द्वारा भरे जायेंगे, शेष 40 प्रतिशत स्थान अध्यक्ष के मनोनयन द्वारा भरे जायेंगे। समिति के अध्यक्ष द्वारा नामित उप-अध्यक्ष एक अध्यापक होगा और समिति के लेखे का उत्तरदायी होगा। सचिव और संयुक्त सचिव छात्र होंगे जो कि प्रबन्ध समिति के सदस्यों में से चुने जाएंगे।

6. इन समितियों के कार्यकलापों के वित्त के लिए, शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय प्रत्येक समिति को 200 का अनुदान प्रतिमास देगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भी इसी प्रकार का अनुदान देगा। इसके अतिरिक्त समिति पंजीकरण, समिति के सदस्यों से सदस्यता शुल्क, अनुदानों दोनों, प्रवेश राशि इत्यादि के रूप में पूंजी एकत्र कर सकती है। प्रथमतः शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय ने, 81 विश्वविद्यालयों को 1970-71 के चार महीनों के लिये 500 रु० का अग्रिम राशि संस्वीकृत की है। शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय की स्वीकृति से इन समितियों द्वारा हाथ में ली गई विशेष परियोजनाओं के लिए तथा एक राष्ट्रीय एकीकरण समिति के सदस्यों को दूसरी

राष्ट्रीय एकीकरण समिति में जाने के लिए रेल भाड़ा, यात्रा समय, दैनिक भत्ते के लिये वित्तीय सहायता भी दी जायेगी ।

दिल्ली में राष्ट्र विरोधी नारे लिखने वाले व्यक्तियों को चेतावनी

1919. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में आम जनता को राष्ट्र विरोधी नारे लिखने के सम्बन्ध में कोई चेतावनी दी थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उन समाज विरोधी तत्वों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : (क) और (ख). जिला मजिस्ट्रेट दिल्ली ने एक दण्डप्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत एक आदेश जारी करके आपत्तिजनक नारे या ऐसे चित्र लगाने अथवा अन्य कार्य जिनका उद्देश्य राष्ट्रीय भावना को क्षति पहुंचाने का हो, निषेध किया है । यह उद्घोषण 22 जून, 1970 से 2 महीने तक जारी रहेगी । दिल्ली प्रशासन ने सूचना दी है, इस आदेश की उद्घोषण के बाद कोई आपत्तिजनक नारे ध्यान में नहीं आए हैं ।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति, नई दिल्ली की सदस्यता से त्यागपत्र देने वाले व्यक्तियों को शेयरों की राशि लौटाना

1920. **श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत तीन वर्षों में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति नई दिल्ली के बहुत से सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है तथा इसके क्या कारण हैं ;

(ग) उपर्युक्त अवधि में कितने व्यक्तियों को उनकी शेयर की राशि लौटा दी गई है ;

(घ) कितने व्यक्तियों की शेयर राशि अभी तक नहीं लौटाई गई है तथा इस भेदभाव के क्या कारण हैं ; और

(ङ) जिन व्यक्तियों ने समिति की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है उन सभी की शेयर राशि कब तक लौटा दी जायेगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) और (ख). जी हां, पिछले तीन वर्षों में हिस्सेदारों से सरकारी नौकरी से सेवा निवृत्ति, दिल्ली से बाहर स्थानान्तरण और हिस्सेदारों की मृत्यु हो जाने जैसे विभिन्न कारणों से अपने शेयरों की रकम वापस करने के लिये 4121 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए थे ।

(ग) से (ङ). उन हिस्सेदारों में से जिन्होंने समिति से शेयर की रकम वापस करने को कहा था 3386 सदस्यों को राशि लौटा दी गई है । उसके पश्चात् वैधानिक लेखा परीक्षकों ने

शेयर राशि को वापस करने के बारे में आपत्ति उठाई क्योंकि उन्होंने देखा कि समिति के उप-नियम ऐसा करने की अनुमति नहीं देते थे। दिल्ली सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार ने जिनसे इस विषय में परामर्श किया गया था, सलाह दी कि शेयर राशि का लौटाया जाना साधारणतः अनज्ञेय नहीं क्योंकि समिति घाटे में जा रही थी और सरकार ने उसे ऋण और व्यक्तिगत रूप से भागीदारों द्वारा जमा की गई शेयर राशि के आधार पर समिति के शेयर राशि में भी धन जमा किया था। उन्होंने आगे यह भी सलाह दी कि कठिनाई के विशेष मामलों में प्रत्येक के लिए उनकी पूर्व अनुमति से शेयर राशि लौटाई जा सकती है। तदनुसार समिति के शेयर राशि के लौटाने के लिए की गई ऐसी प्रार्थनाओं पर कार्यवाही की जा रही है। उक्त बातों को ध्यान में रखते हुए कोई समय की सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

उत्तर प्रदेश में नक्सलवादी गतिविधियां

1922. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 जून, 1970 के 'इंडियन एक्सप्रैस' में प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में नक्सलवादी गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं और नेपाल से लखीमपुर जिले में आये 300 घुसपैठियों ने निघासन तहसील के जंगल में एक 'नक्सलवादी अड्डा' बना लिया है जिसका नाम इन्द्रपुरी रखा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने राज्य सरकार से इस मामले में पूरा ब्यौरा प्रस्तुत करने की मांग की है ;

(ग) यदि ब्यौरा प्राप्त हो गया है तो वह क्या है ; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) से (घ). राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

एकीकृत राष्ट्रीय पर्यटन प्राधिकार की स्थापना

1923. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : **श्री हिम्मतसिंहका** :
श्री मुहम्मद शरीफ :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के विचाराधीन एकीकृत राष्ट्रीय पर्यटन प्राधिकार बनाने को कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) नया प्राधिकार कब तक बन जायेगा ; और

(घ) इस व्यवस्था से पर्यटन के किस प्रकार बढ़ने की सम्भावना है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (घ). एक ऐसे राष्ट्रीय पर्यटन बोर्ड अथवा प्राधिकरण की स्थापना करने के प्रश्न पर जो कि पर्यटन की अभिवृद्धि के विभिन्न पहलुओं से संबंधित समस्त कार्य करेगा तथा इस क्षेत्र के अंतर्गत वाणिज्यिक एवं अन्य क्रयाकलापों के बीच निकट समन्वयन की सुनिश्चित व्यवस्था करेगा, उसके सभी पहलुओं को दृष्टि में रखते हुए ध्यानपूर्वक विचार किया जा रहा है ।

'प्रोजेक्ट-दिल्ली' सम्बंधी उच्च शक्ति प्राप्त समिति की सिफारिशें

1924. **श्री रा० कृ० बिड़ला :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 'प्रोजेक्ट-दिल्ली' सम्बन्धी उच्च शक्ति प्राप्त समिति ने यह सिफारिश की है कि राजधानी के महत्वपूर्ण स्मारकों में प्रवेश पर कोई शुल्क न लगाया जाय ;

(ख) क्या समिति ने यह सिफारिश भी की है कि कुतुब मीनार पर चढ़ने हेतु लिये जाने वाले 50 पैसे शुल्क को घटाकर 10 पैसे कर दिया जाय और पहली मंजिल से ऊपर चढ़ने पर लगे प्रतिबंध को भी हटा दिया जाय ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इन सिफारिशों के सम्बन्ध में क्या निर्णय किया है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) 'प्रोजेक्ट दिल्ली' समिति ने सिफारिश की थी कि कुतुब मीनार पर पहली मंजिल से ऊपर चढ़ने पर लगे हुये प्रतिबन्ध को हटा दिया जाये । शुल्क के सम्बन्ध में कोई सिफारिश नहीं की गई थी ।

(ग) मामला विचाराधीन है ।

व्यावसायिक दुकानों में चलाये जा रहे शिक्षा संस्थान

1925. **श्री प्रेम चंद वर्मा :**
श्री देवराव पाटिल :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि देश के विभिन्न भागों में विभिन्न कालेज व्यावसायिक दुकानों की तरह चलाये जा रहे हैं तथा वे अग्रिम शिक्षा शुल्क और प्रवेश शुल्क लेकर लापता हो जाते हैं और जनता को ठगते हैं और यदि हां, तो गत तीन वर्षों में ऐसे कितने मामलों का पता लगाया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कई कालेज और स्कूल ऐसे भी हैं जो विश्वविद्यालय की जाली डिग्रियां देते हैं और यदि हां, तो सरकार की जानकारी में ऐसे कितने मामले आये तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई ; और

(ग) क्या सरकार ने ठगने के बढ़ते हुए इस तरीके को रोकने के लिए कोई प्रभावकारी कार्यवाही की है ; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

Seizure of Naxalite Literature in East Nimar District

1926. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some Naxalite or other foreign literature has been seized in Burhanpur Tehsil of East Nimar District in Madhya Pradesh last June ;

(b) if so, the nature of the literature and the details thereof ;

(c) whether an enquiry has been conducted in this regard ; and

(d) if so, the result of such enquiry ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of State, Departments, of Electronics and Scientific and Industrial Research (Shri K. C. Pant) : (a) to (d). Facts are being ascertained.

मध्य प्रदेश में हवाई अड्डों का सुधार

1927. **श्री गं० च० दीक्षित :** क्या पर्यटन तथा असैनक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में मध्य प्रदेश में हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण हेतु उनके सुधार के बारे में कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो कार्य कब आरम्भ करने तथा इस प्रयोजन हेतु कब तक प्राथमिकताएं निर्धारित करने का प्रस्ताव है ?

पर्यटन तथा असैनक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). चालू योजना की अवधि के दौरान भोपाल, इन्दौर तथा खजुराहो के विमानक्षेत्रों पर सुधार कार्य किये जाने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं ।

किसी दल अथवा संगठन की साम्प्रदायिकता के बारे में निर्णय करने के लिये न्यायाधिकरण की नियुक्त

1928. **श्री श्रीचंद गोयल :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार से यह मांग की गई है कि यह निर्णय करने के लिए कि देश में कौन से दल और संगठन साम्प्रदायिक संगठन है तथा उनमें से कौन से संगठन हिंसात्मक गतिविधियों के लिये उत्तरदायी हैं एक न्यायाधिकरण नियुक्त किया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं, श्रीमान ।

(ख) सरकार साम्प्रदायिक संगठनों की गतिविधियों से निपटने के उपायों पर विचार कर रही है ।

प्रधान मंत्री के भाषण के समय चांदनी चौक, दिल्ली में यातायात का रोकना

1929. **श्री श्रीचंद गोयल** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 22 जून, 1970 को, जबकि प्रधान मन्त्री को एक सार्वजनिक सभा में भाषण देना था, चांदनी चौक, दिल्ली में सारा यातायात कई घंटों के लिए रोक दिया गया था ; और

(ख) यातायात किस कानून के अन्तर्गत रोका गया था ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : (क) 22 जून, 1970 को फाउन्टेन और बिल्लीमारान के साथ चांदनी चौक के चौराहे के बीच के वाहन ट्रैफिक को नियमित किया गया था और सायं 4 बजे से 8 बजे तक मोड़ दिया गया था। चांदनी चौक में बाकी सड़क पर वाहन ट्रैफिक सामान्य तौर पर चला था।

(ख) ट्रैफिक को पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 31 तथा ट्रैफिक व अन्य मामले (दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र) विनियमन नियम 1959 के नियम 17 के अधीन नियमित किया गया था।

Safety of People of U. P. Settled in West Bengal

1930. **Shri Ram Sewak Yadav** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether the attention of her Ministry has been drawn to the question raised in the U. P. Legislative Council to the effect that the people of U. P. settled in West Bengal are finding themselves unsafe and they are being treated as second rate cittzens ;

(b) if so, whether any action has been taken by her Ministry in this regard ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of State, Departments of Electronics and Scientific and Industrial Research (Shri K. C. Pant) : (a) to (c). Facts are being ascertained from the State Government.

भारतीय अनुवादकों का प्रशिक्षण

1931. **श्रीमती शारदा मुकर्जी** :
श्री देविन्दर सिंह गार्चा :

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत-रूस बोर्ड की गत वर्ष हुई बैठक में भारतीय अनुवादकों के प्रशिक्षण कार्य में तेजी लाने के उद्देश्य से भारत ने भाषा प्रयोगशाला के लिये रूस से जो अनुरोध किया था उस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : यह मामला सोवियत रूस सरकार के विचाराधीन है।

सचेतकों का सम्मेलन

1932. **श्रीमती शारदा मुकर्जी :**

डा० राम सुभग सिंह :

क्या **संसद्-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सचेतकों का अगला सम्मेलन कब होना है ; और

(ख) क्या विश्व के अन्य प्रजातांत्रिक देशों में सचेतक व्यवस्था के कार्यकरण का कोई अध्ययन किया गया है ?

संसद-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है ; और

(ख) नहीं, श्रीमन् ।

सिरसा के निकट घग्गर नदी पर पुल

1933. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सिरसा के निकट घग्गर नदी पर पुल का निर्माण करने के बारे में निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसका निर्माण कब तक किये जाने की सम्भावना है ?

नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(ख) निर्माण कार्य के शुरू होने से लगभग तीन वर्ष में ।

मृत्यु दण्ड

1934. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस व्यापक धारणा का पता है कि देश में हाल में मृत्यु-दंड अब निवारक दण्ड नहीं रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख). विधि आयोग ने मृत्यु-दण्ड को समाप्त करने के प्रश्न पर गहन विचार किया है और अपनी पैंतीसवीं रिपोर्ट में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की हैं । रिपोर्ट अभी छप रही है । विधि आयोग देश की वर्तमान स्थिति में मृत्यु-दण्ड को कायम रखने के पक्ष में है । मृत्यु-दण्ड की समाप्ति के प्रश्न पर विधि आयोग की सिफारिशों पर कोई अन्तिम निर्णय किये जाने से पूर्व राज्य सरकारों के परामर्श में भारत सरकार द्वारा उसकी जांच की जायेगी ।

भारतीय विमान परिचारिकाओं के सौन्दर्य वर्द्धन के लिये विदेशी विशेषज्ञ

1935. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय विमान परिचारिकाओं की सौन्दर्य वृद्धि में सहायता करने के लिये विदेशी विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उनका सौन्दर्य वर्द्धन किस प्रकार करने का विचार है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) एयर-इंडिया की विमान परिचारिकाओं और स्वागत-कर्त्रियों को पैरिस की सुप्रसिद्ध आरलेन/जीन डलब्रिट सस्था के सौन्दर्य-विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है।

(ख) इन्हें अंगसौष्ठव बनाव-श्रृंगार, केश प्रसाधन तथा कास्मेटिक्स के प्रयोग में प्रशिक्षण दिया जाता है। सौन्दर्य-विशेषज्ञों द्वारा कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। एयर-इंडिया द्वारा केवल दो सौन्दर्य-विशेषज्ञों के लिये किफायती श्रेणी में विमान परिवहन की निःशुल्क सुविधायें प्रदान की जाती हैं।

स्कूल की इमारतों की दशा का सर्वेक्षण

1936. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र द्वारा देश में (एक) प्राथमिक तथा (दो) माध्यमिक स्कूलों की इमारतों की दशा के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण के क्या परिणाम निकले ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री अ० कु० किस्कू) : (क) और (ख). देश में प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूलों की इमारतों की दशा का कोई सर्वेक्षण भारत सरकार द्वारा नहीं किया गया है। फिर भी, आयोजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन सगठन ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा के विस्तार की समस्याओं का अध्ययन करते समय 15 राज्यों में से प्रत्येक में और देश के एक संघ शासित क्षेत्र में एक-एक शैक्षिक सर्किल में नमूना सर्वेक्षण किया है। यह 1961-62 में किया गया था। यह पाया गया था कि इन इमारतों में करीब 33 प्रतिशत अच्छी हालत में थी, 37 प्रतिशत में मामूली मरम्मत की जरूरत थी और 30 प्रतिशत में भारी मरम्मतों की आवश्यकता थी। चूंकि सर्वेक्षण में कुल स्कूलों की संख्या केवल 132 थी। अतः उपलब्ध नतीजों का सीमित रूप में ही उपयोग हो सकता है।

नाविकों के लिए रोजगार के अवसरों के संबंध में जांच समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना

1937. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नाविकों के लिए घटते हुए रोजगार के अवसरों की जांच करने के लिए स्थापित की गई समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन में क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं ?

संसद-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी, हां।

(ख) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल०टी०—3888/70]

काश्मीर में सी०आई०ए० की गतिविधियां

1938. **श्री स० मो० बनर्जी :**

श्री देवेन सेन :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काश्मीर में सी०आई०ए० की गतिविधियां बढ़ गई हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि दो फ्रांसीसियों को, जो कि पर्यटक के रूप में काश्मीर गये थे, जुलाई, 1970 में गिरफ्तार किया गया था ;

(ग) क्या उनसे पूछताछ करने पर इस बात का पता चला है कि उनके पास बिना लाइसेंस के हथियार थे ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(ख) से (घ). तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

आई०आई०टी० कानपुर के छात्रों में कथित अमरीकी प्रभाव का फैलना

1939. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आई०आई०टी० कानपुर के छात्रों में अमरीकी प्रभाव फैलाने की गम्भीर शिकायतें हैं ;

(ख) क्या संसद-सदस्यों द्वारा प्रधान मंत्री को भेजी गई कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उन शिकायतों की जाँच करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) इस प्रकार की शिकायतें सरकार की निगाह में नहीं आई हैं।

(ख) और (ग). एक संसद सदस्य ने प्रधान मंत्री को नोट भेजा है जिसमें कानपुर संस्थान के मामलों में और संस्थान के प्राधिकारियों के आचरण पर अवांछनीय अमेरिकी प्रभाव के बारे में आरोप लगाये गये हैं। मामले की जांच की जा रही है।

Literacy by the End of 20th Century

1940. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that according to the view expressed in the 35th Session of the Central Advisory Board of Education held in May, last, it would not be possible to make all the children in India literate even by the end of the 20th century ; and

(b) if so, the causes thereof and the action taken in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Youth Services (Shri A. K. Kisku) : (a) and (b). The Central Advisory Board of Education passed the following resolution at its 35th meeting held on 2nd and 3rd May 1970 :

> "The Board views with concern the progress of primary education in the country. On the basis of the present trends, it appears that no State would be able to realise the goal set in Article 45 of the Constitution earlier than 1980, and several States will be able to do so only in the 21st century. The Board, therefore, feels that the whole situation should be reviewed afresh and concrete proposals put forward, both before the Central and State Governments, so that the goal set down in the Constitution with regard to free and compulsory primary education would be reached in all parts of the country by 1985 at the latest. The Board requests the Chairman to set up a high level Committee to examine the whole issue in all its aspects."

Pursuant to the above resolution, the Union Education Minister has appointed a Committee to examine the matter. The report of the Committee is awaited.

Provision of free and compulsory primary education upto the age of 14 is primarily the concern of State Governments and Union Territories. The latter have tried their best to provide free education within their resources. All State Governments except Nagaland have enacted Compulsory Primary Education Acts But due to lack of adequate financial resources the provisions of the Primary Education Acts could not be extended to all the age groups and to all areas. Central assistance for implementing schemes in the plan concerning elementary education is now earmarked and cannot be diverted to other schemes. The States have also been advised to raise local resources through school improvement conferences and similar methods. Better utilization of existing facilities by adopting shift system has been recommended to the States. Pilot projects are also being launched to ascertain the efficacy of these methods.

Increase in Shipping Fare and Freight Since 1966

1941. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) the dates on which the shipping fare and freight were increased between India and the European countries since June, 1966 indicating the reasons therefor ;

(b) its impact of India's trade and shipping ; and

(c) the reaction of Government and All India Shipping Council thereto and the action taken by them in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Iqbal Singh): (a) The requisite information regarding freight increase is given below :—

Date	Quantum of Increase	Reasons for Increase
15-9-1966	7.5%	Increase in the cost of operation.
15-7-1970	12.5%	Increase in the cost of operation.

As regards passenger fares, no information is available as no Indian ships are operating passenger services from Indian to Europe.

(b) Shipping freight is only one of the several factors which influence the foreign trade of the country. It is, therefore, difficult to isolate the effect of a single factor on the rise and fall in trade. However, the general effect of the increase in freight rates on Indian shipping will be beneficial because the earnings of Indian shipping companies who are members of the Conference will also go up.

(c) As a result of pressures brought by the All India Shippers' Council and other shippers organisations and the Government of India, the Conference was persuaded to bring down the quantum of increase in July, 1970 from 15% as originally proposed to 12.5% and also to give special treatment to certain specific sensitive commodities of export.

Area of Indian Union Published in "India Reference Annual"

1942. **Shri Onkar Lal Berwa : Shri Bharat Singh Chauhan : Shri Hukam Chand Kachwai : Shri Bansh Narain Singh :**

Will the **Minister of Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the area of the Indian Union published in the India Reference Annual in 1953, 1957, 1958, 1962 and 1965 :

(b) whether it is a fact that in the aforesaid publication the area of the Indian Union has been shown as 1.269,640 square miles (3,299,795 Kilometres), 3.292,673 Kilometres, 3,274,212 Kilometres, 1,269,507 square miles (3,278,892 Kilometres), 3,268,081 Kilometres in 1953, 1957, 1958, 1962 and 1965, respectively ;

(c) if so, the extent to which the area of the Indian Union has reduced during the period from 1953 to 1965 as per India Reference Annual ; and

(d) the reasons for brining out incorrect publications and the action taken by Government to correct them ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) Yes, Sir.

(b) The area of India given in India Reference Annual, 1953, 1957, 1958 and 1962 is in square miles and that given in India Reference Annual 1965 is in square kilometres. These figures are as follows :—

1953	—	12,69,640 square miles.
1957	—	12,66,900 square miles. (Provisional)
1958	—	12,59,797 square miles. (Provisional)
1962	—	12,61,411 square miles. (Provisional)
1965	—	32,68,081 square kilometres. (Provisional)

(c) and (d). The reasons for variations in the area of India given in various publications during the period from 1953 to 1965 were fully explained in the Statement laid on the Table of the Lok Sabha on 5-8-1966 by the then Minister of Education Shri M. C. Chagla.

साम्प्रदायिक कार्यवाहियों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस को अनुदेश

1943. **श्री मुहम्मद शरीफ :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने जून, 1970 में दिल्ली पुलिस को राजधानी में साम्प्रदायिक दंगे भड़काने वाले लोगों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही करने के लिये अनुदेश दिये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है और सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या विशेष कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख). साम्प्रदायिक तत्वों से निपटने के उपायों के बारे में दिल्ली प्रशासन को जून 1970 में कोई विशिष्ट अनुदेश नहीं दिये गये थे । दिल्ली में साम्प्रदायिक स्थिति के बारे में केन्द्रीय सरकार उनके साथ निरन्तर सम्पर्क बनाये रखती है । सम्बन्धित प्राधिकारी पूर्ण रूप से सतर्क है। 25 जून 970 को दिल्ली के जिलान्यायाधीश ने आपराधिक दंड सहिता धारा 144 के अधीन किसी धार्मिक वर्ग या जाति के सदस्यों द्वारा शारीरिक ड्रिल आदि करने पर पाबन्दी लगाते हुए आदेश जारी किये थे ।

महाराष्ट्र में कृषक तथा मजदूर दल द्वारा शिव सेना के विरुद्ध न्यायिक जांच की मांग

1944. **श्री मुहम्मद शरीफ :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में कृषक तथा मजदूर दल की मांग के अनुसार शिव सेना की गतिविधियों के बारे में कोई न्यायिक जांच की गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) राज्य सरकार इस प्रकार की कोई जांच कराना आवश्यक नहीं समझती है । शिव सेना की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और जब कभी कोई अराजकता या सिंहा के कार्य दृष्टि में आते हैं तो तुरन्त एवं निवारक कार्यवाही की जाती है ।

हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों को पंजाब तथा हरियाणा में मिलाया जाना

1945. **श्री मुहम्मद शरीफ :** क्या गृह-कार्य मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आर्थिक, राजनीतिक तथा प्रादेशिक कारणों से हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों को पंजाब तथा हरियाणा में मिलाने के प्रश्न पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा वया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) जब से हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया इसको एक अलग इकाई के रूप में रखा गया । वास्तव में पंजाब के पुनर्गठन के समय उसके कुछ क्षेत्र इसमें विलीन किये ग थेये ।

तदन्तर उस निर्णय को बदलने और संघ शासित प्रदेश के क्षेत्रों को निकटवर्ती राज्यों में मिलाने का कोई औचित्य ही नहीं था ।

सचिवों की फेर बदल के संबंध में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें

1946. **श्री जी० वाई० कृष्णन् :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने विभिन्न सचिवों की फेर-बदल से संबंधित प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो जिन मन्त्रालयों में सचिवों ने 10 वर्ष से अधिक की अवधि गुजारी है उन मन्त्रालयों के तथा सचिवों के नाम क्या हैं ?

प्रधान मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री, गृह-कार्य मंत्री, तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) ऐसी कोई सिफारिश नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल में भारतीय साम्यवादी (मार्क्सवादी) के कार्यालय पर हमला

1947. **श्री विश्वनाथ मेनन :** **श्री गणेश घोष :**
श्री ज्योतिर्मय बसु : **श्री मुहम्मद इस्माइल :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ शरारती लोगों ने 16 जून 1970 को जलपाईगुड़ी, पश्चिमी बंगाल में भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) के जिला समिति कार्यालय को पूर्णतः तहस-नहस कर दिया था ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कुल कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है ;

(ग) क्या आक्रमणकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : (क) से (ङ). तथ्य मालूम किये जा रहे हैं ।

सलाहकार समितियों पर व्यय

1948. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** क्या संसदीय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सलाहकार समितियों की संख्या कितनी है और 19 6-67 से 1968-69 तक दिल्ली में तथा दिल्ली से बाहर उनकी बैठकों पर, सदस्यों को दिये गये यात्रा तथा दैनिक भत्तों सहित, कुल कितना व्यय आया है ;

(ख) प्रत्येक समिति ने औसतन कितने घंटे कार्य किया है : और

(ग) क्या उन पर किया गया व्यय उससे प्राप्त हुए परिणामों के अनुपात में था ?

संसद्-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मन्त्री (श्री रघुरामैया) : (क) एक विवरण, जिसमें सलाहकार समितियों की संख्या और उनके द्वारा 1966-67 से 1968-69 के वर्षों के दौरान में की गयी बैठकों को दिखाया गया है, संलग्न है। ये समितियां अपनी बैठकें वर्ष 1968-69 तक सामान्य रूप से दिल्ली में संसद् सत्रों के दौरान करती रहीं। इसलिए, यात्रा और दैनिक भत्तों के दिये जाने का प्रश्न सामान्य रूप से उठा ही नहीं।

(ख) औसतन डेढ़ घंटे से दो घंटों तक

(ग) इन समितियों द्वारा प्राप्त हुए परिणामों को व्यय द्वारा नही मापा जा सकता है। [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिये** संख्या एल० टी० 3889/70]

भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी लेनिनवादी) द्वारा कलकत्ता में 'लाल आंतक' पैदा करना

1949. **श्री वेणी शंकर शर्मा :**
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) ने अपने दल के मुखपत्र 'देश-भारती' के अंक में मई 1970 के दूसरे सप्ताह में कलकत्ता में छापामार कार्यवाहियों में तेजी लाकर शासक दल के 'सफेद आंतक' के स्थान पर 'लाल आंतक' पैदा करने की धमकी दी है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस चुनौती का सामना करने लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : (क) सरकार की उग्रपथियों के ऐसे प्रबोधनों का पता है।

(ख) तथा (ग). केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार के साथ पूरी तरह सम्पर्क बनाए हुए हैं और उग्रवादियों की गतिविधियों को दबाने के लिए अत्यधिक सतर्कता तथा कानून के समस्त उपबन्धों, निरोधात्मक तथा दण्डात्मक, का कड़ा प्रयोग किये जाने की आवश्यकता पर बल देती है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार को अतिरिक्त सशस्त्र पुलिस कुमकों, वायरलैस तथा अन्य उपकरण तथा आसूचना के एकत्रीकरण समेत सभी उचित सहायता भी दी गई है।

पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार उग्रवादियों की गतिविधियों का सामना करने के लिए कानून के अनुसार कड़ी कार्यवाही कर रही है। उन्होंने उग्रवादियों के विरुद्ध षड़यन्त्रों के मामलों समेत मुकदमे चलाए हैं। विघटन-साहित्य के प्रकाशकों तथा मुद्रकों के विरुद्ध भी कार्यवाही आरंभ की गई है। अवैध रूप से रखे गये आग्नेयास्त्रों तथा विस्फटकों की बरामदगी के लिए नियमित अभियान आयोजित किये गये हैं और इन अभियानों के परिणाम अच्छे हुए हैं।

उग्रवादियों की गतिविधियों से निपटने के लिए अग्रेतर विधायी उपाय भी विचाराधीन हैं।

Statement by President of Assam Hills Nehru Sewak Sangh Regarding Infiltration of Naxalities in Assam

1950. **Shri Beni Shanker Sharma :**
Shrimati Ila Palchoudhury :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether her attention has been drawn to the news item published in Amrit Bazar Patrika dated the 1st July, 1970 under the dateline Vijaywada, June 30 that the Assam Hills Nehru Sewak Sangh President has alleged that about 10,000 Naxalites trained and armed in China have infiltrated into Assam and established their bases in six districts of Assam ;

(b) whether Government consider that such people euphemistically called Naxalites are nothing but guerrilla soldiers of China waging a war from inside the country ;

(c) whether Government consider that such matters are to be dealt with on a war level and not on any political level : and

(d) if so, the steps taken by Government in this matter ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of State, Departments of Electronics and Scientific and Industrial Research (Shri K. C. Pant) : (a) Government have seen the press report, but there is no basis for such exaggerated apprehensions.

(b) The ideological links between the extremists and China are well known.

(c) and (d). The State Governments and Union Territories Administrations are taking action under law to deal with violent and other unlawful activities of the Extremists. The Central Government are keeping in close touch with the State Governments and Union Territories Administrations and providing to deal with the activities of the extremists. Steps taken to counter the activities of the extremists include strengthening of intelligence machinery, rigorous use of existing legal provisions, prosecution of the printers and publishers of subersive literature, drives to recover illicitly held fire arms and explosives and arrangements for inter-State Corporation and coordination.

असैनिक उड्डयन के महानिदेशक और पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्रालय के मध्य नीति संबंधी मामलों में मतभेद

1951. **श्री वेणी शंकर शर्मा :**		**श्री शिवचन्द्र झा :**
श्री नंद कुमार सोमानी :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मन्त्रालय और उसके एक तकनीकी विभाग, असैनिक उड्डयन के महानिदेशालय के मध्य भारी मतभेद हो गया है। जिसके परिणामस्वरूप दोनों के बीच संपर्क वास्तव में भंग हो गया है।

(ख) क्या यह मतभेद वैयक्तिक और नीति सम्बन्धी मामलों पर है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है और इसको सुलझाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

शरारती लोगों द्वारा एक धार्मिक स्थान की पवित्रता भंग करना

1952. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 27 मई, 1970 के "दि स्टेट्समैन" (कलकत्ता) में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि कुछ शरारती लोगों द्वारा एक धार्मिक स्थान की पवित्रता को भंग करने के परिणामस्वरूप शहर में भारी तनाव फैला हुआ है ;

(ख) क्या उस घटना की कोई जांच करवाई गई है तथा अपराधियों को पकड़कर दंड दिया गया है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) सरकार ऐसी उत्तेजनात्मक कार्यवाहियों को रोकने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है और क्या ये कार्यवाहियां कुछ गूढ़ उद्देश्यों को लेकर की जा रही हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) सरकार ने हैदराबाद शहर में कुछ घटना के सम्बन्ध में समाचार देखा है ।

(ख) पुलिस द्वारा मामले की जांच की गई थी किन्तु अपराधी का पता न लग सका ।

(ग) आंध्र प्रदेश की सरकार ने सूचना दी है कि राज्य में ऐसी घटनायें कतिपय होती हैं । तथापि साम्प्रदायिक स्थिति के बारे में कड़ी निगरानी रखी जा रही है ।

सलाहकार समितियों को संसदीय समितियों में परिवर्तित करने का सुझाव

1953. **श्री बलराज मधोक :** क्या संसदीय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस आशय का सुझाव कई बार दिया गया है कि या तो सलाहकार समितियों को संसदीय समितियों में परिवर्तित कर दिया जाए अथवा बढते हुए काम को पूरा करने के लिए संसद् का समय और बैठकों की संख्या को बढ़ा दिया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस सुझाव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसद्-कार्य और नौवहन एवं परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) और (ख). चौथी लोक-सभा के आरम्भ में अनौपचारिक सलाहकार समितियों को संसदीय समितियों में परिवर्तित करने के लिए विभिन्न विरोधी दलों के नेताओं से सुझाव प्रप्त हुए थे । इस विषय पर विरोधी दलों के नेताओं के साथ विस्तारपूर्वक चर्चा की गई और यह निर्णय किया गया कि अनौपचारिक सलाहकार समितियों का सलाहकार समितियों में पुनर्गठन किया जाये तथा उनके लिए निश्चित निदेशक सिद्धांत बनाये जायें । सलाहकार समितियों के स्थान पर संसदीय समितियों को नियुक्त करने के सुझाव के प्रति सरकारी प्रतिक्रिया को बनाये गये इन निदेशक सिद्धांतों को पहले ही शामिल कर लिया गया है । उनके परिच्छेद 1 में से संगतउद्धरण को भी उद्धृत किया गया है ।

> "तथापि इन समितियों की तुलना संसद् की स्थाई समितियों से नहीं की जा सकती है" ।

इस विषय में दिये गये किसी भी ऐसे सुझाव को कि बढ़ते हुए काम को पूरा करने के लिए संसद् का समय और बैठकों की संख्या को बढ़ा दिया जाए से सरकार अवगत नहो है।

दिल्ली में महिलाओं का अपहरण और उनके साथ छेड़-छाड़

1954. **श्री बलराज मधोक** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन महीनों में संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में महिलाओं के अपहरण और उनके साथ छेड़-छाड़ की कुल कितनी घटनायें हुई ;

(ख) ऐसे मामलों में कितने अपराधी पकड़े गए हैं ; और

(ग) कानून तथा व्यवस्था की स्थिति सुधारने और ऐसे अपराधों को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). एक विवरण नीचे दिया जाता है :

विवरण

	महिलाओं के अपहरण की घटनायें	छेड़-छाड़ की घटनायें
1-5-1970 से 31-7-1970 तक की अवधि में संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में महिलाओं के अपहरण और उनके साथ छेड़-छाड़ की कुल घटनायें।	24	18
1-5-1970 से 31-7-1970 तक की अवधि में पकड़े गये अपराधी।	9	18

(ग) एक विवरण नीचे दिया जाता है।

विवरण

कानून व व्यवस्था की स्थिति सुधारने और ऐसे अपराधी को रोकने के लिए उठाये गये कदमों के बारे में टिप्पणी।

वायरलैस गाड़ियां चौबीस घंटे गश्ती ड्यूटी पर रहती हैं। स्कूलों, कालेजों और बस स्टापों पर सादा कपड़ों में और वर्दी में व्यक्ति तैनात किये जाते हैं। जनता के मार्गदर्शन के लिए इस विषय पर व्यापक प्रचार किया जाता है। छेड़-छाड़ करने वालों तथा गुंडों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो, जिन्होंने इस समस्या का अध्ययन किया था, की सिफारिशों को कार्यान्वित किया जा रहा है। ऐसे मामलों की जांच-पड़ताल के लिए तत्पर कार्यवाही करने हेतु जिला पुलिस और खुफिया विभाग की अपराध शाखा को भी विस्तृत अनुदेश जारी कर दिये गये हैं।

दिल्ली में नगर निगम के निर्वाचन क्षेत्रों का नये सिरे से परिसीमन करना

1955. **श्री बलराज मधोक** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में नगर निगम के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या 10 हजार से लेकर 40 हजार तक है ;

(ख) क्या मतदाताओं की संख्या में इतनी बड़ी असमानता, समान प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के विरुद्ध है और यह दक्षिण, पश्चिम तथा पूर्वी दिल्ली के पुनर्वास विभाग के तथा अन्य नई कालोनियों के साथ भेद-भाव करती है जिनको कि निगम में पूरा प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि दिल्ली नगर निगम के आगामी चुनावों से पहले समानता के आधार पर नगर निगम के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिये दिल्ली के उप-राज्यपाल तथा म्यूनिसिपल कमिश्नर को अभ्यावेदन दिये गये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो निर्वाचन क्षेत्रों का नये सिरे से परिसीमन कब आरम्भ तथा पूर्ण किया जाएगा ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलैक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य-मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (घ). नगर निगम के विभिन्न क्षेत्रों में मतदाताओं की निश्चित संख्या के बारे में इस समय कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। नगर निगम के 1967 के चुनावों में प्रयोग की गई निर्वाचक सूचियों के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या करीब 8,000 से लेकर करीब 37,000 के बीच तक बतलाई गई है।

दिल्ली प्रशासन और दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि नगर निगम के क्षेत्रों का सीमांकन करने के लिए कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे।

दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 की धारा 5(2) और 6 के अधीन केन्द्रीय सरकार के अधिकार संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के प्रशासन को सौंप दिये गये हैं जो इस मामले में उपयुक्त कार्यवाही करेंगे।

आसाम और नागालैंड के मध्य सीमा सम्बन्धी विवाद

1956. **श्री जि० मो० बिस्वास** : **श्री जनार्दनन** :
श्री धीरेश्वर कलिता :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम और नागालैंड के बीच सीमा सम्बन्धी विवाद न सुलझने से दोनों राज्यों के सम्बन्ध बिगड़ रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस विवाद को सुलझाने के लिए केन्द्र ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) नागालैंड सरकार ने नागालैंड से लगने वाले असम

के कुछ क्षेत्रों पर दावा किया है। इन क्षेत्रों में जब कोई घटनायें होती हैं तो इससे असम और नागालैंड की सरकारों के बीच अनबन शुरू हो जाती है।

(ख) स्थिति को सुधारने के प्रयत्न किये जा रहे है।

सतर्कता आयुक्तों द्वारा कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार के तरीकों के बारे में अनुसंधान सम्बन्धी अध्ययन

1957. **श्री लोबो प्रभु** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त ने विभिन्न प्रकार के कार्यालयों में भ्रष्टाचार के तरीकों के बारे में कोई अनुसंधान सम्बन्धी अध्ययन किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके हित में अच्छे मार्गदर्शन के हेतु उनके प्रतिवेदन प्रशासन और जनता को उपलब्ध किये जायेंगे ;

(ग) जिन व्यक्तियों से घूस मांगी जाती है, उन्हें उपलब्ध होने वाली सहायता का क्या प्रचार किया गया था ; और

(घ) उन कार्यालयों पर जहां भ्रष्टाचार एक साधारण सी बात है, निगरानी रखने के लिए सतर्कता के क्या उपाय किए गए हैं और यदि नहीं, तो सरकारी कार्यालयों के लिए सतर्कता सम्बन्धी कोई तरीका न अपनाने का क्या कारण है ?

प्रधान मन्त्री, अणुशक्ति मन्त्री, गृह-कार्य मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख). केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने इस प्रकार का कोई अनुसंधान सम्बन्धो अध्ययन नहीं किया है। तथापि, केन्द्रीय जांच ब्यूरो समय-समय पर विभिन्न कार्यालयों में फैले भ्रष्टाचार के विभिन्न तरीकों की जांच पडताल करता है। वे इन जांच-पड़तालों के परिणामों का उपभोग, सतर्कता एवं भ्रष्टाचार विरोधी वार्षिक कार्यक्रम बनाने में तथा उचित बचाव कार्यवाही के लिए सुझाव देने में, करते हैं।

(ग) समय-समय पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो के कार्यों का आवश्यक प्रचार किया जाता है और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए केन्द्रीय जाँच ब्यूरो के कार्यों को स्पष्ट करने वाली पुस्तिका भी प्रकाशित की जाती है।

(घ) सतर्कता और भ्रष्टाचार-विरोधी कार्य का एक वार्षिक कार्यक्रम बनाया जाता है एवं उसे केन्द्रीय सतर्कता ब्यूरो द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इसमें उन व्यक्तियों पर निगरानी रखना, जिनकी ईमानदारी पर सन्देह है, आकस्मिक जांच और संवेदनशील विभागों में तीव्र कार्यवाही भी शामिल है।

भीषण दंगों की घटनाओं से पूर्व, जिनमें पुलिस ने गोली चलाई, की गई निवारक कार्यवाही

1958. **श्री लोबो प्रभु** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष में ऐसे कितने मामले हुए हैं जिनमें धारा 107 के अन्तर्गत भीषण दंगों के होने से पूर्व निवारक कार्यवाही की गई तथा जिसमें पुलिस द्वारा गोली चलाई गई ;

(ख) क्या इस कार्यवाही के न करने के कारण पुलिस से कोई स्पष्टीकरण मांगा गया है ; और

(ग) राज्य सरकारों को यह परामर्श न देने के क्या कारण हैं कि उपद्रवों का पूर्व अनुमान लगाने के लिए भविष्य में ऐसे स्पष्टीकरण मांगे जायें ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य-मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). जम्मू और काश्मीर, हरियाणा, गोवा, दमन और दीव, पांडिचेरी, मणिपुर, नेफा, लकादीव, मिनिकाय एवं अमन दिव द्वीपों के बारे में सूचना निम्न विवरण में दी गई है। अन्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में सूचना एकत्रित की जा रही हैं और उसके मिलने पर सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	प्रश्न का भाग (क)	प्रश्न का भाग (ख)
	गत एक वर्ष के दौरान उन मामलों की संख्या, जिनमें धारा 1 7 के अन्तर्गत भीषण दंगों के होने से पूर्व निवारक कार्यवाही की गई तथा जिनमें पुलिस द्वारा गोली चलाई गई (1-4-1969 से 31-3-1970 तक की सूचना)	क्या इस कार्यवाही के न करने के कारण पुलिस से कोई स्पष्टीकरण माँगा गया है।
1. जम्मू और काश्मीर	नहीं	प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि कोई ऐसा भीषण दंगा नहीं हुआ जिसमें पुलिस ने गोली चलाई हो।
2. गोआ, दमन और दीव	नहीं	—वही—
3. पांडिचेरी	नहीं	—वही—
4. मणिपुर	नहीं	23-9-1969 को एक घटना हुई जिसमें पुलिस ने गोली चलाई। कानून के अन्य निवारक धाराओं के अधीन इस घटना से पहले तीन व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे।

1	2	3
5. नेफा	नहीं	प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि कोई भीषण दंगा न हुआ।
6. लक्कादीव, मिनीकाय और अमिनदिव द्वीप-समूह	नहीं	—वही—
7. हरियाणा	नहीं	चण्डीगढ़ आंदोलन के विषय में एकत्रित भीड़ को तितर बितर करने के लिए राज्य में पुलिस द्वारा गोली चलाई जाने की 13 घटनायें हुई। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 10-ए के अधीन कोई निवारक कार्यवाही नहीं की गई क्योंकि आंदोलन एक दम भड़क उठा था।

(ग) "लोक व्यवस्था" का विषय राज्य क्षेत्र में आता है। यद्यपि, राज्य सरकारों को वे सभी सम्भव पूर्व निवारक उपाय करने का सुझाव दिया गया है जिनसे यह सुनिश्चित हो सके कि प्रारम्भ से ही स्थिति नियंत्रण में है और विकसित न होने दी जायेगी। उन्हें यह भी सलाह दी गई है कि कानून तथा व्यवस्था बनाये रखने के लिये उत्तरदायी अधिकारियों पर यह प्रभाव डाला जाये कि उनकी ओर से हुई कोई गल्ती ड्यूटी की भारी अवहेलना समझी जायेगी और उसी की तरह उन्हें सजा दी जायेगी।

सड़कों के निर्माण के सम्बंध में सड़क तथा परिवहन संघ का अवलोकन

1959. **श्री लोबो प्रभु :** क्या नौवहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सड़क तथा परिवहन संघ की हाल में हुई बैठक में लगाये गए इस हिसाब को देखते हुए कि सड़कों के निर्माण पर लगाये गये 250 करोड़ रुपए से 10 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रूप से तथा 20 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हुआ है, तो चौथी योजना में सड़कों के निर्माण पर व्यय किये जा रहे 876 करोड़ रुपए में वृद्धि न किये जाने के क्या कारण हैं ?

(ख) यदि अधिक राशि सरकार को राजस्व से प्राप्त नहीं हो सकती है तो ऋण के जरिये रकम न जुटाये जाने के क्या कारण हैं जिनको स्थानीय निकायों से किस्तों में आसानी से वसूल किया जा सकता है ;

(ग) चूंकि मैसूर राज्य में 1962 में ग्राम्य संचार की 10,000 मील से अधिक की व्यवस्था, जो अधूरी सुविधाओं तथा अन्य अपूर्ण भागों के कारण, अधूरी रह गई है, आवश्यक

आधा हिस्सा स्थानीय निकायों से ऋण के रूप में प्राप्त कर अतः इसके निर्माणकार्य को लोक निर्माण विभाग द्वारा यह पूरा न कराये जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) उनके मंत्रालय द्वारा इसका पता न लगाये जाने के क्या कारण हैं कि राज्य सरकार इस प्रकार केन्द्रीय सरकार से ऋण लेना चाहती है या नहीं ?

नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) चौथी योजना में सड़कों के लिए की गयी व्यवस्था साधनों की कठिनाई और अन्य प्रतियोगी आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए निश्चित की गयी है। सड़क परिवहन के अतिरिक्त रोजगार अवसर सृजन की क्षमता को भी दृष्टि में रखा गया है।

(ख) चौथी योजना का आकार निश्चित करने में उपलब्ध साधनों के अंतर्गत विकास कार्य-क्रमों के लिए उपलब्ध होने वाली राशियों को भी दृष्टि में रखा गया है।

(ग) और (घ). ग्रामीण संचार मुख्य रूप से राज्य के क्रियाकलापों में आता है। अतः प्रश्न के भाग (ग) और (घ) में पूछे गये प्रश्नों से मुख्यतः मैसूर सरकार संबंधित है। पोत्तपरिवहन तथा परिवहन मंत्रालय ग्रामीण सड़कों के लिए राज्यों को ऋण नहीं देता है।

प्राथमिक स्कूलों में "मातृ दिवस" मनाया जाना

1960. **श्री लोबो प्रभु : शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय राज्य सरकारों को प्रत्येक महीने सभी प्राथमिक स्कूलों में 'मातृ-दिवस' मनाने के लिए कहेगा जिससे माताओं की अभिरुचि बढ़े और बच्चों को खेलों, नाटकों, जो कि कार्यक्रम में निहित हो सकते हैं, में भाग लेने के लिए प्रोत्साहन दिया जा सके ;

(ख) चूंकि ऐसे आयोजन महिलाओं को आपस में मिलने-जुलने का अवसर दे सकते हैं इसलिए क्या अध्यापकों को उन्हें आयोजित करने में सहायता देने के लिए पंचायतीराज और विकास कर्मचारियों को कहा जायेगा ; और

(ग) क्या केन्द्र प्रत्येक जिले में सुप्रयास के लिए पुरस्कार देकर राज्य सरकारों को उत्साहित करेगी ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री अ० कु० किस्कू) : (क) से (ग). इस प्रस्ताव को राज्य सरकारों से सिफारिश कर दी जाएगी। चूंकि शिक्षा राज्य का विषय है। अतः इस योजना को अमल में लाने का काम राज्य सरकारों का होगा। जहां तक प्रत्येक जिले में उत्तम प्रयत्नों के लिए पुरस्कार देने की बात है, प्रत्येक जिले में स्कूलों की अधिक संख्या तथा अच्छे स्कूलों का निर्णय करने से संबंधित प्रशासकीय कार्य को ध्यान में रखते हुए, इस प्रस्ताव को व्यवहारिक नहीं समझा गया है। फिर भी, स्कूलों के निरीक्षक अधिकारी प्रधानाध्यापक तथा प्रबन्ध के कार्यों के मूल्यांकन के लिए स्कूलों द्वारा अभिभावक शिक्षक संबंधों को प्रोत्साहन देने के लिए किये गये प्रयत्नों को ध्यान में रखेंगे।

Setting up of an Arms Training Centre by Naxalites in Bara Pahar near Abhaypuri in Gauhati

1961. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have found out from their sources that the Naxalites had set up a Training Centre for giving training in arms in Bara Pahar near Abhyapuri in Gauhati ;

(b) whether Government apprehend the possibility of some violent activities being encouraged by the Naxalites in near future ; and

(c) the action proposed to be taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of State, Departments of Electronics and Scientific and Industrial Research (Shri K. C. Pant) : (a) to (c). Facts are being ascertained.

Appointment of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Industrial Undertakings

1962. **Shri Molahu Prashad :** Will the the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given the Unstarred Question No. 5859 on the 10 April, 1970 regarding filling up of posts reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes by members of that community and state :

(a) the reasons for not giving details regarding the persons appointed to posts reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribles, undertaking-wise and category-wise, in the industrial undertakings in which 51 per cent of the capital has been invested by the Government of India, excepting in the cases of pre-examination Training Centres at Allahabad and Madras ; and

(b) the time by which the requisite information is likely to be furnished ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy) : (a) and (b). The information promised to be laid on the table of the House in reply to a supplementary to Starred Question No. 425 on the 5th December, 1969, relates to the number of Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates who were imparted training at the pre-examination training centres at Allahabad and Madras and those who qualified successfully in various competitive examinations etc. As these pre examination training centres impart training only to those Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates who would be competing for I.A.S. etc. combined competitive examinations, the information in this regard has been furnished in respect of such examinations while replying to Unstarred Question No. 5859 on 10th April, 1970. As these centres do not provide any special training to candidates who compete for recruitment to services/posts under the Public undertakings, the question of giving this information undertaking-wise and category-wise in the Industrial Undertakings in which 51% of the capital has been invested by the Government of India does not arise.

Grant of Scholarships to Scheduled Castes and Scheduled Tribes Students in States

1963. **Shri Molahu Prashad :** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5013 on the 3rd April, 1970 regarding the grant of scholarships to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes students studying in VI to XI Classes in Delhi, and state :

(a) the reasons for non-availability of similar information about the States readily and the efforts being made to get that information from the States ;

(b) whether the position of the States is not kept in view at the time of fixing rates of scholarships ; and

(c) if so, the reasons therefor and the measures being taken to improve the situation ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) 'Education' being a State subject, the information asked for was not available with the Government at that time. The information has since been collected from some of the States ; it is still awaited from others.

(b) and (c). The position obtaining in neighbouring States is kept in view while proposals relating to a Union Territory are considered by the Government of India.

Revision of Seniority List of Employees of Delhi Administration

1964. **Shri Molahu Prashad :** Will the Minister of Home Affairs be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5106 on 3rd April, 1970 regarding confirmation of Scheduled Caste and Scheduled Tribes employees in Delhi Administration and state :

(a) whether the Delhi Administration has revised the seniority list of its employees; and

(b) if so the number of those employees who have been actually benefitted ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of State, Departments of Electronics and Scientific and Industrial Research (Shri K. C. Pant) : (a) Tentative seniority lists for all grades of the Subordinate Services, except Grade II (Executive) have been issued and objections invited. They are now being finalised after considering the objections. Issue of tentative Seniority list in respect of Grade II (Executive) has been stayed by an order of Delhi High Court.

(b) As all the seniority lists have not so far been finalised, it is not possible to state the exact number of employees who will be benefited.

इंडियन एयरलान्इस में बोइंग सेवा आरम्भ करने की तैयारी

1965. श्री चेंगलराया नायडू :
श्री रा० बरुआ :

क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स में बोइंग सेवा आरम्भ करने की तैयारी पूरी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) अब तक कुल कितने बोइंग विमान खरीदे गये हैं तथा किन मार्गों पर वे चलाये जायेंगे और उनसे देश की विमान सेवाओं में कहां तक सुधार होगा ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) इंडियन एयरलाइन्स की बोइंग सेवाओं को 1971 के शुरू में चालू करने की तैयारियां सुचारू रूप से चल रही हैं ।

(ख) इंडियन एयरलाइन्स ने निम्नलिखित पहलुओं पर कार्यवाही शुरू कर दी है :

(i) पालम हवाई अड्डे पर हैंगरों तथा गोदामों में सुधार ;

(ii) पाइलाटों, इंजीनियरों तथा वाणिज्यिक कर्मचारी-वर्ग का प्रशिक्षण ; और

(iii) फालतू पुर्जों तथा उपस्कर की प्रारंभिक रूप से व्यवस्था।

(ग) इंडियन एअरलाइन्स ने सात बोइन्ग 737-200 विमानों के लिये क्रय-आदेश दे दिये हैं। मार्ग-योजना (रूट पेटर्न) के विस्तृत ब्यौरे को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

परीक्षाओं को मन्सूख करना

1966. **श्री चेंगलराया नायडू :** **श्री जगेश्वर यादव :**
श्री रा० बरुआ :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों के शैक्षणिक संस्थाओं में परीक्षाएं वहां के स्कूलों और कालेजों में व्याप्त अव्यवस्था के कारण मन्सूख कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो इससे विद्यार्थियों के शैक्षिक भविष्य पर किस प्रकार प्रभाव पड़ेगा ; और

(ग) क्या हमारी शैक्षणिक संस्थाओं के कार्य में इन बढ़ते हुए उपद्रवों को रोकने के लिये कोई स्थायी हल निकाला गया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश माध्यमिक तथा इन्टरमिडियेट शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं अनुसूची के अनुसार ही हुई थी। जहां तक विश्वविद्यालयों का संबंध है, छात्रों की गड़बड़ी के कारण लखनऊ विश्वविद्यालय की परीक्षाएं कुछ समय तक के लिए स्थागित कर दी गई थी। व्यक्तिगत स्कूलों और कालिजों द्वारा आयोजित वार्षिक परीक्षाओं को रद्द किए जाने के सम्बन्ध में सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है।

दूसरे राज्यों के कुछ विश्वद्यिालयों में भी वार्षिक परीक्षाओं को स्थगित करना पड़ा था पश्चिम बंगाल में विद्यार्थियों के वर्गों के द्वारा हिंसात्मक गड़बड़ी के कारण विभिन्न कालिजों की ऐसी परीक्षाओं का परित्याग करना पड़ा था।

(ख) जिन संस्थाओं में वार्षिक परीक्षाएं नहीं हो सकी, वहां के छात्रों के शैक्षिक भविष्य पर स्थायी रूप से प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि इस समस्या के बारे में संस्थाओं का सामान्य रवैया छात्रों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण है। सामान्यतया, शिक्षा संस्थाएं विद्यार्थियों के लाभ के लिए नए सिरे से परीक्षाएं लेने के लिए अथवा परीक्षणों का प्रबंध करने का प्रयत्न करती है ताकि उनके शैक्षिक जीवन पर बुरा प्रभाव न पड़े।

(ग) जी, नहीं। तथापि गड़बड़ियों को दबाने के लिए और साथ ही छात्र असंतोष पैदा करने वाले कारणों को दूर करने के लिए यथासंभव प्रयत्न किये जा रहे हैं।

विदेशों में कार्य कर रहे भारतीयों की भर्ती

19 7. **श्री द० ब० राजू** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में कार्य कर रहे ऐसे कितने भारतीय हैं जिन्हें वर्ष 1968 से जून, 1970

तक संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 500 रुपये से अधिक परिलब्धियों वाले पदों पर भर्ती किया गया है ; और

(ख) इस प्रयोजन के लिए विदेशों से कितने साक्षातकारों की व्यवस्था की गई ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा : (क) और (ख). 1968 के पश्चात् संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विदेशों में आयोजित किए गये केवल वे साक्षात्कार हैं जो "विदेश में साक्षात्कार 1968" की योजना के अन्तर्गत किये गए थे। लंदन और बौन में नवम्बर और दिसम्बर, 1968 में तथा ओटावा, वाशिंगटन तथा सैन-फ्रांसिस्को में जून और जुलाई, 1969 में साक्षात्कार किए गए थे।

योजना के अन्तर्गत साक्षात्कार किए गये 77 उम्मीदवारों की 30 जून, 1970 तक विभिन्न पदों पर नियुक्त करने के लिए सिफारिश की गई थी जिसमें 7 उम्मीदवारों को उस तिथि पर मंत्रालयों विभागों द्वारा अभी प्रस्ताव भेजे जाने थे। उन 70 उम्मीदवारों में से जिन्हें नियुक्ति के प्रस्ताव भेजे गये थे 5 ने प्रस्तावित पदों को स्वीकार किया ; 43 उम्मीदवारों के प्रस्तावों को रद्द करना पड़ा क्योंकि उन्होंने प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया था अथवा अन्य कारणों से रद्द किए गए जबकि 22 उम्मीदवारों के मामलों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। उन सभी उम्मीदवारों की 500 रु० प्रति-माह की परिलब्धियां वाले पदों के लिए सिफारिश की गई थी। उक्त आंकड़े उन उम्मीदवारों से सम्बन्धित हैं जिनका साक्षात्कार विदेशों में किया गया था और जो साक्षात्कार के समय या तो विदेशों में कार्य कर रहे थे या पढ़ रहे थे और इनका सम्बन्ध केवल उन उम्मीदवारों से नहीं है जो विदेशों में "कार्य कर रहे थे। यह भी कि इन आंकड़ों में विदेशों में रहने वाले उन उम्मींदवारों के मामले सम्मिलित नहीं हैं जो समय-समय पर आयोग द्वारा निकाले गये सामान्य विज्ञापनों के उत्तर में साक्षात्कार के लिए भारत आये हों तथा जिनकी ऐसे साक्षात्कार के आधार पर आयोग द्वारा सिफारिश की गई हो।

सरकार तथा पत्तन तथा गोदी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के बीच सम्मेलन

1968. **श्री रा० बरुआ :**

श्री प० विश्वम्भरन :

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पत्तनों पर कार्य कर रहे कर्मचारियों द्वारा बार-बार हड़ताल करने की समस्या का कोई स्थायी हल निकालने के लिये, हाल ही में सरकार तथा पत्तन तथा गोदी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के मध्य कोई सम्मेलन हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में हुए विचार-विमर्श का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम निकले ?

नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय मे उप-मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) सम्मेलन के निष्कर्षों का एक विवरण सलंगन है।

विवरण

15 और 16 जुलाई 1970 को नई दिल्ली में हुए पत्तन सम्मेलन के निष्कर्ष।

श्री के० रघुरमैया, ससद कार्य, नौवहन तथा परिवहन मंत्री, की अध्यक्षता में 15 तथा 16 जुलाई, 1970 को नई दिल्ली में पत्तन परिवहन उद्योग में औद्योगिक सम्बन्धों की समस्याओं पर विचार विमर्श करने के लिए एक सम्मेलन हुआ। अन्य व्यक्तियों के साथ इस सम्मेलन में भारत के पत्तन तथा गोदी कर्मचारियों के 3 संघों के प्रतिनिधियों, पत्तन न्यासों तथा गोदी कर्मचारी बोर्डों के अध्यक्षों, नौभरकों की संस्थाओं के संघ के अध्यक्षों तथा भारत खाद्य निगम के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त पोतपरिवहन तथा परिवहन, श्रम वित्त, खाद्य तथा कृषि और विदेश व्यापार मंत्रालयों के अधिकारियों ने भाग लिया।

श्रम तथा रोजगार मंत्री श्री डी० संजीवैया तथा विदेश मंत्रालय के मंत्री श्री एल० एन० मिश्र भी उपस्थित थे।

सम्मेलन में श्रम सचिव की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की जिसमें पत्तन तथा गोदी कर्मचारियों के 3 संघों के प्रतिनिधि, तीन पत्तन न्यासों के अध्यक्ष तथा नौभरकों की संस्थाओं के संघ के अध्यक्ष सदस्य हैं।

श्रम सचिव की अध्यक्षता में इस समिति जिसमें श्री एस० सी० सी० एंटनी पिल्ले (अखिल भारतीय पत्तन तथा गोदी कर्मचारी संघ) श्री मोहन नायर (इंडियन नेशनल पत्तन तथा गोदी कर्मचारी संघ), श्री एम० वी० भद्रम, (भारत के पत्तन, गोदी तथा वाटर फ्रन्ट कर्मचारी संघ) तथा अध्यक्ष, बम्बई पत्तन न्यास, कलकत्ता पत्तन आयुक्त तथा मद्रास पत्तन न्यास श्री एस० सी० सेठ, नौभरकों की संस्थाओं के संघ के अध्यक्ष, सदस्यों के रूप में थे की बैठक 15 जुलाई 1970 के उपरान्ह को इस संस्था पर विचार करने के लिए हुई जिसको पत्तन तथा गोदियों में होने वाले उद्योग-झगड़ों को निपटाने के लिए तथा औद्योगिक शान्ति बनाए रखने के लिए कौन सी व्यवस्था की जाए पर विचार करना था। बहुत विचार-विमर्श के पश्चात् समिति एकमत से निम्नलिखित निष्कर्षों पर पहुँची :

> "समिति केन्द्र में एक वार्ता संस्था के गठन करने के सिद्धान्तरूप से समान है जिसमें पत्तन और गोदी कर्मचारियों के तीन संघ भाग लेंगे और पत्तन अधिकारियों गोदी श्रम बोर्डों के प्रतिनिधि, नौभरकों की संस्थाओं के संघ के प्रतिनिधि और केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि भी भाग लेंगे।"
>
> "समिति उपरोक्त वार्ता संस्था के गठन और कार्य प्रणाली के ब्यौरे की भी जांच करेगी और किसी अन्य स्तर पर किसी और संस्था की आवश्यकता और ऐसी आवश्यकता हो तो उस के गठन के बारे में भी जांच करेगी।"
>
> "ज्ञात हुआ है कि केन्द्र पर की तथा किसी अन्य स्तर पर की, यदि हो तो, वार्ता-संस्था गठन के प्रश्न को अंतिमरूप समिति द्वारा सर्वसम्मत निष्कर्ष पेश किये जाने पर किया जायेगा।"
>
> "समिति सितम्बर 1970 के मध्य तक सरकार को अपनी रिपोर्ट दे देगी।"

"विभिन्न पत्तन तथा गोदियों में औद्योगिक शान्ति बनाये रखने के लिए नौवहन तथा परिवहन मंत्री और श्रम मंत्री की अपील के प्रत्योत्तर में सभी पार्टियों में सहमति हो गई है कि सभी झगड़ों को मित्र भाव से हल करने के प्रयत्न किये जाय। स्थानीय स्तर पर झगड़ों के निपटाने में असफल होने पर केन्द्रीय सरकार को सूचना दी जायेगी तथा केन्द्रीय सरकार समझौता कराने के लिए तुरन्त हस्तक्षेप करेगी। पत्तन तथा गोदी कर्मचारियों के तीन संघर्ष से यह स्वीकार करते हैं कि स्थानीय स्तर पर समझौते के असफल होने पर हड़ताल करने के लिए केन्द्रीय सरकार को ठीक पूरा एक महीने का नोटिस दिया जायेगा तथा स्थानीय स्तर पर अनिर्णीत और उपरोक्त नोटिस की कालावधि में हड़ताल नहीं की जायेगी।"

विभिन्न पत्तन प्राधिकारों, गोदी श्रम बोर्डों और नौभरकों की संस्थाओं के संघ सुनिश्चिय करेगा कि उनके तथा कर्मचारियों के बीच झगड़ों का या तो स्थानीय स्तर पर ही निपटाया जायेगा या एक मास के अन्दर केन्द्रीय सरकार को समझौता कराने के लिए भेज दिया जायेगा। समिति की रिपोर्ट सर्वसम्मति से स्वीकार करते हुए सम्मेलन ने एक मत से यह निश्चिय किया कि सभी झगड़ों को हल करने के लिए तथा पत्तन परिवहन उद्योग में सुदृढ़ औद्योगिक सम्बन्ध बनाने के लिए सभी संस्थाओं द्वारा सामूहिक समझौते की व्यवहार प्रणाली तथा सिद्धांतों का अनुसरण किया जायगा तथा इन को कार्यान्वित किया जायेगा।

Age of the Student Wrestler sent to participate in Commonwealth Games at Edinburgh

1969. **Shri Yashwant Singh Kushwah :**
Shri Chandra Shekar Singh :

Will the Minister of Education and Youth Services be pleased to state :

(a) the actual age of Shri Ved Prakash (a student of the Birla School, Delhi), a young wrestler in the Indian Team of the (Indian National Wrestling Federation) who was sent to participate in the Commonwealth games at Edinburgh ;

(b) the age of the said wrestler as givent in writing to the conveners of the Commonwealth games ;

(c) the details of the reaction in this regard in Edinburgh ; and

(d) the name of the person responsible for giving the incorrect age of the said wrestler and the action taken against him ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) to (d). The necessary information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha in due course.

Assistance sought by Madhya Pradesh Government for Tackling Dacoit Problem

1970. **Shri Yashwant Singh Kushwah : Will the Minister of Home Affairs** be pleased to state :

(a) the assistance sought by the Government of Madhya Pradesh from the Centre for solving the dacoit problem in the State ;

(b) the details of the steps taken by Government to meet the aforesaid demand; and

(c) the steps proposed to be taken by Government to their own to solve the aforesaid problem in the public interest ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of State, Departments of Electronics and Scientific and Industrial Research (Shri K. C. Pant) : (a) to (c). While on specific assistance was sought by the Government of Madhya Pradesh from the Centre for solving the dacoit problem in the State, a memorandum was submitted by a Committee of Members of Parliament from Madhya Pradesh to the Prime Minister seeking Central help for modernizing the equipment of the State Police Forces, including vehicles, arms, wireless equipment, etc. Besides assistance for development of the areas, the requirements of arms, wireless, equipment transport and other facilities for meeting this menace have been discussed with the State Officials and the nature of assistance to be given is under examination. A planned development of road communications in this area is also receiving attention of Central Government. In this connection the Government of India are in touch with the Governments of States affected by dacoit menace in the Chambal Valley.

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति के उपरान्त कार्य सौंपना।

1971. **श्री दिनकर देसाई :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की सेवानिवृति के उपरान्त कार्य सौंपा है ;

(ख) क्या इन सेवा निवृत न्यायाधीशों को वही पूरा वेतन मिलता है जो कि उन्हें सेवानिवृति के समय मिल रहा था ;

(ग) क्या सरकार ने उन के लिये ऐसे कार्य करते रहने के लिये कोई आयु सीमा नियत की है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मन्त्री, अणुशक्ति मन्त्री, गृह-कार्य मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) सेवानिवृत्ति जजों को सामान्यतौर पर वेतन लेने दिया जाता है जो सेवानिवृत्ति के समय पेंशन और पेंशन के समकक्ष उनके द्वारा लिए जाने वाले अन्य सेवानिवृत्ति के लाभ से अधिक नहीं होता है ।

(ग) और (घ). सामान्यतः इन कार्यों में अर्ध-न्यायिक अथवा इसी प्रकार के अन्य कार्य सम्मिलित हैं और वे तदर्थ प्रकृति के हैं। ऐसे कार्यों के लिए आयु सीमा नियत करने की आवश्यकता नहीं है किन्तु किसी कार्य के लिए प्रस्तावित व्यक्ति की शरीरिक उपयुक्तता पर विचार किया जाता है ।

शिक्षा के पाठ्यक्रम में प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के परिरक्षण का अध्ययन शामिल करना

1972. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत से देशों की शिक्षा व्यवस्था में स्कूलों और कालेजों में प्राकृतिक संसाधनों के परिरक्षण से सम्बन्धित पर्यावरण शिक्षा एक अभिन्न अंग हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार भारत के शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के परिरक्षण का अध्ययन शामिल करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री अ० कु० किस्कू) । (क) बहुत से देशों में जीव-विज्ञान, भूगोल, भू-विज्ञान आदि विषयों में संरक्षण तथा पर्यावरण गत शिक्षा की संकल्पना शुरू की गई है । कुछ देशों में पर्यावरण गत शिक्षा को स्नातक तथा उत्तर-स्नातक स्तरों पर अध्ययन करने के पृथक विषय के रूप में विकसित किया गया है ।

(ख) और (ग). भारत के अधिकतर राज्यों के मिडल स्कूलों के वर्तमान सामान्य विज्ञान तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के जीवन-विज्ञान के विषयों में पौधों, पक्षियों तथा मिट्टी के संरक्षण वायु और पानी के दूषण को रोकने के कुछ विषय तथा तथ्य मौजूद हैं । राष्ट्रीय शिक्षा तथा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् द्वारा तैयार किए गए मिडल तथा हाई स्कूल के विज्ञान के संशोधित पाठ्य विवरण में पौधों, पक्षियों, मिट्टी, वायु और जल से सम्बन्धित विषय सम्मिलित किए गए हैं जिनकी विभिन्न राज्यों के चुने हुए स्कूलों में परख की जा रही है । जीव विज्ञान पाठ्यक्रम में प्रकृति के संरक्षण से पूर्णतः सम्बन्धित "मनुष्य और उसका पर्यावरण" नामक एक विशेष अनुच्छेद सम्मिलित किया गया है । हाई स्कूल के जीव विज्ञान पाठ्यक्रम में जनसंख्या पारिस्थितिक प्रणालियों (इकोसिस्टम) जीव मण्डल तथा प्रकृति के संरक्षण जैसे महत्व-पूर्ण अध्याय है । इन विषयों में मानव के प्रकृति से अंतं सम्बन्धों के विश्लेषण के साथ भविष्य में अपना पर्यावरण बनाये रखने के उपायों पर विचार भी किया गया है । नये पाठ्य-विवरण में पदार्थों के प्राकृतिक आवंतन जो जैविक और प्राकृतिक साधनों के संरक्षण, वन्य जीवन परिरक्षण सहित अपनी चरम स्थिति में पहुँचते हैं का भी समावेश है । ऐसी सम्भावना है कि भारत सरकार की सिफारिश के अनुसार राज्य सरकारें इन प्रसंगों को निर्धारित किये जाने वाले नए पाठ्य विवरणों में अपनायेंगी ।

30 मई, 970 को इंडियन एयरलाइंस में यात्रा कर रहे यात्रियों को परेशान किया जाना

1973. **श्री क० प्र० सिंह देव :**
श्री रामावतार शर्मा :

क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 31 मई, 1970 के **"दि सण्डे स्टेण्डर्ड"** में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन के अधिकारियों ने श्रीनगर हवाई अड्डे पर कैरेविल विमान द्वारा नई दिल्ली जाने वाले 15 व्यक्तियों की, जिसमें स्त्रियां और बच्चे शामिल थे, बुकिंग को मान्यता देने से इन्कार कर दिया था यद्यपि उनके पास "अनुमति है" टिकट थे और इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन के अधिकारियों ने उनके साथ अशिष्ट, कठोर तथा अभद्र व्यवहार किया जिससे वास्तविक यात्रियों को परेशानी तथा भारी असुविधा हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस घटना की कोई जांच की है ; और यदि हां, तो

उसका क्या परिणाम है और सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) सरकार ने भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) 29 मई, 1970 की संध्या को उडान-पूर्व की जांच करते समय इंडियन एयरलाइंस के श्रीनगर कार्यालय ने पाया कि 30 मई की कैरेविल सेवा आई०सी०-424 (श्रीनगर-दिल्ली) के लिये उनके पास प्रतीक्षा सूची में काफी संख्या में यात्री हैं जबकि उस उड़ान के लिये बुक किये गये 29 यात्रियों ने बुकिंग की पुन: पुष्टि के लिए कार्यालय से सम्पर्क स्थापित नहीं किया था। पहले भी कई बार श्रीनगर कार्यालय को ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ा था जबकि काफी संख्या में ऐसे यात्री, जिनकी बुकिंग पुष्टि थी, विमान की उड़ान के समय उपस्थित नहीं हुए। अपने अनुभव के आधार पर तथा इस भावना से प्रेरित होकर कि प्रतीक्षा सूची में यात्रियों की इतनी अधिक संख्या होते हुए भी कहीं उक्त उड़ान में खाली सीटें न रह जायें, कर्मचारियों ने अभाग्यवश सूची में से 29 यात्रियों के नाम काट दिये और उनके स्थान पर प्रतीक्षा सूची में से 19 यात्रियों के नाम रख लिए। जिन यात्रियों के नाम काट दिए गए थे उनमें से 14 ने काफी शाम बीत जाने पर सीटों की पुष्टि कर दी और दो दूसरे दिन विमान-क्षेत्र पर उपस्थित हुए। शेष 13 यात्री बिल्कुल नहीं आए। जब श्रीनगर कार्यालय को पता चला कि कैरेविल उड़ान में सवारियों की संख्या अधिक हो गई है तो उनके लिए सबसे बाद में पुष्टि प्राप्त करने वाले यात्री के क्रम से यात्रियों को विमान से उतारना अनिवार्य हो गया। इस कारणवश प्रतीक्षा सूची में रखे गए यात्रियों को, जिन्हें कैरेविल में पुष्ट सीटें दी जा चुकी थीं, बताना पड़ा कि अब उन्हें पक्के तौर से सीटें नहीं दी जा सकती हैं। परन्तु 10 यात्रियों को कैरेविल में ही स्थान दिया गया और शेष 6 यात्रियों को श्रीनगर से एक घण्टे से भी कम समय के अन्तर पर उसी दिन प्रस्थान करने वाली वाइकाउंट उड़ान में स्थान दिया गया।

(ख) और (ग). इंडियन एयरलाइंस द्वारा इस घटना की जांच की गई और यह निष्कर्ष निकला कि इस मामले में जो स्थिति उपस्थित हुई थी सामान्यत: उसका पूर्व अनुमान नहीं लगाया जा सकता था। इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के उद्देश्य से इंडियन एयरलाइंस ने एक नई पद्धति चालू की है जिसके अनुसार न केवल काश्मीर, अपितु सारे पर्वतीय स्थानों पर, सभी यत्रियों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे वापसी यात्रा की पुनः पुष्टि यात्रा के नियत दिन से 24 घंटे पूर्व अवश्य करें।

उड़ीसा में पर्यटन के लिये वर्तमान तथा नये स्थलों का विकास

1974. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अभी हाल ही में या गत दो/तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा राज्य में

पर्यटन का विकास करने हेतु वहां नए पर्यटन स्थल ढूंढने अथवा वर्तमान पर्यटन-स्थलों का विकास करने के उद्देश्य से कोई सर्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा राज्य में पर्यटन का विकास करने के लिए कौन से नए स्थल ढूंढे गए हैं तथा कौन से वर्तमान पर्यटन स्थलों का विकास करने का सरकार का विचार है ;

(ग) इन स्थलों का विकास करने सम्बन्धी प्रस्तावों को क्रियान्वित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(घ) यदि उपरोक्त (क) भाग का उत्तर नकारात्मक है, तो क्या सरकार उड़ीसा राज्य में ऐसा कोई सर्वेक्षण करायेगी ; और

(ङ) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ङ). यद्यपि पर्यटन विभाग द्वारा कोई विशिष्ट सर्वेक्षण नहीं किया गया है, राज्य प्राधिकारियों के साथ निकट सम्पर्क बनाये रखा जाता है, तथा सरकार उड़ीसा में पर्यटन आकर्षणों के प्रति जागरूक है। चौथी योजना के दौरान कोणार्क, भुवनेश्वर तथा पुरी में अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था करने तथा वर्तमान पर्यटन केन्द्रों पर सुविधाओं में वृद्धि करने का प्रस्ताव है। सीमित साधनों तथा अन्य प्राथमिकताओं के कारण कोई अधिक बड़ा कार्यक्रम हाथ में लेना सम्भव नहीं है।

वन्य जीव पर्यटन के विकास के लिए परीक्षण संस्थानों की ओर से सुझाव

1975. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय अथवा विदेश की किसी परीक्षण संस्था की ओर से देश में वन्य जीव पर्यटन के विकास के बारे में कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं तथा इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). बम्बई राष्ट्रीय ऐतिहासिक संस्था के सचिव ने सुझाव दिया है कि वन्य जीव पर्यटन की अभिवृद्धि के लिए विकास कार्यों में आवास, परिवहन, खान-पान, स्वागत तथा गाइड सम्बन्धी सुविधायें एवं वन्य जीवों के लिए "प्राकृतिक वास" व्यवस्था सम्मिलित होनी चाहिए। सरकार इन प्रश्नों के प्रति जागरूक है तथा उन पर पूरा ध्यान दे रही है।

नेपाली भाषा को सरकारी मान्यता

1976. **श्री गणेश घोष** : **श्री मुहम्मद इस्माइल** :
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेपाली भाषा प्रचार संस्था दार्जिलिंग (पश्चिमी बंगाल) को

अभी हाल में प्रेषित एक पत्र में सरकार ने नेपाली भाषा को भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करके सरकारी मान्यता प्रदान करने से मना कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उक्त प्रश्न पर उपर्युक्त संस्था तथा भारत सरकार के मध्य हुए पत्र-व्यवहार का पूर्ण विवरण क्या है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख). संस्था को सूचित किया गया था कि संविधान की आठवीं अनुसूची में नेपाली भाषा को या उस हेतु किसी अन्य भाषा को सम्मिलित न करने से उस भाषा के बोलने वालों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा और यह सरकार का भली भांति विचार किया गया निर्णय है कि राष्ट्र के व्यापक हित में आठवीं अनुसूची को और अधिक नहीं बढ़ाना चाहिए। पश्चिम बंगाल सरकार ने पहले ही नेपाली भाषा को राज्य की सह-भाषा के रूप में दार्जिलिंग जिले के तीन पहाड़ी सब-डिवीजनों में मान्यता दे रखी हैं।

(ग) आदान प्रदान हुए पत्रों की एक-एक प्रति अंग्रेजी में संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी०—3890/70]

जादुगुडा जंगलात मे अमरीका में बनी-मशीनगनों का बरामद होना

1977. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : **श्री मुहम्मद इस्माइल** :
श्री गणेश घोष :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार के सिंहभूम जिले के जादुगुडा जंगलात में खोज-कार्य के दौरान पुलिस को हाल ही में अमरीका में बनी मशीनगनें मिली थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रौनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) और (ख). राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

दार्जिलिंग में रहने वाले नेपाली छात्रों द्वारा नेपाली भाषा में प्रश्नों के उत्तर देने की मांग

1978. **श्री गणेश घोष** : **श्री मुहम्मद इस्माइल** :
श्री ज्योतिर्मय :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दार्जिलिंग में नेपाली छात्रों द्वारा आनर्स प्रश्न पत्रों को छोड़, चयन-विषयों के प्रश्नों के तथा स्नातकोत्तर परीक्षाओं में उत्तर नेपाली भाषा में देने की मांग को लेकर किये गये आन्दोलन की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) क्या दार्जिलिंग के सहकारी कालेज छात्र संघ के एक दस-सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने इस बारे में 9 जून, 1970 को दार्जिलिंग के उपायुक्त से भेंट की थी ; और

(ग) यदि हां, तो इस न्याय-संगत मांग को पूरा करने में क्या कठिनाइयां आड़े आ रही हैं जिसके लिये नेपाली छात्र आन्दोलन कर रहे हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (ग). राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पश्चिमी बंगाल के शैक्षणिक संस्थाओं के परिसरों में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस रखना

1979. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** **श्री मुहम्मद इस्माइल :**
श्री गणेश घोष :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी बंगाल के उन शैक्षणिक संस्थाओं के क्या नाम हैं जहां राष्ट्रपति शासन के लागू होने से 30 जून, 1970 तक परिसरों में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस रखी गई थी ;

(ख) प्रत्येक मामले में शैक्षणिक संस्थाओं के परिसरों में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस रखने के क्या कारण थे ;

(ग) क्या यह सच है कि शैक्षणिक संस्थाओं में पुलिस बल रखने से सामान्यतः स्थानीय जनता और विशेष कर अध्यापकों और विद्यार्थियों में असंतोष फैल गया है ; और

(घ) क्या यह भी सच है कि इन संस्थाओं के अध्यापक और विद्यार्थी इन परिसरों से केन्द्रीय रिजर्व पुलिस को हटाने की मांग करने हेतु आन्दोलन करने की योजना बना रहे हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) और (ख). सूचना अनुलग्नक में (अंग्रेजी में) दी गई है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए** संख्या एल० टी० 3891/70]

(ग) ऐसा कोई आम असन्तोष ध्यान में नहीं आया है।

(घ) ऐसी सूचना केवल जादवपुर के संबंध में ध्यान में आई है।

प्रेसीडेंसी डिवीजन, पश्चिमी बंगाल के आयुक्त द्वारा सरकारी धन का कथित दुर्विनियोग

1980. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** **श्री वि० कु० मोडक :**
श्री गणेश घोष : **श्री भगवान दास :**
श्री मुहम्मद इस्माइल :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 1 मई, 1970 के "दर्पण" (कलकत्ता से प्रकाशित होने

वाली बंगाली साप्ताहिक पत्रिका) में "प्रेसीडेन्सी डिवीजन के आयुक्त पर सरकारी धन के दुर्विनियोग का आरोप" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया है ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर भी दिलाया गया है कि "दर्पण" में प्रकाशित उक्त समाचार में इस बात का विस्तृत उल्लेख किया गया है कि पश्चिमी बंगाल के सतर्कता आयुक्त ने एक गोपनीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें प्रेसीडेन्सी डिवीजन के आयुक्त के विरुद्ध निजी हितों को पूरा करने के लिये लगाये गये अभियोगों की पुष्टि की गई है ;

(ग) क्या पश्चिमी बंगाल के सतर्कता आयुक्त ने सरकार को ऐसा प्रतिवेदन दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो उस प्रतिवेदन का पूरा ब्यौरा क्या है और यदि उस पर कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री : (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) सरकार क ध्यान कलकत्ता के एक बंगाली साप्ताहिक "दर्पण" के 24-4-70 के अंक में "प्रेसीडेन्सी डिवीजन के कमिश्नर श्री रघनाथ बनर्जी के विरुद्ध उत्तेजक आरोप" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित एक रिपोर्ट की ओर आकर्षित किया गया है ।

(ख) जी हां, श्रीमान् ।

(ग) जी हां, श्रीमान् । सतर्कता आयुक्त ने पश्चिम बंगाल सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत की है ।

(घ) सतर्कता आयुक्त की रिपोर्ट एक गुप्त दस्तावेज है और रिपोर्ट के पूरे पाठ को प्रकट करना सार्वजनिक हित में नहीं होगा ।

सतर्कता आयुक्त की रिपोर्ट में जो केवल एक प्रारम्भिक जांच पर आधारित थी, यह छोड़कर कि श्री बनर्जी का कलकत्ता के बाहर किसी पद पर तबादला कर दिया जाय कोई विशिष्ट सिफारिश निहित नहीं है । जब कि यह विषय राज्य सरकार के विचाराधीन था श्री बनर्जी ने समय से पहले सेवानिवृति के लिए आवेदन किया । इन पर सतर्कता आयुक्त के परामर्श से विचार किया गया और श्री बनर्जी को 4 जुलाई 1970 से सेवानिवृति से पहले का अवकाश प्राप्त कर लेने के पश्चात सेवानिवृति की अनुमति दे दी गई ।

रिश्वत, धोखाधड़ी, आदि अपराधों के लिए सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध मुकदमा चलाना

1982. **श्री गणेश घोष :** **श्री भगवान दास :**
श्री ज्योतिर्मय वसु : **श्री मुहम्मद इस्माइल :**
श्री क० अनिरुद्धन :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अप्रैल, 1970 में केन्द्रीय जांच ब्यौरों द्वारा, रिश्वतखोरी,

आपराधिक कदाचार और धोखाधड़ी के लिए अनेक राजपत्रित अधिकारियों और अन्य सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध मुकदमा चलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो कुल कितने व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमे चलाये गये हैं, उनकी कुल संख्या क्या है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री, अणु शक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी, हां। श्रीमान्।

(ख) इस अवधि में केन्द्रीय जांच ब्यौरों ने दो राजपत्रित अधिकारियों समेत 13 लोक कर्मचारियों के विरुद्ध विभिन्न दोषों के लिए, जिनमें निम्नलिखित भ्रष्ट कार्यों में से एक या दो शामिल हैं, आपराधिक मुकदमे न्यायालयों में चलाए थे :

(i) अनुपात से बाहर सम्पत्ति रखना ;

(ii) झूठे डाक्टरी दावों पर प्रतिपूर्ति धन लेना ;

(iii) धोखा-धड़ी तथा आपराधिक न्यास भंग ;

(iv) झूठे अभिलेखों का देना ;

(v) अवैध धन लेना ;

(vi) आपराधिक दुर्विनियोग।

इनमें से 11 व्यक्तियों के विरुद्ध मामले न्यायाधीन हैं और दो व्यक्तियों को न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है।

Move to form Jana Sena

1983. **Shri Bhola Nath Master :** Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether the Naxalites have taken a decision secretly to form a Jana Sena (People's army) ; and

(b) if so, the steps being taken by Government to foil such a move ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of State, Departments of Electronics and Scientific and Industrial Research (Shri K. C. Pant) : (a) Government are aware of such exhortations on the part of the extremists.

(b) The State Governments and Union Territories Administrations are taking action under law to deal with the violent and other unlawful activities of the extremists. The Central Government are keeping in close touch with the State Governments and Union Territories Administrations and providing such assistance as is necessary to deal with the activities of the extremists.

Incurring of losses by Indian Airlines Corporation

1984. **Shri Bhola Nath Master :** Will the Minister of Tourism and Civil Aviation be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Indian Airlines Corporation is incurring losses in spite of the fact that its income has gone up by 25 per cent ; and

(b) whether the instalments of loans are not taken into account while showing profits of the aforesaid Corporation ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) No, Sir. In fact, the Corporation made a profit of Rs. 1.66 crores in 1968-69.

(b) In accordance with normaly commercial accounting practice, instalments paid against loans taken for the purchase of aircraft, being expenditure of a capital nature, are set off in the balance sheet against the long term liability created for the purpose. However, depreciation on the total value of the aircraft and interest and other financing charges on loans are charged to the profit and loss account before arriving at the figure of net profit.

Ashoka Hotel New Delhi categorised as Third Rate

1985. **Shri Bhola Nath Master :** Will the Minister of Tourism and Civil Aviation be pleased to state :

(a) whether any Committee has categorised the Ashoka Hotel in New Delhi as of third rate in comparison to other Hotels of the same category ; and

(b) if so, the measures being taken to remove this deficiency ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

आजमगढ़ जिले (उ० प्र०) के गांव लाखनपुर की एक हरिजन महिला के साथ अत्याचार

1986. **श्री कमल नयन बजाज :**

श्री छु० म० कैंदरिया :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आजमगढ़ जिले के एक गांव लाखनपुर की एक हरिजन महिला श्रीमती रमावती को उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कथित रूप से, नंगा करके पेड़ से उल्टा लटकाया और उसे अन्य अमानवीय यातनायें दीं ;

(ख) इस बारे में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध की गई जांच का क्या परिणाम निकला है ; और

(ग) इस बारे में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग). राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार राज्य का खुफिया विभाग आरोप की जांच पड़ताल कर रहा है। कन्धापुर के थानेदार को निलम्बित कर दिया गया है।

कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति का शपथ ग्रहण समारोह

1987. **श्री श्रद्धाकर सूपकार :**

श्री समर गुह :

श्री रामावतार शर्मा :

श्री स० कुन्दू :

श्री बे० कृ० दासचौधरी :

श्री सूरज मान :

श्री ओम प्रकाश त्यागी :

श्री बृज भूषण लाल :

श्री जगन्नाथ राव जोशी : **श्री शारदा नन्द :**

श्री राम गोपाल शालवाले :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता उच्च न्यायालय की बार एसोसिएशन ने सरकार का ध्यान कलकत्ता उच्च न्यायालय के नये मुख्य न्यायाधिपति के शपथ ग्रहण समारोह में होने वाली कुछ अप्रिय घटनाओं की ओर दिलाया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) कलकत्ता उच्च न्यायालय की बार एसोसिएशन ने सरकार को अपने संकल्प की एक प्रति भेजी है जिसमें कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल द्वारा दिए गये भाषण की आलोचना की गई है।

(ख) राज्यपाल का भाषण उनके व्यक्तिगत विचारों को व्यक्त करता है अतः उस पर भारत सरकार की किसी प्रतिक्रिया अथवा टीका-टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार के विचार अन्य व्यक्तियों द्वारा भी व्यक्त किये गए हैं।

नेशनल लाइब्रेरी, कलकत्ता के एक भूतपूर्व पुस्तकाध्यक्ष को निर्वाचन मण्डल का एक सदस्य नियुक्त करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से पत्र व्यवहार

1988. **श्री अब्दुल गनी दार :** शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय ने वर्ष 1967 में संघ लोक सेवा आयोग को पत्र लिखकर यह सुझाव दिया था कि नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता के भूतपूर्व पुस्तकाध्यक्ष को इस पुस्तकालय में पुस्तकाध्यक्ष के पद पर भर्ती हेतु प्रवरण मण्डल के एक सदस्य के रूप में नियुक्त कर लिया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो क्या विषय पर समस्त पत्र-व्यवहार को सभा पटल पर रखा जायेगा ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हां।

(ख) पत्राचार को सभा पटल पर रखना जनहित में न होगा।

राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता के पुस्तकाध्यक्ष का पद

1989. **श्री अब्दुल गनी दार :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता के पुस्तकाध्यक्ष की सेवाओं को समाप्त किया जा रहा है और उसके स्थान पर एक सेवा-निवृत्त व्यक्ति को नियुक्त किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख). राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता के प्रशासनिक ढांचे में कुछ परिवर्तन इस समय सरकार के विचाराधीन हैं।

कलकत्ता स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय के बारे में समीक्षा समिति की रिपोर्ट का प्रकाशित किया जाना

1990. **श्री अब्दुल गनी दार : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ संसद सदस्यों ने डा० वाई० एस० झा की अध्यक्षता में नियुक्त समीक्षा समिति द्वारा पेश किये गये कलकत्ता स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रतिवेदन, मुख्य श्रम आयुक्त के प्रतिवेदन और जस्टिस खोसला समिति के प्रतिवेदन के प्रकाशन की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो ये प्रतिवेदन कब तक प्रकाशित हो जायेंगे ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हाँ।

(ख) ये रिपोर्टें शीघ्र हीं जारी की जायेंगी ।

स्कूलों में "मांक संसद"

1991. **श्री छ० म० केदरिया :** क्या **संसदीय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के स्कूलों में "मांक संसद्' अधिवेशनों का आयोजन करने के कार्यक्रम से कोई लाभप्रद उद्देश्य पूरा हो रहा है ;

(ख) क्या इन "मांक संसदों" के परिणाम उत्साहवर्द्धक रहे हैं तो इस कार्यक्रम का प्रसार करने की क्या योजना है ; और

(ग) क्या इस योजना को आगामी "मांक संसद्" काल से कुछ और संघ राज्य क्षेत्रों तथा राज्यों में भी लागू किया जायेगा ?

संसद् कार्य और नौवहन तथा परिवहन मन्त्री (श्री रघुरामैया) : (क) और (ग). शिक्षा संस्थाओं में कृत्रिम संसद् प्रतियोगिता की योजना को प्रारम्भ करने के मुख्य उद्देश्य हैं :

(i) लोकतन्त्र की जड़ों को मजबूत करना ;

(ii) अनुशासन की स्वस्थ आदतों को दिमाग में बैठाना ;

(iii) विरोधियों के विचारों के प्रति उदारता दिखाने के लिए जोर देना ; और

(iv) राष्ट्र की उच्चतम मन्त्रणात्मक सभा के कार्यक्रम से विद्यार्थी समुदाय को परिचित कराना ।

दिल्ली के स्कूलों द्वारा प्रकट की गई बढ़ती हुई अभिरुची से यह कहा जा सकता है कि

इनसे एक लाभप्रद उद्देश्य की पूर्ति हुई है। कृत्रिम संसद् प्रतियोगिता की योजना का विस्तृत विवरण राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को इस अनुरोध के साथ भेज दिया गया है। कि वे भी अपने स्कूलों में इन आधारों पर एक योजना को शुरु-आत करें।

गुजरात में सड़क विकास के लिए की गई व्यवस्था

1992. **श्री द० रा० परमार :** क्या नौवहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सड़क विकास के मामले में गुजरात राज्य को अन्य राज्यों के समान लाने के लिए गुजरात राज्यों में सड़क विकास के लिए चौथी योजना में कितनी व्यवस्था की गई है ; और

(ख) नई सड़कों के निर्माण के लिए अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है तथा नई निर्मित सड़कों की लम्बाई कितनी है ?

नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा-समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

गुजरात के सबरकंठा, बनसकंठा तथा पंचमहल जिलों में सड़क परिवहन

1993. **श्री द० रा० परमार :** क्या नौवहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राज्य सरकार की लापरवाही के कारण गुजरात के सबरकंठा, बनसकंठा तथा पंचमहल जिलों में सड़क परिवहन की खराब होती जा रही दशा के बारे में जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार इन पिछड़े क्षेत्रों का शीघ्र ही विकास करने तथा सड़क परिवहन के विकास के लिये विशेष धनराशि नियत करने के लिये कार्यवाही करेगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) पोत्तपरिवहन तथा परिवहन मंत्रालय में ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ;

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

पोरबन्दर के निकट समुद्र तट पर बहकर आई पाकिस्तानी लांच

1994. **श्री द० रा० परमार :** क्या नौवहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 5 जुलाई, 1970 को एक पाकिस्तानी लांच पोरबन्दर के निकट समुद्र तट पर बहकर आ लगी ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने कोई जांच की है और लांच के बहकर समुद्र तट पर आने के वास्तविक कारण का पता लगाया है ;

(ग) लांच में कितने व्यक्ति थे ;

(घ) क्या उनसे कोई आपत्तिजनक सामग्री पाई गयी ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसद्-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मन्त्री (श्री रघुरामैया) : (क) डुबाई के एक काष्ठ मत्स्य पोत्त जलयान 5 जुलाई, 1970 को पोरबन्दर से दूर जल भर जाने से डूब गई और तट पर बहकर आ लगी ।

(ख) पत्तन अधिकारी, पोरबन्दर द्वारा जांच की गई, उनके निष्कर्ष थे कि जलयान की समुद्र में संरचनात्मक क्षति हुई और मौसम की अनिश्चित स्थिति के कारण अलग हो गई ।

(ग) 11 कर्मिक दल थे पाकिस्तानी राष्ट्रिक थे उनमें 10 तट पर तैर आये और एक डूब गया ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

गुजरात के मेहसाना जिले में भगवान शिव के उपासक एक हरिजन की हत्या

1995. **श्री द० रा० परमार :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में गुजरात राज्य के मेहसाना जिले के एक गांव में भगवान शिव के उपासक एक हरिजन की हत्या कर दी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि जिस पुलिस अधिकारी ने इस घटना की जांच की थी और एक कथित हत्यारे पर मुकदमा चलाया था, उसको तार स्थानांतरण आदेश जारी करके तुरन्त ही स्थानांतरित कर दिया गया था ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (घ). राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं ।

कोवालम में पर्यटक कुटीरों के निर्माण हेतु टेंडर मांगना

1996. **श्री पी० विश्वम्भरन :** क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोवालम में पर्यटक-कुटीरों के निर्माण के लिए टेंडर आमंत्रित किये गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कार्य के लिए ठेका इस बीच दे दिया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो टेंडर आमंत्रित करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ख). ठेका टेंडरों की उचित रूप से छानबीन करने के जल्दी ही बाद दे दिया जायेगा।

संसद में विपक्ष के नेता के अधिकार तथा विशेषाधिकार

1997. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या संसद्-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संसद् में विपक्ष के नेता के अधिकारों तथा विशेषाधिकारों की व्याख्या करने के बारे में कोई निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो संसद् में इस आशय का विधेयक कब पुरःस्थापित किया जायेगा ?

संसद कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) नहीं, श्रीमन् ; और

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

नक्सलवादियों को पेकिंग के निर्देश

1998. **श्री देवकी नंदन पाटोदिया :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 जून, 1970 के 'स्टेट्समैन' में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि नक्सलवादी नियमित रूप से पेकिंग से निर्देश प्राप्त कर रहे हैं और क्या कार्य किये जाने हैं और कैसे किये जाने हैं, इस बारे में पेकिंग को जानकारी भेज रहे हैं ;

(ख) क्या पेकिंग के साथ यह सम्पर्क पाकिस्तान के माध्यम से भी बनाये रखा जा रहा है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि नागा विद्रोहियों द्वारा नक्सलवादियों को भेजे जा रहे शस्त्रास्त्रों को बीच में ही पकड़ लिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार के पास उपलब्ध जानकारी का ब्यौरा क्या है तथा इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : (क) से (घ). उग्रवादियों तथा चीन के बीच सैद्धान्तिक सम्बन्ध सर्वविदित हैं। ऐसी भी सूचना उपलब्ध है जिससे पता चलता है कि भूमि गत नागाओं द्वारा उग्रवादियों को कुछ हथियार दिये गये हैं। अत्यधिक सतर्कता वर्ती जा रही है।

महाराष्ट्र में नक्सलवादियों की गतिविधियां

1999. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
श्री रामावतार शर्मा :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नक्सलवादियों ने महाराष्ट्र में अपने अड्डे स्थापित कर लिए हैं तथा कृषक सेना दल गठित कर लिये हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस सम्बन्ध में पुलिस ने कुछ दस्तावेज पकड़े हैं ; और

(ग) यदि हाँ, तो महाराष्ट्र के नक्सलवादियों की गतिविधियों का ब्यौरा क्या है तथा इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : (क) से (ग). राज्य सरकार से सूचना प्राप्त हुई है कि हाल ही में कुछ उग्रवादी गिरफ्तार किये गये हैं। गिरफ्तार व्यक्तियों से कुछ कागजात भी बरामद किये हैं। छानबीन अभी जारी है।

दिल्ली में विस्फोट

2000. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हौज खास में 11 जुलाई, 1970 को हुए एक विस्फोट सहित राजधानी के अनेक भागों में गत दो मास से विस्फोटों के समाचार आ रहे हैं ;

(ख) क्या इन विस्फोटों के पीछे नक्सलवादियों का हाथ होने का विश्वास किया जाता है जिन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के क्षेत्र में अपना प्रभुत्व बना रखा है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य-मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) दिल्ली प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार 10 जुलाई, 1970 को हौज़ खास में एक विस्फोट हुआ। एक मामला विस्फोटक कानून की धारा 6 और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 427 के अन्तर्गत दर्ज किया गया है और जांच पड़ताल की जा रही है। पिछले दो महीनों के दौरान दिल्ली प्रशासन के ध्यान में विस्फोट की कोई अन्य घटना नहीं आई है।

(ख) जी नहीं, श्रीमान।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

ध्यान आकर्षण सूचना के बारे में

RE : CALLING ATTENTION NOTICE

श्रीमती तारकेश्वरी सिंहा (बाढ़) : यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। यदि सरकार ने इस मामले के बारे में वही उत्तर देना है, जो उन्होंने कल राज्य सभा में दिया है, तो उससे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। प्रकाशित समाचारों से पता चला है कि वह उत्तर संतोषजनक नहीं था क्योंकि उससे सरकार के उपेक्षापूर्ण रवैया का आभास होता है। अतः मेरा अनुरोध है कि इस ध्यान आकर्षण सूचना को स्थगन प्रस्ताव के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए। हमने इसी मामले को लेकर स्थगन प्रस्ताव की भी सूचना देखी है। आशा है कि आप मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करेंगे।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : There is no question of only calling the attention of the Government to this matter. This House wants to express the feelings of the people of the country on the cartographic aggression committed by Russia and as such an opportunity should be given to us to censure the government. Calling Attention Notice should, therefore, be converted into an adjournment motion.

श्री नाथपाई (राजापुर) : प्रश्न केवल सरकार से जानकारी प्राप्त करना ही नहीं है। हम इस मामले के बारे में बहुत चिंतित हैं क्योंकि यह भारत की प्रादेशिक अखण्डता का प्रश्न है। वास्तव में आक्रमण करने से पहले चीन ने भी अपने नकशों में हमारे क्षेत्र को चीन में दिखाया था और चेतावनी दिये जाने के बावजूद, सरकार ने उस समय भी ऐसा ही उपेक्षापूर्ण रवैया अपनाया था। अब रूस के मामले में भी सरकार वही ढुलमुल नीति अपना रही है। रूस का यह कहना कि यह एक तकनीकी मामला है, केवल भ्रम में डालने वाली बात के अतिरिक्त और कुछ नहीं है क्योंकि विश्व शब्द कोश कोई साधारण पत्रिका नहीं है। इसे भूगोल तथा राजनीति के विद्वान लोग तैयार करते हैं।

इसके इलावा यह कोई पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा तो बार बार किया जा रहा है और इसके बावजूद हमारी सरकार इन नकशों को ठीक कराने में असफल रही है क्योंकि इसने इस मामले पर गम्भीरतापूर्वक कभी विचार ही नहीं किया है। रूस सरकार को कोई चेतावनी नहीं दी गई है। सरकार की इस ढुलमुल नीति का न केवल रूस ही परन्तु अमरीका और ब्रिटेन जैसे अन्य बड़े बड़े देश भी अनुचित लाभ उठा रहे हैं और मनमानी कर रहे हैं। हमारे शक्तिहीन विरोध-पत्रों का उन पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। यह नहीं हो सकता है कि रूस को इस बात का पता ही न हो कि 50,000 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र चीन का दिखाया है वह भारत का है और उस पर चीन ने अपना दावा किया है। ऐसा लगता है कि रूस हमारी कीमत पर चीन को प्रसन्न करने का प्रयत्न कर रहा है। सरकार की निन्दा करने का हमें अवश्य अवसर मिलना चाहिये। नियम 56 की अपेक्षितायें भी पूरी हो रही हैं। इन परिस्थितियों में इस ध्यान आकर्षण सूचना को एक स्थगन प्रस्ताव के रूप में परिवर्तित करने की अनुमति दे दी जानी चाहिये।

वैदेशिक कार्य मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : मैं ध्यान आकर्षण सूचना का उत्तर देने के लिये तैयार हूं। (**व्यवधान**)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : वही उत्तर जो पहले राज्य-सभा में दिया जा चुका है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे उनका उत्तर सुनने दीजिये ।

एक माननीय सदस्य : हम तो उन्हें इस सभा में देखना भी नहीं चाहते हैं ।

श्री रवि राय (पुरी) : उन्हें त्यागपत्र दे देना चाहिये । This is question of national interest and as such the request to convert this Calling Attention notice into an Adjournment Motion should be acceded to.

Shri Hukam Chand Kachwai (Ujjain) : We do not want to listen to him.

श्री स्वर्ण सिंह : यह कोई स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : इस समय केवल ध्यान आकर्षण प्रस्ताव मेरे सामने है । स्थगन प्रस्ताव अभी मेरे सामने नहीं है ।

श्री नाथपाई : मैंने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है ।

श्री सु० कु० तापड़िया (पाली) : मैंने भी स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिंहा : यह राष्ट्र का अपमान है ।

Shri Hukam Chand Kachwai : The Government should resign. They cannot sell this country. They have committed a fraud with the people of the country. They have failed to deliver the goods.

श्रीमती सुचेता कृपालानी (गोंड़ा) : वे इस सभा और देश का अपमान कर रहे हैं ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिंहा : वे जले पर नमक छिड़क रहे हैं ।

श्री सु० कु० तापड़िया : यह कहना गलत है कि स्थगन प्रस्ताव के लिए औपचारिक रूप से कोई पूर्वसूचना नहीं दी गई है । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य जो कुछ मैंने कहा है उसको समझे नहीं है । मैं स्थिति स्पष्ट किये देता हूँ । मैंने स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी है । इसके विपरीत मैंने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति दी है ।

डा० राम सुभग सिंह (बक्सर) : यह तो ठीक है कि आपने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव की अनुमति दी है परन्तु कल राज्य सभा में जो उत्तर दिया गया है, उसे देख कर सारी स्थिति ही बदल गई है क्योंकि उत्तर में इस मामले को एक तकनीकी मामला कह कर टाल दिया गया है । अतः यह स्थगन प्रस्ताव के लिए एक उपयुक्त विषय है और मेरी प्रार्थना है कि इस मामले को स्थगन प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति दे दी जानी चाहिये । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कृपया चिल्लाना बन्द करें क्योंकि इस चिल्लाहट के कारण रिपोर्टरों को बड़ी कठिनाई हो रही है । माननीय सदस्य एक एक करके बोलें ।

श्री मोरारजी देसाई (सूरत) : इस मामले का सम्बन्ध न केवल देश की प्रादेशिक अखण्डता से परन्तु इस देश की सार्वभौम सत्ता तथा मर्यादा से भी है । इस मामले पर हम

सरकार की निन्दा करना चाहते हैं और इसलिये हमें ऐसा करने का अवसर मिलना चाहिये। तकनीकी आधार पर इसमें कोई रुकावट नहीं डाली जानी चाहिए। यदि इस मामले पर हमें अपने विचार व्यक्त करने का अवसर नहीं दिया जायेगा, तो यह संसद के लिये बहुत ही हानिकारक होगा और लोकतन्त्र का अन्त हो जायेगा। अतः ध्यान आकर्षण सूचना को स्थगन प्रस्ताव में परिवर्तित कर दिया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : ध्यान आकर्षण सूचना के लिए मुझे कल कहा गया था जबकि स्थगन प्रस्तावों की सूचना केवल आज ही प्राप्त हुई है चूंकि इस विषय के बारे में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव की अनुमति पहले दी जा चुकी थी, अतः स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं पर विचार करने का कोई लाभ ही नहीं था।

श्री सु० कु० तापड़िया : क्यों।

अध्यक्ष महोदय : प्रथा यह है कि ध्यान आकर्षण-सूचना के होते हुए, स्थगन प्रस्ताव को नहीं लिया जाता है।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम संख्या 60(1) के अन्तर्गत मेरा व्यवस्था प्रश्न है नियम संख्या 60(1) में कहा गया है कि अध्यक्ष यदि नियम 56 के अन्तर्गत सम्मति दे और यह ठहराये कि चर्चा के लिए प्रस्थापित विषय नियमानुकूल है तो वह प्रश्नों के बाद और कार्यसूची का कार्य प्रारम्भ करने से पहले, सम्बन्धित सदस्य को पुकारेगा जो अपने स्थान पर खड़ा होगा और सभा के स्थगन का प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति मांगेगा आपको स्थगन प्रस्ताव ठीक समय पर मिल गया था। अतः उसी पर चर्चा की जानी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : स्थगन प्रस्ताव प्राप्त होने से पूर्व मुझे ध्यानाकर्षण सूचना मिल चुकी थी। इसलिये मैंने स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। श्रीमती तारकेश्वरी सिंहा और श्री अटल बिहारी वाजपेयी मुझसे मिले थे और उन्होंने मुझे स्थगन प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए कहा था। जब मैंने उन्हें बताया कि स्थगन प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किया जा सकता क्योंकि इस सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण सूचना पहले ही मिल चुकी है तो श्री वाजपेयी ने बताया कि वे इस विषय पर किसी अन्य ढंग से चर्चा कर लेंगे।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Mr. Speaker, Sir, it is true that after giving notice for adjournment motion we met you and insisted not to take Call Attention Notice. You may agree that yesterday when we gave notice for Call Attention Notice, the situation was quite different. The reply given by the Foreign Minister in the Rajya Sabha has entirely changed the situation. When you have agreed to consider any Censure Motion against the Government...

अध्यक्ष महोदय : अभी नहीं। माननीय सदस्य ने केवल सुझाव दिया है।

श्री समर गुह (कन्टाई) : रूसी नक्शों में भारतीय क्षेत्रों पर चीन का कब्जा दिखाया गया है। यह राष्ट्र के सम्मान और उसके प्रभुसत्ता का प्रश्न है। देश तथा विदेशों में भी यह

धारणा पनप रही है कि भारत रूस का पिछलग्गू बन रहा है। अतः इस मामले में सरकार की निन्दा की जानी चाहिये।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : I have to say that we submitted Calling Attention Notice on the base of a news published in newspapers that in Russian Encyclopaedia a part of Indian territory has been shown in the possession of China. Yesterday when the Foreign Minister told in the Rajya Sabha that he has not sent protest note then we submitted Adjournment Motion.

श्री स्वर्ण सिंह : मैंने ऐसा नहीं कहा था।

श्री समर गुह : आप देश के सम्मान की रक्षा करने में असफल रहे हैं।

Shri Kanwar Lal Gupta : Perhaps you would recollect that no such Protest Note has been sent to China to the effect that Aksai China is a part of our country and China also raised this question that India has never sent any note in this regard. Same thing is being pursued in this matter.

श्री स्वर्ण सिंह : गलत कहा जा रहा। मैंने ऐसा नहीं कहा था। (**व्यवधान**)

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : At the time of Colambo proposal also Russia had committed cartographic error regarding Indian borders. When Shri Hukam Singh was speaker, he had taken initiative in passing unanimous motion that we would not allow the enemy to seize even an inch of our land. Again Russia has committed the same cartographic mistake by showing a large chuck of Indian territory in the possession of China. In this grave situation it would be improper not to allow Adjournment Motion.

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर पूर्व) : कल मैंने समाचार पत्र में पढ़ा था कि रूस ने ऐसा नक्शा प्रकाशित किया है जिसमें जम्मू तथा कश्मीर को भारत की सीमा के बाहर दिखाया गया। मैं चाहता हूं कि सदन को अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखनी चाहिये। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि...(**व्यवधान**) कई माननीय सदस्य खड़े हुए।

अध्यक्ष महोदय : शाँति, शांति।

श्री ही० ना० मुकर्जी : जब शोरगुल हो रहा था तो मैं खड़ा नहीं हुआ। सरकार की निन्दा करना विपक्षी दलों का उद्देश्य है। ये सदस्य राई को पहाड़ बना देते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि इनको सदन की गरिमा और शिष्टता के अनुरूप ही कार्य करना चाहिये।

Shri Rabi Ray : Mr. Speaker, Sir, I support the proposal put up by Shri Vajpayee. He insisted that the Calling Attention Notice should be converted into the Adjournment Motion because the reply given by the Foreign Minister in Rajya Sabha is quite unsatisfactory. We Condemn U. S. A., U K., U. S. S. R. because in their maps they have shown our territory in the possession of another country. So I would request that the Adjournment Motion should be accepted.

श्री ही० ना० मुकर्जी : यदि सरकार कोई त्रुटि करती है तो सदन को सरकार की निन्दा करने की पूरी स्वतन्त्रता है। परन्तु साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि औचित्य और शिष्टता को तिलांजलि नहीं दी जानी चाहिए। यदि इस मामले में हमें सही सही आंकड़े चाहिए तो हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए।

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : अध्यक्ष महोदय को ज्ञात है कि हम क्या चाहते हैं। परन्तु फिर भी वे हमारे अनुरोध को मानने के लिए तत्पर दिखाई नहीं देते । केवल ध्यानाकर्षण सूचना से ही हम संतुष्ट नहीं हो सकते । यदि यह मामला राज्य-सभा में न उठाया जाकर लोक-सभा में उठाया गया होता तो हम संतुष्ट हो सकते थे । सदन तथा देश को समाचार पत्रों और सदन की कार्रवाई से पता लग गया है कि सरकार ने इस मामले में क्या कहा है और क्या कहना है ? अतः स्पष्टीकरण या बातों को दुहराने मात्र से किसी भी उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती । श्री हीरेन मुकर्जी ने कहा कि हमें अपेक्षित जानकारी प्राप्त नहीं है । परन्तु सत्य तो यह है कि हमें पूरी जानकारी प्राप्त है । मन्त्री महोदय ने स्वयं स्वीकार किया है कि यह सच है कि रूस ने गलत मानचित्र छापे हैं और सरकार ने इस मामले में अभ्यावेदन किये है और बातचीत भी हुई है । विपक्षी दल के माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है कि इस मामले पर आगे बातचीत करके रूस भारत के सम्बन्धों को खराब न किया जाये । अतः हम सरकार की निन्दा करते हैं कि उसने देश के हित, एकता, सम्मान और प्रभुसत्ता को बनाये रखने के लिए उतना प्रयत्न नहीं किया जितना करना चाहिये था। अध्यक्ष महोदय ने ध्यानाकर्षण सूचना को स्वीकार कर लिया है परन्तु स्थगन प्रस्ताव को नहीं जबकि माननीय सदस्य चाहते हैं कि स्थगन प्रस्ताव की सूचना को स्वीकृत किया जाए । यदि इस सरकार का अपना कोई आत्मसम्मान है, मानसिक दृढ़ता है तो उसे स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहिये । (व्यवधान) वैदेशिक कार्य मन्त्री को अपने मन्त्रालय के बचाव में कुछ कहना चाहिए । परन्तु मुझे लगता है कि वे निश्चेष्ट सरकार के प्रतिनिधि मात्र हैं । अत: मैं आशा करता हूं कि वे स्थगन प्रस्ताव की सूचना को स्वीकार करेंगे । यदि वे ऐसा करने के लिए तैयार नहीं, तो मैं उन माननीय सदस्यों को जिन्होंने ध्यानाकर्षण सूचना दी है, अनुरोध करूंगा कि यदि ध्यानाकर्षण सूचना पेश की जाती है तो वे इसे स्वीकार न करें बल्कि उसके विरोध में सदन का बहिष्कार करें । (व्यवधान)

श्री म० ला० सोंधी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । सरकार और रूस के बीच उच्चस्तरीय वार्ता चल रही है और मन्त्री महोदय ने भी उसमें भाग लिया है । उन्होंने शपथ ग्रहण की है कि संसद-सदस्य तथा मन्त्री होने के नाते क्षेत्रीय अखण्डता की रक्षा करेंगे । क्या उन्होंने व्यक्तिगत स्तर पर रूस के प्रतिनिधियों से इस बारे में बात की है ? यदि नहीं तो उन्हें अपने पद से शीघ्र ही त्यागपत्र दे देना चाहिये ।

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : Mr. Speaker, Sir, so much has been said about Calling Attention Motion and Adjournment Motion regarding Soviet Maps. Whether the map is published by W. Germany, Russia, America or China, we want that there should be full discussion on it in the House.

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : Mr. Speaker, Sir, I will complete my point of order within no time. You were going to decide about our calling attention notice which we gave you yesterday. In the meantime few members approached you, they pressurised you and you admitted their calling attention notice. It is not fair and if you continue like this we will be forced to adopt the same means to pressurise you.

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : मैं पूर्ण चर्चा की मांग का समर्थन करता हूं। हमारे देश की सीमाओं को गलत रूप में दिखाना निश्चय ही एक गम्भीर विषय है। यदि इसके

लिए ध्यानाकर्षण की अपेक्षा आप पूर्ण चर्चा का प्रस्ताव स्वीकार कर ले तो यह सभी सदस्यों को स्वीकार्य होगा। आप सभा के नियमों के अन्तर्गत ऐसा कर सकते हैं।

डा० कर्ण सिंह (बीकानेर) : सोवियत सरकार इस प्रकार के भयानक मानचित्र छाप रही है और हमारी सरकार उसके बारे में चुप बैठी है। आप को स्मरण होगा कि 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था तो उस समय इस सभा ने यह प्रस्ताव पारित किया था कि भारतीय भूमि के एक इंच का भी सौदा नहीं किया जायेगा। आज इस सरकार की तटस्थ नीति को क्या हो गया है? यह राष्ट्र के मान का विषय है और मैं माननीय सदस्यों द्वारा इसके लिये की गई स्थगन प्रस्ताव की मांग का समर्थन पूर्ण समर्थन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे इस विषय पर पूर्ण चर्चा करवाने में कोई ऐतराज नहीं है परन्तु जिसे मैं पहले अस्वीकृत कर चुका हूँ उसे पुन: स्वीकृत करना मेरे लिये कठिन है।

सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजे म० प० तक के लिये स्थगित होती है।

इसके पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till Fourteen of the Clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा दो बजकर चार मिनट म० प० पर पुन: समवेत हुई।

The Lok-Sabha reassembeld after lunch at four minutes past Fourteen of the Clock.

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy-Speaker *in the Chair*]

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : अध्यक्ष महोदय ने यह स्वीकार किया है कि वह देश और संसद के रोष से अवगत हैं। हमने नियम 184 के अन्तर्गत नोटिस दिया है कि इस विषय पर पूर्ण चर्चा की अनुमति दी जाये क्योंकि यह बहुत ही गम्भीर और महत्वपूर्ण विषय है। आज के समाचार पत्रों के अनुसार माननीय मन्त्री महोदय ने राज्य सभा में कहा है कि यह एक तकनीकी विषय है। मेरे पास कुछ ऐसी जानकारी है जिससे यह प्रमाणित हो जाता है कि इस में सोवियत सरकार और वहां के साम्यवादी दल का पूर्ण हाथ है। सोवियत सरकार ने यह कभी भी नहीं माना कि यह एक तकनीकी विषय है अत: मन्त्री महोदय ने जो उत्तर राज्य सभा में दिया है वह बिलकुल सन्तोषजनक नहीं है और हम महसूस करते हैं कि उसी प्रकार का उत्तर देने से कोई लाभ नहीं होगा। अत: मैं पुन: अनुरोध करती हूं कि आप इस विषय पर पूर्ण चर्चा के लिये अनुमति दें।

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा का कहना है कि उन्होंने नियम 184 के अंतर्गत नोटिस दिया है परन्तु मैंने उनका कोई नोटिस नहीं देखा। मैं इसके बारे में अभी कोई निर्णय नहीं दे सकता।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं यह नहीं कहता कि इस विषय पर चर्चा नहीं होनी चाहिये। परन्तु श्रीमती सिन्हा ने पहले ध्यानाकर्षण की सूचना दी और अब उसे स्थगन प्रस्ताव में परिणत करवाना चाहती हैं। उनके ध्यानाकर्षण का क्या होगा ? वह आज के आर्डर पेपर पर है। आज के बुलेटिन के बारे में कल क्या लिखा जायेगा ? इन सभी बातों का सम्बन्ध व्यवस्था से है।

श्री सेझियान : श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा ने जो कुछ भी कहा है, सभा के नियमों की दृष्टि से वह बिलकुल उपयुक्त है। जब तक किसी विषय पर मन्त्री का ध्यान नहीं दिलाया जाता तब तक वह नियम 197 के अन्तर्गत कोई वक्तव्य नहीं दे सकता। अतः मेरा यह सुझाव है कि ध्यानाकर्षण को कुछ समय के लिये रोक कर सभा को इस विषय पर नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा करने की अनुमति दी जाये।

श्री स० मो० बनर्जी : हमें विभिन्न स्थानों से समाचार मिले हैं कि श्री चरण सिंह की सरकार द्वारा लोगों को निवारक नजरबन्दी अध्यादेश के अन्तर्गत बन्दी बनाया जा रहा है। हमें भी दो चार दिन में बन्दी बनाया जायेगा। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप मन्त्री महोदय को इस विषय पर वक्तव्य देने के लिये कहें। यदि चरणसिंह की अल्पसंख्यक सरकार को इस सरकार का समर्थन प्राप्त नहीं, तो वह कभी बनी नहीं रह सकती।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : The Chairman of the Standing Committee of Delhi Corporation is on 72 hour strike in front of the residence of Finance Minister. About ten thousand Jan Sangh workers will join him tomorrow for a Dharna. They are raising a voice against the step-motherely treatment being given to Delhi Corporation by Central Government. The Central Government is not giving them four crores of rupees which is due to the corporation. The Central Government is delaying it intentionally to malice Jan Sangh. As a protest, they are agitating. I demand that Minister should give a statement in this connections.

Shri Janeshwar Mishra : (Phulpur) Today, our Prime Minister has given this news to newspapers that Samyukta Socialist Party of India does not believe in Parliamentary democracy. I am a member of this party and I want to refuse this charge. But now the House is very much concerned about the Russian maps. All the Members of Opposition have staged a walk out on this issue. The Prime Minister is not in the House today.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Mr. Deputy Speaker, Sir I want to raise a point of order. Mr. Mishra spoke with your permission. If he has used any objectionable or unparliamentary word, you may kindly ask him to withdraw the same, or same be expunged from the proceedings but how can you exchange his entire speech.

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बेतूल) : उन्होंने प्रधान मन्त्री के विरुद्ध जिस भाषा का प्रयोग किया है वह केवल असंसदीय ही नहीं अपितु उससे इस सभा की प्रतिष्ठा को भी आघात पहुंचा है। अतः मेरा अनुरोध है कि सदस्य महोदय को कुछ दिनों के लिए निलम्बित कर दिया जाये।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : श्रीमान जी, आपके माध्यम से मैं सम्पूर्ण सभा को यह निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारा प्रधान मन्त्री से मतभेद है वह हमारी कटु आलोचना करती है और हम उनकी कटु आलोचना करते हैं। राजनीति में यह सब तो चलता ही है परन्तु हमें एक दूसरे पर किसी भी प्रकार व्यक्तिगत तथा चारित्रिक आक्षेप नहीं करना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्री बलराज मधोक की भावनाओं का समर्थन करता हूं और मुझे आशा है सारी सभा इनके साथ सहमत होगी ।

श्री रा० ढो० भण्डारे (बम्बई मध्य) : श्रीमान जी मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । जब अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सभापति महोदय यह आज्ञा दे दें कि किसी सदस्य की बात कार्यवाही में रिकार्ड नहीं की जायेगी तो फिर भला सदस्य को क्या यह अधिकार मिल जाता है कि चाहे कितनी भी गन्दी भाषा बोलता रहे ? क्या सभा इसे चुपचाप सुनती रहें ? आप इस स्थिति में क्या करेंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया मेरी बात तो सुनिये । यदि कोई सदस्य गन्दा भाषा का प्रयोग करके या किसी अन्य अनुचित ढंग से सभा की कार्यवाही में बाधा डालता है तो सभापति या सदन, उसके विरूद्ध जो भी कार्यवाही उचित समझे, कर सकते हैं । अब से हमें यह सबक ले लेना चाहिये कि हम कभी भी किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करेंगे । इस बात को अब यहीं समाप्त कीजिये ।

Shri Randhir Singh (Rohtak) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I am pained to hear the unparliamentary language used for the Prime Minister of our country who is also the leader of this House. It may become a President and some people may use more unfair means to humilate the leaders. May I know, if you have got a procedure to check all these things ?

Shri Shashi Bhushan (Khargone) : Mr. Deputy Speaker, Sir, Women have got a high place in our culture and society. We all respect them. As stated by Shri Balraj Madhok, we must behave in a parliamentary manner irrespective of our political differences. If such things continue, the democratic process will come to an end.

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I want to raise a point of order on item No. 3. Last year the Prime Minister placed on the Table the preface of the Fourth Five Year Plan. It is very confusing that this year also the Prime Minister has introduced the motion that "the Fourth Five Year Plan 1969-74 laid on the Table of the House be discussed". I want to know whether this preface is of that plan which was placed on the Table of the House last year or it is of the current plan ?

I want to know whether the current preface contains some thing which is not included the Fourth Five Year Plan ?

If it is so, whether it is clear that the draft of the Five Year Plan which was placed on the Table of the House was not complete.

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : सभा में पूरी योजना प्रस्तुत की गई थी । अतः उसमें कोई परिवर्तन किए जाने का प्रश्न नहीं है ।

Shri Shiv Chandra Jha : Please give your rulings on this matter.

उपाध्यक्ष महोदय : विनिर्णय देने से पहले मैं पूरी स्थिति समझना चाहता हूँ ।

श्री राम निवास मिर्धा : यह चौथी पंचवर्षीय योजना की भूमिका है जिसे सदन में प्रस्तुत किया गया था । इस योजना से भिन्न कोई अनुपूरक योजना नहीं है । जहाँ तक भूमिका का सम्बन्ध है चौथी पंचवर्षीय योजना को प्रस्तुत करते समय इसको बताया नहीं गया था । बजट

सत्र में इसका बलन दिया गया था कि इसको इस सत्र में पेश किया जायेगा। उसी के अनुसरण में इसको पेश किया जा रहा है। योजना से परे हटने का कोई प्रश्न नहीं है। मेरे विचार से इसे अब सभा में प्रस्तुत करने के बारे में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा पटल पर ऐसे अनुपूरक पत्र रखे जाने पर जिनके बारे में पहले ही पत्र रखे जा चुके हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

चौथी पंचवर्षीय योजना का प्राक्कथन

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : मैं श्रीमती इन्दिरा गांधी की ओर से "चौथी पंचवर्षीय योजना के प्राक्कथन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। [**ग्रन्थालय में रखी गई।** देखिए संख्या एल० टी० 3878/70]।

भारतीय वन सेवा (वेतन) पहला संशोधन नियम अखिल भारतीय सेवा में अधिनियम के अधीन अधिसूचनाएं तथा संशोधक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) संशोधन विनियम

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) :

(1) मैं अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत भारतीय वन सेवा (वेतन) पहला संशोधन नियम, 1970 की एक प्रति पुनः सभा पटल पर रखता हूं जो दिनांक 11 अप्रैल, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 603 में प्रकाशित हुए थे। [**ग्रंथालय में रखी गई।** देखिये संख्या एल० टी०-3524/70]

(2) मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(एक) अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा(2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति :—

(क) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में संख्या का निर्धारण) तीसरा संशोधन विनियम, 1970, जो दिनांक 18 जुलाई, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1042 में प्रकाशित हुए थे। [**ग्रंथालय में रखी गई** देखिये संख्या एल० टी०—3879/70]

(ख) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1954 में 1970 का छटा संशोधन, जो दिनांक 18 जुलाई, 1970 के भारत के राजपत्र में अधि-

सूचना संख्या जी० एस० आर० 10 3 में प्रकाशित हुआ था।[**ग्रंथालय में रखी गई। देखिये** संख्या एल० टी०—3880/70]

(ग) अखिल भारतीय सेवायें (गोपनीय पंजियां) नियम, 1970, जो दिनांक 25 जुलाई, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1078 में प्रकाशित हुए थे। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये** संख्या एल० टी०—3881/70]

(दो) संविधान के अनुच्छेद 320 के खंड 5 के अन्तर्गत संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) दूसरा संशोधन विनियम, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो दिनांक 6 जून, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 879 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी०—3882/70]

उच्च न्यायालय न्यायधीश यात्रा भत्ता (संशोधन) नियम

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : मैं श्री कृष्ण चन्द्र पन्त की ओर से उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 24 की उपधारा (3) के अन्तर्गत उच्च न्यायालय न्यायाधीश यात्रा भत्ता (संशोधन) नियम, 1970 की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ जो दिनांक 16 मई, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 784 में प्रकाशित हुए थे। [**ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये** संख्या एल० टी०-3883/70]

भारतीय संग्रहालय अधिनियम

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री अ० कु० किस्कु) : भारतीय संग्रहालय अधिनियम, 1910 की धारा 15क की उपधारा (3) के अन्तर्गत भारतीय संग्रहालय नियम 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ जो दिनांक 18 अप्रैल, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 622 में प्रकाशित हुए थे। [**ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये** संख्या एल० टी०—3884/70]

कलकत्ता पत्तन के आयुक्त के वार्षिक लेखे

नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (सरदार इकबाल सिंह) : मैं कलकत्ता पत्तन के आयुक्त के वर्ष 1968-69 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। [**ग्रन्थालय में रखी गई देखिये** संख्या एल० टी०—3885/70]

———

राज्य–सभा से संदेश

MESSAGES FROM RAYJA-SABHA

सचिव : मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना देनी है :

(एक) कि राज्य सभा ने 4 अगस्त, 1970 को हुई अपनी बैठक में दिल्ली विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1970 को पास कर दिया है।

(दो) कि राज्य सभा ने 3 अगस्त, 1970 को हुई अपनी बैठक में उच्चतम न्यायालय (सिविल अपीली अधिकारिता के लिए मूल्य में वृद्धि) विधेयक, 1970 को पास कर दिया है।

विधेयक राज्य सभा द्वारा पारित सभा पटल पर रखे गये

BILLS AS PASSED BY RAYJA-SABHA LAID ON THE TABLE

सचिव : मैं राज्य सभा द्वारा पारित निम्नलिखित विधेयक सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) दिल्ली विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1970

(2) उच्चतम न्यायालय (सिविल अपीली अधिकारिता के लिए मूल्य में वृद्धि) विधेयक, 1970

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

सांतवां प्रतिवेदन

श्री बसुमतारी (कोकराझार) : मैं वित्त मन्त्रालय (सरकारी उद्यम ब्यूरो) तथा गृह-कार्य मंत्रालय—सरकारी उपक्रमों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण—के बारे में अनुसूचित जन-जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के दूसरे प्रतिवेदन में दर्ज सिफारिशों द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में समिति का सातवाँ प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

संसद-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मन्त्री (श्री रघुरामैया) : मैं घोषणा करता हूं

कि 10 अगस्त, 1970 से आरम्भ होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित सरकारी कार्य किया जायेगा :

(1) डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) संशोधन विधेयक, 1967, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में।

(आगे विचार तथा पास करना)

(2) अस्पृश्यता, अनुसूचित जातियों के आर्थिक और शैक्षणिक विकास के बारे में इलाया-पेरूमल समिति के प्रतिवेदन तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के वर्ष 1966-67, 1967-68 और 1968-69 के लिए 16वें, 17वें तथा 18वें प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्तावों पर आगे चर्चा।

(3) देश में तोड़-फोड़ तथा हिंसात्मक गतिविधियों के बारे में श्री प्रकाशवीर शास्त्री द्वारा पेश किये गए प्रस्ताव पर आगे विचार।

(4) दिल्ली विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1970 का निरनुमोदन करने के लिए सांविधिक संकल्प।

(5) दिल्ली विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1970, राज्य सभा द्वारा पास किये गए रूप में।

(विचार तथा पास करना)

(6) तारयंत्र तार (विधि-विरुद्ध कब्जा) संशोधन विधेयक, 1968, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में।

(विचार तथा पास करना)

(7) स्थापित विधेयक, 1970, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में।

(विचार तथा पास करना)

(8) पेटेंट विधेयक, 1967, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में।

(विचार तथा पास करना)

(9) पूर्वी पाकिस्तान से हिन्दुओं की बहुत बड़ी संख्या में आ जाने और सरकार द्वारा इसे रोकने के लिये की गई कार्यवाही के बारे में मंगलवार, 11 अगस्त, 1970 को 5.30 बजे म० प० पर (नियम 193 के अधीन) आगे चर्चा।

(10) आसाम में हाल ही की बाढ़ से हुए विनाश तथा स्थिति का मुकाबला करने के लिए सरकार द्वारा किये गए उपायों पर श्री हेम बरुआ तथा अन्य सदस्यों द्वारा (नियम 193 के अधीन) गुरुवार, 13 अगस्त, 1970 को 5 बजे म० प० पर की जाने वाली चर्चा।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता देने के बारे में अवश्य चर्चा की जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री स० मो० बनर्जी ने इस सम्बन्ध में मुझे पत्र लिखा है। अतः मैं सर्वप्रथम उनसे इस बारे में बोलने के लिए कहूंगा।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता देने के बारे में सब राजनीतिक दलों ने सरकार से वक्तव्य देने की मांग की है। आवश्यक वस्तुओं के मूल्य बढ़े हैं और इस बात का वित्त मंत्री श्री यशवन्तराव चव्हाण ने भी समर्थन किया है। इस बारे में वित्त मंत्री को घोषणा करनी चाहिए या अन्तरिम सहायता देने के बारे में सभा में चर्चा की अनुमति दी जानी चाहिए।

दक्षिण पूर्व रेलवे में 25000 से 30,000 तक कर्मचारी हड़ताल पर हैं। लेकिन रेलवे मंत्री ने इस बारे में कोई वक्तव्य नहीं दिया है।

भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स, हरिद्वार के कर्मचारियों को भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्री श्री फखरुद्दीन अली अहमद ने कुछ आश्वासन दिये थे। लेकिन लगभग 8,000 कर्मचारियों को दिये गए आश्वासन का माननीय मंत्री ने पालन नहीं किया है।

दिल्ली में प्रदर्शन में भाग लेने वाले पुलिस कर्मचारियों को फिर से सेवा में नियुक्त करने का वचन दिया गया था। उन्हें शीघ्र पुनः नियुक्त किया जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सोंधी ने नियम 377 के अन्तर्गत कुछ विषयों पर चर्चा करने की अनुमति मांगी है वे इस बारे में फिर कभी चर्चा कर सकते हैं।

श्री स० कुण्डू (बालासौर) : अखिल भारतीय रेलवे संघ के 50,000 कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किये गए मांग-पत्र के बारे में रेलवे मन्त्री अथवा वित्त मंत्री को वक्तव्य देना चाहिए। उन्होंने अन्तरिम सहायता की माँग की है। लेकिन इस बारे में अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है।

दिल्ली के पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध अभी तक मामले वापिस नहीं लिए गए हैं।

बोकारो इस्पात कारखाने में धन की बरबादी की जा रही है। मशीनें निर्धारित समय पर सप्लाई न किये जाने के कारण इसके अध्यक्ष ने अपने पद से त्यागपत्र देने की धमकी दी थी बोकरो इस्पात कारखाने पर 500 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान था लेकिन अब तक इस पर 800 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं।

श्री म० ला० सोंधी (नई दिल्ली) : नई दिल्ली नगर पालिका के 4000 कर्मचारी हड़ताल पर हैं। उन्हें सेवा से निकालने की धमकी दी गई है। कर्मचारियों के अनुसार उनके साथ न्याय नहीं किया गया है और अनेक भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। यह बहुत गम्भीर मामला है।

मैं अन्तरिम सहायता का समर्थन करता हूँ। पेंशन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को वेतन आयोग द्वारा सहायता देने का वचन दिया गया था। परन्तु अभी जो वक्तव्य दिया गया है उससे मालूम होता है कि सरकार अपने वचन से अब फिरना चाहती है।

दिल्ली के पुलिस कर्मचारियों को फिर से काम पर नियुक्त किया जाना चाहिये और उन के विरुद्ध सब मामले वापिस लिये जाने चाहिये ।

श्री नम्बियार : मैं अंतरिम सहायता दिये जाने का पुर्णतया समर्थन करता हूं । टूंडला, इटावा और कानपुर के बीच रेलवे की विद्युतीकरण सम्बन्धी योजना पर कार्य कर रहे 3000 नैमित्तिक कर्मचारियों की छंटनी किये जाने की धमकी दी गई है । 250 कर्मचारियों की छंटनी की जा चुकी है । 300 कर्मचारियों की छंटनी करने के आदेश जारी कर दिये गए 15 से 20 वर्ष की सेवा करने वाले कर्मचारियों की छंटनी की जा रही है । रेलवे मंत्री को इस बारे में एक वक्तव्य देना चाहिये ।

Shri Sharda Nand (Sitapur) : The hon. Minister should give information regarding the floods in different States and the damaged caused to each State due to these floods.

श्री इन्द्रजीत गुप्ता (अलीपुर) : दक्षिण पूर्व रेलवे पर बड़े पैमाने पर हड़ताल हो रही है । रेलवे अधिकारियो और कर्मचारियों के बीच बिगड़ते हुए सम्बन्धों के बारे में रेलवे मंत्री को एक वक्तव्य देना चाहिये । इस विषय पर चर्चा की भी अनुमति दी जानी चाहिये । यदि इस प्रकार की हड़ताल की रोकथाम नहीं की गई तो रेलवे में स्थिति गम्भीर उत्पन्न हो जायेगी ।

Shri Shashi Bhushan (Khargone) : About 4000 N.D.M.C workers are on strike. Their demands should be discussed in the House. The Government should take appropriate action in this regard.

The Patent Bill must be introduced during this session. As some foreign companies are taking under advantage in this regard this Bill must be introduced and get passed.

श्री जि० मो० बिस्वास (बांकुरा) : यह बहुत दुःख की बात है कि दक्षिण पूर्व रेलवे संघ के महासचिव श्री एन० सी० राय चौधरी और सहायक सचिव श्री पी० बी० कोटिहा, जो रेलवे प्रशासन और कर्मचारियों के विवाद का हल करने के लिये भिलाई गये थे, को 150 कर्मचारियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है । इसके परिणाम स्वरूप न केवल हड़ताल फैली है बल्कि यात्रा करने वाली जनता को परेशानी हुई है।

प्रधान मंत्री ने पश्चिम बंगाल के पुरूलिया और बंकुरा जिलों का जहां सूखे और भूख से प्रतिदिन अनेक लोग मर रहे हैं दौरा किया था । उन्होंने उनके लिये कार्यवाही करने का वचन दिया था । लेकिन इस बारे में आज तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है । केन्द्रीय रिजर्व पुलिस ने वहां कर्मचारियों पर बुरी तरह लाठी चार्ज किया । पश्चिम बंगाल के राज्यपाल श्री धावन ने इस बारे में न्यायिक जांच करने का आश्वासन दिया था लेकिन इस सम्बन्ध में अब तक कोई घोषणा नहीं की गई है । वहां लोगों को राहत देने के सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही की जानी चाहिये अन्यथा वहां भूख से बहुत से लोग मर जायेंगे ।

श्री बे० कृ० दासचौधरी (कूच-बिहार) : मुझे प्रसन्नता है कि माननीय मंत्री ने आसाम में बाढ़ की स्थिति पर चर्चा करने की स्वीकृति दे दी है । वहां बाढ़ बहुत बड़े पैमाने पर आई थी और इसके परिणाम स्वरूप भारी जान माल की हानि हुई है । उत्तर-बंगाल में भी बाढ़

आई है । मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि आसाम की बाढ़ की स्थिति के साथ-साथ पश्चिम बंगाल की बाढ़ की स्थिति पर भी चर्चा की जानी चाहिये ।

Shri Deorao Patil (Yeotmal) : We want to discuss regarding the establishment of Cotton Corporation All India Cotton Federation has decided to stop Cotton trade for a fortnight. I want to know whether the Government will or will not make the purchase of that Cotton which will come in the market during that period.

Shri Bibhuti Mishra (Motihari) : I want to know the instructions of the Home Ministry regarding the land grab movement to different States. The peasants land are being attacked at the cultivation time. Not only the land of the people who have thousand of acres of land have been attacked but people having two to five acres of land also been attacked. This matter should be discussed sometime next week or the Government should make some statement so that the farmers may be got satisfied and the production of grain may be increased. The success of Fourth Five Year Plan also depends upon it.

Shri Shiv Chandra Jha : A discussion on issuing licences to Tata's and Birla's regarding the setting up of fertilizer plants at Mithapur and Goa respectively may be allowed.

A discussion should also be allowed on the recent floods in Assam and Bengal. A discussion on the flood situation in Bihar should also be allowed.

The Government should also make it clear that whether the 24th Constitution Amendment Bill will come up or not ?

Shri Balraj Madhok (South Delhi) : The Government should take immediate steps to give interim relief to the Government employees. The Government should withdraw cases against Delhi policemen.

The law and order situation in Delhi is deteriorating. The Central Government is not giving money. All the problems of Delhi should be discussed and an immediate step should be taken to solve these problems.

Shri Chandrika Prasad : Discussion on the flood situation of North-East should also be allowed when the flood situation in Assam is being discussed.

Some new industries should be established in U.P. so that the backwardness of the State may be removed.

The Policemen who took part in the agitation have not yet been reinstated. This matter should also be discussed.

Interim relief should also be paid to the railway employees and the other Government employees.

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : सभा का काफी समय अनिर्धारित कार्य पर बरबाद किया गया है । इसी प्रकार सदस्यों को विभिन्न विषयों पर प्रश्न उठाने की अनुमति दी गई तो मुझे भय है कि यह समय बहुत लोकप्रिय हो जायेगा लेकिन जनता के लिये बहुत उपयोगी नहीं होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : अगामी सप्ताह के कार्यक्रम की घोषणा के बाद ऐसी प्रक्रिया रही है । देश के सम्मुख बहुत सी समस्याएं विद्यमान हैं और माननीय सदस्य सरकार का ध्यान उनकी ओर दिलाना चाहते हैं । सदस्यों को इस सम्बन्ध में संक्षिप्त में अपने विचार व्यक्त करना चाहिये ।

Shri A. S. Saigal (Bilaspur) : N.D.M.C workers have been on strike for the last two or three days.

They are being harassed. A discussion should also be made on their demand.

Shri Mohammad Ismail (Barrackpore) : Workers of Steel industry have demanded that their minimum wages should be Rs. 286. The Government have not given any reply in the matter. In a meeting of Steel Worker's representatives, it was decided that they would start an agitation in this regard from August. It is a very serious matter. 37 workers have been discharged in Jamshedpur. It was promised that no one would be victimised. But those workers have not been put on duty so far.

श्री फ० गो० सेन (पूर्णिया) : बिहार में बाढ़ के कारण किसानों की दयनीय स्थिति है। स्थिति का मुकाबला करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है इस बारे में एक वक्तव्य दिया जाना चाहिये।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : सरकारी कर्मचारियों को शीघ्र अन्तरिम सहायता दी जानी चाहिये। आशा है सरकार 1968 की भांति इस सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही करेगी।

भूमि की सीमा निर्धारित करने के बारे में दिये गये वचनों का सरकार को पालन करना चहिये। इस बारे में एक आन्दोलन 9 अगस्त, 1970 से आरम्भ किया जायेगा...(**अन्तर्बाधाएं**) सरकार को संसद् में वक्तव्य देकर बड़ी समस्याओं के बारे में अपनी निदेशात्मक नीति से अवगत कराना चाहिये। इस बारे में शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिये। मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री इस सम्बन्ध मे गम्भीरता से विचार करेंगे और आगामी सप्ताह इन मामलों पर विचार करने का अवसर प्रदान करेंगे।

Shri Janeshwar Mishra (Phulpur) : The hon. Minister may reply to my three questions. Firstly, the Executive Council of Kashi University has decided that the R.S S. should vacate their building situated in the University Campus but it has refused to do so. The Hon. Minister should state the position now. Secondly according to the bill, which is pending in the House, the University students should be given chance to participate in the affairs of the University. But the U.P. Government is taking away the power to form Students Union from the students. The Education Minister should make to statement on it. Thirdly the two students of Delhi University were declared unsuccessful in the exams by the Academic Council because they have given their answers in Hindi. This is a great insult to the mother language. The Education Minister should also clarify the position.

Shri Randhir Singh (Rohtak) : I support the Land Reform in the country. But I will also ask the Government to think over the urban property held by Tatas, Birlas and Dalmia. Secondly, the water in the Bhakra Dam has been so receded that Delhi might experience electricity crisis. The Government may state the action to be taken in this regard. Also what is the share of Haryana and Punjab in the water which was stopped to be given to Pakistan ? Thirdly I will ask about wrestlers. They have not been allowed to take their flags with them to Canada and in the end they have to purchase it. Shoes were also not supplied to them. So I will ask the Government to make a statement on Delhi Police.

One thing more about Land Reforms. Everyone is speaking about this. A debate on it may be allowed so that the position may be cleared and small farmers may not lose their lands.

संसद-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघु रामैया) : मैंने माननीय सदस्यों के अनुरोधों को संबन्धित मंत्रियों को उत्तर देने के लिए पहुँचा दिया है और वे इनका उत्तर देंगे ।

श्री म० ला० सोंधी (नई दिल्ली) : दिल्ली में नई दिल्ली नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल एक गम्भीर मामला है, 4000 कर्मचारी हड़ताल पर हैं । हम श्री पंत के पास जाते हैं पर वे उपलब्ध नहीं होते हैं । मैं ऐसा कुछ नहीं देखता कि इस मामले पर गंभीरता से विचार किया गया है, यह हड़ताल पार्लियामेंट स्ट्रीट में हो रही है और मैं चाहता हूँ कि आप इसे स्वयं देखें । मैंने श्री पंत से मिलने का प्रयत्न किया है परन्तु असफल रहा हूँ । यह क्या प्रजातंत्र है ?

श्री रघु रामैया : मैं इतना ही वचन दे सकता हूं कि मैं उनके विचार संबंधित मंत्री तक पहुंचा दूंगा । श्री शशि भूषण ने तो बात उठायी है उसको हमने अगले सप्ताह के कार्यवाही में शामिल कर दिया है । अन्य माननीय सदस्यों ने जो-जो बात उठायी है उनको भी मैं संबंधित मंत्रियों तक पहुँचा दूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम गैर सरकारी सदस्यों की कार्यवाही को लेंगे ।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : मेरे नाम पर एक प्रस्ताव काफी समय से है । यह प्रस्ताव कार्य-सूची में कई बार आया है परन्तु इस पर चर्चा करने से पूर्व अन्य उन प्रस्तावों पर चर्चा होनी आरम्भ हो जाती है जो कि अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है । इस प्रकार मेरे नाम के प्रस्ताव पर चर्चा नहीं होती है । क्या यह नहीं हो सकता कि कम से कम 21 अगस्त 1970 को 3 बजे म०प० इसे गैर सरकारी सदस्य के प्रस्ताव के रूप में लिया जाये ? क्या सरकार इस विषय पर गम्भीरता से विचार करेगी ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह सरकारी कार्यवाही में शामिल है । यह प्रस्ताव गैर सरकारी सदस्यों की कार्यवाही में नहीं आता है चूंकि सभा में अन्य कार्यवाही होने के कारण इस प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सका है । इसको उचित अवसर पर दिया जायेगा ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधो समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

पैंसठवां प्रतिवेदन

श्री फ० गो० सेन (पूर्णिया) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि यह सभा गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 65 वें प्रतिवेदन से जो 5 अगस्त 1970 को सभा में पेश किया गया था, सहमत है ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 65 वें प्रतिवेदन से जो 5 अगस्त, 1970 को सभा में पेश किया गया था, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

पश्चिमी बंगाल की आर्थिक तथा सामाजिक समस्याओं के बारे में संकल्प

RESOLUTION RE : ECONOMIC AND SOCIAL PROBLEMS OF WEST BENGAL

उपाध्यक्ष महोदय : हम श्री इन्द्रजीत गुप्ता द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव पर आगे चर्चा करेंगे हम इस पर नियत समय से आगे बढ़ गये हैं । यदि आप सहमत हैं तो मैं मंत्री महोदय को उत्तर देने के लिए कह सकता हूं ।

श्री नम्बियार : यह पश्चिमी बंगाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रस्ताव है । इस पर समय बढ़ाया जाये । सभा के प्रत्येक वर्ग को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : लगभग 7 या 8 सदस्यों ने अपने नाम भेजे हैं अतएव इस पर आधा घंटा बढ़ाया जा सकता है । श्री देवेन सेन ।

Shri Deven Sen (Asansol) : It is a matter of great regret that the Central Government has always done injustice to the West Bengal. In the British davs also, the same treatment was given to West Bengal. The British Imperialism wanted to have more influence and sovereignty over Bengal. But now our Congress Government is adopting the same policy. Calcutta contributes a good sum of Corporate Tax but it goes to the Centre. The same case is with the Income Tax and Excise Tax. In this way Bengal gets little share and most of the amounts go to other States.

The Per-capita Plan Expenditure of West Bengal is much less. Recently the Fifth Finance Commission made allocation and it had given surplus to other States but Bengal got nothing. In this way the issue of licences to West Bengal is less than in comparison to other States.

[श्री क० ना० तिवारी पीठासीन हुए
Shri K. N. Tiwary *in the Chair*]

We have been hearing that Circular Railway will be introduced in Calcutta. The Railway and the Planning Commission have sanctioned it and Rs. 30 crores have also been allocated for it. But instead of having Circular Railway they want to have now mass rapid transit system which extant heavy expenditure. I do not know from where the money will come. I think that the Plan for Circular Railway will never materialise in Calcutta.

Now I want to say something about Refugees. The Evacuee Property Act applies for those persons coming from West Pakistan. Under this the people coming from West Pakistan have been given Rs. 400 crores. But there is no such Evacuee property Act for refugees coming from East Pakistan. Refugees coming from East Pakistan have no right on their properly left in that country. At least there must be record of evacuee property so that the Future Government, if not the present Government, may take action on it. I want to say that capitalists are involved in the propaganda done against West Bengal. They are doing this for getting more concessions. The West Bengal Government have

formulated laws for Land Reforms. Under this the exemption from rent was given to the three acres land. But it is seldom enforced. I want that there must be ceiling of land and the policy regarding three acres of land for a man may be nationalised.

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : मैं आशा करता हूं कि अब समय आ गया है कि हम कानून तथा व्यवस्था के प्रश्न पर गंभीरता से विचार करें। जब हम स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष कर रहे थे तो उन दिनों हम पर यह अभियोग लगाया जाता था कि हम कानून तथा व्यवस्था को भंग कर रहे हैं परन्तु गत 22 वर्षों में परिस्थितियां बदल गई हैं तथा सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन आ गये हैं। अतएव अब हमें नए संदर्भ में इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए यह एक तथ्य है कि वर्तमान स्थिति आज के राजनैतिक नेताओं के लिए हार है। यह उनके लिए नैतिक हार है।

मैं कलकत्ता काफी वर्ष रहा हूँ। 14 अगस्त 1947 को भी मैं कलकत्ता में था उस समय वहां लोगों में हिंसा का ऐसा भय फैला हुआ था जो कल्पनानीत है। जब हम मुहल्लों में गये थे तो वहां उस समय लोगों के मन में यह भय समाया रहता था कि किसी समय भी जान जा सकती है। उस समय गांधीजी कलकत्ता गये थे जिससे एक दम हिंसा का वातावरण बदल गया था। लोगों के मन से जान का भय एक दम हट गया था और वे एक दूसरे के गले लग रहे थे। गांधीजी के नेतृत्व ने करोड़ों लोगों का दिल जीत लिया था। उस संदर्भ में यदि हम आज की परिस्थिति देखें तो पायेंगे कि हिंसा का यह वातावरण हमारे लिए नैतिक हार है। यदि कोई यह समझता है कि इस हिंसा को प्रशासनिक हिंसा से दबाया जा सकता है तो वह उसका मूर्खता का विचार है।

इस हिंसा के रोग का पहचानना और उसका उपचार करना चाहिए। हम केवल यह सोच नहीं सकते कि कानून तथा व्यवस्था से ही बेरोजगारी, कृषि सम्बधी असंतोष तथा अन्य सामाजिक असंतोष को दूर किया जा सकता है। यदि लोगों के पास भूमि नहीं है तो हमें उन्हें भूमि देनी चाहिए, तथा बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने चाहिए। आज बंगाल सहित समूचे देश में 130 लाख व्यक्ति बेरोजगार हैं। अतएव मंत्री महोदय को इस समस्या के संबंध में रुचि लेने वाले राजनैतिक दलों को बुलाकर विचार विमर्श करना चाहिए। यदि हम आर्थिक रूप के स्थान पर प्रशासनिक हिंसा से इस समस्या को सुलझाने की कोशिश करेंगे तो मैं कहूँगा कि इस तरह से हिंसा को दबाया नहीं जा सकता।

यह प्रश्न बड़ा गम्भीर है। यह बुराई गहराई तक गई हुई है। इसे प्रशासनिक हिंसा से दूर नहीं किया जा सकता। यदि आप पुलिस द्वारा इसका सामना करेंगे तो यह और भी बढ़ता जायेगा। इसके मूल कारण को दूर करना है। जो उपाय मैंने सुझाये हैं उस पर ही चलकर इस बुराई को दूर किया जा सकता है।

डा० रानेन सेन (बारसाट) : सरकार को यह जान लेना चाहिए कि पश्चिमी बंगाल का उत्तरी भाग एक पिछड़ा क्षेत्र है। जब संयुक्त मोर्चा सरकार 1967 और 1969 में सत्तारूढ़ हुई तो इस क्षेत्र के विकास के लिए कुछ प्रस्ताव किए गए थे। स्थिति यह है कि वहां के पांचों जिलों में एक भी उद्योग नहीं है वहां सड़कें, संचार सुविधा, बिजली आदि का अभाव है।

इसलिए संयुक्त मोर्चा सरकार ने तीस्ता-महानद परियोजना के निर्माण का सुझाव दिया था। यह न केवल बंगाल के उत्तरी भाग अपितु काफी सीमा तक बिहार को भी लाभ पहुंचाता है। परन्तु सरकार इस ओर उदासीन रही और अब तक कुछ नहीं किया गया है। अब वहां राष्ट्रपति शासन है अतएव इसको उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मुझे आशा है कि बिहार और पश्चिमी बंगाल के सभी सदस्य मेरा समर्थन करेंगे कि सरकार को यह कार्य आरम्भ कर देना चाहिए।

इस परियोजना के बारे में धन का प्रश्न उठाया गया था। उस समय वहां के तत्कालीन मंत्री ने यह सुझाव दिया था कि इसको क्रमबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत दिया जाये नहीं तो 1968 की भाँति विनाश कारी बाढ़ प्रतिवर्ष आती रहेगी। यह एक महत्वपूर्ण परियोजना है।

मैं अब गांवों की सड़कों के बारे में कहूंगा। कलकत्ता की सड़कों की स्थिति के बारे में प्रत्येक को मालूम है। न केवल पश्चिमी बंगाल के उत्तरी भाग में अपितु कलकत्ता शहर के 20 मील परे मोटर चलने योग्य सड़क नहीं है। अब चूँकि केन्द्रीय सरकार ने यह कार्यभार संभाल लिया है अतएव उसे इस ओर ध्यान देना चाहिए।

आज तमिलनाडु के 14,000 से 16,000 तक गांवों में बिजली की सुविधा उपलब्ध है परन्तु पश्चिमी बंगाल में 2,000 से भी कम गांवों में बिजली है। यह एक शर्म की बात है। बिजली पैदा करने तथा इसे गांवों में पहुंचाने के लिए कुछ किया जाना चाहिए।

पश्चिमी बंगाल के लोगों की यह मांग रही है कि शिक्षा को, विशेषकर प्राथमिक शिक्षा को, बड़े पैमाने पर फैलाया जाना चाहिए ताकि धीरे-धीरे अशिक्षा को दूर किया जा सके। दुर्भाग्यवश सरकार इस प्रयत्न में असफल रही है।

मेरा यह कहना है कि सरकार को पेय-जल, शिक्षा, बिजली सड़कें तथा तीस्ता-महानद परियोजना को हाथ में लेना चाहिए ताकि निकट भविष्य में इसके अच्छे परिणाम निकलें। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। केवल यह कहने से ही कि कलकत्ता के विकास के लिए 146 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे, इससे समस्या नहीं सुलझती, कलकत्ता तथा इसके औद्योगिक विकास के साथ-साथ पश्चिमी बंगाल के भीतरी प्रदेश का भी विकास किया जाना चाहिए।

Shri Shashi Bhushan (Khargaon): After the Independence struggle of 1857, Bengal suffered much then others. There is no parallel of misery in the history of the country that Bengal faced. To sustain the shock which Bengal got in the British period, much money is needed. But even after the Independence no attention has been given.

Inspite of the big city in the world, Calcutta has more slums. The Electricity Company is in the hands of a foreign company. The Drinkihg water a rangement is not proper. Unemployment has assumed a big proportion. If we want to solve these problems then more money is needed for it.

The people of West Bengal are educated and they have political conciousness. But they are not united in the cause of socialism. There socialism must be on a scientific basis. Had the Naxalites aimed at the Black-marketeers or corrupt politicians then it would have some meaning. But they are spreading panic amongst poor people. It shows how much frustrated they are.

As the West Bengal is under President's Rule now therefore land reforms should be taken up expeditiously. Rent on three acres of land should be exempted. Tractors and Diesel Engines should be provided there. Ceiling of lands should be introduced there.

It has become a fashion to recall the Governor. By changing of Governor has no meaning. It is high time that officials, belonging to West Bengal, in the Centre should be sent back to Bengal. They will do the work more efficiently. The Government should give more attention to West Bengal and more money should be provided there. It is our moral duty to help them.

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : I support the points raised in this resolution. The problems of West Bengal resemble the problems of the whole India So the Government should give more attention to it. If we solve them there in the same way they can be solved in other States also.

The problem of land reforms pertains to West Bengal as well as to the whole of India. Land Grab movement or Land Distribution movement is spreading everywhere. In Bengal as well as in India, many people are landless. They want to become owner of the lands.

Suppose if we take over all lands and distribute, but what should be the basis of distribution. It is the opinion of economists that ten acres of land is a economic holding. But even then some landless persons will be there. And if we distribute three or four acres of land then it will not be scientific one. For large scale farming tractors and other machinery are necessary.

As I have stated that even after distribution of all lands, the landless persons will remain. So the solution is to adopt this system of village ownerships of land. The East India Company had recommended the same. The Agrarian Reforms Committee had in its report of 1946 stated that village ownership of land was prevalent in the country earlier.

If the Government really want to solve the problem of the landless people, whether in Bengal or in the whole country they will have to initiate a system of village ownership of land. Although it is included in the Sarvodya programme but the Government can take it up legally and they make an amendment in the constitution if so required. The problem of unemployment is also there in the country throughout. The Government should therefore adopt a full-employment policy at least in the backward areas particulary This scheme should be started first from the backward areas of West Bengal. The implementation of a full-employment policy should invariably be taken up in the President's Rule period.

The refugee problem in Calcutta i.e. Bengal, is also a very big problem. But certainly it is not the problem of West Bengal only. This problem will have to be viewed at All India level. The population and housing problem in Calcutta is increasing day by day and it is very necessary to undertake the development of the city forth with. Calcutta should be thoroughly modernised. The problems there should dealt with on war-footing and at All India level.

With these words I support the resolution.

Shri Bibhuti Misra (Motihari) : There are no two opinions that Calcutta should be developed and modernised. This city is the life-line of North India and also the centre of trade from Assam, Bengal, Bihar and Orissa. But now this city is overcrowded and there are many problems like that of water, housing etc. So, certain industries should be transferred from Calcutta to some other places. This is also necessary because China has developed Atom Bombs and Hydrogen Bombs and it is rather dangerous to keep many industries at one place.

Secondly, whereas the per capita income of West Bengal is Rs. 498, Bihar is lagging far behind. Bengal's need cannot be met even if the whole India's budget is allotted to

this State. The movement going on there is all due to the weakness of the Central Government. It is written in the Mahabharat that the administration is run with the help of legal punishment and not simply by request.

It was a curse that we partitioned Bengal and Punjab and handed over one part of the each State to Pakistan. Our leaders are responsible for it, the common man never wanted it. Anyhow, now we will have to deal with the problem of refugees on all India basis. There are refugees in the whole of India We have got 50,000 refugees in Champaran District of Bihar, with Bettiah as their transit camp. But the problems of Calcutta can be solved only when some of the industries there are dispelled to different other States. Similarly the educational system should also be amended so as to enable the students to earn their living without difficulty.

The second point relates to land reforms. Actually, the word land reform is a very misnomer term, and meaningless. I do not know what this land reforms means. Holdings actually do not reveal the area of land.

Once again I would stress that the problem of refugees should be solved and the unemployment problem should also be dealt with effectively throughout the country.

Shri Himatsingbka (Godda) : The idea behind Shri Indrajit Gupta's resolution is really very good. He has rightly stressed the need of handling the affairs of Calcutta effectively. This is the largest city in India, but as per its present State of affairs, it is now being turned as the 'dirty city' specially by the foreigners. It is, therefore, very necessary to take up the development of this city. But unfortunately it has become very difficult to start any work there. The subotage activities are increasing day by day and all new establishment finds it difficull to start its work there. The corporation there is also discharging other organisations who endeavour to set up their institutions. This corporation is wasting Governments money, with the result that the corporation is not able to maintain even cleanliness in the city.

Shri Indrajit Gupta's party can do a bit of work for the development of Calcutta if they Unite and work together. The resources for this purpose can be raised from that place itself. But unfortunately, the unions are fighting with each other and the city's condition is deteriorating continually. Most of the businessmen are thinking in terms of shifting their trade and business from there, thereby causing serious unemployment conditions. I hope the party-unions will make joint efforts to improve the condition of this city.

As regards the rehabilitation of refugees, the West Pakistan refugees could be rehabilitates quite comfortably, but there is a lot many difficulties for rehabilitation of East Pakistan refugees. The various political parties are creating these difficulties and hindrances so as to gain political capital out of it. The refugees are mostly landless farmers and also to being in number to be rehabilitated in or near about Calcutta but the different political parties do not want that they should be rehabilitated outside Bengal so that they may always oppose the Government, and also become the tool of these parties. Therefore, it is very necessary to encourage these refugees to settle outside Bengal also.

As regards industries, no body is prepared to install new set-ups there and many of the existing industries are also being shifted away. There is no dispute between the employees and the employer but other parties creat hindrances for their own cause and purposes. New industries could be established there if Shri Indrajit Gupta's party helped in this endeavour.

Government may take notice of all these things.

Shri Mohd. Ismail (Barrackpore) : Shri Indrajit Gupta, in his resolution, wants top-priority should be given to the problems of unemployment etc. But when his UF Government could not do that how can he expect it during the President's rule ? This

situation in West Bengal has been continuing for the last 20 years. Bengal was the first State to start movement against the British Empire. which later spread in the whole country but the situation in West Bengal now is made more worse. And no problem of this State could be solved since the Congress came into power.

There are a number of problem like that of traffic, population etc. The proposed circular Railway in Calcutta has not since been brought into being.

The Government had sympathy with the refugees from West Pakistan, and those were settled quite comfortably. But the problems of Bengalies were not solved. They are rather increasing.

The condition of Calcutta port is also pitiable and it is about to be closed down. The Government could not nationalise the private electric supply company whose are earning crores of rupees, whereas the UF Government was well successful in nationalising the British Tram Company on the demand of its workers. We do not have any hope from India Government and the people of West Bengal will have to everything on their own. The UF Government was formed there for this purpose, but its way was obstructed at every point.

There are so many talks regarding law and order situation there. There have been several big strike but all of them were quite peaceful. No body worked for disturbing law and order there. Then how do there people shout over law and order situation ? This is nothing but a conspiracy against the people of West Bengal just to deprive them of their legitimate rights. The Central Government did not give sanction to different Bills passed by the UF Government. Similarly the free-education upto 8th class has also not been provided by the UF Government. But let the Central Government understand that the people of Bengal do not beg ; they would establish their own right and might. The people of Bengal have uprooted the British Empire and they would do the same to the Emoire at Delhi also.

I demand that the problems of West Bengal should be given top priority. The Government has converted the corporation into a metropolitan one and abolished the body elected by the people. We therefore, demand that the mid term polls should be held there immediately so as to enable the people to have their own administration. There is no problem of law and order there. It is only in the minds of big pecple. The President's rule should be removed and the people should be given their democratic rights.

श्री बे० कृ० दास चौधरी (कूच-बिहार) : मैं इस संकल्प की शर्तों से तो बहुत प्रसन्न हूँ परन्तु उससे नहीं जो अभी-अभी कुछ सदस्यों ने कहा है। वस्तुत: पश्चिम बंगाल को उसके उचित अधिकारों से वंचित करने का षड़यंत्र 1947 से चला आ रहा है। इतनी ही बात नहीं है कि आजकल ही वहां से उद्योग हटाये जा रहे हैं। यह कार्य तो केन्द्र सरकार ने अपनी औद्योगिक और आर्थिक नीतियों के अन्तर्गत जानबूझकर किया है।

पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में बंगाल को दूसरा स्थान प्राप्त था परन्तु तीसरी योजना में यह स्थान 12वां हो गया और अब शायद 14वां या 15वां स्थान है।

प्रो० हजारी के प्रतिवेदन के अनुसार वर्ष 1959-66 के दौरान नये उपक्रमों में पूंजी निवेश 100 करोड़ रुपये रहा जबकि अन्य सभी राज्यों में इससे अधिक था। लाइसेंस जारी करने के बारे में, वर्ष 1956- 961 तक जारी किये गये लाइसेंसों में बंगाल को केवल 625 लाइसेंस मिले जिनमें से 329 पुराने संस्थानों का विस्तार अधियोजनाओं के लिए थे।

इन आंकड़ों में और अधिक न जाते हुए, मैं कहना चाहूँगा कि बंगाल के विकास का अर्थ केवल कलकत्ता का ही विकास करना नहीं है। पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्र भी हैं। पश्चिम

बंगाल के ग्रामीण क्षेत्र सम्भवतः देश के सर्वाधिक पिछड़े क्षेत्र है—विशेषकर वे पांच जिले जिनका जिक्र डा० रानेन सेन ने किया है ; उनके विकास के बारे में सरकार ने तीन योजनाओं के दौरान क्या किया ? इस अवधि में पश्चिम बंगाल पर केवल 520 करोड़ रुपया खर्च किया गया तथा उत्तर बंगाल पर केवल 15 करोड़ रुपये ही खर्च किये गये। यद्यपि इन पाँच जिलों के राज्य को कुल आयकर 30 प्रतिशत भाग उपलब्ध होता है परन्तु उन्हें इसके अनुरूप सहायता नहीं मिलती। सरकार को चाहिए कि वह कम से कम उन जिलों को उनकी उपार्जित आय के समान तो धनराशि प्रदान करें। उत्तर बंगाल के इन पांच जिलों की जनसंख्या 60 लाख के लगभग है। यदि ये लोग गरीब हैं तो क्या इनको गरीब ही रहने दिया जायेगा ? यहां न्यूनतम 15 प्रतिशत की बात लागू नहीं होती। उन्हें यथोचित अंश मिलना चाहिए।

फिर विशेषकर उत्तर बंगाल के संदर्भ, मैं कहूँगा कि पश्चिम बंगाल के लिए विकास का आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार नहीं किया गया है। इसके अन्तर्गत विद्युत तथा संचार व्यवस्था आती है। विद्युत बिना उद्योग नहीं चल सकते और संचार बिना औद्योगिक विकास होना संभव नहीं है। फिर भी इन व्यवस्थाओं का विकास नहीं गया है।

बंगाल के केवल 3.8 प्रतिशत भाग का विद्युतीकरण हुआ है। 38454 गांवों में से केवल 1453 ग्रामों को विद्युत सुविधा मिली है। ये आंकड़े 1969 तक के हैं। जो कुछ विकास हुआ है वह उपनगरीय क्षेत्रों में ही हो पाया है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो अन्धेरा ही अंधेरा रहता है। ऐसा संभवतः विद्युत फेल होने के कारण होता है। सरकार इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। अतः ग्रामीण विद्युतीकरण योजनायें चलायी जानी चाहिये ताकि सिंचाई सुविधायें भी बढ़े।

उत्तर बंगाल में कोई उद्योग नहीं है। जहां तक कृषि विकास का संबंध है, पश्चिम बंगाल में केवल 1424 विद्युत पम्प हैं जबकि पंजाब में 5,31,433 तमिलनाडु में 3,70,638 तथा महाराष्ट्र में 1,071 171 हैं। इन विद्युतीकरण परियोजनाओं को कौन चलायेगा ? हालांकि सरकार ने हजारों करोड़ रुपये की परियोजनायें बना रखी है परन्तु पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विद्युतीकरण की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। विशेष रूप से उत्तर बंगाल के जिले के क्षेत्रों में, अतः इसके लिए कुछ ठोस कार्यवाही करनी होगी। एक उत्तर बंगाल विकास बोर्ड को बनाया जाना चाहिये और क्योंकि केवल इसी से काम नहीं चलेगा इसलिए सरकार एक उत्तर बंगाल औद्योगिक विकास निगम की भी स्थापना करे जिसकी पूंजी करोड़ रुपये हो।

साथ ही बाढ़ों से रक्षा के लिए एक मास्टर प्लान भी तैयार किया जाना चाहिए। वर्ष 1968 से उत्तर बंगाल में प्रत्येक वर्षा भारी होती है अतः उत्तर बंगाल की नदियों को नियंत्रित करने के लिए मास्टर प्लान अवश्य बनाया जाना चाहिए।

बाढ़ नियंत्रण की योजना वर्ष 1924 में बनाई गई थी जबकि चीफ इंजीनियर श्री ग्रीवज ने बंगाल के लिए एक परियोजना तैयार की थी। इसके दो भाग थे। परन्तु उसके बाद कांग्रेसी नेताओं ने उस योजना को त्याग दिया। मेरा निवेदन है कि सरकार इस ओर ध्यान दे। उत्तर

बंगाल में एक और आन्दोलन चला है और यदि उन लोगों की मांग स्वीकार न की गई तो वहां नक्सलवादियों की गतिविधियां बढ़ सकती है सरकार इस चेतावनी पर ध्यान दें ।**

सभापति महोदय : वह जो कुछ कहते है वह कार्यवाही में शामिल न किया जाये ।

श्री बे० कृ० दास चौधरी : .....**

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द पन्त) : उक्त संकल्प सभा में प्रथम मई को पेश किया गया था और उसके पश्चात् पश्चिम बंगाल में काफी कुछ हुआ है और यदि तब से सरकार द्वारा वहां की गई कार्यवाही का मूल्यांकन किया जाये तो मुझे आशा है कि सभा को संतोष होगा कि सरकार ने इस अत्यधिक उद्वेलित राज्य को सामान्य स्तर पर लाने के लिए काफी जिज्ञासा दिखाई है और वहां कुछ विकास कार्यक्रम जोरों से शुरू कर दिये हैं हमारा प्रयास है कि इस राज्य की सभी दिशाओं में प्रगति हो ।

कलकत्ता के विकास के बारे में श्री कोठारी ने तथा अन्य सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये । मैं निवेदन करता हूँ कि कलकत्ता के विकास के बारे में सरकार ने पूरा ध्यान दिया है तथा इस संबंध में केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के बीच इन समस्याओं पर पूरी तरह विचार-विमर्श किया जाना चाहिये । इसके बाद यह निश्चय किया गया कि वहां की जलपूर्ति, जल-निकास परिवहन । सड़कों की मरम्मत तथा नवीकरण आदि का कार्य उपलब्ध धन स्रोतों के आधार पर शीघ्रातिशीघ्र किया जाये ।

यद्यपि चौथी पंचवर्षीय योजना में कलकत्ता क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए 43 करोड़ रुपये निर्धारित हैं तथापि इस क्षेत्र के लिए और अधिक विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए तथा उसके लिए धन स्रोत जुटाये जाने चाहिए । और इस उद्देश्य के लिए उसकी वार्षिक वित्त-व्यवस्था में भी वृद्धि करने का प्रयास किया गया है तथा इसे 22 करोड़ रुपये कर दिया गया है ।

इस क्षेत्र में नगरपालिका की कार्यवाही पर काबू पाने के लिए कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण की स्थापना करने के लिए एक राष्ट्रपति अधिनियम लागू किया गया है । यह प्राधिकरण विभिन्न विकास योजनाओं के लिए धन-स्रोत उपलब्ध करेगा । इस निकाय की आलोचना न्याय संगत नहीं है । श्री इंद्रजीत गुप्ता द्वारा प्रस्तावित चुंगी कर तो पहले ही लागू किया जा चुका है ।

कलकत्ता निगम तथा हावड़ा नगर निगम को विकास कार्यों के लिये केन्द्र सरकार ने 7.08 करोड़ रुपये की ऋण सहायता दी है ताकि वे अपने घाटों को पूरा कर सकें । मुझे आशा है कि सभी के सहयोग से कलकत्ता के विकास में मूलभूत प्रगति हो सकेगी वहां के लोगों को काफी राहत मिलेगी । इसके साथ ही कलकत्ता की अनेक बस्तियों के लोगों को शुद्ध जल तथा सफाई की व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए भी हम तुरन्त ही कार्यक्रम बनायेंगे ।

अनेक वक्ताओं ने भूमि सुधार के बारे में जिक्र किया । सभा को मालूम है कि राष्ट्रपति

**कार्यवाही में शामिल नहीं किया गया ।

**Not recorded.

शासन लागू होने से पूर्व बड़े पैमाने पर जबरन भूमि पर कब्जा किये जाने से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण सरकार ने इस संबंध में पुनर्गठन तथा वर्तमान पात्र भूमिधारियों को वह भूमि नियमित करने का निश्चय किया है। इस संबंध में यदि कुछ व्यक्ति इसके योग्य न पाये गये तथा उनके पास दो एकड़ से अधिक भूमि हुई तो सरकार उसे वापस लेकर अन्य लोगों में वितरित कर देगी।

गैर-सरकारी भूमि के बारे में उनके स्थायी यथोचित कार्यवाही करें। सभा को मालूम है कि अभी हाल ही में भूमि सुधार अधिनियम में किये गये संशोधन से बरगादारों की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। अब जमींदार फसल में लिए गये हिस्से की रसीद देंगे और यदि नहीं देंगे तो बरगादार उस हिस्से को उचित प्राधिकरण के पास जमा करा देंगे। इसके अतिरिक्त बरगादारों के खेती करने के अधिकारों में भी सुधार किया गया है और इसे पैतृक बना दिया गया है। फसल में उनका हिस्सा भी अब 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत कर दिया गया है। साथ ही परिवार के आधार पर भूमि की सीमा भी निर्धारित कर दी है तथा इस सम्बन्ध में शीघ्र ही कानून बनाया जायेगा। इस प्रकार सरकार के भूमि सुधार कार्यक्रम की प्रशंसा की जायेगी। परन्तु फिर भी कुछ राजनैतिक दल इस स्थिति का अनुचित लाभ उठा रहे हैं और भूमि पर कब्जा करने का अभियान चला रहे हैं। सरकार यह जानकारी भी प्राप्त करना चाहेगी कि कहां और कौनसी भूमि फालतू पड़ी हैं क्षमता अवैध रूप से या धोखे से हथिया ली गई है। इस बारे में कानूनी कार्यवाही करने तथा उसे नियमित ढंग से वितरित करने हेतु तुरन्त कदम उठाये जायेंगे। परन्तु ऐसे भूमि हथियाओं अभियानों से जनता को कानून अपने हाथ में लेने का उत्साह मिलता है तथा इससे अप्रिय घटनायें हो जाती हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि मेरे साथी इस भूमि सुधार कार्यक्रम को लागू करने में सरकार की मदद करें।

इस संकल्प में शरणार्थियों की समस्या का भी वर्णन किया गया है इस बारे में अनेक सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं।

आज भी तथा पहले भी कुछ माननीय सदस्यों ने इसका उल्लेख किया है।

इस वर्ष के आरम्भ से ही सरकार ने इस समस्या को सुलझाने के लिए यथा सम्भव प्रयास किया है। पूर्व पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को बसाने के लिए विभिन्न राज्यों में सहायता शिविर खोले गये हैं।

श्री स्वतत्र सिंह कोठारी (मंदसौर) : उन शिवरों की स्थिति बड़ी दयनीय है। पश्चिम बंगाल तथा केन्द्र के पुनर्वास विभागों को इस बारे में कुछ कार्यवाही करनी चाहिये। मंत्री महोदय को स्वयं उन स्थानों का दौरा करना चाहिये।

श्री कृष्ण चंद्र पंत : यदि माननीय सदस्य का विश्वास है कि उन शिवरों की स्थिति ठीक नहीं है तो मैं उनकी बात को मानने के लिए तैयार हूं। 29 जुलाई से पश्चिम बंगाल में आये 1,52,877 व्यक्तियों में से 1,05,405 व्यक्तियों को बंगाल से बाहर विभिन्न राज्यों में सहायता शिवरों में भेज दिया गया है।

मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता किन्तु मैं इतना निवेदन अवश्य कर देना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल की विविध समस्याओं को सुलझाने का उत्तरदायित्व केवल सरकार

के ऊपर ही नहीं है अपितु विभिन्न राजनीतिक दलों का भी यह उत्तरदायित्व है कि वे अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न करने में सहायक बनें। इस राज्य की अविलम्बनीय आवश्यकता यह है कि वहां कानून और व्यवस्था को शीघ्र सामान्य किया जाये। सरकार ने राष्ट्रपति शासन की थोड़ी सी अवधि में पर्याप्त कार्यवाही की है तथा उसे जारी रखा जायेगा। यदि विभिन्न राजनीतिक दल हिंसा आदि जैसी गतिविधियों को त्याग दें तो सरकार को सामान्य स्थिति लाने में बड़ी सहायता मिलेगी।

डा० रानेन सेन तथा श्री बे० कृ० दास चौधरी ने उत्तरी बंगाल के जिलों के बारे में प्रश्न किया था। राज्य सरकार से औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए ऐसे जिलों की सूची प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था जिन्हें ऋण संस्थानों से रियायती ढंग से वित्तीय सहायता दी जा सकती है। दार्जिलिंग भी उसमें सम्मिलित किया गया है।

श्री बे० कृ० दास चौधरी (कूच-बिहार) : मैं माननीय मंत्री से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि दार्जिलिंग की पूर्ण व्यक्ति आय 299 रुपये है। कूच-बिहार की प्रति व्यक्ति आय 212 रुपये है और माल्दा की 245 रुपये। इसके उपरांत भी इन जिलों की समस्याओं का कोई समाधान नहीं खोजा जा रहा है। मेरा निवेदन है कि सरकार इन जिलों की समस्याओं को भी दूर करने का प्रयत्न करे।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : कुछ माननीय सदस्यों ने ग्रामीण विद्युतीकरण का भी प्रश्न उठाया है। मेरा निवेदन है कि पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए चौथी योजना में 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। भारत सरकार द्वारा स्थापित ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने राज्य के लिए 2.42 करोड़ रुपयों की लागत की एक योजना मंजूर की है जिसके अंतर्गत 902 गांवों में 3,509 विद्युत चालित पम्पिंग सैट लगाये जा रहे हैं।

श्री इस्माइल और श्री चौधरी आदि ने परिवहन सम्बन्धी समस्या का भी उल्लेख किया है। कलकत्ता की परिवहन समस्या का सभी को पता है तथा बढ़ती हुई जनसंख्या से यह समस्या और भी गम्भीर हो गई है। इस समय सभी बड़े नगरों में यह समस्या विद्यमान है। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि रेलवे मंत्री ने 23 अप्रैल, 1970 को एक वक्तव्य दिया था जिसमें महानगरों में परिवहन की सुविधा के लिए उपनगरीय लाइनों के बारे में सर्वेक्षण के अन्तिम दौर का विस्तृत उल्लेख किया गया था और कहा गया था कि यह कार्य तेजी से पूरा किया जा रहा है जिससे कि आगे की कार्यवाही भी जल्दी प्रारम्भ की जा सके।

श्री वेणी शंकर शर्मा (बांका) : गत वर्ष रेलवे मंत्री ने कलकत्ता के चारों ओर रेलवे लाइन बनाने के बारे में सहमति व्यक्त की थी। उस सुझाव का क्या हुआ?

श्री कृष्ण चंद्र पंत : इस विषय में रेलवे मंत्री महोदय भी अधिक बता सकते हैं।

श्री इंद्रजीत गुप्ता तथा कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने उद्योगों के बारे में तथा शिक्षा और सामान्य विकास आदि के बारे में भी उल्लेख किया है। इन समस्याओं के सुलझाने में समय लगना स्वाभाविक है। वास्तव में यह समस्याएं केवल पश्चिम बंगाल में ही विद्यमान नहीं है। वरन समस्त देश में विद्यमान हैं तथा इनका प्रभाव भी समस्त देश पर ही पड़ता है।

अन्त में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस संकल्प पर सदन में मतदान के लिए जोर देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसमें अंतर्निहित भावना सरकार का एक मार्गदर्शी सिद्धांत है।

श्री इंद्रजीत गुप्ता (अलीपुर) : सभापति महोदय। मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस संकल्प का समर्थन किया है। संकल्प प्रस्तुत करते समय मैंने निवेदन किया था कि ये समस्याएं बड़ी गम्भीर है तथा दीर्घकाल से चली आ रही हैं। मैंने यह भी निवेदन किया था कि इनको सुलझाने में भी पर्याप्त समय लगेगा। यह एक राष्ट्रीय समस्या है तथा इसे किसी राजनीतिक दल के साथ नहीं जोड़ना चाहिये।

मुझे आश्चर्य है कि श्री विभूति मिश्र ने कुछ बातें इसके विपक्ष में कहीं है और मैं समझता हूँ कि इससे पश्चिम बंगाल का हित नहीं होगा।

इसके अतिरिक्त श्री इस्माइल ने भी कुछ विरोधात्मक बात कही है। सम्भवतः माननीय सदस्य पहले दिन यहां उपस्थि नहीं थे। मैंने यह स्पष्ट कर दिया था कि मैं इस सरकार से भिक्षा नहीं मांग रहा हूं। मैं यह भी समझता हूँ कि ये समस्याएं इतनी शीघ्र सुलझाई भी नहीं जा सकती।

गत अवसर पर एक-दो माननीय सदस्य ने यह कहा था कि ये सभी समस्याएं संयुक्त मोर्चा सरकार के कारण उत्पन्न हुई हैं। इस सम्बन्ध में मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि संयुक्त मोर्चा सरकार केवल 22 महीने तक रही जबकि कांग्रेस ने लगातार 22 वर्ष शासन किया।

माननीय मंत्री ने इस संकल्प को प्रस्तुत करने की आवश्यकता न होने का उल्लेख किया है क्योंकि सरकार इसी के अनुसार कार्य कर रही है। मैं इस पर उनसे सहमत नहीं हूं। वास्तव में इन समस्याओं को सुलझाने के लिये कागजी कार्यवाही तो इतनी हुई है कि कई टन कागज काम में आ गये हैं किन्तु लगभग 95 प्रतिशत योजना और प्रस्ताव आदि कागजों तक ही सीमित रह गए हैं। पश्चिम बंगाल के बारे में सलाहकार समिति की बैठक में जिन माननीय सदस्यों ने भाग लिया था उन सभी को इस बात का पता है।

पहली विकट समस्या तो भारी संख्या में आये शरणार्थियों की है जो सीमा पर अभी भी दयनीय दशा में पड़े हैं। लगभग डेढ़ लाख व्यक्तियों में से 50,000 व्यक्ति अब भी भयानक स्थिति का सामना कर रहे हैं। दूसरे, नये अधिनियम के अन्तर्गत महाजनीय विकास बोर्ड की स्थापना की जा रही है। सलाहकार समिति की बैठक में हमें इस सम्बध में कुछ पत्र दिये गये थे। स्वयं सलाहकारों द्वारा तैयार किये गये ज्ञापन के पृष्ठ तीन पर पानी की सप्लाई तथा नालियों आदि के सम्बन्ध में कुछ योजनाओं का उल्लेख किया गया है। मंत्री महोदय का कहना है कि इस योजनाओं के लिये मूलतः नियत किये गये धन में वृद्धि की जा रही है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कुल योजनाओं के लिए राशि में वृद्धि की गई है किन्तु गन्दी बस्तियों के सुधार योजना के लिये निर्धारित राशि में कमी की गई है। कलकत्ता की गन्दी बस्तियों में लाखों लोग पशुओं की सी जिन्दगी व्यतीत कर रहे हैं। वास्तव में अनेक कठिनाइयां और समस्याएं कहीं भी उत्पन्न होती

हैं। मेरा यह भी निवेदन है कि बस्ती सुधार योजना के लिये 4.48 करोड़ रुपये की निर्धारित राशि को घटाकर 2.60 करोड़ रुपया कर दिया गया है, यह गम्भीर बात है। मैंने इस बात का उल्लेख सलाहकार समिति में किया था किन्तु किसी भी सलाहकार ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया।

श्री कृष्ण चंद्र पंत : यदि इस योजना पर अधिक धन खर्च करने की आवश्यकता पड़ी तो सरकार अवश्य धन देने का प्रयत्न करेगी। संसाधनों के कारण इस योजना में बाधा नहीं पड़ने दी जायेगी।

श्री इंद्रजीत गुप्ता : मुझे यह सुनकर बड़ी प्रसन्नता है। मैं पुनः निवेदन करता हूं कि बस्ती सुधार योजना की उपेक्षा नहीं की जा सकती क्योंकि अधिकतर समस्याएं कहीं से उत्पन्न होती हैं।

बेरोजगारी की समस्या के बारे में मैं मंत्री महोदय का ध्यान एक बात की ओर दिलाना चाहता हूं। गत तीन महीनों में सरकार ने यह निर्णय किया है कि चाय नीलामी केन्द्रों को कलकत्ता से आसाम में ले जाया जायेगा। मैं जानता हूँ कि कलकत्ता के चाय व्यापारियों ने इस निर्णय का विरोध किया है और कहा है कि इससे उनके व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। मैं इस संदर्भ में यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस चाय नीलामी केन्द्रों को कलकत्ता से गुहाटी ले जाने पर लगभग एक लाख व्यक्ति बेरोजगार हो जायेंगे क्योंकि ये व्यक्ति इस समय व्यापारियों या दलालों के साथ किसी न किसी रूप में कार्य करते हैं। अतः ऐसा करने से बेरोजगारी की समस्या और भी बढ़ेगी।

लगभग चार या पांच दिन पहले एक प्रश्न के उत्तर में सरकार ने कहा था कि वह तीस्ता परियोजना को केन्द्रीय योजना बनाने में कोई रुचि नहीं रखती। सरकार ने स्पष्टतः कह दिया है कि योजना आयोग ने इस बात को अस्वीकार कर दिया है। तथा राज्य सरकार को इस की देखभाल करनी है। तीस्ता परियोजना की लागत 80 करोड़ रुपये है तथा प्रति वर्ष बाढ़ के कारण उत्तर बंगाल के जिलों के लोगों को बड़ी कठिनाई होती है।

इसके पश्चात् मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि दिसम्बर, 1969 में संयुक्त मोर्चा सरकार ने जांच आयोग अधिनियम के अन्तर्गत एक जूट जांच आयोग की नियुक्ति की थी। जूट पश्चिम बंगाल राज्य का मूलभूत आधार है जो वहां की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। संयुक्त मोर्चा सरकार ने जूट उद्योग को अधिक लाभप्रद बनाने के बारे में इसकी समस्याओं का अध्ययन करने तथा उस पर सिफारिश देने के स्थापना की थी। संयुक्त मोर्चा सरकार के जाने के पश्चात जूट मिल मालिक इस बात के लिए सतत प्रयत्न कर रहे हैं कि इस आयोग को रद्द कर दिया जाये। वे हर सप्ताह दिल्ली आते हैं तथा इसी प्रयत्न में लगे रहते हैं। आयोग ने अपना अंतरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है जिसमें अपरिष्कृत जूट तथा बाजार और मूल्य आदि संबंधी समस्याओं पर विचार किया गया है। ज्ञात नहीं है कि उस प्रतिवेदन का क्या होगा। मैं यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि यदि सरकार इन लोगों के दबाव में आकर इस आयोग को

समाप्त करेगी तो मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं कि सरकार पश्चिम बंगाल की समस्याओं के बारे में चिंतित है।

जहां तक 'भूमि हथियाओ' आन्दोलन का प्रश्न है मेरा निवेदन है कि सरकार को भूमि की अधिकतम सीमा वाले कानून को क्रियान्वित कराना चाहिये। कठिनाई यह है कि कानून होने पर भी उसको क्रियान्वित नहीं कराया जाता। माननीय मंत्री ने यह अपील की है कि जनता कानून को अपने हाथ में न ले। किन्तु मैं जानना चाहता हूं कि अव्यवस्था उत्पन्न होने का कारण क्या है। वास्तव में भूमि किसने हथिया रखी है। भूमि जोतदारों और भूस्वामियों ने हथियाई है क्योंकि अधिकतम सीमा निर्धारित होने के पश्चात भी उन्होंने फालतू भूमि को नहीं छोड़ा। यदि सरकार स्वयं इस का पालन नहीं करा सकती तो वह भूमिहीन जनता की गतिविधियों में क्यों बाधा डालती है? सही बात तो यह है कि जनता जोतदारों द्वारा हथियाई गई भूमि को वापस लेना चाहती है। अतः सरकार जनता के आन्दोलन को नहीं रोक सकती।

अन्त में मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं इस संकल्प को वापस लेने को तैयार नहीं हूं तथा सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि वे इसका समर्थन करें।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : मेरा निवेदन यह है कि चूंकि सरकार इसी के अनुसार कार्य कर रही है अतः इस संकल्प पर बल देने की आवश्यकता नहीं है। किन्तु चूंकि माननीय सदस्य इस पर बहुत बल दे रहे हैं तो मुझे इसे स्वीकार करने में भी कोई आपत्ति नहीं है।

डा० देवेन सेन : मैं सभा की अनुमति से अपना संशोधन वापस लेता हूँ।

श्रीमती इलापाल चौधरी : मैं भी अपना संशोधन वापस लेना चाहती हूँ।

सभा की अनुमति से संशोधन वापस लिये गये।

The amendments were by leave, with drawn.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"इस सभा की राय है कि सरकार को राष्ट्रपति के शासनाधीन पश्चिमी बंगाल के प्रशासन में भूमि सुधार, बेरोजगारी, शरणार्थियों के पुनर्वास, कलकत्ता के विकास जैसी अविलम्बनीय आर्थिक और सामाजिक समस्याओं के समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिये।"

सकल्प स्वीकृत हुआ

The resolution was adopted

पश्चिम बंगाल में विधि और व्यवस्था की स्थिति के बारे में संकल्प

RESOLUTION RE. LAW AND ORDER SITUATION IN WEST BENGAL

श्री नाथ पाई (राजापुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"यह सभा खेद प्रकट करती है कि राष्ट्रपति का शासन प्रख्यापित करने के बाद भी पश्चिमी बंगाल में विधि और व्यवस्था की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है और

सम्पूर्ण राज्य में विशद निर्बाध हिंसात्मक गतिविधियों पर, जिनके कारण देश में जीवन, सम्पत्ति, सुरक्षा और लोकतंत्र को खतरा पैदा हो गया है, गम्भीर चिन्ता व्यक्त करती है।" मैं आशा करता हूँ कि सभा पहले संकल्प की भांति इस संकल्प को स्वीकार करेगी।

पश्चिम बंगाल में आंतकी स्थिति विद्यमान है तथा प्रत्येक दिन वहां लूट मार, हत्या या आगजनी की घटनायें सुनने में आती है।

पश्चिम बंगाल में विद्यमान स्थिति का खतरा केवल बंगाल को ही नहीं है अपितु इसे सम्पूर्ण का खतरा मानना चाहिये क्योंकि जो आज वहां हो रहा है वह कल सारे देश में हो सकता है।

पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू होने से यह आशा बंधी थी कि वहां पर कानून तथा व्यवस्था में सुधार होगा किन्तु खेद है कि वह स्थिति और भी गम्भीर होती चली गई। पश्चिम बंगाल नक्सलवादियों सरकार की अस्थिर नीति, तथा वहां के राज्यपाल के द्वारा उत्पन्न समस्याओं से ग्रसित है। अतः सरकार को देखना है कि समस्याओं का कैसा समाधान किया जाये।

कुछ लोग नक्सलवादियों को क्रांतिकारी मानते हैं किन्तु इसको क्राँतिकारी कहना क्रांति शब्द का अनुसूचित उपयोग करना है।

नक्सलवादी नामक व्यक्तियों का समूह विदेशी शक्तियों को बल देना चाहता है। महोदय नक्सलवादियों का उद्देश्य यह है कि भारत को चीन के आधीन कर दिया जाये। उनके द्वारा पारित किये गये संकल्प रिकार्ड में है तथा उनसे इस बात की पुष्टि की जा सकती है। उनका मुख्य पूज्य व्यक्ति माओत्सेतुंग है। ये उसी की पूजा या सराहना करते है। हमें इस बात का विश्वास नहीं होता कि जिस भूमि से 'जय हिन्द तथा 'बन्दे मातरम' जैसे नारे उठाये गये वही भूमि इन नारों की उपेक्षा करके 'जय माओ' जैसे नारे लगाती है अथवा जहां नक्सलवादी वियतनाम तथा लाल सलाम जैसे नारे बुलन्द किये जाते हैं। विश्वास नहीं होता कि वहां विवेकानन्द, आषुतोष मुकर्जी तथा सुभाष जैसे महान नेताओं की मूर्तियां गिराई गई हैं तथा उनका अपमान किया गया है। यह भी भय उत्पन्न हो गया है कि एक दिन महात्मा गांधी की प्रतिमा का भी यही हाल किया जायेगा और इसे क्रांति कहा जाता है, आश्चर्य है।

लूटपाल, आगजनी, हत्या तथा बलात्कार आदि कांति के शस्त्र नहीं कहे जा सकते। आज बंगाल में यही सब कुछ हो रहा है। विद्यार्थी अध्यापकों को मारते हैं तथा छोटे जमींदारों को साम्राज्यवादियों का एजेंट बताकर उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। क्रांति के अन्तर्गत इन घटनाओं को कोई मान्यता नहीं है।

मैं उन्हीं के संकल्प से कुछ भाग पढ़कर सुनाता हूं कहा गया है 'कि कलकत्ता में हाल में गुप्तरूप से हुई भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी लेनिन वादी) पहली कांग्रेस की बैठक में माओ सिद्धांत को तेजी से अपनाने की शपथ को पुनः ग्रहण करता है तथा चीन के साम्यवादी दल के साथ एकता स्थापित करता है...।

इस सम्बन्ध में स्वतन्त्रता सेना की बात भी कही गई है। मैं आशा करता हूँ कि भारत की जनता भारत को परतन्त्र बनाने वाली किसी सेना को फलने फूलन की अनुमति नहीं देगी।

उसी संकल्प में कहा गया है कि जनता में क्रांति लाकर देश को आजाद कराने के लिए शक्ति में वृद्धि करनी होगी। छापामार युद्ध प्रणाली का देश व्यापी कार्यक्रम भी बनाने का प्रस्ताव किया गया है।

श्री चारु मजूमदार ने दल को आवाह्न दिया है तथा कहा है कि दल के व्यक्ति तथा क्रांतिकारी देश के ग्रामीण क्षेत्रों में जायें तथा वहां मार्क्सवादी, लेनिनवादी तथा माओवादी विचारधारा का प्रचार करें, तथा उन्हें इस तथ्य के अवगत कराएं कि राजनीतिक शक्ति बन्दूक के बल पर मिलती है।

आंतक फैलाने, खून बहाने तथा शक्ति का खुले आम प्रचार किया जाता है। इस बात का भी दावा किया जाता है कि बंगाल के नक्सलवादियों ने 80 व्यक्तियों की हत्या की है।

सभापित महोदय : यदि उन्हें अधिक समय नहीं लेना हो तो वह अपना भाषण अभी समाप्त कर दें।

श्री नाथ पाई : मुझे अभी और 30 से 40 मिनट का समय चाहिये।

सभपति महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं।

*सीमेंट के मूल्यों में कमी

REDUCTION IN CEMENT PRICES

श्री श्रीचन्द गोयल (चण्डीगढ़) : इस चर्चा के दौरान मैं तीन बातों पर प्रकाश डालूंगा, अर्थात (1) सीमेंट के मूल्यों में कमी (2) वितरण प्रणाली में सुधार और (3) वर्तमान तथा भविष्य में सीमेंट की माँग को पूरा करने के लिए अतिरिक्त क्षमता का निर्माण।

आप अच्छी तरह जानते हैं कि आवास परियोजनाओं, सरकारी इमारतों तथा बांधों के निर्माण के लिए सरकार को सीमेंट की आवश्यकता होती है। साधारण व्यक्ति को भी अपना मकान बनाने के लिए सीमेंट की आवश्यकता होती है।

इस समय नगरीय क्षेत्रों में हमें झुग्गी झोंपड़ी की समस्या का सामना करना है और देहाती क्षेत्रों में जो मकान है वे इंसानों के रहने योग्य नहीं हैं। चौथी पंच वर्षीय योजना के अन्त में सरकार को तथा साधारण व्यक्ति को सीमेंट की बहुत आवश्यकता होगी। 1974 तक सीमेंट की मांग बढ़कर 2 करोड़ 25 लाख टन हो जाने की सम्भावना है परन्तु इस अवधि में निर्माण की जाने वाली अतिरिक्त क्षमता तथा विस्तार को ध्यान में रखते हुए सीमेंट का केवल 1 करोड़ 9 लाख टन उत्पादन होने की संभावना है। इस प्रकार 35 लाख टन का अन्तर रह जायेगा।

* आधे घण्टे की चर्चा।

* Half-an-Hour Discussion.

1957-58 में सीमेंट का बोरा पांच रुपये से भी कम मूल्य में मिल जाता था परन्तु आज इसका मूल्य 10 रुपये 84 पैसे हो गया है उसमें बताया गया है कि सरकार का इरादा मूल्य में कमी करने का नहीं है। मुझे मालूम है कि सरकार ने सीमेंट निर्मानाओं की एक बैठक बुलाई थी और उन्हें मूल्य कम करने को कहा था परन्तु मैं नहीं जानता कि उसमें क्या बातचीत हुई। सरकार ने मूल्य कम करने का विचार अब त्याग दिया है।

मैं सीमेंट के मूल्य में कमी करने के लिए तीन बातें कहना चाहता हूँ। मूल्य में 5 रुपये प्रतिदिन की वृद्धि करने की अनुमति इस आधार पर दी गई थी कि इस राशि का उपयोग उत्पादन क्षमता का विस्तार के लिए किया जायेगा।

[श्रीमती सुशीला रोहतगी पीठासीन हुई।
Shrimati Sushila Rohatgi *in the chair*]

यह बड़े दुख की बात है कि इस उद्योग का वास्तव में बिलकुल भी विस्तार नहीं हुआ है। अथवा बहुत ही कम विस्तार हुआ है। परन्तु साधारण व्यक्ति से पांच रुपये प्रतिटन की दर से अधिक राशि वसूल कर ली गई है जहां तक सरकारी क्षेत्र का सम्बन्ध है सरकार ने गत वर्ष मध्य प्रदेश में एक बड़ा कारखाना स्थापित किया है। मैं सरकार से यह स्पष्टीकरण चाहता हूँ कि क्या सरकार केवल उन्हीं कारखानों को पांच रुपये प्रतिटन अधिक लेने की अनुमति देगी जिन्होंने अपनी क्षमता का वास्तव में विस्तार किया है न कि सभी कारखानों को चाहे उन्होंने विस्तार किया हो अथवा न किया हो।

सीमेंट दो तीन किस्म का होता है। एक सीमेंट बढ़िया किस्म का होता है जिसे पोर्टलैंड सीमेंट अथवा ग्रे सीमेंट कहा जाता है। दूसरा सीमेंट घटिया किस्म का होता है जिसे स्लैग सीमेंट कहा जाता है। इस सीमेंट की उत्पादन लागत कम होती है। यह कहा जाता है। कि यदि ग्रे सीमेंट की उत्पादन लागत 100 रुपया प्रति टन हो तो स्लैग सीमेंट की उत्पादन लागत 40 रुपये प्रति टन होती है। परन्तु निर्यात दोनों प्रकार के सीमेंट को 50 प्रतिशत के अनुपात से मिला देते हैं। सीमेंट की एक अन्य किस्म प्लास्या सीमेंट होती है। यह पोर्टलैंड सीमेंट से थोड़ा घटिया होता है और उस हिसाब से इसकी उत्पादन लागत 90 रुपये प्रति टन होती है। परन्तु वर्तमान स्थिति यह है कि निर्याताओं को 100 रुपये प्रति टन के समान दर की अनुमति दी जाती है चाहे उसमें तीनों प्रकार के सीमेंट का मिश्रण किसी भी अनुपात से क्यों न किया गया हो। क्या सरकार इस बात का पता लगायेगी कि सीमेंट की तीनों किस्मों को निर्यात किस अनुपात से मिलाते हैं? यदि सरकार इस सीमेंट की उत्पादन लागत का ठीक ढंग से पता लगाये तो यह लागत बहुत कम बैठेगी।

मुझे यह कहने में कोई हिचकचाहट नहीं है कि चार अथवा पांच फर्में समूचे सीमेंट उद्योग के 60 प्रतिशत भाग पर नियंत्रण रखती हैं। अतः हम यह नहीं कह सकते कि इस उद्योग में निर्बाध प्रतियोगिता है। सीमेंट के वितरण के लिए समूचे देश में इनके अपने एजन्ट हैं। किसी भी व्यक्ति को सीधे फैक्टरी से सीमेंट मंगाने का अधिकार नहीं है। इसको केवल एजेन्टों के माध्यम से ही मंगाया जा सकता है और अनेक स्थानों पर वितरक माल को गोदामों में रखकर इसकी कभी

उत्पन्न कर देते हैं और इसमें चोरबाजारी करते हैं। क्या माननीय मन्त्री अधिक वितरक नियुक्त कर सीमेंट की वितरण प्रणाली में सुधार करने को तैयार हैं।

मैं तीसरी बात अतिरिक्त क्षमता उत्पन्न करने के बारे में कहना चाहता हूं। जैसे मैंने आरम्भ में कहा, 1974 में सीमेंट की मांग के 225 लाख टन हो जाने की सम्भावना है। परन्तु उत्पादन केवल 190 लाख टन होगा। इस प्रकार मांग और सप्लाई में लगभग पैंतीस लाख टन का अन्तर रह जायेगा। अतः सरकार इस अन्तर को भरने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है?

एक अन्य समस्या क्षेत्रीय असंतुलन की है। देश के दक्षिणी तथा पश्चिमी क्षेत्रों में सीमेंट का अधिक उत्पादन होता है। सरकार ने यह आश्वासन दिया है कि सरकार क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करेगी और जिन क्षेत्रों में मांग की उपेक्षा सप्लाई कम है उनमें सीमेंट के और अधिक कारखाने स्थापित करेगी। सीमेंट बनाने के लिए कच्चा माल अनेक राज्यों में उपलब्ध है। प्रश्न तो केवल साधनों का उपयोग करने का है। ऐसा लगता है कि इस बारे में सरकार की कोई योजनाबद्ध नीति नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि अतिरिक्त क्षमता बढ़ाने के बारे में सरकार की क्या योजना है ताकि 1974 में सीमेंट की मांग को पूरा किया जा सके।

कुछ समय पूर्व एशिया के देशों को सीमेंट का निर्यात करने का प्रस्ताव था। क्या सरकार ने इस बारे में विचार किया है? यदि हां, तो वह निर्यात के प्रश्न को किस प्रकार निपटायेगी और क्या सीमेंट का उत्पादन अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार किया जायेगा तथा सरकार मांग को पूरा कर सकेगी?

अतः मैं चाहता हूँ कि मेरे तीनों प्रश्नों अर्थात सीमेंट के मूल्य को कम करने (2) वितरण प्रणाली में सुधार करने, तथा (3) अतिरिक्त क्षमता का निर्माण करने के बारे में उत्तर दिया जाये।

श्री सेभियान (कुम्बकोनम) : देश में सीमेंट की बहुत कमी है। इसमें बहुत चोर बाजारी हो रही है। मुझे खुशी है कि दत्त समिति की सिफारिशों के अनुसार सीमेंट उद्योग को पुनः लाइसेंस सम्बन्धी उपबंधों के अन्तर्गत लाया गया है। यदि सरकार सीमेंट के मूल्य तथा वितरण पर किये गये नियंत्रण को दृढ़ता से क्रियान्वित करे तो असंतोष को बहुत हद तक दूर किया जा सकता है। सीमेंट एक मूलभूत उद्योग है। यदि योजना के बारे में हमारे विचार स्पष्ट नहीं है तो हम बढ़ती हुई मांग को पूरा नहीं कर सकते।

इस समय चार फर्मों, अर्थात ए० सी० सी० साहू-जैन, डालमिया तथा बिड़ला बन्धु, का सीमेंट के कुल उत्पादन के 66 प्रतिशत भाग पर नियंत्रण है। सरकार ने लाइसेंस देने सम्बन्धी शक्तियां पुनः ग्रहण कर ली हैं और इस प्रकार सरकार उस पर नियंत्रण रख सकती है।

सीमेंट के मूल्यों को कम करने की पर्याप्त गुंजायश है। 1966 में सीमेंट के मूल्यों से 5.15 रुपये प्रति टन वृद्धि करने की अनुमति दी गई थी। परन्तु इस राशि का उपयोग वास्तव में विस्तार के लिए किया जाना था। इस बारे में मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। ए० सी० सी०

के 17 कारखाने हैं। परन्तु वह अपने एक कारखाने का विस्तार करके अपने सभी कारखानों के उत्पादन पर यह 5.15 रुपये की वृद्धि वसूल कर लेते हैं। इस प्रकार 1966 से 1969 के बीच बड़े-बड़े सभी समवायों ने इस 5.15 रु० का विस्तार छूट से भारी धनराशि एकत्रित की है। सरकार को इस बात की जांच करनी चाहिये कि इस राशि का किस प्रकार उचित उपयोग हो सकता है। इस राशि को पूल में जमा कर पंजाब, हरियाणा जैसे कमी वाले राज्यों में अथवा सरकारी क्षेत्र में कारखाने लगाने में योग करना चाहिये।

सरकार को स्लैग सीमेंट की लागत के बारे में भी जांच करनी चाहिये। स्लैग सीमेंट के उत्पादन पर प्रतिटन 14 रुपये लागत आती है। निर्यात 50 प्रतिशत स्लैग सीमेंट को अन्य किस्म के सीमेंट, जिसकी उत्पादन लागत 100 रुपये प्रति टन है, में मिला देते हैं और फिर इस मिश्रित सीमेंट को 100 रु० प्रतिटन की दर से बेचते हैं। 1961 में प्रशुल्क आयोग ने स्लैग सीमेंट की उत्पादन लागत के बारे में जांच नहीं की थी। स्लैग सीमेंट के उत्पादन के लिए कच्चा माल इस्पात कारखानों से उपलब्ध होता है। इस समय इस्पात के बड़े-बड़े कारखाने सरकार के नियंत्रणाधीन हैं। अतः यदि स्लैग सीमेंट के उत्पादन का उचित उपयोग किया जाता है तो सरकारी खजाने को अतिरिक्त लाभ होगा। रेलवे स्टेशन पर सीमेंट चढ़ाने व उतारने तथा वहां से गोदामों तक ले जाने के लिए पांच रुपये प्रति टन लेने की अनुमति दी जाती है। परन्तु लगभग 20 प्रतिशत सीमेंट ट्रकों आदि द्वारा ढोया जाता है। परन्तु इस पर पांच रुपये प्रतिटन लेने की अनुमति दी गई है इस प्रकार यह राशि 1.5 करोड़ रुपये बन जाती है।

दिसम्बर 1969 में यह घोषणा की गई थी कि मूल्य, वितरण तथा मालभाड़ा सम्बन्धी पूल पर सरकार का नियंत्रण जारी रहेगा। परन्तु यह नहीं बताया गया कि यह नियंत्रण कितनी अवधि तक रहेगा और विस्तार को किस प्रकार सुनिश्चित किया जायेगा। सरकार को सीमेंट के मूल्यों में कमी करने तथा उपभोक्ता की पहुंच के अन्तर्गत लाने की पूरी शक्ति तथा अवसर प्राप्त है। मुझे आशा है मंत्री महोदय इस पर नये सिरे से विचार करेंगे और स्पष्ट निर्णय लेंगे।

श्री स० कुन्दू (बालासौर) : महोदय, निर्माण वितरण तथा तथाकथित मूल्य नियंत्रण के नाम पर लोगों से बहुत धोखा किया गया है। भिलाई के निकट नन्दीनी के स्थान पर स्लैग सीमेंट का एक कारखाना स्थापित करने का हिन्दुस्तान स्टील का प्रस्ताव था, परन्तु इसको ए० सी० सी० तथा हिन्दुस्तान स्टील के कुछ अधिकारियों द्वारा असफल कर दिया गया। ए० सी० सी० भिलाई से 9 रुपये प्रतिटन की दर से मालटन स्लैग क्रय करती है अब इसका मूल्य 11 रुपये प्रति टन कर दिया गया है। इस स्लैग को राजस्थान में जयपुर जैसे स्थानों में 55 से 56 रुपये प्रतिटन की दर से बेचा जाता है। इसके अतिरिक्त भी जयपुर के कारखाने पर्याप्त मुनाफा कमा रहे हैं। इससे अनुमान लगाया जा सकता है ए० सी० सी० कितना लाभ कमाती होगी।

सीमेंट निगम को स्लैग सीमेंट की एक फैक्टरी लगाने को कहा गया था परन्तु निगम इस काम के लिए आगे नहीं आया ऐसा मेरा आरोप है कि इस प्रस्ताव को सीमेंट कारखानों व मालिकों द्वारा असफल बना दिया गया है।

बिड़ला ग्रुप की एक फर्म ने दुर्गापुर के प्रबंधकों तथा साहूजैन ने राउरकेला के प्रबन्धकों

से स्लैग खरीदने को एक लम्बी अवधि के कार्यक्रम को हाल में अन्तिम रूप दिया है। इसके विपरीत सरकारी क्षेत्र के उड़ीसा राज्य विकास निगम से जिसने टैण्डर दिया था, ऐसा करार नहीं किया। मैंने इस मामले को सलाहकार समिति में भी उठाया है।

करोड़ों रुपयों का मुनाफा कमाया जा रहा है। इस बात का पता लगाया जाना चाहिए कि सीमेंट निगम कारखाना लगाने के लिए आगे क्यों नहीं आया और ए० सी० सी० साहूजैन और बिड़ला बन्धुओं को लाइसेंस दिये जाने के क्या कारण हैं। मेरा आरोप है कि सरकार ने बड़ी-बड़ी फर्मों से सांठगांठ की है।

क्या सरकार मूल्य वितरण तथा नये कारखाने लगाने सम्बन्धी अपनी नीति की घोषणा करेगी? कारखानों को अलग-अलग स्थानों पर लगाने के बारे में सरकार की कोई नीति नहीं है। मूल्य के बारे में भी सरकार की कोई ठोस नीति नहीं है। सीमेंट के मूल्यों में अनेक कर वृद्धि की गई है। सब सीमेंट निर्माता सरकार पर दबाव डालते हैं सीमेंट के मूल्यों में वृद्धि कर दी जाती। मेरे विचार में सीमेंट के मूल्यों में 20 प्रतिशत कटौती की जा सकती है। मैं श्री गोयल से इस बात पर सहमत हूं कि वर्तमान वितरण प्रणाली से भी लागत में 25 से 30 प्रतिशत वृद्धि हो जाती है। जब तक इस प्रणाली में कुछ परिवर्तन नहीं किया जाता तब तक मूल्यों को बढ़ने से नहीं रोका जा सकता।

मैं जानना चाहता हूं कि सीमेंट निगम का क्या कार्य है और मूल्य सम्बन्धी तथा वितरण सम्बन्धी सरकार की क्या नीति है?

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani): May I know whether it is a fact that Cement industry in private sector is not fully modernised? If not, what are the reasons therefor? I would also like to know the order issued by the Government for modernisation and how far they have been implemented?

Secondly, I would like to know whether Government is going to take over Cement industry so that its production may increase?

Thirdly, what steps have been taken by Government to expand the Cement industry in Bihar more specially in North Bihar? I would also like to know whether Government have any scheme in this regard which may be implemented during the Fourth Plan and if not, the reasons therefor?

Fourthly, I would like to know the quantity of Cement exported and amount of foreign exchange earned therefrom?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण): सीमेंट उद्योग बहुत ही महत्वपूर्ण उद्योग है। देश में इस समय सीमेंट के लगभग 48 कारखाने हैं जिसमें से अधिकतर देश के दक्षिणी तथा पश्चिमी भागों में स्थिति हैं। देश के उत्तर तथा पूर्वी क्षेत्र में सीमेंट का सदा घाटा रहा है। एक समय इस उद्योग का विनियंत्रण कर दिया गया था और हम चाहते थे कि उद्योग मूल्य-नियंत्रण, वितरण आदि सभी कार्यों को स्वयं विनियमित करे। परन्तु इसका कार्य संतोषजनक नहीं था। अतः सरकार को पुनः हस्तक्षेप करना पड़ा ताकि बड़े-बड़े निर्माता देश में सीमेंट की कमी के आदि के कारण अनुचित लाभ न उठा सकें। अतः कुछ विनियम लागू किये गये थे। सीमेंट उद्योग द्वारा उन सभी का पालन किया जा रहा है। उनको कुछ शर्तों के आधार पर ही मूल्य वृद्धि की अनुमति दी गई है।

प्रथम प्रशुल्क आयोग ने इस उद्योग के कार्य संचालन की जाँच 1961 में की थी। सीमेंट की प्रति टन राशि निर्धारित करने के पश्चात उसने मार्गदर्शी सिद्धान्त भी दिये थे जिनके आधार पर सरकार सीमेंट के मूल्य में वृद्धि अथवा कमी कर सकती है। करों में तथा ईंधन अथवा कोयले के मूल्य में वृद्धि हो जाने के कारण हमने सीमेंट के मूल्यों में वृद्धि करने की अनुमति देते रहे हैं। यह मामला वित्त मन्त्रालय के मुख्य लेखापाल को सौंपा गया था। उनका कहना था कि करों तथा अन्य चीजों में वृद्धि के कारण मूल्य में वृद्धि का औचित्य है।

सीमेंट के मूल्य में वृद्धि के साथ-साथ निर्माताओं पर यह शर्त भी लगाई गई थी कि उनके कुछ राशि सीमेंट उद्योग के विस्तार के लिए एक निधि में जमा करानी पड़ेगी। परन्तु दुर्भाग्य की बात है कि यद्यपि कुछ लोगों ने इसका पालन किया है कुछ अन्य ने इसका उल्लंघन भी किया है। हम अनेक तरीकों से ऐसे सीमेंट निर्माताओं पर नियंत्रण रखेंगे।

देश की समस्त मांग को इस समय संतोषजनक ढंग से पूरा किया जा रहा है। चौथी पंचवर्षीय योजना में 210 लाख टन सीमेंट की आवश्यकता होगी। इस में से दो सो लाख टन आन्तरिक खपत के लिए तथा दस लाख टन निर्यात के लिए हमें चाहिए होगा। गैर-सरकारी सीमेंट निर्याताओं पर अच्छी तरह नियंत्रण रखने के लिए सरकारी क्षेत्र में सीमेंट के उत्पादन को बढ़ाना होगा।

श्री कुन्दू ने कहा कि सीमेंट निगम उचित ढंग से कार्य नहीं कर सका। मेरा निवेदन है कि सीमेंट निगम की अपनी सीमाएं हैं। फिर भी इस निगम ने सात अच्छी परियोजनाएं प्रस्तुत की हैं जिनमें से चार को स्वीकार किया जा चुका है।

श्री स० कुन्दू : मैंने सीमेंट निगम के कार्यसंचालन के बारे में कभी कुछ नहीं कहा। मैंने सीमेंट निगम द्वारा स्लैग सीमेंट का कारखाना न लगाये जाने के बारे में कहा था।

श्री मं० र० कृष्ण : मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि देश में सीमेंट उद्योग के लिए पर्याप्त गुंजायश है। यदि माननीय सदस्य चाहें तो अपने अपनी राज्य सरकारों पर जोर डाल सकते हैं और हम उनकी सहायता करेंगे और इस प्रकार एक-दो कारखाने और लगाये जा सकते हैं। सरकार से पास 30 या 40 आवेदनपत्र अतिरिक्त पड़े हैं। अतः लाइसेंस देने की कोई समस्या नहीं है। श्री कुन्दू यह भी चाहते थे कि गैर-सरकारी निर्माताओं को दिये जाने वाले उप-उत्पाद सीमेंट निगम को दिये जाने चाहिए। मैं इस बात का पता लगाऊंगा कि ऐसा किस हद तक किया जा सकता है।

सीमेंट निगम अपनी गतिविधियां बढ़ाने का प्रयास कर रहा है और आशा है कि शीघ्र ही इसके कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत अनेक क्षेत्र आ जायेंगे। हमने घाटे वाले क्षेत्रों में सीमेंट के कारखाने स्थापित करने का भी निर्णय किया है।

श्री कुन्दू ने कहा है कि हमने बिना किसी आधार के सीमेंट के मूल्यों में वृद्धि की अनुमति दी है। यह सही नहीं है। परिवहन तथा पैकिंग आदि पर आने वाली लागत की जांच की जायेगी

मुझे आशा है कि मूल्यों को कम किया जा सकेगा परन्तु मूल्यों में अधिक कमी करना संभव है।

इसके पश्चात् लोक सभा सोमवार, 10 अगस्त, 1970/19 श्रावण, 1892 (शक) के ११ बजे म०पू० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Monday, the 10th August, 1970/Sravana 19, 1892 (Saka)

Akashdeep Printers, 20 Daryaganj, Delhi-6.